

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II SEC. 3 SUB. SEC. (ii)

Appearing on Page Nos. 16 176

Dated 18-1-1986

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1986

का.आ. 161:-दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-57 को उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्ण अनुमति से उक्त धारा के अनुच्छेद (एफ) के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

अध्याय 1—सामान्य

1. संक्षिप्त शीर्षक लागू होना व समारम्भ (1) इन विनियमों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (क्षेत्रीय) विनियम, 1983 कहा जाए।

(2) ये विनियम समस्त संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर लागू होंगे।

(3) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से तत्काल लागू हो जाएंगे।

2. परिभाषाएं (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय न हो :-

(ए) "अधिनियम" से अभिप्राय दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) से है ;

(बी) "प्राधिकरण" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण से है ;

(सी) "पूँजीगत मूल्य" से अभिप्राय भूमि, संरचना एवं मशीनरी के मूल्य से है जिस पर संस्वीकृत मुख्य योजना की तिथि से ह्रास अनुमेय है।

(डी) "वाणिज्यिक" से अभिप्राय है जो वाणिज्य से संबंधित हो।

(ई) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय दिल्ली विकास प्राधिकरण से है।

(एफ) "जिला केन्द्र" से अभिप्राय किसी नक्शे में दर्शाये गये जिला केन्द्र से है और जिसमें उप-जिला केन्द्र भी सम्मिलित है।

(जी) "प्रतिकामगार फर्श क्षेत्र" से अभिप्राय वर्ग मीटरों में मापित उस भागफल से है कुल उपलब्ध फर्श को कुल पंजीकृत औद्योगिक श्रम संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है।

(एच) "भवनों में सुधार" से अभिप्राय अनुसूची-3 में उल्लिखित सुधारों से है।

(आई) "औद्योगिक" से अभिप्राय है जो उद्योग से संबंधित है।

1 DDA/85--1

(जे) "अपुष्ट प्रयोग" से अभिप्राय किसी भूमि या भवन का प्रयोग किसी क्षेत्र की मुख्य योजना तथा अथवा क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार न होने से है।

(के) "हानिकारक उद्योग" से अभिप्राय ऐसे उद्योगों से है जिनसे जीवन को खतरा हो जो धूम उत्पन्न करके, वाहुर की ओर प्रवाहित होकर स्वास्थ्य अथवा सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हो या जहां ज्वलनशील सामग्री उत्पन्न की जाती हो अथवा भंडार के रूप में रखी जाती हो।

(एल) "शोर कारक उद्योग" से अभिप्राय ऐसे उद्योग से है जो देखने में या दिखावट में, सूंघने में या सुनने में किसी को नुकसान, खतरा पहुंचाये या उसे परेशान कर दे अथवा विद्यालय या निद्रा में व्यवधान पहुंचाये।

(एम) "पंजीकृत रोजगार" से अभिप्राय अधिनियम जिसके अधीन कोई उद्योग चल रहा है; के अनुसार पंजीकृत कामगारों की संख्या से है।

—(एन) "रिहायशी" से अभिप्राय है कि जो रिहायश से संबंधित हो।

(ओ) "प्रयोग क्षेत्र" से अभिप्राय अनुसूची-1 में उल्लिखित में विभिन्न उपयोगों की पद संज्ञाओं से है।

2. कोई भी शब्द जो यहां सुस्पष्टता से पारिभाषित नहीं है, उसका वही अर्थ होगा जैसा की मुख्य योजना में पारिभाषित या उल्लिखित किया गया है।

अध्याय 2

3. निमित्त क्षेत्रों में स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा अनुमत किये जाने वाले उपयोग: निमित्त क्षेत्रों में स्वीकृतिदाता प्राधिकारी किसी प्रयोग क्षेत्र में, क्षेत्रीय विकास योजनाओं के तैयार होने तक अनुमत प्रयोग की अनुमति दे सकता है।

4. स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा अनुमत उपयोगों को क्षेत्रीय विकास योजना में समाविष्ट करना जब कभी किसी निमित्त क्षेत्र की क्षेत्रीय विकास योजना तैयार की जाती है तो स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा अनुमत उपयोगों को भूमि उपयोग संबंधी प्रस्तावों में समाविष्ट कर लिया जाएगा।

अध्याय 3

अपुष्ट प्रयोगों को हटाना तथा कुछेक प्रयोगों का परिवर्तन:

5. औद्योगिक अपुष्ट प्रयोग ('खतरनाक उद्योग') :- कोई भी व्यक्ति चाहे वह योजना लागू होने के तुरन्त पहले से ही किसी भूमि या भवन

को किसी हानिकारक उद्योग के चलाने के लिए प्रयोग कर रहा हो, उसे उस उद्योग को तीन वर्ष के भीतर किसी पुष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा या कथित अवधि की समाप्ति पर अपुष्ट प्रयोग को बन्द करना होगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा "हानिकारक उद्योग" हेतु उस जोन में उक्त भूमि या भवन का ऐसी अतिरिक्त अवधि हेतु जितनी कि प्राधिकरण द्वारा अनुमत की जाए, प्रयोग जारी रखना वैध माना जाएगा;

(ए) पूंजीगत मूल्य एक लाख रुपये से अधिक होने पर अनुसूची-2 के अनुसार ;

(बी) किसी अन्य मामले में हानिकारक उद्योगों की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखकर प्राधिकरण द्वारा तय की जाने वाली उचित शर्तों व निबन्धनों के आधार पर तथा समय-समय पर अपुष्ट प्रयोग हेतु इसी प्रकार निर्धारित दरों के अनुसार कर की वसूली करके अनुमति दी जाएगी।

6. हानि रहित उद्योग किन्तु शोरकारक : किसी व्यक्ति द्वारा चाहे योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी भूमि या भवन को शोरकारक उद्योग को चलाने हेतु प्रयोग में लाया जा रहा हो तो उसे उस उद्योग को चार वर्ष के भीतर योजना में निदिष्ट किसी पुष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा या कथित अवधि की समाप्ति पर अपुष्ट प्रयोग को बन्द करना होगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा "शोरकारक" उद्योग हेतु उस जोन में उक्त भूमि या भवन का ऐसी अवधि हेतु जितनी कि प्राधिकरण अनुमत करें, प्रयोग जारी रखना वैध माना जाएगा :-

(1) अनुसूची-2 के अनुसार परिकलन-पैमाने के आधार पर दस वर्ष की अवधि तक यदि :-

(ए) विनियमों में उद्धृत उद्योग का पूंजीगत मूल्य उच्चतर है;

(बी) उद्योग का पूंजीगत श्रम अधिक है; तथा

(सी) विनियमों में उद्धृत उद्योग का प्रति कामगार फुल क्षेत्र अधिक हो।

(2) किसी अन्य मामले में शोरकारक उद्योगों की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखकर प्राधिकरण द्वारा तय की जाने वाली उचित शर्तों व निबन्धनों के आधार पर तथा समय-समय पर अपुष्ट प्रयोग हेतु इसी प्रकार निर्धारित दरों के अनुसार कर की वसूली करके अनुमति दी जाएगी।

7. शोर-रहित उद्योग : किसी व्यक्ति द्वारा चाहे योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी भूमि या भवन को शोर-रहित उद्योग को चलाने हेतु प्रयोग में लाया जा रहा है तो उसे उस उद्योग को छह वर्ष के भीतर योजना में निदिष्ट किसी पुष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा या कथित अवधि की समाप्ति पर अपुष्ट प्रयोग को बन्द करना होगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा 'शोर-रहित उद्योग' हेतु उस जोन में उक्त भूमि या भवन का ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए जितनी कि प्राधिकरण अनुमत करें, प्रयोग जारी रखना वैध माना जाएगा :-

(1) अनुसूची-2 के अनुसार परिकलन-पैमाने के आधार पर 20 वर्ष की अवधि तक, यदि :-

(ए) विनियमों में उद्धृत उद्योग का पूंजीगत मूल्य उच्चतर है;

(बी) उद्योग का पूंजीगत श्रम अधिक है; तथा

(सी) किसी अन्य मामले में उद्योग की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखकर प्राधिकरण द्वारा तय की जाने वाली

उचित शर्तों व निबन्धनों के आधार पर तथा समय-समय पर अपुष्ट प्रयोग हेतु इसी प्रकार निर्धारित दरों के अनुसार कर की वसूली करके अनुमति दी जाएगी।

8. औद्योगिक क्षेत्र में रिहायशी प्रयोग : रिहायशी अपुष्ट प्रयोग तथा इसका परिवर्तन किसी व्यक्ति द्वारा चाहे योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी औद्योगिक प्रयोग वाले जोन में रिहायशी उद्देश्यों हेतु किसी भूमि या भवन का अपुष्ट प्रयोग के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो वह उसकी 10 वर्ष की अवधि तक जारी रख सकता है। परन्तु इस अवधि की समाप्ति पर उसे अपुष्ट प्रयोग को योजना में निदिष्ट किसी पुष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा।

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा उसी जोन में उक्त 10 वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद भी अपुष्ट प्रयोग जारी रखा जाना उस अवस्था में वैध माना जाएगा, यदि वह व्यक्ति-ले-आउट प्लान तथा अपुष्ट रूप में प्रयोग की जा रहा सुपर स्ट्रक्चर के संबंध में प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त कर लेता है।

9. वाणिज्यिक क्षेत्रों में रिहायशी प्रयोग : किसी व्यक्ति द्वारा चाहे योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी वाणिज्यिक जोन में रिहायशी उद्देश्यों हेतु किसी भूमि या भवन का अपुष्ट प्रयोग के रूप में उपयोग किया जा रहा हो तो वह उस प्रयोग की 10 वर्ष की अवधि तक जारी रख सकता है परन्तु इस अवधि की समाप्ति पर उसे अपुष्ट प्रयोग को योजना में निदिष्ट किसी पुष्ट क्षेत्र में स्थानान्तरित करना होगा :

परन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा उसी जोन में उक्त दस वर्ष की निर्धारित अवधि के पश्चात भी उक्त अपुष्ट प्रयोग जारी रखा जाना उस अवस्था में वैध माना जाएगा, यदि (ए) उस व्यक्ति ने ले-आउट प्लान तथा अपुष्ट रूप में प्रयोग की जा रहा सुपर स्ट्रक्चर के संबंध में प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर लेता है।

(बी) प्राधिकरण लिखित रूप में दर्ज किये गये कारणों के आधार पर उस जोन में भवन को प्रथम तथा ऊपरी मंजिल को रिहायशी प्रयोग हेतु प्रयोग में लाये जाने हेतु अनुमति दे सकता है।

10. सार्वजनिक मनोरंजनात्मक क्षेत्रों में रिहायशी प्रयोग : किसी भी व्यक्ति द्वारा चाहे योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी सार्वजनिक मनोरंजनात्मक क्षेत्र वाले जोन में स्थित किसी भूमि या भवन का रिहायशी उद्देश्यों हेतु अपुष्ट प्रयोग किया जा रहा हो तो वह उस भूमि या भवन के प्रयोग को जारी रख सकेगा बशर्तें वह भूमि या भवन किसी गांव में स्थित हो जो 1 सितम्बर, 1962 की अस्तित्व में था तथा अन्य सभी मामलों में 10 वर्ष तक या ऐसी बड़ी हुई अवधि तक जो अनुमत मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा दी जाए।

11. औद्योगिक क्षेत्रों में वाणिज्यिक प्रयोग : औद्योगिक प्रयोग के जोन में वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु किसी भूमि या भवन को किसी व्यक्ति द्वारा :-

(ए) 10 वर्ष की अवधि तक उपयोग किया जा सकता है बशर्तें वह प्राधिकरण से ऐसी भूमि या भवन के प्रयोग को वाणिज्यिक प्रयोग को परिवर्तित कराने तथा ले-आउट प्लान और उस पर स्थित स्ट्रक्चर के संबंध में स्वीकृति प्राप्त कर लें; और

(बी) किसी अन्य मामले में ऐसी शर्तों व नियमों के आधार पर प्रयोग किया जाएगा जैसी प्राधिकरण तय करें।

12. रिहायशी क्षेत्र में वाणिज्यिक प्रयोग :—रिहायशी प्रयोग के जोन में वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु किसी भूमि या भवन को किसी व्यक्ति द्वारा :—

(ए) 10 वर्ष का अवधि तक प्रयोग कर सकता है बशर्ते उस जोन की क्षेत्रीय विकास योजना में वह भूमि स्थानीय वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट हो; तथा

(बी) किसी अन्य मामले में ऐसी शर्तों व नियमों के आधार पर प्रयोग किया जाएगा जैसे प्राधिकरण तय करें।

13. सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक क्षेत्रों में जिसमें मनोरंजनात्मक क्षेत्र भी शामिल हैं, में वाणिज्यिक प्रयोग :—सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक प्रयोग के जोन में जिसमें मनोरंजनात्मक जोन भी सम्मिलित है, में वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु किसी भूमि या भवन को किसी व्यक्ति द्वारा :

(ए) 10 वर्ष तक की अवधि तक प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते उस जोन की क्षेत्रीय विकास योजना में वह भी स्थानीय वाणिज्यिक क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट हो; तथा

(बी) किसी अन्य मामले में ऐसी शर्तों व नियमों के आधार पर प्रयोग किया जाएगा जैसे प्राधिकरण तय करें।

14. अप्रुष्ट क्षेत्रों में सुधार एवं परिवर्तन :—किसी व्यक्ति द्वारा यदि योजना लागू होने के तुरन्त पहले से किसी भूमि या भवन का प्रयोग उस जोन की मुख्य या क्षेत्रीय विकास योजना के अनुरूप नहीं किया जा रहा हो और यदि वह उस भूमि या भवन पर संस्थापित मशीनरी में सुधार या बदलाव करना चाहे तो उसे इसकी इजाजत होगी बशर्ते ऐसे सुधार या बदलाव इन विनियमों की अनुसूची-3 में उल्लिखित भदों के अंतर्गत आते हों।

15. अस्थायी परमिट :—कोई भी भूमि या भवन नक्शे में उसके निर्धारित प्रयोग से अन्यथा उद्देश्य हेतु अस्थायी रूप में एक सीमित अवधि हेतु आवेदन प्राप्ति पर कारणों को लिखित रूप में एक सीमित अवधि हेतु आवेदन प्राप्ति पर कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए प्रयोग में लाने हेतु अनुमत की जा सकता है - जैसे किसी औद्योगिक स्टेट के निर्माण के समय भूदूरों के रहने के लिये टैन्टों हेतु अथवा यदि विकासाधीन क्षेत्र में सम्पत्ति मालिक की इच्छा पर कृषि के प्रयोग को जारी रखने हेतु या विकासाधीन क्षेत्रों में ही भूमि के नक्शे में निर्धारित प्रयोग से अन्यथा किसी उद्देश्य हेतु अस्थायी प्रयोग हेतु उपयोग में लाना।

16. अनुज्ञप्त प्रयोग :—किसी जोन में किसी भूमि या भवन के प्रयोग को वैध माना जाएगा यदि वह भूमि संलग्न अनुसूची-4 में अपने जोन में अनुज्ञप्त प्रयोग से दक्षित प्रयोगों में से किसी एक प्रयोग हेतु निर्दिष्ट की गई हो।

17. विशेष अपोल पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यदि अनुमति दी जाए तो अनुज्ञप्त प्रयोग :—किसी जोन में किसी भूमि या भवन को यदि यहां अनुसूची-4 में उल्लिखित विशेष अपोल के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी उद्देश्य हेतु प्रयोग करने के लिये स्पष्टतः अनुमत कर दिया जाए तो उसे प्रयोग में लाया जाना वैध माना जाएगा।

विनियम 1 (ओ) के अनुसार अनुसूची-1

प्रयोग क्षेत्र

1	2	3
1. आर-25	रिहायशी	
2. आर-50	रिहायशी	
3. आर-60	रिहायशी	
4. आर-75	रिहायशी	
5. आर-100	रिहायशी	
6. आर-125	रिहायशी	
7. आर-150	रिहायशी	
8. आर-200	रिहायशी	
9. आर-250	रिहायशी	

1	2	3
10. ए-1	कृषि हस्ति पट्टी	
11. ए-2	ग्रामीण	
12. सी-1	खुदरा विपणन	
13. सी-2	सामान्य व्यापार तथा वाणिज्यिक (केन्द्रीय तथा उप-केन्द्रीय व्यापार जिले, जिला केन्द्र)	
14. सी-3	थोक	
15. एम-1	प्लैटिड फेक्ट्री	
16. एम-2	कार्य व औद्योगिक केन्द्र	
17. एम-3	विशेष उद्योग	
18. एम-4	हल्के उद्योग तथा तबिस इन्डस्ट्री	
19. एम-5	व्यापक विनिर्माण	
20. एम-6	निष्कर्षणात्मक उद्योग, उत्खनन ईट-भट्टे, पत्थर-कैशर इत्यादि।	
21. डब्ल्यू.	गोदाम, भण्डारण तथा डिपो।	
22. सी	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय।	
23. पी	मनोरंजनात्मक।	
24. एफ	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं।	

विनियम 5 से 7 के अनुसार अनुसूची-2

अप्रुष्ट प्रयोगों हेतु समय-सारिणी

औद्योगिक प्रयोग :

बिलम्बन काल की स्थिति	हानिकारक उद्योग	शोरकारक उद्योग	शोररहित उद्योग
वर्ष संख्या	वर्ष संख्या	वर्ष संख्या	वर्ष संख्या
1	2	3	4
वे उद्योग जहां पंजीकृत कर्मचारी संख्या 1 से 19 है और प्रति कामगार फर्श-क्षेत्र 50 वर्ग फुट या उससे कम है और पूंजीगत मूल्य एक लाख से कम है।	3	4	6
पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या 20 से 99 के बीच है (अतिरिक्त वर्ष)	—	1	2
पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या 100 या उससे अधिक है (अतिरिक्त वर्ष)	—	1	2
प्रति कामगार फर्श-क्षेत्र की उपलब्धता 51 से 100 वर्ग फुट है (अतिरिक्त वर्ष)	—	1	2
प्रति कामगार फर्श-क्षेत्र की उपलब्धता 100 वर्ग फुट से ऊपर है (अतिरिक्त वर्ष)	—	1	2
पूंजीगत मूल्य यदि एक से पांच लाख के बीच है (अतिरिक्त वर्ष)	1	1	2

1	2	3	4
पूँजीगत मूल्य यदि पांच लाख से ऊपर है (अतिरिक्त वर्ष)	1	1	4
अधिकतम वर्ष संख्या	5	10	20

नोट :—1. सारिणी में दर्ज प्रत्येक संख्या पर समय दर्शाया गया है जो सारिणी में प्रस्तुत क्रम का समुच्चयबोधक है।

2. सारिणी में दर्ज रोजगार उस उद्योग हेतु है जो ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है। जिन उद्योगों में ऊर्जा प्रयुक्त नहीं होती वहां रोजगार की संख्या दुगुनी मानी जाएगी।

विनियम 14 के अनुसार अनुसूची-3 :

भवन तथा मशीनरी में अनुमति के अनुसार सुधार करना।

1. वर्तमान पावर प्लांट तथा बर्कशाप और अन्य अनुषांगिक विभाग जो मौजदा उपकरण की क्रियाकलापों के चलते रहने से जुड़े हैं, की उत्पादकता, दक्षता तथा मितव्ययता में वृद्धि करने हेतु किसी भी प्रकार से मरम्मत, तबदीली, आधुनिकीकरण या सुधार करना।

2. उस भवन की किसी भी प्रकार से पुनर्गठित करना, उसमें परिवर्तन करना या उसकी मरम्मत करना, जिसमें उक्त संयंत्र एवं उपकरण स्थित हैं।

3. किसी भी वर्तमान कार्यालय भवन, रिहायशी, आवास, सुविधाओं द्वारों, टंकियों, प्लेटफार्मों, कुओं, सड़कों, नालियों तथा अन्य स्ट्रक्चरों में वर्तमान उत्पादन सम्बन्धी क्रियाओं की दक्षता, उत्पादकता तथा मितव्ययता को बनाये रखने तथा उसमें सुधार करने के उद्देश्य से परिवर्तन, पुनर्गठन, बड़ावा तथा परिवर्द्धन करना।

4. औद्योगिक भूखण्ड पर गोदाम का पुनर्निर्माण या मरम्मत, परिवर्तन करना, कच्चे माल, मशीनरी, कल-पुर्जों, परिष्कृत उत्पादों, भवन सामग्री इत्यादि को ढेर के रूप में रखना।

विनियम 16 के अनुसार अनुसूची-4

क्रम. सं.	प्रयोग क्षेत्र	अनुज्ञप्त प्रयोग
1	2	3
1. 1 से 3 आर.-25 आर.-50, आर.-60		रिहायशी मकान, बाल बाड़ियां, किंडर गार्डन तथा स्कूल क्लिनिक्स, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएं जिनमें पर्याप्त पार्किंग सुविधा हो; सविस व स्टोरेज यार्ड्स को छोड़कर जन सुविधाएं तथा इमारतें अवाणिज्यिक फार्मस, कृषि बागान, नर्सरियां और ग्रीन हाऊसिंग तथा पड़ीस-वर्ती, मनोरंजनत्मक प्रयोग जिनमें क्लब्स तथा अन्य अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजनत्मक प्रयोग सम्मिलित हैं; सह-प्रयोग जो रिहायशी प्रयोग पर स्पष्टतः अनुषांगिक है (खुदरा दुकानों व सेवा प्रयोगों को छोड़ कर) तथा वे जोर या अंतरा उत्पन्न न करते हों।

1	2	3
2. 4 से 6 आर-75, आर-100, आर-125	आर-25 से आर-60 तक के प्रयोग क्षेत्रों में सभी उपयोगों का अनुमति है।	

3. 7 से 8 आर-150, आर-200 आर-75 प्रयोग क्षेत्र में सभी प्रयोग अनुमत हैं।

4. 9: आर-250 आर-200 प्रयोग क्षेत्र में सभी प्रयोग अनुमत हैं।

5. 10 ए-1 कृषि, उद्यान, फल-वाटिका तथा सज्जो फार्म जिनके फार्म प्लॉट का कम से कम आकार 1 हैक्टर है, भूगर्भी, डेरी तथा अन्य पशुधन फार्म और उनकी सह इमारतें तथा 2 हैक्टर की न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्र सीमा में आने वाले प्रयोग; भूमि प्रयोग नक्शे में दर्शित या वर्णित विशिष्ट प्रयोग जैसे शहरी गांव, ईट भट्टे तथा 1981 की शहरी-कृत सीमा से आधा मील से बाहर 8 फुट की गराई तक मिट्टी निकालना।

6. 11 ए-2 कृषि हस्त पट्टी प्रयोग क्षेत्र में सभी प्रयोग अनुज्ञप्त हैं।

7. 12 सी-1 खुदरा दुकानें, व्यापार एवं व्यावसायिक कार्यालय, सविस यूज जैसे बारबर, टेलर, लांडरी तथा ड्राईक्लीनिंग की दुकानें इत्यादि, रेस्तरां तथा मनोविनोद स्थल, रिहायशी मकान, सामाजिक व कल्याण संस्था वगैरें वे प्रथम तथा ऊपरी मंजिलों पर स्थित हों, क्लिनिक्स, मांस-मछली तथा फल बाजार, वैद्य खुदरा व्यापार हेतु छत वाले भण्डारगृह, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजनात्मक प्रयोग जन-सुविधाएं व इमारतें। सभी प्रयोगों हेतु अपेक्षित पार्किंग क्षेत्र अवश्य अनुमोदित किया जाना चाहिए।

8. 13 सी-2 सी-1 प्रयोग क्षेत्र में सभी प्रयोग अनुमत हैं, होस्टल व बोर्डिंग हाऊस, गेस्ट हाऊस तथा होटल्स, कालेज स्कूल, अनुसंधान संस्थान, सविस गैरेज, गोदाम और ढुके भण्डार गृह, स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकारी कार्यालय भी जिसमें शामिल हैं। सभी प्रयोगों हेतु अपेक्षित पार्किंग क्षेत्र अनुमोदित अवश्य किया जाना चाहिए।

9. 14 सी-3 थोक व खुदरा दुकानें, विशिष्ट प्रतिवन्ध को छोड़कर थोक व्यापार हेतु भण्डार गृह, व्यापारिक कार्यालय, रेस्तरां तथा रिहायशें वगैरें वे प्रथम एवं

- 1 2 3
- पटाव व पिछवाड़ा इस प्रकार का न हो कि समीपवर्ती रिहायशी क्षेत्रों को कोई व्यवधान होता हो, कालेज तथा अनुसंधान संस्थान जहाँ विक्री को जाने वाली वस्तुओं या सामग्रियों का उत्पादन न होता हो तथा कोई शोर न पैदा हो और भवन का कोई भाग भूखंड रेखा से 50 फुट से कम दूरी पर स्थित न हो, म्यूनिसिपल, राज्य व केन्द्रीय सरकारी कार्यालय, अवाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु नुर्गी या पशु-फार्म बनाना — वशतें वह जगह जहाँ कि पक्षियों या पशुओं को रखा गया है, किसी रिहायश या सम्पत्ति से 50 फुट दूर हो, स्थल के विकासार्थ कंकड़, मिट्टी रेत या पत्थर को हटाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि वहाँ पानी खड़ा हो जाए या किसी प्रकार का शोर उत्पन्न हो, बस डिपों, रेलवे यात्री स्टेशन एवं माल-भाड़े के अड्डे, सड़कों पर पेट्रोल प्रदायी स्टेशन या 100 फुट या इससे ऊपर का मार्गाधिकार सर्विसिज एवं भण्डारगृह प्रांगण, टैक्सी, स्कूटर स्टेशन, घरेलू उद्योग (सूची परिशिष्ट "ए" पर प्रस्तुत)
2. 4 से 6 आर-25 से आर-60 प्रयोग क्षेत्रों में सभी प्रयोग अनुयेय हैं।
आर-75
आर-100
आर-125
3. 7 से 8 आर-75 से आर-125 क्षेत्रों में सभी प्रयोग अनुयेय हैं।
आर-150
आर-200
4. 9 आर-250 आर 200 प्रयोग क्षेत्रों में सभी प्रयोग अनुयेय हैं।
5. 10ए-1 पूजा आदि के स्थल, स्कूल; पुस्तकालय, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक भवन, पार्क तथा अन्य सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजनात्मक प्रयोग जो लाभार्थ नहीं चलाये जा रहे हों; भंडारगृह, फार्म उत्पादों की प्रोपर्टी पर जहाँ कि वे उत्पन्न किये जाते हैं, से प्रेषण एवं विक्री; फार्म मशीनरी की सर्विसिंग तथा मरम्मत तथा कृषिजनित पदार्थों की विक्री; जन-सुविधाएं व इमारतें।
6. 11ए-2 विपणन केन्द्रों में स्थित खुदरा दुकानें और सर्विस संबंधी प्रयोग मिल्क बिलिंग स्टेशन तथा पाश्चात्यराइजेशन प्लान्ट्स, कुटीर उद्योग एवं अन्य ऐसे हल्के उद्योग जो कृषिजनित हैं, ग्रामीण कालेज, बोर्डिंग हाउसिज व होस्टल्स, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशालाएं जो लघु प्रायोगिक संयंत्र द्वारा उत्पादित को छोड़कर विक्री की जाने वाली वस्तुओं या सामग्रियों के उत्पादनार्थ प्रयुक्त न किये जा रहे हों तथा उनके द्वारा शोर पैदा न होता हो और इमारत का कोई भाग किसी रिहायश या समीपवर्ती परिसर या किसी सम्पत्ति सीमा रेखा या सड़क से 100 फुट की दूरी में न आता हो 8 फुट की गहराई तक खुदाई सामग्री, पत्थर खुदाई बस अथवा रेल यात्री तथा माल भाड़े के अड्डे, विमानों के उतरने के लिए नैदानी क्षेत्र, तथा उनके आवश्यक सम्बद्ध कारक, सुविधाएं व इमारतें, सैन्य उद्देश्यार्थ अपेक्षित क्षेत्र, बायरलेस सम्प्रेषण एवं मौसम केन्द्र, मेटेल्स।

- 1 2 3
7. 12-सी-1 सामाजिक एवं कल्याण संस्थाएं पेट्रोल फिलिंग स्टेशन कोयला, लकड़ी या टिम्बर यार्ड्स, सर्विस गैरिज और अथवा हानि रहित तथा हल्के उत्पादन वाले उद्योग जहाँ ऊर्जा हो या न हो 4 से अधिक व्यक्ति नियोजित हो तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अहाते में ही खुदरा रूप में विक्रय किया जाता हो, टैक्सी एवं स्कूटर स्टैंड, बस टर्मिनल, सभी प्रयोगों हेतु पाकिंग आवश्यकता अवश्य अनुमोदित होनी चाहिए।
8. 13-सी-2 सी-1 जोन में विशेष शरील के अंतर्गत अनुमत समस्त प्रयोग। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र और छापी प्रैस। विपणन केन्द्रों को व्यापक योजनाओं या क्षेत्रीय योजनाओं के अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में निम्नलिखित को भी अनुमत किया जाए; हल्के विनिर्माण, शोर रहित या हानि रहित सर्विस इन्डस्ट्रीज जहाँ ऊर्जा चालित या रहित अवस्था में 10 से अधिक कर्मचारी नियोजित न हो; जंक-यार्ड्स, पाकिंग क्षेत्र की आवश्यकता-सभी उद्देश्यों हेतु अवश्य प्रदान की जाए।
9. 14सी-3 ट्रक टर्मिनल तथा पाकिंग; स्कूल क्लिनिक्स, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, मनोरंजनात्मक उपयोग, भंडारगृह तथा मांस एवं मछली की मार्किट। सभी प्रयोगों हेतु पाकिंग, लोडिंग, व अनलोडिंग क्षेत्र संबंधी आवश्यकता का प्रावधान अवश्य किया जाए।
10. 15एम-1 बस एवं ट्रक टर्मिनल्स रेल यात्रा व माल भाड़े के अड्डे, पेट्रोल फिलिंग स्टेशन, टैक्सी तथा स्कूटर स्टैंड जंक यार्ड्स, निगरानी एवं देखरेख करने वाले कर्मचारियों हेतु रिहायश, कर्मचारियों हेतु कैन्टीन तथा मनोरंजन- सुविधाएं।
11. 16एस-2 एम-1 प्रयोग क्षेत्र के अनुरूप परन्तु एफ. ए. आर. तथा कवरेज इसके बाद में दिये अनुसार भिन्न है।
12. 17एम-3 निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित केवल उन्हीं उद्योग को अनुमत किया जाएगा जो किसी प्रकार शोर उत्पन्न नहीं करते। कर्मचारियों हेतु कैन्टीन, मनोविनोद सुविधाएं तथा आवास सुविधा का प्रावधान, परन्तु साइट पर प्रति एकड़ 25 व्यक्तियों से अधिक का घनत्व न हो।
13. 18एम-4 जोन में उल्लिखित सभी प्रयोग अनुमत है। अनुसूची में उल्लिखित सभी उद्योग वशतें उद्योग के संचालित होते समय उत्पन्न धुंध, गंध, धूप तथा शोर के संबंध में मानक निर्धारित हो।
14. 20एम-6 शून्य
15. 31 डब्ल्यू नष्ट होने लायक तथा ज्वलनशील सामग्रियां रखे जाने वाले गोदाम, सुरक्षा कर्मचारियों हेतु रिहायश पाकिंग, लोडिंग एवं अनलोडिंग आवश्यकताओं का प्रावधान अवश्य होना चाहिए।
16. 22जी शून्य
17. 23पी वाह्य रंगमंच, सिनेमा-चलित रेस्तरां, खाद्य वस्तु विक्रय केन्द्र, जन सुविधाएं तथा म्यूनिसिपल सुविधाएं, मनोरंजन से स्पष्टतः संबंधित प्रयोग जिनसे शोर या खतरा उत्पन्न न होता हो। निगरानी कर्मचारियों हेतु रिहायश पाकिंग क्षेत्र की आवश्यकता का प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए।
18. 24एफ मुख्य प्रयोग से संबंधित रियायश एवं अन्य आनुशंगिक प्रयोग तथा उनसे किसी भी प्रकार से कोई शोर या खतरा उत्पन्न न होता हो।

No. K-13011/10/2005- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 29 March 2006

*126-G-pas
29/3/06*

Subject: Circulation of Extraordinary Gazette Notification regarding Change of Land use in respect of 23180 sqr. mtr. of land allotted for Judicial Academy at Dwarka from 'Government use' to 'residential'.

A copy of Notification dated 10th March, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

S. Mukherjee
(S. Mukherjee)

Under Secretary to the Government of India
Telefax.: 23061681

*569 AD/MC
29/3/06*

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
- ✓ 2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. The Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi
12. The Secretary, Law, Justice & Legislative Affairs, GNCTD, 8th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi

*Wine to all
concerned.*

DD (L&J) 29/3

*29/3/06
AD (L&J)*

*Sh. Sant Chaudhary
29/3*

P-T-D

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MEETING CELL)

~~10/11~~ 10.11.1961 (Mins) 2606/MC/DDA/

att.

* Copy forwarded to :-

1. Commissioner (Planning)
2. Commissioner (LD)
3. Commissioner (LM)

Asstt. Director
Meeting Cell



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2006/फाल्गुन 19, 1927

No. 220]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2006/PHALGUNA 19, 1927

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2006

का.आ. 307(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 17-8-2005 के सं. का.आ. 1143(अ), के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में कोई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

सेक्टर 14, द्वारका, फेज-II, में निम्नलिखित 23,180 वर्ग मी. (5.72 एकड़) भू-क्षेत्र के भू-उपयोग में निम्नलिखित अनुसार परिवर्तन किया जाता है :—

स्थान	क्षेत्र	भू-उपयोग (दिल्ली मास्टर प्लान, 2001)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमा
1	2	3	4	5
सेक्टर 14 द्वारका फेज-II	23,180 वर्ग मी. (5.72 एकड़)	सरकारी उपयोग	रिहायशी उपयोग	नार्थ —एम.पी. ग्रीन साउथ—ज्युडिशियल अकादमी संस्था भवन की भूमि तथा 45 मी. सड़क 13.5 मी. आर/डब्ल्यू ईस्ट —सड़क 30.0 मी. आर/डब्ल्यू वेस्ट —एम. पी. ग्रीन

[सं. के-13011/10/2005-डीडी Iबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2006

S.O. 307(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi, 2001 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 1143(E), dated 17th August, 2005 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objection/suggestion was received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi, 2001 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following area measuring 23,180 sqm. (5.72 acres) at Sector 14 Dwarka, Phase II be changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2001)	Land Use changed	Boundaries
1	2	3	4	5
Sector 14 Dwarka Phase II	23,180 sqm. (5.72 acres)	Government Use	Residential Use	North—M.P. Green, South—Land of Judicial Academy Inst. Building and 45 M Road, 13.5 m R/W. East—Road 30.0 M R/W. West—M.P. Green.

[No. K-13011/10/2005-DD IB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

No. K-13011/2/2006- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 29 March 2006

122-G-PCU
29/3/06

Subject: **Extraordinary Gazette Notification – circulation of Notification S.O. No. 425(E) dated 28.3.2006 regarding Mixed Use Policy.**

A copy of Notification dated 28th March, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

S. Mukherjee
(S. Mukherjee)

Under Secretary to the Government of India
Telefax.: 23061681

507-AD/MC
29/3/06

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
- ✓ 2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. The Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copy to :-

PS to UDM / PS to MoS (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS (D&L)

Urban Development Authority

Copies to all concerned.

DD (UD) - 29/3

*29/3/06
AD (MC)*

*Sd. Anant Choudhary
29/3*

P.T.D

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MEETING CELL)

No. F 1(Misc.) 2006/MC/DDA/

Dated

Copy forwarded to:-

1. Commissioner (Planning)
2. Commissioner (LD)
3. Commissioner (LM)

Asstt. Director
Meeting Cell



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]
No. 297]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2006/चैत्र 7, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2006/CHAITRA 7, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2006

का.आ. 425(अ).—यतः दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली परिप्रेक्ष्य-2021 और शहरी विकास के उदीयमान नए आयामों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में व्यापक संशोधन, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 16 मार्च, 2005 को भारत के असाधारण राजपत्र में सं. का.आ. 318(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप धारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियां/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 90 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः उक्त सार्वजनिक अधिसूचना में पृष्ठ सं० 382 से 384 पर मिश्रित उपयोग विनियम शीर्षक वाला अध्याय शामिल था।

3. यतः उक्त अध्याय के संबंध में प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित एक जांच बोर्ड तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भी विचार किया गया है, तथा यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान -2001 में मिश्रित उपयोग संबंधी अध्याय को संशोधित करने का निर्णय किया है।

4. अतः अब केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उपांतरण

दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप खंड (ii) में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:-

- (i) पृष्ठ सं० 165 (दायीं तरफ) पर खण्ड 10.0 मिश्रित उपयोग संबंधी विनियम के तहत मौजूदा प्रावधानों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"10.1 मिश्रित उपयोग संबंधी प्रावधान

मिश्रित उपयोग का अनिवार्य अर्थ आवासीय परिसरों में गैर-आवासीय गतिविधि के प्रावधानों से है। दिल्ली की वर्तमान स्थिति में जहां अनेक आवासीय क्षेत्रों में पहले से ही वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही हैं तो इसके पर्यावरणीय प्रभाव और समाज की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता पर विचार करते हुए मिश्रित उपयोग के लिए एक संतुलित नीति बनाना सबसे महत्वपूर्ण है।

किसी एक क्षेत्र में मिश्रित उपयोग का पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ता है। यह समाज के बड़े वर्ग की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के अनुकूल है एवं इससे परिवहन की जरूरतों और यातायात की आवाजाही में पर्याप्त कमी आती है। तथापि, जब तक इसे समुचित रूप से विनियमित नहीं किया जाता, इससे भीड़भाड़ और प्रदूषण बढ़ता है तथा उस क्षेत्र के लोगों को आमतौर पर असुविधा होती है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं :-

1. आवासीय परिसरों में गैर आवासीय गतिविधि की अनुमति चुनिंदा क्षेत्रों में तथा सावधानीपूर्वक सामुदायिक जरूरतों, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव तथा यातायात के सुरक्षित और सुगम यातायात संबंधी प्रावधान तथा पार्किंग की पर्याप्त सुविधा को ध्यान में रखकर ही दी जानी चाहिए।
2. नये विकासों के मामले में सुनियोजित मिश्रित आवासीय तथा गैर आवासीय गतिविधि उन वाणिज्यिक केन्द्रों की योजना बनाने के साथ ही शुरू कर दी जानी चाहिए जिनके लिए पार्किंग, आवागमन और सेवाओं के लिए उपयुक्त प्रावधान का ध्यान रखा जाता है।
3. पूर्ववर्ती योजना में किए गए अधिसूचित प्रावधान अनुमोदित योजना के समग्र ढांचे के भीतर भी जारी रखे जाने चाहिए।

यातायात/पार्किंग अध्ययनों के आधार पर मिश्रित उपयोग वाली सड़कों निर्धारित की जाएगी। जोनल अथवा स्थानीय योजनाओं में मिश्रित उपयोग की सड़कों के निर्धारण के आधार पर नियमित आवासीय भूखंड विकास में न्यूनतम 18.0 मीटर, पुनर्वास कालोनियों में 13.5 मी०, तथा विशेष क्षेत्र और गावों में 9 मी० (अथवा अनुमोदित जोनल योजना में यथा विनिर्दिष्ट) आर.ओ.डब्ल्यू.(रो) की सड़कों के सामने आवासीय भूखंडों में भूतल पर मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। संबंधित जोनल योजनाओं में निर्धारित / अधिसूचित सभी मिश्रित उपयोग सड़कें जारी रहेगी। संबंधित स्थानीय निकाय/डीडीए द्वारा और भी मिश्रित उपयोग सड़कें भी निर्धारित व अधिसूचित की जा सकेंगी।

मास्टर प्लान (1962) के बाद की रिहायशी भूखंड स्कीमों में रिहायशी सोसायटियों/ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के परामर्श से, जहां केवल कालोनी/ रिहायशी स्कीम के बाहर की सड़कों/गलियों पर मिश्रित उपयोग को सीमित रखा गया है, स्थानीय निकाय द्वारा तैयार की जाने वाली स्थानीय क्षेत्र योजनाओं के आधार पर मिश्रित भू-उपयोग की अनुमति होगी।

लुटियन की दिल्ली के बंगला क्षेत्र और सिविल लाइन, सरकारी आवास, संस्थागत/ स्टाफ आवास और विरासत एवं राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों को मिश्रित उपयोग नीति में शामिल नहीं किया जाएगा।

10.2 अनुमति- अयोग्य उपयोग

किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, खतरनाक, ज्वलनशील, अनपयुक्त और प्रदूषित पदार्थ या प्रक्रिया वाले किसी व्यापार या गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.3 अनुमति- योग्य उपयोग

मिश्रित उपयोग में फुटकर दुकानें, व्यावसायिक गतिविधि और इसमें आगे बताए गए विशिष्ट अन्य उपयोग शामिल हैं।

10.4 फुटकर दुकानें

मिश्रित उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी :-

1. भवन निर्माण सामग्री (इमारती लकड़ी, संगमरमर, लोह और इस्पात तथा रेत), जलाने की लकड़ी, कोयला और कोई भी आग के खतरे वाली और अन्य भारी सामग्री की फुटकर दुकानें।
2. ऑटोमोबाइल मरम्मत एवं वर्कशॉप (30 मीटर आर ओ डब्ल्यू की सड़क के साथ लगती छोटी मरम्मत की दुकानों को छोड़कर), साइकिल रिक्शा मरम्मत, टायर रिसोर्टिंग एवं रिट्रीडिंग तथा बैटरी चार्जिंग की दुकानें।

3. भंडारण, गोदाम और भंडारागार
4. जंक शॉप
5. शराब की दुकान
6. छपाई, रंगाई और वार्निश
7. ऐसी कोई अन्य गतिविधि जिसे समय-समय पर अधिसूचित किया जाए ।

अन्य फुटकर दुकानों में, अधिसूचित सड़कों में मिश्रित उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- (i) मिश्रित उपयोग वाली दुकानें केवल भूतल पर अधिकतम अनुमत्य भूतल कवरेज की होंगी ।
- (ii) सामने के सेटबैक पर कोई चारदीवारी नहीं होगी ।
- (iii) परिसर के भीतर @ 2.0 ई.सी.एस. प्रति 100 वर्ग मीटर पार्किंग उपलब्ध कराई जाएगी । जहां यह उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित स्थानीय निकायों को पार्किंग की विकास लागत देय होगी ।
- (iv) मास्टर प्लान सड़कों (30 मी० आर०ओ०डब्ल्यू० और अधिक) के लिए परिसर/गतिविधियां सामने से सर्विस रोड से जुड़े होने चाहिए न कि सीधे मुख्य सड़क से सीधे ।
- (v) मिश्रित उपयोग की अनुमति बदलाव प्रभारों के भुगतान के अध्वधीन होगी ।
- (vi) गलियों पर किसी भी अतिक्रमण की अनुमति नहीं होगी ।

10.5 व्यावसायिक गतिविधि

व्यावसायिक गतिविधि में ऐसे व्यावसायिक कौशलों पर आधारित गैर- खरतनाक और अहानिकर गतिविधियां शामिल हैं , जिनमें डॉक्टर, वकील, वास्तुविद , इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिजाइनर आदि जैसे व्यवसायी अपने आवासीय परिसर से सेवाएं दे सकते हैं । किसी भी तल पर व्यावसायिक कार्यकलाप की अनुमति होगी , बशर्ते यह रिहायशी यूनिट के फर्शी क्षेत्र का अधिकतम 25 प्रतिशत हो या भूखण्ड विकास के मामले में एक तल से अधिक न हो ।

10.6 अन्य गतिविधियाँ

आवासीय परिसरों में न्यूनतम 18 मी० चौड़ी सड़क आर ओ डब्ल्यू (पुनर्वास कालोनियों में 13.15 मीटर और "विशेष क्षेत्र" तथा गाँवों में 9 मीटर) के सामने न्यूनतम 200 वर्ग मी० आमाप के भूखण्ड पर निम्नलिखित विशिष्ट गतिविधियों में से किसी एक गतिविधि की छूट दी जा सकती है ।

- (क) पूर्व-प्राथमिक विद्यालय (नर्सरी/मांटेसरी स्कूल, क्रच आदि)

- (ख) नर्सिंग होम
- (ग) अतिथि गृह
- (घ) बैंक
- (ङ) फिटनेस सेंटर(जिमनेजियम, योग, मेडिटेशन सेंटर)

इसके अलावा, उपर्युक्त गतिविधियों के लिए आवासीय भूमि और भवन इस संबंध में अधिसूचित विनियमों के प्रावधानों (उपर्युक्त उपान्तरण के साथ) द्वारा शासित होंगे केवल पूर्व प्राथमिक विद्यालय तथा फिटनेस सेंटर अनुमति योग्य भूमि कवरेज के बराबर भू-तल पर ही बनाए जाएंगे।

बैंकट हॉल

आवासीय उपयोग जोन में मिश्रित उपयोग के अधीन बैंकट हॉलों की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा सकती है :

न्यूनतम 18 मी0 चौड़ी आर ओ डब्ल्यू सड़कों (पुनर्वास कालोनियों में 13.5 मी0 तथा विशेष क्षेत्र में 9 मी0) के सामने 330 वर्ग मीटर आमाप के आवासीय भूखण्ड पर बैंकट हॉल की अनुमति दी जाएगी। भूमि कवरेज, एफएआर, ऊंचाई तथा बेसमेंट आदि मास्टर प्लान मानदण्डों के अनुसार पार्किंग तथा सफाई सुविधाओं, कचरे के निपटान से संबंधित शर्तों और संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित समुचित लेवी/प्रभावों का भुगतान के अधीन लागू होंगे।

10.7. आशयित मिश्रित उपयोग

- (i) विभिन्न श्रेणियों के आवासीय क्षेत्रों के लिए मिश्रित उपयोग क्षेत्र की मात्रा तथा उसकी अवस्थिति/वितरण ले आउट योजनाओं में विनिर्दिष्ट होगी।
- (ii) ले-आउट योजनाओं में मिश्रित उपयोग के लिए क्षेत्र/भूखंड स्पष्ट रूप से चिह्नित होंगे और मुख्य रूप से निर्धारित वाणिज्यिक क्षेत्रों के सामने/समीप में स्थित होंगे।
- (iii) मिश्रित उपयोग वाले आवासीय भूखण्ड 18 मी0 और उससे अधिक चौड़ी आर ओ डब्ल्यू सड़कों पर स्थित होने चाहिए और परिसर के भीतर उपलब्ध अनिवार्य पार्किंग सुविधा के साथ संयुक्त पार्किंग क्षेत्र चिह्नित किया जाए।

10.8. बदलाव प्रभार

उपयोग/गतिविधि के बदलने के कारण लाभार्थी से संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित बदलाव शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

[सं. के-13011/2/2006-डीडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2006

S.O. 425(E).—Whereas extensive modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001, keeping in view the perspective for Delhi 2021 and growing new dimensions in Urban Development, were published *vide* Public Notice in the Gazette of India Extraordinary No. S.O. 318(E), dated 16th March, 2005 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within ninety days from the date of the said notice.

2. Whereas the said public notice included chapter entitled Mixed Use Regulations at page 382 to page 384,

3. Whereas objections/suggestions received with regard to the said chapter have been considered by a Board of Enquiry set up by the Delhi Development Authority and also by the Delhi Development Authority, and whereas the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2001 in so far as the Chapter on Mixed Use is concerned.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi- 2001, with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications:

In Gazette of India, Part II section 3, sub-section (ii) dated 1.8.90 the following shall be incorporated:-

(i) On page 165(RHS) under CLAUSE 10.0 MIXED USE REGULATIONS, the existing provisions shall be substituted by the following:-

"10.1 PROVISIONS OF MIXED USE

Mixed use essentially means provision of non-residential activity in residential Premises. In the given situation of Delhi, where in a number of residential areas, commercial activity has already intruded, formulation of a balanced policy of mixed use considering its environmental impact and the socio-economic needs of the society is of utmost importance.

In an area, mixed use has positive and negative environmental and socio-economic impacts. It suits the socio-economic needs of a large section of the society and reduces the transportation needs and traffic movement considerably. However, unless properly regulated, it could have an adverse effect in terms of congestion, pollution and general inconvenience to the people of the area.

In view of the above, the following approach is suggested:-

- 1) Non-residential activity on residential premises should be permitted selectively and carefully, taking into consideration community needs, environmental impact and provision for safe and easy traffic circulation and adequate parking;
- 2) In case of new developments, planned mixed residential and non-residential activity should be introduced right at the time of the preparation of the layout plans along with the planning of Commercial Centres for which appropriate provision of parking, circulation and services be kept in view;

- 3) Notified provisions made in the earlier plan may be continued within the overall framework of the approved plan.

Mixed Use streets shall be identified based on traffic/parking studies. On the basis of identification of mixed use streets in Zonal or Local plans, mixed use may be permitted on ground floor, in residential plots facing streets/road of minimum 18.0 mtr. ROW in regular residential plotted development, 13.5 mtr in Rehabilitation Colonies and 9 mtr (or as prescribed in approved Zonal Plan) in Special Area and villages. All the mixed use streets identified/notified in the respective zonal plans shall continue. Further Mixed Use streets could also be identified and notified by the concerned Local Body/DDA.

In post Master Plan (1962) Residential Plotted Schemes, mixed land use shall be permissible on the basis of Local Area Plans to be prepared by the Local Body, in consultation with the Residents Societies/ Residents Welfare Association where mixed use may be restricted only on roads/ streets which are external to the Colony/ Residential Scheme.

Bungalow Areas of Lutyens' Delhi and Civil Lines, government housing, institutional/staff housing and areas of heritage and national importance shall not be covered under the Mixed Use Policy

10.2 NON-PERMISSIBLE USES

Any trade or activity involving any kind of obnoxious, hazardous, inflammable, non-compatible and polluted substance or process shall not be permitted.

10.3 PERMISSIBLE USES

Mixed use covers Retails Shops, Professional Activity and specific other uses as indicated here after:

10.4 RETAIL SHOPS

The following activities shall not be allowed under Mixed Use:

1. Retail shops of building materials (timber, marble, iron and steel and sand), firewood, coal and any fire hazardous and other bulky materials.

2. Repair shops of automobiles repair and workshop (except for minor repair shops abutting 30mtr. and Road ROW), cycle rickshaw repair, tyre resorting and retreading, and battery charging.
3. Storage, godown and warehousing.
4. Junk shop
5. Liquor shop
6. Printing, dyeing and varnishing
7. Any other activity which may be notified from time to time.

For other retail shops, Mixed use in notified streets shall be subject to the following conditions:-

- (i) Mixed use shops only on ground floor upto the maximum permissible ground floor coverage.
- (ii) The front setback should not have boundary wall.
- (iii) Parking @ 2.0 ECS per 100 sqr.mtr. shall be provided within the premises. Where this is not available, cost of development of parking shall be payable to the concerned local body.
- (iv) For Master Plan Roads (30mtr ROW and above), the premises/ activities should be approached from service road in the front and not directly from the main carriageway.
- (v) Mixed Use shall be subject to payment of conversion charges.
- (vi) No encroachment shall be permitted on the streets.

10.5 PROFESSIONAL ACTIVITY

Professional activity includes non-hazardous and non-nuisance kind of activity based on professional skills where the professional like a Doctor, Lawyer, Architect, Engineer, Chartered Accountant, Designer etc. may render such services from their residential premise. Professional activity shall be permissible on any floor subject to a maximum of 25% of the floor area of the dwelling unit or not exceeding one floor in case of plotted development.

10.6 OTHER ACTIVITIES

One of the following activities may be permitted in a residential premise on plot of a minimum of size of 200 sqm. (160 sqm. in Special Area, villages and Rehabilitation Colonies) facing a minimum road width of 18 mtrs ROW (13.5 mtrs. in Rehabilitation Colonies and 9 mtrs. in 'Special Area' and villages).

- (a) Pre-primary school (Nursery/Montessori School, Creche etc.)
- (b) Nursing home
- (c) Guest house
- (d) Bank
- (e) Fitness Centre (Gymnasium, yoga, meditation centre)

Further, the permission of residential land and building for the above activities shall be governed by the provisions of Notified Regulations in this regard (along with the above modification) except that pre-primary school and fitness centre shall be restricted only on ground floor equivalent to the permissible ground coverage.

Banquet Hall

Banquet Halls can be permitted under mixed use in residential use zone, subject to the following conditions:

Banquet hall shall be permitted in residential plot of size of 330 sq.m, facing minimum 18 mtrs. ROW roads (13.5 mtrs. in Rehabilitation Colonies and 9 mtrs. in Special Area). The ground coverage, FAR, height and basement etc. shall be applicable as per the Master Plan norms, subject to the conditions in respect of parking and sanitation facilities, hygienic disposal of waste and payment of appropriate levies/charges laid down by the concerned authority from time to time.

10.7 INTENDED MIXED USE

- (i) The quantum of Mixed Use Area and its allocation/distribution for various categories of Residential areas shall be specified in the layout Plans.
- (ii) The layout plans would clearly earmark areas for Mixed Use, preferably located opposite/adjoining designated commercial areas.
- (iii) Mixed Use on residential plots should be located on 18 mtrs. ROW roads and above with common Parking areas to be earmarked, along with mandatory parking to be provided within the premise.

10.8 CONVERSION CHARGES

Because of conversion of use/activity the conversion fee shall be charged from the beneficiary as decided by the concerned Authority from time to time.

[No. K-13011/2/2006-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

No. K-13011/13/2003- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 29 March 2006

Subject: **Extraordinary Gazette Notification – for circulation of Notification S.O. No. 290 (E) dated 7.3.2006 regarding Change of land use at Ghazipur for construction of abattoir.**

A copy of Notification dated 7th March, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

S. Mukherjee
(S. Mukherjee)

Under Secretary to the Government of India
Telefax.: 23061681

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi
3. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
4. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
5. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
7. The Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
8. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
9. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
11. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Wineshall Creek

DDI/29/3

29/3/06
AD (MC)

Delhi Development Authority
(Meeting cell)

No. F 1 (MCD) 2006 / MC / DDA 1

Copy to Commissioner (Plg.), Commissioner (LD), Commissioner (LM)

Mr. Anil Chandra
Asstt

31/3

dt.

P. T. D

Auth. DDA
29/3/06

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MEETING CELL)

No. F 1(MISC.) 2006/MC/DDA.1/4

Dated

Copy forwarded to :-

1. Commissioner (Planning)
2. Commissioner (LD)
3. Commissioner (LM)

Asstt. Director
Meeting Cell



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 7, 2006/फाल्गुन 16, 1927

No. 205]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 2006/PHALGUNA 16, 1927

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2006

का.आ. 290(अ).—यतः, यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) के खंड 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 1 मार्च, 2005 की सं. का.आ. 271(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खंड 11-क के उप-खंड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव उक्त नोटिस जारी होने की तारीख से तीस दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित 1 मार्च 2005 की उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात मास्टर प्लान 2001 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अतः अब उक्त अधिनियम के खंड 11-क के उप खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

(i) जोन "ई" में गाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग सेंटर(मीट) की स्थापना के लिए निम्नलिखित पॉकेटों का भू-उपयोग नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संशोधित किया जाता है:-

स्थान	क्षेत्रफल एकड़ में	भूउपयोग (मास्टर प्लान-2001)	परिवर्तित भूउपयोग	सीमा क्षेत्र
गाजीपुर	9.36 एकड़	व्यावसायिक सी 2- (थोक एवं भांडागार)	उत्पादन (एम 2- व्यापक उद्योग)	पूर्व-दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा दक्षिण-हिंडल- कट नहर/नाला पश्चिम-45 मी0/30 मीटर मार्गाधिकार (पोल्डी बाजार के निकट)
गाजीपुर	41.35 एकड़	मनोरंजनात्मक	उत्पादन (एम2-व्यापक उद्योग)	उत्तर-एचटी लाइन पूर्व-शेष एसएलएफ स्थल दक्षिण-बूचड़खाने के फेस-1 और फेस-11 को हरित क्षेत्र से जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़क उत्तर/पश्चिम- प्रस्तावित बायोगैस प्लांट और गाजीपुर डेयरी फार्म

(ii) दिनांक 1.8.1990 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ 180 पर, जिसे दिनांक 12.1.2004 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं० का०आ० 56(अ) द्वारा संशोधित किया गया था, उद्योगों को हटाने से संबंधित अनुलग्नक-III में दी गई दिल्ली की सीमा में निषिद्ध समूह "एच" उद्योगों की सूची में "फल" श्रेणी के अंतर्गत क्रम सं. 1 पर दी गई मद के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं अर्थात् गाजीपुर में विशेष अपवादस्वरूप आधुनिक बूचड़खाने की अनुमति दी जाती है।

फल:

1. बूचड़खाना* हानिकर गन्ध
 अपशिष्ट पानी

(* गाजीपुर में केवल आधुनिक बूचड़खाने की अनुमति है)

[सं. के-13011/13/2003-डी डी I बी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2006

S.O. 290(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 271(E) dated 1st March, 2005 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objection/suggestion was received in response to the above stated public notice dated 1st March 2005 with regard to the proposed modifications and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications :

- (i) "The land use of the following pocket at Gazipur in Zone 'E' is changed as per description listed below for setting up Food Processing Centre (Meat).

Location	Area in acres	Land use (MPD-2001)	Land Use changed	Boundaries
1	2	3	4	5
Gazipur	9.36 acres	Commercial C2- (wholesale & warehousing)	Manufacturing (M2-Extensive Industries)	East – Delhi U.P. Boundary South – Hindon-Cut-Canal / Drain West – 45m/30m R/W Road (adjoining Poultry Market) North – HT line .
Gazipur	41.35 acres	Recreational	Manufacturing (M2-Extensive Industries)	East – Remaining SLF site South – Proposed road for connecting Phase I and Phase II of Slaughter House and Green Area. North/West – Proposed Bio-Gas Plant and Gazipur Dairy Farm

- (ii) On page 180 of the Gazette of India dated 01.08.1990, as amended vide Extraordinary Gazette Notification No. SO. 56(E) dated 12.01.2004, under the category "Fruits" in the list of Group H industries, prohibited within the Union Territory of Delhi, given in Annexure III regarding clarification of industries, the following modification shall be made in respect of the item at Sl. No. 1 i.e. Abattoirs to permit the modernized Abattoir at Gazipur as a specific exception.

FRUITS:

1. Abattoirs* Obnoxious smell
waste water

(* only the modernized Abattoir at Gazipur is allowed)"

[No. K-13011/13/2003-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

No. K-13011/13/2003- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 29 March 2006

Subject: **Extraordinary Gazette Notification – for circulation of Notification S.O. No. 290 (E) dated 7.3.2006 regarding Change of land use at Ghazipur for construction of abattoir.**

A copy of Notification dated 7th March, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

S. Mukherjee
(S. Mukherjee)

Under Secretary to the Government of India
Telefax.: 23061681

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi
3. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
4. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
5. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
7. The Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
8. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
9. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
11. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Ginsball Greenes

DDP/2

29/3

28/3/06

AD (MC)

*Delhi Development Authority
(Meeting cell)*

No. F 1 (msc) 2006 / MC / DDA

Copy to Commissioner (Plg.), Commissioner (LD), Commissioner (L&DO)

Mr. Anil Chaudhary

31/3

dt.

P.T.D

AD (MC) 28/3/06

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MEETING CELL)

No. F 1 (MISC.) 2006/MC/DDA. 36

Dated 7-9-06

Copy forwarded to :-

1. Commissioner (Planning)
2. Commissioner (LD)
3. Commissioner (LM)

Asstt. Director
Meeting Cell

g
c
S.4.06.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 7, 2006/फाल्गुन 16, 1927

No. 205]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 2006/PHALGUNA 16, 1927

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2006

का.आ. 290(अ).—यतः, यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) के खंड 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 1 मार्च, 2005 की सं. का.आ. 271(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खंड 11-क के उप-खंड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव उक्त नोटिस जारी होने की तारीख से तीस दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित 1 मार्च 2005 की उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् मास्टर प्लान 2001 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अतः अब उक्त अधिनियम के खंड 11-क के उप खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

(i) जोन "ई" में गाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग सेंटर(मीट) की स्थापना के लिए निम्नलिखित पॉकेटों का भू-उपयोग नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संशोधित किया जाता है:-

स्थान	क्षेत्रफल एकड़ में	भूउपयोग (मास्टर प्लान-2001)	परिवर्तित भूउपयोग	सीमा क्षेत्र
गाजीपुर	9.36 एकड़	व्यावसायिक सी 2- (थोक एवं भांडागार)	उत्पादन (एम 2- व्यापक उद्योग)	पूर्व-दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा दक्षिण-हिंडल- कट नहर/नाला पश्चिम-45 मी0/30 मीटर मार्गाधिकार (पोल्ट्री बाजार के निकट)
गाजीपुर	41.35 एकड़	मनोरंजनात्मक	उत्पादन (एम2-व्यापक उद्योग)	उत्तर-एचटी लाइन पूर्व-शेष एसएलएफ स्थल दक्षिण-बूचड़खाने के फेस-1 और फेस-11 को हरित क्षेत्र से जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़क उत्तर/पश्चिम- प्रस्तावित बायोगैस प्लांट और गाजीपुर डेयरी फार्म

(ii) दिनांक 1.8.1990 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ 180 पर, जिसे दिनांक 12.1.2004 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं० का०आ० 56(अ) द्वारा संशोधित किया गया था, उद्योगों को हटाने से संबंधित अनुलग्नक-III में दी गई दिल्ली की सीमा में निषिद्ध समूह "एच" उद्योगों की सूची में "फल" श्रेणी के अंतर्गत क्रम सं. 1 पर दी गई मद के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं अर्थात् गाजीपुर में विशेष अपवादस्वरूप आधुनिक बूचड़खाने की अनुमति दी जाती है।

फल:

1. बूचड़खाना* हानिकर गन्ध
 अपशिष्ट पानी

(* गाजीपुर में केवल आधुनिक बूचड़खाने की अनुमति है)

[सं. के-13011/13/2003-डी डी I बी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2006

S.O. 290(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 271(E) dated 1st March, 2005 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objection/suggestion was received in response to the above stated public notice dated 1st March 2005 with regard to the proposed modifications and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications :

- (i) "The land use of the following pocket at Gazipur in Zone 'E' is changed as per description listed below for setting up Food Processing Centre (Meat).

Location	Area in acres	Land use (MPD-2001)	Land Use changed	Boundaries
1	2	3	4	5
Gazipur	9.36 acres	Commercial C2- (wholesale & warehousing)	Manufacturing (M2-Extensive Industries)	East — Delhi U.P. Boundary South — Hindon-Cut-Canal / Drain West — 45m/30m R/W Road (adjoining Poultry Market) North — HT line
Gazipur	41.35 acres	Recreational	Manufacturing (M2-Extensive Industries)	East — Remaining SLF site South — Proposed road for connecting Phase I and Phase II of Slaughter House and Green Area. North/West — Proposed Bio-Gas Plant and Gazipur Dairy Farm

- (ii) On page 180 of the Gazette of India dated 01.08.1990, as amended vide Extraordinary Gazette Notification No. SO. 56(E) dated 12.01.2004, under the category "Fruits" in the list of Group H industries, prohibited within the Union Territory of Delhi, given in Annexure III regarding clarification of industries, the following modification shall be made in respect of the item at Sl. No. 1 i.e. Abattoirs to permit the modernized Abattoir at Gazipur as a specific exception.

FRUITS:

1. Abattoirs* Obnoxious smell
waste water

(* only the modernized Abattoir at Gazipur is allowed)"

[No. K-13011/13/2003-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

No. K-13011/10/2005- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 29 March 2006

*126-G-Pas
29/3/06*

Subject: Circulation of Extraordinary Gazette Notification regarding Change of Land use in respect of 23180 sqr. mtr. of land allotted for Judicial Academy at Dwarka from 'Government use' to 'residential'.

A copy of Notification dated 10th March, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

S. Mukherjee
(S. Mukherjee)

Under Secretary to the Government of India
Telefax.: 23061681

*569 AD/MC
29/3/06*

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
- ✓ 2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. The Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi
12. The Secretary, Law, Justice & Legislative Affairs, GNCTD, 8th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi

*Wines to all
Concerned.*

DD (H&J) 29/3

*29/3/06
AD (ptc)*

*Sh. Sant Chaud
29/3*

P-T-D


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MEETING CELL)

No. F1(M2C)2006/MC/DDA)37

dt. 7-4-06

* Copy forwarded to :-

1. Commissioner (Planning)
2. Commissioner (LD)
3. Commissioner (LM)


Asstt. Director
Meeting Cell

9/11
5.4.06.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2006/फाल्गुन 19, 1927

No. 220]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2006/PHALGUNA 19, 1927

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2006

का.आ. 307(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 17-8-2005 के सं. का.आ. 1143(अ), के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में कोई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

सेक्टर 14, द्वारका, फेज-II, में निम्नलिखित 23,180 वर्ग मी. (5.72 एकड़) भू-क्षेत्र के भू-उपयोग में निम्नलिखित अनुसार परिवर्तन किया जाता है :—

स्थान	क्षेत्र	भू-उपयोग (दिल्ली मास्टर प्लान, 2001)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमा
1	2	3	4	5
सेक्टर 14 द्वारका फेज-II	23,180 वर्ग मी. (5.72 एकड़)	सरकारी उपयोग	रिहायशी उपयोग	नार्थ —एम.पी. ग्रीन साउथ—ज्यूडिशियल अकादमी संस्था भवन की भूमि तथा 45 मी. सड़क 13.5 मी. आर/डब्ल्यू ईस्ट —सड़क 30.0 मी. आर/डब्ल्यू वेस्ट —एम. पी. ग्रीन

[सं. के-13011/10/2005-डीडी Iबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2006

S.O. 307(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi, 2001 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1143(E), dated 17th August, 2005 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objection/suggestion was received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi, 2001 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following area measuring 23,180 sqm. (5.72 acres) at Sector 14 Dwarka, Phase II be changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2001)	Land Use changed	Boundaries
1	2	3	4	5
Sector 14 Dwarka Phase II	23,180 sqm. (5.72 acres)	Government Use	Residential Use	North—M.P. Green, South—Land of Judicial Academy Inst. Building and 45 M Road, 13.5 m R/W. East—Road 30.0 M R/W. West—M.P. Green.

[No. K-13011/10/2005-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

No. K-13011/2/2006- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 29 March 2006

122-G-PCU
29/3/06

Subject: Extraordinary Gazette Notification - circulation of Notification S.O. No. 425(E) dated 28.3.2006 regarding Mixed Use Policy.

A copy of Notification dated 28th March, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

S. Mukherjee
(S. Mukherjee)

Under Secretary to the Government of India
Telefax.: 23061681

507-AD/MC
29.3.06

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
- ✓ 2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. The Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copy to :-

PS to UDM / PS to MoS (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS (D&L)

Delhi Development Authority

Copies to all concerned.

DD U&L 29/3
29/3/06
AD(MC)

✓ S. Anand Chaudhary
29/3

P.T.D


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MEETING CELL)

No. F 1(Misc.) 2006/MC/DDA/35

Dated 7-4-06

Copy forwarded to:-

1. Commissioner (Planning)
2. Commissioner (LD)
3. Commissioner (LM)


Asstt. Director
Meeting Cell

5/5.4.06.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]

No. 297]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2006/चैत्र 7, 1928

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2006/CHAITRA 7, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2006

का.आ. 425(अ).—यतः दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली परिप्रेक्ष्य-2021 और शहरी विकास के उदीयमान नए आयामों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में व्यापक संशोधन, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 16 मार्च, 2005 को भारत के असाधारण राजपत्र में सं. का.आ. 318(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप धारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियां/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 90 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः उक्त सार्वजनिक अधिसूचना में पृष्ठ सं० 382 से 384 पर मिश्रित उपयोग विनियम शीर्षक वाला अध्याय शामिल था।

3. यतः उक्त अध्याय के संबंध में प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित एक जांच बोर्ड तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भी विचार किया गया है, तथा यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान -2001 में मिश्रित उपयोग संबंधी अध्याय को संशोधित करने का निर्णय किया है।

4. अतः अब केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उपांतरण

दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप खंड (ii) में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:-

- (i) पृष्ठ सं० 165 (दायीं तरफ) पर खण्ड 10.0 मिश्रित उपयोग संबंधी विनियम के तहत मौजूदा प्रावधानों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"10.1 मिश्रित उपयोग संबंधी प्रावधान

मिश्रित उपयोग का अनिवार्य अर्थ आवासीय परिसरों में गैर-आवासीय गतिविधि के प्रावधानों से है। दिल्ली की वर्तमान स्थिति में जहां अनेक आवासीय क्षेत्रों में पहले से ही वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही हैं तो इसके पर्यावरणीय प्रभाव और समाज की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता पर विचार करते हुए मिश्रित उपयोग के लिए एक संतुलित नीति बनाना सबसे महत्वपूर्ण है।

किसी एक क्षेत्र में मिश्रित उपयोग का पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ता है। यह समाज के बड़े वर्ग की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के अनुकूल है एवं इससे परिवहन की जरूरतों और यातायात की आवाजाही में पर्याप्त कमी आती है। तथापि, जब तक इसे समुचित रूप से विनियमित नहीं किया जाता, इससे भीड़भाड़ और प्रदूषण बढ़ता है तथा उस क्षेत्र के लोगों को आमतौर पर असुविधा होती है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं :-

1. आवासीय परिसरों में गैर आवासीय गतिविधि की अनुमति चुनिंदा क्षेत्रों में तथा सावधानीपूर्वक सामुदायिक जरूरतों, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव तथा यातायात के सुरक्षित और सुगम यातायात संबंधी प्रावधान तथा पार्किंग की पर्याप्त सुविधा को ध्यान में रखकर ही दी जानी चाहिए।
2. नये विकासों के मामले में सुनियोजित मिश्रित आवासीय तथा गैर आवासीय गतिविधि उन वाणिज्यिक केन्द्रों की योजना बनाने के साथ ही शुरू कर दी जानी चाहिए जिनके लिए पार्किंग, आवागमन और सेवाओं के लिए उपयुक्त प्रावधान का ध्यान रखा जाता है।
3. पूर्ववर्ती योजना में किए गए अधिसूचित प्रावधान अनुमोदित योजना के समग्र ढांचे के भीतर भी जारी रखे जाने चाहिए।

यातायात/पार्किंग अध्ययनों के आधार पर मिश्रित उपयोग वाली सड़कें निर्धारित की जाएगी। जोनल अथवा स्थानीय योजनाओं में मिश्रित उपयोग की सड़कों के निर्धारण के आधार पर नियमित आवासीय भूखंड विकास में न्यूनतम 18.0 मीटर, पुनर्वास कालोनियों में 13.5 मी०, तथा विशेष क्षेत्र और गावों में 9 मी० (अथवा अनुमोदित जोनल योजना में यथा विनिर्दिष्ट) आर.ओ.डब्ल्यू.(रो) की सड़कों के सामने आवासीय भूखंडों में भूतल पर मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। संबंधित जोनल योजनाओं में निर्धारित / अधिसूचित सभी मिश्रित उपयोग सड़कें जारी रहेगी। संबंधित स्थानीय निकाय/डीडीए द्वारा और भी मिश्रित उपयोग सड़कें भी निर्धारित व अधिसूचित की जा सकेंगी।

मास्टर प्लान (1962) के बाद की रिहायशी भूखंड स्कीमों में रिहायशी सोसायटियों/ रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के परामर्श से, जहां केवल कालोनी/ रिहायशी स्कीम के बाहर की सड़कों/गलियों पर मिश्रित उपयोग को सीमित रखा गया है, स्थानीय निकाय द्वारा तैयार की जाने वाली स्थानीय क्षेत्र योजनाओं के आधार पर मिश्रित भू-उपयोग की अनुमति होगी।

लुटियन की दिल्ली के बंगला क्षेत्र और सिविल लाइन, सरकारी आवास, संस्थागत/ स्टाफ आवास और विरासत एवं राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों को मिश्रित उपयोग नीति में शामिल नहीं किया जाएगा।

10.2 अनुमति- अयोग्य उपयोग

किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, खतरनाक, ज्वलनशील, अनपयुक्त और प्रदूषित पदार्थ या प्रक्रिया वाले किसी व्यापार या गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.3 अनुमति- योग्य उपयोग

मिश्रित उपयोग में फुटकर दुकानें, व्यावसायिक गतिविधि और इसमें आगे बताए गए विशिष्ट अन्य उपयोग शामिल हैं।

10.4 फुटकर दुकानें

मिश्रित उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी :-

1. भवन निर्माण सामग्री (इमारती लकड़ी, संगमरमर, लोह और इस्पात तथा रेत), जलाने की लकड़ी, कोयला और कोई भी आग के खतरे वाली और अन्य भारी सामग्री की फुटकर दुकानें।
2. ऑटोमोबाइल मरम्मत एवं वर्कशॉप (30 मीटर आर ओ डब्ल्यू की सड़क के साथ लगती छोटी मरम्मत की दुकानों को छोड़कर), साइकिल रिक्शा मरम्मत, टायर रिसोर्टिंग एवं रिट्रीडिंग तथा बैटरी चार्जिंग की दुकानें।

3. भंडारण, गोदाम और भंडारागार
4. जंक शॉप
5. शराब की दुकान
6. छपाई, रंगाई और वार्निश
7. ऐसी कोई अन्य गतिविधि जिसे समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।

अन्य फुटकर दुकानों में, अधिसूचित सड़कों में मिश्रित उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- (i) मिश्रित उपयोग वाली दुकानें केवल भूतल पर अधिकतम अनुमत्य भूतल कवरेज की होंगी।
- (ii) सामने के सेटबैक पर कोई चारदीवारी नहीं होगी।
- (iii) परिसर के भीतर @ 2.0 ई.सी.एस. प्रति 100 वर्ग मीटर पार्किंग उपलब्ध कराई जाएगी। जहां यह उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित स्थानीय निकायों को पार्किंग की विकास लागत देय होगी।
- (iv) मास्टर प्लान सड़कों (30 मी० आर०ओ०डब्ल्यू० और अधिक) के लिए परिसर/गतिविधियां सामने से सर्विस रोड से जुड़े होने चाहिए न कि सीधे मुख्य सड़क से सीधे।
- (v) मिश्रित उपयोग की अनुमति बदलाव प्रभागों के भुगतान के अध्यक्षीन होगी।
- (vi) गलियों पर किसी भी अतिक्रमण की अनुमति नहीं होगी।

10.5 व्यावसायिक गतिविधि

व्यावसायिक गतिविधि में ऐसे व्यावसायिक कौशलों पर आधारित गैर-खरतनाक और अहानिकर गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें डॉक्टर, वकील, वास्तुविद, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिजाइनर आदि जैसे व्यवसायी अपने आवासीय परिसर से सेवाएं दे सकते हैं। किसी भी तल पर व्यावसायिक कार्यकलाप की अनुमति होगी, बशर्ते यह रिहायशी यूनिट के फर्शी क्षेत्र का अधिकतम 25 प्रतिशत हो या भूखण्ड विकास के मामले में एक तल से अधिक न हो।

10.6 अन्य गतिविधियाँ

आवासीय परिसरों में न्यूनतम 18 मी० चौड़ी सड़क आर ओ डब्ल्यू (पुनर्वास कालोनियों में 13.15 मीटर और "विशेष क्षेत्र" तथा गाँवों में 9 मीटर) के सामने न्यूनतम 200 वर्ग मी० आमाप के भूखण्ड पर निम्नलिखित विशिष्ट गतिविधियों में से किसी एक गतिविधि की छूट दी जा सकती है।

- (क) पूर्व-प्राथमिक विद्यालय (नर्सरी/मांटेसरी स्कूल, क्रच आदि)

- (ख) नर्सिंग होम
- (ग) अतिथि गृह
- (घ) बैंक
- (ङ.) फिटनेस सेंटर(जिमनेजियम, योग, मेडिटेशन सेंटर)

इसके अलावा, उपर्युक्त गतिविधियों के लिए आवासीय भूमि और भवन इस संबंध में अधिसूचित विनियमों के प्रावधानों (उपर्युक्त उपान्तरण के साथ) द्वारा शासित होंगे केवल पूर्व प्राथमिक विद्यालय तथा फिटनेस सेंटर अनुमति योग्य भूमि कवरेज के बराबर भू-तल पर ही बनाए जाएंगे।

बैंकट हॉल

आवासीय उपयोग जोन में मिश्रित उपयोग के अधीन बैंकट हॉलों की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन दी जा सकती है :

न्यूनतम 18 मी० चौड़ी आर ओ डब्ल्यू सड़कों (पुनर्वास कालोनियों में 13.5 मी० तथा विशेष क्षेत्र में 9 मी०) के सामने 330 वर्ग मीटर आमाप के आवासीय भूखण्ड पर बैंकट हॉल की अनुमति दी जाएगी। भूमि कवरेज, एफएआर, ऊंचाई तथा बेसमेंट आदि मास्टर प्लान मानदण्डों के अनुसार पार्किंग तथा सफाई सुविधाओं, कचरे के निपटान से संबंधित शर्तों और संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित समुचित लेवी/प्रभावों का भुगतान के अध्वधीन लागू होंगे।

10.7. आशयित मिश्रित उपयोग

- (i) विभिन्न श्रेणियों के आवासीय क्षेत्रों के लिए मिश्रित उपयोग क्षेत्र की मात्रा तथा उसकी अवस्थिति/वितरण ले आउट योजनाओं में विनिर्दिष्ट होगी।
- (ii) ले-आउट योजनाओं में मिश्रित उपयोग के लिए क्षेत्र/भूखंड स्पष्ट रूप से चिह्नित होंगे और मुख्य रूप से निर्धारित वाणिज्यिक क्षेत्रों के सामने/समीप में स्थित होंगे।
- (iii) मिश्रित उपयोग वाले आवासीय भूखण्ड 18 मी० और उससे अधिक चौड़ी आर ओ डब्ल्यू सड़कों पर स्थित होने चाहिए और परिसर के भीतर उपलब्ध अनिवार्य पार्किंग सुविधा के साथ संयुक्त पार्किंग क्षेत्र चिह्नित किया जाए।

10.8. बदलाव प्रभार

उपयोग/गतिविधि के बदलने के कारण लाभार्थी से संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित बदलाव शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

[सं. के-13011/2/2006-डीडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2006

S.O. 425(E).—Whereas extensive modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 keeping in view the perspective for Delhi 2021 and growing new dimensions in Urban Development, were published *vide* Public Notice in the Gazette of India Extraordinary No. S.O. 318(E), dated 16th March, 2005 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within ninety days from the date of the said notice.

2. Whereas the said public notice included chapter entitled Mixed Use Regulations at page 382 to page 384,

3. Whereas objections/suggestions received with regard to the said chapter have been considered by a Board of Enquiry set up by the Delhi Development Authority and also by the Delhi Development Authority, and whereas the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2001 in so far as the Chapter on Mixed Use is concerned.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi- 2001; with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications:

In Gazette of India, Part II section 3, sub-section (ii) dated 1.8.90 the following shall be incorporated:-

(i) On page 165(RHS) under CLAUSE 10.0 MIXED USE REGULATIONS, the existing provisions shall be substituted by the following:-

"10.1 PROVISIONS OF MIXED USE

Mixed use essentially means provision of non-residential activity in residential Premises. In the given situation of Delhi, where in a number of residential areas, commercial activity has already intruded, formulation of a balanced policy of mixed use considering its environmental impact and the socio-economic needs of the society is of utmost importance.

In an area, mixed use has positive and negative environmental and socio-economic impacts. It suits the socio-economic needs of a large section of the society and reduces the transportation needs and traffic movement considerably. However, unless properly regulated, it could have an adverse effect in terms of congestion, pollution and general inconvenience to the people of the area.

In view of the above, the following approach is suggested:-

- 1) Non-residential activity on residential premises should be permitted selectively and carefully, taking into consideration community needs, environmental impact and provision for safe and easy traffic circulation and adequate parking;
- 2) In case of new developments, planned mixed residential and non-residential activity should be introduced right at the time of the preparation of the layout plans along with the planning of Commercial Centres for which appropriate provision of parking, circulation and services be kept in view;

- 3) Notified provisions made in the earlier plan may be continued within the overall framework of the approved plan.

Mixed Use streets shall be identified based on traffic/parking studies. On the basis of identification of mixed use streets in Zonal or Local plans, mixed use may be permitted on ground floor, in residential plots facing streets/road of minimum 18.0 mtr. ROW in regular residential plotted development, 13.5 mtr in Rehabilitation Colonies and 9 mtr (or as prescribed in approved Zonal Plan) in Special Area and villages. All the mixed use streets identified/notified in the respective zonal plans shall continue. Further Mixed Use streets could also be identified and notified by the concerned Local Body/DDA.

In post Master Plan (1962) Residential Plotted Schemes, mixed land use shall be permissible on the basis of Local Area Plans to be prepared by the Local Body, in consultation with the Residents Societies/ Residents Welfare Association where mixed use may be restricted only on roads/ streets which are external to the Colony/ Residential Scheme.

Bungalow Areas of Lutyens' Delhi and Civil Lines, government housing, institutional/staff housing and areas of heritage and national importance shall not be covered under the Mixed Use Policy

10.2 NON-PERMISSIBLE USES

Any trade or activity involving any kind of obnoxious, hazardous, inflammable, non-compatible and polluted substance or process shall not be permitted.

10.3 PERMISSIBLE USES

Mixed use covers Retails Shops, Professional Activity and specific other uses as indicated here after:

10.4 RETAIL SHOPS

The following activities shall not be allowed under Mixed Use:

1. Retail shops of building materials (timber, marble, iron and steel and sand), firewood, coal and any fire hazardous and other bulky materials.

2. Repair shops of automobiles repair and workshop (except for minor repair shops abutting 30mtr. and Road ROW), cycle rickshaw repair, tyre resorting and retreading, and battery charging.
3. Storage, godown and warehousing.
4. Junk shop
5. Liquor shop
6. Printing, dyeing and varnishing
7. Any other activity which may be notified from time to time.

For other retail shops, Mixed use in notified streets shall be subject to the following conditions:-

- (i) Mixed use shops only on ground floor upto the maximum permissible ground floor coverage.
- (ii) The front setback should not have boundary wall.
- (iii) Parking @ 2.0 ECS per 100 sq.mtr. shall be provided within the premises. Where this is not available, cost of development of parking shall be payable to the concerned local body.
- (iv) For Master Plan Roads (30mtr ROW and above), the premises/ activities should be approached from service road in the front and not directly from the main carriageway.
- (v) Mixed Use shall be subject to payment of conversion charges.
- (vi) No encroachment shall be permitted on the streets.

10.5 PROFESSIONAL ACTIVITY

Professional activity includes non-hazardous and non-nuisance kind of activity based on professional skills where the professional like a Doctor, Lawyer, Architect, Engineer, Chartered Accountant, Designer etc. may render such services from their residential premise. Professional activity shall be permissible on any floor subject to a maximum of 25% of the floor area of the dwelling unit or not exceeding one floor in case of plotted development.

947 GS/06-3

10.6 OTHER ACTIVITIES

One of the following activities may be permitted in a residential premise on plot of a minimum of size of 200 sqm. (160 sqm. in Special Area, villages and Rehabilitation Colonies) facing a minimum road width of 18 mtrs ROW (13.5 mtrs. in Rehabilitation Colonies and 9 mtrs. in 'Special Area' and villages).

- (a) Pre-primary school (Nursery/Montessori School, Creche etc.)
- (b) Nursing home
- (c) Guest house
- (d) Bank
- (e) Fitness Centre (Gymnasium, yoga, meditation centre)

Further, the permission of residential land and building for the above activities shall be governed by the provisions of Notified Regulations in this regard (along with the above modification) except that pre-primary school and fitness centre shall be restricted only on ground floor equivalent to the permissible ground coverage.

Banquet Hall

Banquet Halls can be permitted under mixed use in residential use zone, subject to the following conditions:

Banquet hall shall be permitted in residential plot of size of 330 sq.m, facing minimum 18 mtrs. ROW roads (13.5 mtrs. in Rehabilitation Colonies and 9 mtrs. in Special Area). The ground coverage, FAR, height and basement etc. shall be applicable as per the Master Plan norms, subject to the conditions in respect of parking and sanitation facilities, hygienic disposal of waste and payment of appropriate levies/charges laid down by the concerned authority from time to time.

10.7 INTENDED MIXED USE

- (i) The quantum of Mixed Use Area and its allocation/distribution for various categories of Residential areas shall be specified in the layout Plans.
- (ii) The layout plans would clearly earmark areas for Mixed Use, preferably located opposite/adjoining designated commercial areas.
- (iii) Mixed Use on residential plots should be located on 18 mtrs. ROW roads and above with common Parking areas to be earmarked, along with mandatory parking to be provided within the premise.

10.8 CONVERSION CHARGES

Because of conversion of use/activity the conversion fee shall be charged from the beneficiary as decided by the concerned Authority from time to time.

[No. K-13011/2/2006-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

No. K-13011/2/2006- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 29 March 2006

122-G-PCU
29/3/06

Subject: Extraordinary Gazette Notification – circulation of Notification S.O. No. 425(E) dated 28.3.2006 regarding Mixed Use Policy.

A copy of Notification dated 28th March, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

S. Mukherjee
(S. Mukherjee)

Under Secretary to the Government of India
Telefax.: 23061681

507-AD/MC
29/3-06

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
- ✓ 2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. The Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copy to :-

PS to UDM / PS to MoS (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS (D&L)

Delhi Development Authority

Copies to all concerned.

DD (UD) - 29/3

29/3/06
AD(MC)

✓ S. Mani Chand
Asstt.
29/3

P.T.D


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MEETING CELL)

No. F 1(Misc.) 2006/MC/DDA/ 35

Dated 7-4-06

Copy forwarded to:-

1. Commissioner (Planning)
2. Commissioner (LD)
3. Commissioner (LM)


Asstt. Director
Meeting Cell



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2006/चैत्र 7, 1928

No. 297]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2006/CHAITRA 7, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2006

का.आ. 425(अ).—यतः दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली परिप्रेक्ष्य-2021 और शहरी विकास के उदीयमान नए आयामों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में व्यापक संशोधन, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 16 मार्च, 2005 को भारत के असाधारण राजपत्र में सं. का.आ. 318(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11क की उप धारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियां/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 90 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः उक्त सार्वजनिक अधिसूचना में पृष्ठ सं० 382 से 384 पर मिश्रित उपयोग विनियम शीर्षक वाला अध्याय शामिल था।

3. यतः उक्त अध्याय के संबंध में प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित एक जांच बोर्ड तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भी विचार किया गया है, तथा यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान -2001 में मिश्रित उपयोग संबंधी अध्याय को संशोधित करने का निर्णय किया है।

4. अतः अब केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उपांतरण

दिनांक 1.8.90 के भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप खंड (ii) में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:-

- (i) पृष्ठ सं0 165 (दायीं तरफ) पर खण्ड 10.0 मिश्रित उपयोग संबंधी विनियम के तहत मौजूदा प्रावधानों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"10.1 मिश्रित उपयोग संबंधी प्रावधान

मिश्रित उपयोग का अनिवार्य अर्थ आवासीय परिसरों में गैर-आवासीय गतिविधि के प्रावधानों से है। दिल्ली की वर्तमान स्थिति में जहां अनेक आवासीय क्षेत्रों में पहले से ही वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही हैं तो इसके पर्यावरणीय प्रभाव और समाज की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता पर विचार करते हुए मिश्रित उपयोग के लिए एक संतुलित नीति बनाना सबसे महत्वपूर्ण है।

किसी एक क्षेत्र में मिश्रित उपयोग का पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ता है। यह समाज के बड़े वर्ग की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के अनुकूल है एवं इससे परिवहन की जरूरतों और यातायात की आवाजाही में पर्याप्त कमी आती है। तथापि, जब तक इसे समुचित रूप से विनियमित नहीं किया जाता, इससे भीड़भाड़ और प्रदूषण बढ़ता है तथा उस क्षेत्र के लोगों को आमतौर पर असुविधा होती है।

उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं :-

1. आवासीय परिसरों में गैर आवासीय गतिविधि की अनुमति चुनिंदा क्षेत्रों में तथा सावधानीपूर्वक सामुदायिक जरूरतों, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव तथा यातायात के सुरक्षित और सुगम यातायात संबंधी प्रावधान तथा पार्किंग की पर्याप्त सुविधा को ध्यान में रखकर ही दी जानी चाहिए।
2. नये विकासों के मामले में सुनियोजित मिश्रित आवासीय तथा गैर आवासीय गतिविधि उन वाणिज्यिक केन्द्रों की योजना बनाने के साथ ही शुरू कर दी जानी चाहिए जिनके लिए पार्किंग, आवागमन और सेवाओं के लिए उपयुक्त प्रावधान का ध्यान रखा जाता है।
3. पूर्ववर्ती योजना में किए गए अधिसूचित प्रावधान अनुमोदित योजना के समग्र ढांचे के भीतर भी जारी रखे जाने चाहिए।

यातायात/पार्किंग अध्ययनों के आधार पर मिश्रित उपयोग वाली सड़कें निर्धारित की जाएगी। जोनल अथवा स्थानीय योजनाओं में मिश्रित उपयोग की सड़कों के निर्धारण के आधार पर नियमित आवासीय भूखंड विकास में न्यूनतम 18.0 मीटर, पुनर्वास कालोनियों में 13.5 मी०, तथा विशेष क्षेत्र और गावों में 9 मी० (अथवा अनुमोदित जोनल योजना में यथा विनिर्दिष्ट) आर.ओ.डब्ल्यू (रो) की सड़कों के सामने आवासीय भूखंडों में भूतल पर मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। संबंधित जोनल योजनाओं में निर्धारित / अधिसूचित सभी मिश्रित उपयोग सड़कें जारी रहेगी। संबंधित स्थानीय निकाय/डीडीए द्वारा और भी मिश्रित उपयोग सड़कें भी निर्धारित व अधिसूचित की जा सकेंगी।

मास्टर प्लान (1962) के बाद की रिहायशी भूखंड स्कीमों में रिहायशी सोसायटियों/ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के परामर्श से, जहां केवल कालोनी/ रिहायशी स्कीम के बाहर की सड़कों/गलियों पर मिश्रित उपयोग को सीमित रखा गया है, स्थानीय निकाय द्वारा तैयार की जाने वाली स्थानीय क्षेत्र योजनाओं के आधार पर मिश्रित भू-उपयोग की अनुमति होगी।

लुटियन की दिल्ली के बंगला क्षेत्र और सिविल लाइन, सरकारी आवास, संस्थागत/ स्टाफ आवास और विरासत एवं राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों को मिश्रित उपयोग नीति में शामिल नहीं किया जाएगा।

10.2 अनुमति- अयोग्य उपयोग

किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, खतरनाक, ज्वलनशील, अनपयुक्त और प्रदूषित पदार्थ या प्रक्रिया वाले किसी व्यापार या गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.3 अनुमति- योग्य उपयोग

मिश्रित उपयोग में फुटकर दुकानें, व्यावसायिक गतिविधि और इसमें आगे बताए गए विशिष्ट अन्य उपयोग शामिल हैं।

10.4 फुटकर दुकानें

मिश्रित उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी :-

1. भवन निर्माण सामग्री (इमारती लकड़ी, संगमरमर, लोह और इस्पात तथा रेत), जलाने की लकड़ी, कोयला और कोई भी आग के खतरे वाली और अन्य भारी सामग्री की फुटकर दुकानें।
2. ऑटोमोबाइल मरम्मत एवं वर्कशॉप (30 मीटर आर ओ डब्ल्यू की सड़क के साथ लगती छोटी मरम्मत की दुकानों को छोड़कर), साइकिल रिक्शा मरम्मत, टायर रिसोर्टिंग एवं रिट्रीडिंग तथा बैटरी चार्जिंग की दुकानें।

3. भंडारण, गोदाम और भंडारागार
4. जंक शॉप
5. शराब की दुकान
6. छपाई, रंगाई और वार्निश
7. ऐसी कोई अन्य गतिविधि जिसे समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।

अन्य फुटकर दुकानों में, अधिसूचित सड़कों में मिश्रित उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- (i) मिश्रित उपयोग वाली दुकानें केवल भूतल पर अधिकतम अनुमत्य भूतल कवरेज की होंगी।
- (ii) सामने के सेटबैक पर कोई चारदीवारी नहीं होगी।
- (iii) परिसर के भीतर @ 2.0 ई.सी.एस. प्रति 100 वर्ग मीटर पार्किंग उपलब्ध कराई जाएगी। जहां यह उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित स्थानीय निकायों को पार्किंग की विकास लागत देय होगी।
- (iv) मास्टर प्लान सड़कों (30 मी० आर०ओ०डब्ल्यू० और अधिक) के लिए परिसर/गतिविधियां सामने से सर्विस रोड से जुड़े होने चाहिए न कि सीधे मुख्य सड़क से सीधे।
- (v) मिश्रित उपयोग की अनुमति बदलाव प्रभागों के भुगतान के अध्वधीन होगी।
- (vi) गलियों पर किसी भी अतिक्रमण की अनुमति नहीं होगी।

10.5 व्यावसायिक गतिविधि

व्यावसायिक गतिविधि में ऐसे व्यावसायिक कौशलों पर आधारित गैर-खरतनाक और अहानिकर गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें डॉक्टर, वकील, वास्तुविद, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिजाइनर आदि जैसे व्यवसायी अपने आवासीय परिसर से सेवाएं दे सकते हैं। किसी भी तल पर व्यावसायिक कार्यकलाप की अनुमति होगी, बशर्ते यह रिहायशी यूनिट के फर्शी क्षेत्र का अधिकतम 25 प्रतिशत हो या भूखण्ड विकास के मामले में एक तल से अधिक न हो।

10.6 अन्य गतिविधियाँ

आवासीय परिसरों में न्यूनतम 18 मी० चौड़ी सड़क आर ओ डब्ल्यू (पुनर्वास कालोनियों में 13.15 मीटर और "विशेष क्षेत्र" तथा गाँवों में 9 मीटर) के सामने न्यूनतम 200 वर्ग मी० आमाप के भूखण्ड पर निम्नलिखित विशिष्ट गतिविधियों में से किसी एक गतिविधि की छूट दी जा सकती है।

- (क) पूर्व-प्राथमिक विद्यालय (नर्सरी/मांटेसरी स्कूल, क्रच आदि)

- (ख) नर्सिंग होम
- (ग) अतिथि गृह
- (घ) बैंक
- (ङ) फिटनेस सेंटर(जिमनेजियम, योग, मेडिटेशन सेंटर)

इसके अलावा, उपर्युक्त गतिविधियों के लिए आवासीय भूमि और भवन इस संबंध में अधिसूचित विनियमों के प्रावधानों (उपर्युक्त उपान्तरण के साथ) द्वारा शासित होंगे केवल पूर्व प्राथमिक विद्यालय तथा फिटनेस सेंटर अनुमति योग्य भूमि कवरेज के बराबर भू-तल पर ही बनाए जाएंगे।

बैंकट हॉल

आवासीय उपयोग जोन में मिश्रित उपयोग के अधीन बैंकट हॉलों की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा सकती है :

न्यूनतम 18 मी० चौड़ी आर ओ डब्ल्यू सड़कों (पुनर्वास कालोनियों में 13.5 मी० तथा विशेष क्षेत्र में 9 मी०) के सामने 330 वर्ग मीटर आमाप के आवासीय भूखण्ड पर बैंकट हॉल की अनुमति दी जाएगी। भूमि कवरेज, एफएआर, ऊंचाई तथा बेसमेंट आदि मास्टर प्लान मानदण्डों के अनुसार पार्किंग तथा सफाई सुविधाओं, कचरे के निपटान से संबंधित शर्तों और संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित समुचित लेवी/प्रभावों का भुगतान के अधीन लागू होंगे।

10.7. आशयित मिश्रित उपयोग

- (i) विभिन्न श्रेणियों के आवासीय क्षेत्रों के लिए मिश्रित उपयोग क्षेत्र की मात्रा तथा उसकी अवस्थिति/वितरण ले आउट योजनाओं में विनिर्दिष्ट होगी।
- (ii) ले-आउट योजनाओं में मिश्रित उपयोग के लिए क्षेत्र/भूखण्ड स्पष्ट रूप से चिह्नित होंगे और मुख्य रूप से निर्धारित वाणिज्यिक क्षेत्रों के सामने/समीप में स्थित होंगे।
- (iii) मिश्रित उपयोग वाले आवासीय भूखण्ड 18 मी० और उससे अधिक चौड़ी आर ओ डब्ल्यू सड़कों पर स्थित होने चाहिए और परिसर के भीतर उपलब्ध अनिवार्य पार्किंग सुविधा के साथ संयुक्त पार्किंग क्षेत्र चिह्नित किया जाए।

10.8. बदलाव प्रभार

उपयोग/गतिविधि के बदलने के कारण लाभार्थी से संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित बदलाव शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

[सं. के-13011/2/2006-डीडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2006

S.O. 425(E).—Whereas extensive modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001, keeping in view the perspective for Delhi 2021 and growing new dimensions in Urban Development, were published *vide* Public Notice in the Gazette of India Extraordinary No. S.O. 318(E), dated 16th March, 2005 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within ninety days from the date of the said notice.

2. Whereas the said public notice included chapter entitled Mixed Use Regulations at page 382 to page 384,

3. Whereas objections/suggestions received with regard to the said chapter have been considered by a Board of Enquiry set up by the Delhi Development Authority and also by the Delhi Development Authority, and whereas the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2001 in so far as the Chapter on Mixed Use is concerned.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi- 2001, with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications:

In Gazette of India, Part II section 3, sub-section (ii) dated 1.8.90 the following shall be incorporated:-

(i) On page 165(RHS) under CLAUSE 10.0 MIXED USE REGULATIONS, the existing provisions shall be substituted by the following:-

10.1 PROVISIONS OF MIXED USE

Mixed use essentially means provision of non-residential activity in residential Premises. In the given situation of Delhi, where in a number of residential areas, commercial activity has already intruded, formulation of a balanced policy of mixed use considering its environmental impact and the socio-economic needs of the society is of utmost importance.

In an area, mixed use has positive and negative environmental and socio-economic impacts. It suits the socio-economic needs of a large section of the society and reduces the transportation needs and traffic movement considerably. However, unless properly regulated, it could have an adverse effect in terms of congestion, pollution and general inconvenience to the people of the area.

In view of the above, the following approach is suggested:-

- 1) Non-residential activity on residential premises should be permitted selectively and carefully, taking into consideration community needs, environmental impact and provision for safe and easy traffic circulation and adequate parking;
- 2) In case of new developments, planned mixed residential and non-residential activity should be introduced right at the time of the preparation of the layout plans along with the planning of Commercial Centres for which appropriate provision of parking, circulation and services be kept in view;

- 3) Notified provisions made in the earlier plan may be continued within the overall framework of the approved plan.

Mixed Use streets shall be identified based on traffic/parking studies. On the basis of identification of mixed use streets in Zonal or Local plans, mixed use may be permitted on ground floor, in residential plots facing streets/road of minimum 18.0 mtr. ROW in regular residential plotted development, 13.5 mtr in Rehabilitation Colonies and 9 mtr (or as prescribed in approved Zonal Plan) in Special Area and villages. All the mixed use streets identified/notified in the respective zonal plans shall continue. Further Mixed Use streets could also be identified and notified by the concerned Local Body/DDA.

In post Master Plan (1962) Residential Plotted Schemes, mixed land use shall be permissible on the basis of Local Area Plans to be prepared by the Local Body, in consultation with the Residents Societies/ Residents Welfare Association where mixed use may be restricted only on roads/ streets which are external to the Colony/ Residential Scheme.

Bungalow Areas of Lutyens' Delhi and Civil Lines, government housing, institutional/staff housing and areas of heritage and national importance shall not be covered under the Mixed Use Policy.

10.2 NON-PERMISSIBLE USES

Any trade or activity involving any kind of obnoxious, hazardous, inflammable, non-compatible and polluted substance or process shall not be permitted.

10.3 PERMISSIBLE USES

Mixed use covers Retails Shops, Professional Activity and specific other uses as indicated here after:

10.4 RETAIL SHOPS

The following activities shall not be allowed under Mixed Use:

1. Retail shops of building materials (timber, marble, iron and steel and sand), firewood, coal and any fire hazardous and other bulky materials.

2. Repair shops of automobiles repair and workshop (except for minor repair shops abutting 30mtr. and Road ROW), cycle rickshaw repair, tyre resorting and retreading, and battery charging.
3. Storage, godown and warehousing.
4. Junk shop
5. Liquor shop
6. Printing, dyeing and varnishing
7. Any other activity which may be notified from time to time.

For other retail shops, Mixed use in notified streets shall be subject to the following conditions:-

- (i) Mixed use shops only on ground floor upto the maximum permissible ground floor coverage.
- (ii) The front setback should not have boundary wall.
- (iii) Parking @ 2.0 ECS per 100 sq.mtr. shall be provided within the premises. Where this is not available, cost of development of parking shall be payable to the concerned local body.
- (iv) For Master Plan Roads (30mtr ROW and above), the premises/ activities should be approached from service road in the front and not directly from the main carriageway.
- (v) Mixed Use shall be subject to payment of conversion charges.
- (vi) No encroachment shall be permitted on the streets.

10.5 PROFESSIONAL ACTIVITY

Professional activity includes non-hazardous and non-nuisance kind of activity based on professional skills where the professional like a Doctor, Lawyer, Architect, Engineer, Chartered Accountant, Designer etc. may render such services from their residential premise. Professional activity shall be permissible on any floor subject to a maximum of 25% of the floor area of the dwelling unit or not exceeding one floor in case of plotted development.

947 GJ/06-3

10.6 OTHER ACTIVITIES

One of the following activities may be permitted in a residential premise on plot of a minimum of size of 200 sqm. (160 sqm. in Special Area, villages and Rehabilitation Colonies) facing a minimum road width of 18 mtrs ROW (13.5 mtrs. in Rehabilitation Colonies and 9 mtrs. in 'Special Area' and villages).

- (a) Pre-primary school (Nursery/Montessori School, Creche etc.)
- (b) Nursing home
- (c) Guest house
- (d) Bank
- (e) Fitness Centre (Gymnasium, yoga, meditation centre)

Further, the permission of residential land and building for the above activities shall be governed by the provisions of Notified Regulations in this regard (along with the above modification) except that pre-primary school and fitness centre shall be restricted only on ground floor equivalent to the permissible ground coverage.

Banquet Hall

Banquet Halls can be permitted under mixed use in residential use zone, subject to the following conditions:

Banquet hall shall be permitted in residential plot of size of 330 sq.m, facing minimum 18 mtrs. ROW roads (13.5 mtrs. in Rehabilitation Colonies and 9 mtrs. in Special Area). The ground coverage, FAR, height and basement etc. shall be applicable as per the Master Plan norms, subject to the conditions in respect of parking and sanitation facilities, hygienic disposal of waste and payment of appropriate levies/charges laid down by the concerned authority from time to time.

10.7 INTENDED MIXED USE

- (i) The quantum of Mixed Use Area and its allocation/distribution for various categories of Residential areas shall be specified in the layout Plans.
- (ii) The layout plans would clearly earmark areas for Mixed Use, preferably located opposite/adjoining designated commercial areas.
- (iii) Mixed Use on residential plots should be located on 18 mtrs. ROW roads and above with common Parking areas to be earmarked, along with mandatory parking to be provided within the premise.

10.8 CONVERSION CHARGES

Because of conversion of use/activity the conversion fee shall be charged from the beneficiary as decided by the concerned Authority from time to time.

[No. K-13011/2/2006-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

No. K- 13011/30/95-DD-IB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 8 March 2006

Subject: Extraordinary Gazette Notification for change of land use of 3.60 ha. of land at village Tehkhand – for publication of.

A copy of Notification dated 23rd February, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

S. Mukherjee
(S. Mukherjee)

Under Secretary to the Government of India
Telefax.: 23061681
Telefax. 23061478

To

- ✓ 1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. The Secretary, Land & Building Department, GNCTD, Delhi.
7. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

उपाध्यक्ष कार्यलय
डाकरी सं० 3858
दिनांक 8/3/06

PC & Secy

C (Pig.)

(Separate Copies)

12/3

486 AD/mc
10/3/06

DDA Secy
10/3
13/3/06
AD/mc

Sh. Sanjiv Chandra
13/3



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]
No. 165]नई दिल्ली, बुध्दिवार, फरवरी 23, 2006/फाल्गुन 4, 1927
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2006/PHALGUNA 4, 1927

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2006

का.आ. 240(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31-8-2005 के सं. का.आ. 1212(अ), के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

तेहखंड ग्राम में निम्नलिखित 3.60 है० भू-क्षेत्र के भू-उपयोग में निम्नलिखित अनुसार परिवर्तन किया जाता है:—

क्षेत्र का विवरण	भू उपयोग से	में
नार्थ : रेलवे कंटेनर यार्ड	"मनोरंजनात्मक	"रिहायशी"
साउथ : डिस्ट्रिक्ट पार्क	(डिस्ट्रिक्ट पार्क)"	
ईस्ट : डिस्ट्रिक्ट पार्क		
वेस्ट : रिहायशी भूखंड		

[सं. के-13011/30/1995-डीडी-1बी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2006

S. O. 240(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1212(E) dated 31st August, 2005 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area measuring 3.60 ha. of land at Village Tehkhand is changed as per description listed below:—

Description of Area	Land Use From	To
North : Railway Container Yard	"Recreational (District Park)"	"Residential"
South : District Park		
East : District Park		
West : Residential Plot		

[No. K-13011/30/1995-DD-1B]
S. MUKHERJEE, Under Secy.

No 11013 D 5 2002-Pol 1
Government of India
Ministry of Urban Development

Room No. 335-C, Nirman Bhavan,
New Delhi-110001.

Dated 13th October 2006.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Minutes of the meeting held on 10.10.2006 at 11.00 A.M. under the Chairmanship of Secretary(UD) regarding construction of multi-storied office as well as residential complex for Regulatory Authorities, Commissions at Delhi.

The undersigned is directed to enclose herewith the minutes of the meeting held on 10.10.2006 at 11.00 A.M. under the Chairmanship of Secretary(UD) regarding construction of multi-storied office as well as residential complex for Regulatory Authorities, Commissions at Delhi, for information and necessary action.


(Tapan Mitra)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No.2306 1010

1. DG(W), CPWD, Nirman Bhavan
2. Vice Chairman, DDA, Vikas Bhawan, 11/A, 11 D.
3. JS(D&L), MoUD.
4. Director of Estates, Nirman Bhavan
5. L&DO, Nirman Bhavan.
6. ADG(TD), CPWD, Nirman Bhavan.
7. ADG(Arch), CPWD.

Copy to:

1. Sr. PPS to Secretary(UD).
8. PS to AS(UD), MoUD
9. PA to Director(Works), MoUD.

I was not present. Circulate to all concerned in DDA

Copy to Commr (Plg), Commr (Land),
Dir (Bldg), Dir (Works)

DD (M/c) 10/11/06

Minutes of the Meeting held on 10.10.2006 at 11.00 am in the chairmanship of Secretary (UD) regarding construction of multi-storied office as well as residential complex for Regulatory Authorities, Commissions at Delhi.

A meeting regarding construction of multi-storied office as well as residential complex for Regulatory Authorities, Commissions at Delhi was held under the chairmanship of Secretary (UD) on 10.10.2006 at 11.00 am. A List of the participants is enclosed.

At the outset, AS(UD) mentioned about the directions of Cabinet Committee on Accommodation dated 07.03.2002 and 07.01.2004 regarding construction of Office/Residential Complex for Regulatory Authorities and construction of accommodation for Chairpersons and members of Regulatory Authorities in Gurgaon or Noida respectively.

The following decisions were taken :-

1. Actual requirement of office and residential accommodation for the purpose needs to be compiled based on the information available with Directorate of Estates and information furnished by various Ministries. In case some Ministries have not responded, DO letters may be put up to the Secretaries of the concerned Ministries from Secretary (UD) asking them to furnish the details immediately **(Action: Director of Estates to draft letters to concerned Secretaries).**
2. Regarding the land available at Ghitorni, details about land use in the present Master Plan and in the Master Plan 2021, use in Zonal Plan may be intimated at the earliest **(Action : DDA)**
3. The availability of land for the purpose within Delhi (at Narela, Rohini, Dwarka etc) covering an area of 50 to 75 acres taking into consideration the general suitability for residential and office purposes needs to be identified. The extent of water, sewerage, electricity, drainage, road and metro connectivity and other related infrastructure are to be examined and intimated to Director (Works).

In this context, Secretary (UD) expressed concern about the way the development is being planned at Dwarka. He stressed on the need to have an integrated approach towards development so that residential growth also takes into account the commercial and institutional requirement of the population. This is necessary so that problems now being faced in Delhi may not resurface at Dwaraka at a later time. **(Action: DDA)**

4. Regarding land available at Ghaziabad, Master Plan and Lay Out Plan to be examined and feasibility of having an integrated complex for the purpose be worked out. The proposal should ensure that least inconvenience is caused to the residential complex proposed. In planning for the area, care is to be taken to provide for a quite residential core. Office and Commercial activity be kept on the periphery taking advantage of broaden and busier main roads while isolating the residential heart from becoming a vehicular thoroughfare. While working out details, feasibility of density range within which plot of land will be available should also be taken into account. Secretary also emphasized that while proposing utilization of land for the purpose, development control norms must be kept in view for optimal utilizations. **(Action: CPWD)**
5. All the above options to be examined with merits/demerits pointed out when the matter is taken up to Cabinet Committee on Accommodation for appropriate orders.

The meeting ended with a vote of thanks to the chair.

List of Participants

1. Shri Anil Baijal, Secretary (UD) - in chair
2. Shri S.M. Acharya, AS(UD)
3. Shri M.M. Kutty, JS(D&L)
4. Shri Subhash Kapoor, ADG(Arch.), CPWD
5. Shri Rakesh Kumar, Director (Works).
6. Shri R.K. Sinha, L&DO
7. Shri D. Suresh, Director of Estates
8. Shri V.M. Bansal, Principal Secretary & Commissioner, DDA
9. Shri R.K. Kakkar, Senior Architect (Headquarters -1), CPWD

Room No. 335-C, Nirman Bhavan,
New Delhi-110001.

Dated 13th October 2006.

OFFICE MEMORANDUM

Subject

Minutes of the meeting held on 10.10.2006 at 11.00 A.M. under the Chairmanship of Secretary(UD) regarding construction of multi-storied office as well as residential complex for Regulatory Authorities, Commissions at Delhi.

The undersigned is directed to enclose herewith the minutes of the meeting held on 10.10.2006 at 11.00 A.M. under the Chairmanship of Secretary(UD) regarding construction of multi-storied office as well as residential complex for Regulatory Authorities, Commissions at Delhi, for information and necessary action.

(Tapan Mitra)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No.2306 1010

1. DG(W), CPWD, Nirman Bhavan
2. Vice Chairman, DDA, *Vijay Chandra, 11/A, 11 D*
3. JS(D&L), MoUD
4. Director of Estates, Nirman Bhavan
5. L&DO, Nirman Bhavan
6. ADG(TD), CPWD, Nirman Bhavan
7. ADG(Arch), CPWD

Copy to:

1. Sr. PPS to Secretary(UD)
8. PS to AS(UD), MoUD
9. PA to Director(Works), MoUD

699-AD/MC
10/10/06

I was not present. Circulate to all concerned in DDA

DD

10/11

Copy to Comm (Plg), Comm (Bldg), Dir (Works), Dir (Arch), Dir (Ests), Dir (M&M), Dir (P&D), Dir (R&D), Dir (S&D), Dir (T&D), Dir (U&D), Dir (V&D), Dir (W&D), Dir (X&D), Dir (Y&D), Dir (Z&D)
16/11/06
a/c copy

Minutes of the Meeting held on 10.10.2006 at 11.00 am in the chairmanship of Secretary (UD) regarding construction of multi-storied office as well as residential complex for Regulatory Authorities, Commissions at Delhi.

A meeting regarding construction of multi-storied office as well as residential complex for Regulatory Authorities, Commissions at Delhi was held under the chairmanship of Secretary (UD) on 10.10.2006 at 11.00 am. A List of the participants is enclosed.

At the outset, AS(UD) mentioned about the directions of Cabinet Committee on Accommodation dated 07.03.2002 and 07.01.2004 regarding construction of Office/Residential Complex for Regulatory Authorities and construction of accommodation for Chairpersons and members of Regulatory Authorities in Gurgaon or Noida respectively.

The following decisions were taken :-

1. Actual requirement of office and residential accommodation for the purpose needs to be compiled based on the information available with Directorate of Estates and information furnished by various Ministries. In case some Ministries have not responded, DO letters may be put up to the Secretaries of the concerned Ministries from Secretary (UD) asking them to furnish the details immediately **(Action: Director of Estates to draft letters to concerned Secretaries)**.
2. Regarding the land available at Ghitorni, details about land use in the present Master Plan and in the Master Plan 2021, use in Zonal Plan may be intimated at the earliest **(Action : DDA)**
3. The availability of land for the purpose within Delhi (at Narela, Rohini, Dwarka etc) covering an area of 50 to 75 acres taking into consideration the general suitability for residential and office purposes needs to be identified. The extent of water, sewerage, electricity, drainage, road and metro connectivity and other related infrastructure are to be examined and intimated to Director (Works).

In this context, Secretary (UD) expressed concern about the way the development is being planned at Dwarka. He stressed on the need to have an integrated approach towards development so that residential growth also takes into account the commercial and institutional requirement of the population. This is necessary so that problems now being faced in Delhi may not resurface at Dwarka at a later time. **(Action: DDA)**

List of Participants

1. Shri Anil Bajjal, Secretary (UD) - in chair
2. Shri S.M. Acharya, AS(UD)
3. Shri M.M. Kutty, JS(D&L)
4. Shri Subhash Kapoor, ADG(Arch.), CPWD
5. Shri Rakesh Kumar, Director (Works).
6. Shri R.K. Sinha, L&DO
7. Shri D. Suresh, Director of Estates
8. Shri V.M. Bansal, Principal Secretary & Commissioner, DDA
9. Shri R.K. Kakkar, Senior Architect (Headquarters -1), CPWD

4. Regarding land available at Ghaziabad, Master Plan and Lay Out Plan to be examined and feasibility of having an integrated complex for the purpose be worked out. The proposal should ensure that least inconvenience is caused to the residential complex proposed. In planning for the area, care is to be taken to provide for a quite residential core. Office and Commercial activity be kept on the periphery taking advantage of broaden and busier main roads while isolating the residential heart from becoming a vehicular thoroughfare. While working out details, feasibility of density range within which plot of land will be available should also be taken into account. Secretary also emphasized that while proposing utilization of land for the purpose, development control norms must be kept in view for optimal utilizations. (Action: CPWD)
5. All the above options to be examined with merits/demerits pointed out when the matter is taken up to Cabinet Committee on Accommodation for appropriate orders.

The meeting ended with a vote of thanks to the chair.

Room No. 335-C, Nirman Bhavan,
New Delhi-110001.

Dated 13th October 2006.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Minutes of the meeting held on 10.10.2006 at 11.00 A.M. under the Chairmanship of Secretary(UD) regarding construction of multi-storied office as well as residential complex for Regulatory Authorities, Commissions at Delhi.

The undersigned is directed to enclose herewith the minutes of the meeting held on 10.10.2006 at 11.00 A.M. under the Chairmanship of Secretary(UD) regarding construction of multi-storied office as well as residential complex for Regulatory Authorities, Commissions at Delhi, for information and necessary action.


(Tapan Mitra)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No.2306 1010

1. DG(W), CPWD, Nirman Bhavan
2. Vice Chairman, DDA, *Vice Chairman, DDA, 11/A, 11 D*
3. JS(D&L), MoUD
4. Director of Estates, Nirman Bhavan
5. L&DO, Nirman Bhavan
6. ADG(TD), CPWD, Nirman Bhavan
7. ADG(Arch), CPWD.

Copy to:

1. Sr. PPS to Secretary(UD).
8. PS to AS(UD), MoUD
9. PA to Director(Works), MoUD

699-AD/MC
10/10/06

I was not present. Circulate to all concerned in DDA

DD

10/11

*Copy to Comm (Plg), Comm (Land)
Dir (Bldg), Dir (Works)*

DD/MC

Minutes of the Meeting held on 10.10.2006 at 11.00 am in the chairmanship of Secretary (UD) regarding construction of multi-storied office as well as residential complex for Regulatory Authorities, Commissions at Delhi.

A meeting regarding construction of multi-storied office as well as residential complex for Regulatory Authorities, Commissions at Delhi was held under the chairmanship of Secretary (UD) on 10.10.2006 at 11.00 am. A List of the participants is enclosed.

At the outset, AS(UD) mentioned about the directions of Cabinet Committee on Accommodation dated 07.03.2002 and 07.01.2004 regarding construction of Office/Residential Complex for Regulatory Authorities and construction of accommodation for Chairpersons and members of Regulatory Authorities in Gurgaon or Noida respectively.

The following decisions were taken :-

1. Actual requirement of office and residential accommodation for the purpose needs to be compiled based on the information available with Directorate of Estates and information furnished by various Ministries. In case some Ministries have not responded, DO letters may be put up to the Secretaries of the concerned Ministries from Secretary (UD) asking them to furnish the details immediately (Action: Director of Estates to draft letters to concerned Secretaries).
2. Regarding the land available at Ghitorni, details about land use in the present Master Plan and in the Master Plan 2021, use in Zonal Plan may be intimated at the earliest (Action : DDA)
3. The availability of land for the purpose within Delhi (at Narela, Rohini, Dwarka etc) covering an area of 50 to 75 acres taking into consideration the general suitability for residential and office purposes needs to be identified. The extent of water, sewerage, electricity, drainage, road and metro connectivity and other related infrastructure are to be examined and intimated to Director (Works).

In this context, Secretary (UD) expressed concern about the way the development is being planned at Dwarka. He stressed on the need to have an integrated approach towards development so that residential growth also takes into account the commercial and institutional requirement of the population. This is necessary so that problems now being faced in Delhi may not resurface at Dwarka at a later time. (Action: DDA)

4. Regarding land available at Ghaziabad, Master Plan and Lay Out Plan to be examined and feasibility of having an integrated complex for the purpose be worked out. The proposal should ensure that least inconvenience is caused to the residential complex proposed. In planning for the area, care is to be taken to provide for a quite residential core. Office and Commercial activity be kept on the periphery taking advantage of broaden and busier main roads while isolating the residential heart from becoming a vehicular thoroughfare. While working out details, feasibility of density range within which plot of land will be available should also be taken into account. Secretary also emphasized that while proposing utilization of land for the purpose, development control norms must be kept in view for optimal utilizations. (Action: CPWD)
5. All the above options to be examined with merits/demerits pointed out when the matter is taken up to Cabinet Committee on Accommodation for appropriate orders.

The meeting ended with a vote of thanks to the chair.

10

List of Participants

1. Shri Anil Bajjal, Secretary (UD) - in chair
2. Shri S.M. Acharya, AS(UD)
3. Shri M.M. Kutty, JS(D&L)
4. Shri Subhash Kapoor, ADG(Arch.), CPWD
5. Shri Rakesh Kumar, Director (Works).
6. Shri R.K. Sinha, L&DO
7. Shri D. Suresh, Director of Estates
8. Shri V.M. Bansal, Principal Secretary & Commissioner, DDA
9. Shri R.K. Kakkar, Senior Architect (Headquarters -1), CPWD

Job No.

भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड,
नई दिल्ली

Original
प्रथम प्रति

GOVERNMENT OF INDIA PRESS, RING ROAD,
NEW DELHI

शुद्धि तथा प्राप्ति पत्रक प्रेषण का प्राप्ति विषय
Advice Note of Despatch of Proofs and Acknowledgment Voucher

रजिस्टर सं.
Reg. No.]

1731 GI/06

प्रेषण वाउचर
Despatch Voucher

विभाग और मंत्रालय के पत्र सं.

Deptt.'s or Ministry's Reqn. No.

भेजा जा रहा है

FORWARDED TO

Sh. V. M. Bansal, P. Commr. cum. Secy
D. D. A. Vikas Sadan, I. N. A. New Delhi

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड,

नई दिल्ली की ओर से

by THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD,
NEW DELHI

दिनांक

Dated 8/6/06 198

कार्य का विवरण

Particulars of work

BOCI Part II-3 (ii) dt. 7/6/06

पृष्ठों की सं./No. of Pages

प्रूफ/Proofs

पाण्डुलिपि/MSS

प्रतियों की सं.

No. of Copies

20 Copies

प्राप्ति सूचना

ACKNOWLEDGMENT

प्रेषण वाउचर

Despatch Voucher

टाइप/Type should be

रखा जाए/kept standing.

विभक्त किया जाए/distributed.

रजिस्टर सं.

Register No.

1731 GI/06

पृष्ठों की सं./No. of Pages

प्रूफ/Proofs

पाण्डुलिपि/MSS

प्रतियों की सं.

No. of Copies

20 Copies

पद के साथ हस्ताक्षर

Signature with designation

पता

Address

दिनांक

Dated 10/11/06 198

इस पत्रक का द्वितीय भाग प्राप्ति के प्रमाण में शीघ्र ही 7 दिन के भीतर हस्ताक्षरित किया हुआ लौटाए जाने की प्रार्थना है।

Prompt return of 2nd portion of this Voucher duly signed within 7 days in token of acknowledgment is requested.

MGIPRRND-25 GIPRR/87-Sec-II-16-9-87-1000 Books.

698 ADME
10/11/06

13/11/06
ADME

Dy Dir (Rec)/mc
10/11



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]
No. 586]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2006/ज्येष्ठ 17, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2006/JYAISTHA 17, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.आ. 861(अ).—एतद्वारा अधिस्तुत किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के तर्गत भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी.डी.आई.ए. दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1 (2) 2004/ए.ओ./एम.सी./दि.वि.प्रा./65]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2006

S.O. 861(E).— It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 31st May, 2006 communicated that Shri Jai Prakash Aggarwal, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1 (2) 2004/AO/MC/DDA/65]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]

No. 586]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2006/ज्येष्ठ 17, 1928

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2006/JYAISTHA 17, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.आ. 861(अ).—एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी.डी.आई.ए. दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1 (2) 2004/ए.ओ./एम.सी./दि.वि.प्रा./65]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2006

S.O. 861(E).— It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 31st May, 2006 communicated that Shri Jai Prakash Aggarwal, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1 (2) 2004/AO/MC/DDA/65]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]
No. 586]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2006/ज्येष्ठ 17, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2006/JYAISTHA 17, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.आ. 861(अ).—एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी.डी.आई.ए. दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1 (2) 2004/ए.ओ./एम.सी./दि.वि.प्रा./65]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2006

S.O. 861(E).— It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 31st May, 2006 communicated that Shri Jai Prakash Aggarwal, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1 (2) 2004/AO/MC/DDA/65]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]
No. 586]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2006/ज्येष्ठ 17, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2006/JYAISTHA 17, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.आ. 861(अ).—एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी.डी.आई.ए. दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1 (2) 2004/ए.ओ./एम.सी./दि.वि.प्रा./65]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2006

S.O. 861(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 31st May, 2006 communicated that Shri Jai Prakash Aggarwal, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1 (2) 2004/AO/MC/DDA/65]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]
No. 586]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2006/ज्येष्ठ 17, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2006/JYAISTHA 17, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.आ. 861(अ).—एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी.डी.आई.ए. दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1 (2) 2004/ए.ओ./एम.सी./दि.वि.प्रा./65]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2006

S.O. 861(E).— It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 31st May, 2006 communicated that Shri Jai Prakash Aggarwal, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1 (2) 2004/AO/MC/DDA/65]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]
No. 586]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2006/ज्येष्ठ 17, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2006/JYAISTHA 17, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.आ. 861(अ).—एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी.डी.आई.ए. दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1 (2) 2004/ए.ओ./एम.सी./दि.वि.प्रा./65]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2006

S.O. 861(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 31st May, 2006 communicated that Shri Jai Prakash Aggarwal, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1 (2) 2004/AO/MC/DDA/65]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]
No. 586]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2006/ज्येष्ठ 17, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2006/JYAISTHA 17, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.आ. 861(अ).—एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी.डी.आई.ए. दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1 (2) 2004/ए.ओ./एम.सी./दि.वि.प्रा./65]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2006

S.O. 861(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 31st May, 2006 communicated that Shri Jai Prakash Aggarwal, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1 (2) 2004/AO/MC/DDA/65]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]
No. 586]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2006/ज्येष्ठ 17, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2006/JYAISTHA 17, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.आ. 861(अ).—एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी.डी.आई.ए. दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1 (2) 2004/ए.ओ./एम.सी./दि.वि.प्रा./65]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2006

S.O. 861(E).— It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 31st May, 2006 communicated that Shri Jai Prakash Aggarwal, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1 (2) 2004/AO/MC/DDA/65]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]
No. 586]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2006/ज्येष्ठ 17, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2006/JYAISTHA 17, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.आ. 861(अ).—एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी.डी.आई.ए. दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1 (2) 2004/ए.ओ./एम.सी./दि.वि.प्रा./65]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2006

S.O. 861(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 31st May, 2006 communicated that Shri Jai Prakash Aggarwal, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1 (2) 2004/AO/MC/DDA/65]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]
No. 586]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2006/ज्येष्ठ 17, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2006/JYAISTHA 17, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.आ. 861(अ).—एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी.डी.आई.ए. दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1 (2) 2004/ए.ओ./एम.सी./दि.वि.प्रा./65]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2006

S.O. 861(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 31st May, 2006 communicated that Shri Jai Prakash Aggarwal, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1 (2) 2004/AO/MC/DDA/65]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]
No. 586]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2006/ज्येष्ठ 17, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2006/JYAISTHA 17, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.आ. 861(अ).—एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी.डी.आई.ए. दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1 (2) 2004/ए.ओ./एम.सी./दि.वि.प्रा./65]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2006

S.O. 861(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 31st May, 2006 communicated that Shri Jai Prakash Aggarwal, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1 (2) 2004/AO/MC/DDA/65]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]
No. 586]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2006/ज्येष्ठ 17, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2006/JYAISTHA 17, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.आ. 861(अ).—एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी.डी.आई.ए. दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1 (2) 2004/ए.ओ./एम.सी./दि.वि.प्रा./65]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2006

S.O. 861(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 31st May, 2006 communicated that Shri Jai Prakash Aggarwal, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F: 1 (2) 2004/AO/MC/DDA/65]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]
No. 586]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2006/ज्येष्ठ 17, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2006/JYAISTHA 17, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.आ. 861(अ).—एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी.डी.आई.ए. दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1 (2) 2004/ए.ओ./एम.सी./दि.वि.प्रा./65]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2006

S.O. 861(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 31st May, 2006 communicated that Shri Jai Prakash Aggarwal, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1 (2) 2004/AO/MC/DDA/65]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]
No. 586]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2006/ज्येष्ठ 17, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2006/JYAISTHA 17, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.आ. 861(अ).—एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी.डी.आई.ए. दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1 (2) 2004/ए.ओ./एम.सी./वि.वि.प्रा./65]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2006

S.O. 861(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have vide their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 31st May, 2006 communicated that Shri Jai Prakash Aggarwal, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1 (2) 2004/AO/MC/DDA/65]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]
No. 586]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2006/ज्येष्ठ 17, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2006/JYAISTHA 17, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.आ. 861(अ).—एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी.डी.आई.ए. दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1 (2) 2004/ए.ओ./एम.सी./दि.वि.प्रा./65]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2006

S.O. 861(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 31st May, 2006 communicated that Shri Jai Prakash Aggarwal, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1 (2) 2004/AO/MC/DDA/65]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]
No. 586]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2006/ज्येष्ठ 17, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2006/JYAISTHA 17, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2006

का.आ. 861(अ).—एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(एच) के अन्तर्गत भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या के-11011/14/2004-डी.डी.आई.ए. दिनांक 31 मई, 2006 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य, राज्य सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में चुना गया है।

[सं. एफ. 1 (2) 2004/ए.ओ./एम.सी./दि.वि.प्रा./65]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2006

S.O. 861(E).—It is hereby notified that under Section 5(2)(h) of the Delhi Development Act, 1957 the Government of India, Ministry of Urban Development have *vide* their letter No. K-11011/14/2004-DDIA dated 31st May, 2006 communicated that Shri Jai Prakash Aggarwal, M.P., Rajya Sabha has been elected to be member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[No. F. 1 (2) 2004/AO/MC/DDA/65]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INDUSTRIES
UDYOG SADAN, PLOT NO. 419, FIE PATPARGANJ, DELHI-92.

Sub: Extra Ordinary Gazette Notification (NCTD No. 073) dated 30th June, 2006 regarding redevelopment of Jawahar Nagar area having Industrial Concentration.

S. Der Sarkany
 1/9

10. Secretary (Environment), Government of NCT of Delhi, 6th Level, C-Wing, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002..
11. The Secretary & Commissioner (Industries), Government of NCT of Delhi, Plot No. 419, Udyog Sadan, FIE Patparganj, Delhi.
12. Commissioner (Labour), Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi-110054.
13. Commissioner (Transport), Government of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi-110054.
14. Divisional Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi-110054..
- ✓ 15. ✓ Spl. Secretary (Power), Government of NCT of Delhi, 8th Level, B-Wing, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002.
- ✓ 16. ✓ The Vice Chairman, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
17. Ministry of Urban Development, Delhi Division, Nirman Bhawan, New Delhi.
18. Managing Director, Delhi State Industrial Development Corporation, N-Block, Bombay Life building, Connaught Place, New Delhi.
19. The Commissioner, MCD, Town Hall.
20. The Chief Planner, TCPO, Vikas Bhavan, ITO, New Delhi.
21. The Chairman, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
22. The Chairman, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-32.
23. The Member Secretary, Delhi Pollution Control Committee, 4th Floor, ISBT Building, Kashmere Gate, Delhi.
24. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, ITO, New Delhi.
25. CEO, Delhi Jal Board, Varunalaya, Phase-II, Karol Bagh, New Delhi-110005.
26. Chief Town Planner, MCD, Town Hall New Delhi-110005.
27. Member Secretary, NCR Planning Board, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi.
28. Chief Fire Officer, Delhi Fire Services Head Quarter, Connaught Place, New Delhi.
29. Police Commissioner, Delhi Police, IP Estate, New Delhi-110002.
30. President, Delhi Manufacturer Federation, 7/83 Arjun Gali, Vishwas Nagar, Delhi-32.

उद्योग विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जून, 2006

सं. फा. 01/सी. आई./नीति/इनसीटू/जवाहर नगर/2006/18/616.—यतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 741 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन किये हैं।

यतः उक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि जिन समूहों में निम्नलिखित तत्व हैं उन्हें पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है।

(क) यह सतत क्षेत्र कम से कम 4 हेक्टेयर हो, तथा

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों।

यतः डी एस आई डी सी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार एवं सीलमपुर उपमंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर जवाहर नगर स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआउट प्लान के अनुसार), जिसके आस पास क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जाएगा।

क. समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व : बलराज नगर

पश्चिम : टुण्डा नगर

उत्तर : राम विहार

दक्षिण : जौहरी पुरी


अतः, अब उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निर्माण इकाईयों की एतद्द्वारा उद्योग मालिकों की इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और यह सोसाइटी स्थानीय निकाय/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसको दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सांविधिक पर्यावरण तथा अन्य विभागों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी जिसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देनी होगी।

सभी निर्माण इकाईयों को, जिन्होंने उद्योग को पुनः स्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आर्बटन का लाभ उठाया है उन्हें आर्बटन प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बन्द किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लान के लिए निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास विभाग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संदर्भ के लिए संलग्न है।

एस. सी. पोद्दार, सचिव एवं आयुक्त (उद्योग)

अनुलग्नक क



अनुलग्नक ख

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2005

का. आ. 741(अ) —यतः दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियां/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः, अब, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं. 125 (दिल्ली मास्टर प्लान, 2001) की बायीं तरफ (3) 'समयपुर बादली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र' के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है :-

'न्यूनतम 4 हेक्टे. सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर-नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों/डीडीए अथवा सोसायटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली), द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी बशर्ते पर्यावरण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हो।

(i) समूहों में कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधा पहुंचा जा सकेगा।

(ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन, सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रखरखाव के लिए सोसाइटी द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।

(iii) केवल अनुमय उद्योगों, जिन्हें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमति दी जायेगी।

(iv) ग्राउंड फ्लोर एरिया पर ही औद्योगिक कार्यकलापों की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा फ्लैट उद्योगों के लिए प्लॉटों के और विभाजन अथवा एकीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) सभी इकाइयों के डीपीसीसी तथा स्थानीय निकायों सहित कानूनी अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाइयों के विजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।

(vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

* न्यूनतम 10% क्षेत्र परिभ्रमण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।

* 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध-पारगम्य सतह।

* 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए सांझा पार्किंग उपलब्ध करायी जानी है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु बिना चारदिवारी के फ्रन्ट सेट बैक (न्यूनतम 3 मी.) उपलब्ध कराया जायेगा।

* सीईटीपी, सब-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

* निम्नलिखित को तैयार करना :-

(क) पम्पिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण/वर्षा जल संग्रहण करने की जरूरतों सहित दिल्ली जल बोर्ड/केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षानुसार) से जल आपूर्ति के लिए योजना।

(ख) मानदण्डों के अनुसार जल निकासी योजना।

(vii) पार्कों/ग्रीन बफर के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जायेगा।

(viii) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।

भू-स्थितियों के आधार पर डीडीए की तकनीकी समिति मानकों में 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे :-

बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी तल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल,

दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट्स, निजी सहकारी समूह आवास सोसाइटियां, सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोजक आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियां पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रभार वसूलेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भूमि लागत में वृद्धि (जहाँ भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय

द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा चाहिए। जो समूह यथा-निर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. के-13011/5/2000-डीडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th June, 2006

No. F-1/C. I./Policy/INSITU/Jawahar Nagar/2006/018/616.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, *vide* Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S. O. 741 (E) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India: Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi 2001;

And whereas the said notification provides that clusters that could be considered for re-development should have—

- (a) Minimum contiguous area of 4 Ha, and
- (b) More than 70% of the plots within the area (Industrial cluster) should be under manufacturing activity/use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-Divisional Magistrate Seelam Pur, the Industrial Cluster located at Jawahar Nagar (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May 2005.

A. Boundaries :

East : Balraj Nagar

West : Tunda Nagar

North : Ram Vihar

South : Jauhari Puri


Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of re-development plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said Notification dated 31st May, 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to be undersigned.

All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the re-development scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development Notification dated the 31st May, 2005 referred to above is Annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.

S. C. PODDAR, Secy. and Commissioner (Industries)

ANNEXURE A



ANNEXURE-B
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(DELHI DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extraordinary Gazette Notification No. S. O. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations. The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The following shall be added after (3) 'Shamapur Badli—Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi-2001).

"Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha. contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions:

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.
- (ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan pollution control and environmental management development of services and parking and maintenance.

(iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.

(iv) Industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.

(v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.

(vi) Other stipulations shall include—

* Minimum 10% areas is to be reserved for circulation/roads/service lanes.

* Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.

* Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.

* Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.

* Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.

* Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP. Sub-stations. Pump House, Fire Station, Police Post, etc. as per the norms.

* Preparation of:

(a) Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging/rainwater harvesting.

(b) Drainage plan as per norms.

(vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks/green buffer.

(viii) Other provisions/development control norms etc. shall be applicable as per provisions of MPD 2001.

Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%.

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme:—

Bungalow Zones (New Delhi and Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation and heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies,

Government flats/bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity:

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges of change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority,

Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance."

[No. K-13011/5/2000-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

2005-07-20

No. K- 13011/9 /2006-DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division IB)

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 3 Oct. 2006.

Subject: Extraordinary Gazette Notification regarding Development Control
Norms for residential plotted development.

A copy of Notifications dated 022.9.06 published in the Gazette of India
Extraordinary on the subject cited above are sent herewith for information and
necessary action.

668/AD/me
6/X/06
488-6-105
4/X/06

S. Mukherjee

(S. Mukherjee)

Under Secretary to the Government of India
Telfax. No. 23061681

Copy to:

- ✓ 1. The Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
2. The Director General, CPWD (Works), Nirman Bhawan, N. Delhi.
3. The Chairperson, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
4. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
5. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi
Road, New Delhi.
6. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, ITO, New Delhi.
7. The Principal Secretary, (UD), Government of NCT Delhi, O Wing,
Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi.
8. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.

PC- Secy

Com (1/5)

(Separate Copies)

for
copies to
all members

DD (Secy) he
6/10

16/10/06
AD (me)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1115]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2006/भाद्र 31, 1928

No. 1115]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2006/BHADRA 31, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2006

का.आ. 1591(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव था उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 21 जुलाई, 2006 के सं. का.आ. 1160(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) के तहत यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संगत नियमों के तहत विधिवत गठित जांच बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और प्राधिकरण ने उक्त बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में, उक्त सार्वजनिक सूचना में यथा उल्लिखित संशोधन की, कुछ परिवर्तनों के साथ सिफारिश की है;
3. और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी संगत पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2001 को संशोधित करने का निर्णय लिया है ;
4. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन:

दिनांक 23 जुलाई, 1998 के भारत की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा यथा संशोधित दिनांक 1 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र के अंग्रेजी पाठ के पृष्ठ 159 पर (दायीं तरफ), दिनांक 23 जुलाई, 1998 की उक्त अधिसूचना में निर्धारित मानदण्डों के संशोधन में रिहायशी भूखण्ड विकास(001) के संबंध में निम्नलिखित विकास मानदण्डों को प्रतिस्थापित किया जाएगा और ये निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन होंगे :-

रिहायशी भूखण्ड विकास(001)

क्र०सं०	भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्ग मीटर) (1)	अधिकतम भूमि कवरेज %	अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)	अधिकतम ऊँचाई मीटर में
1	32 से कम	90(2)	350	15
2	32 से अधिक 50 तक	90(2)	350	15
3	50 से अधिक 100 तक	90(2)	350	15
4	100 से अधिक 250 तक	75(3)	300(3)	15
5	250 से अधिक 500 तक	75	225	15
6	500 से अधिक 1000 तक	50	150	15
7	1000 से अधिक 1500 तक	40	120	15
8	1500 से अधिक 2250 तक	40	120	15
9	2250 से अधिक 3000 तक	40	120	15
10	3000 से अधिक 3750 तक	40	120	15
11	3750 से अधिक	40	120	15

नोट:

- क्षेत्र को वर्ग गज से वर्ग मीटर में परिवर्तित करने से उत्पन्न भूखण्ड आकार में 2% तक की विभिन्नता की अनदेखी करने तथा नीचे दिए गए पैरा (ii) के अनुसार भूखण्ड आकार की निम्नतर श्रेणी के लिए लागू मानदण्डों की अनुमति प्रदान करने हेतु संबंधित स्थानीय निकाय सक्षम होगा।
- इस अधिसूचना में दिए गए प्रभावों का भुगतान करने पर इस अधिसूचना की तारीख को पहले से यथा मौजूद निर्माण के नियमितकरण के लिए 100% भूमि कवरेज किया जा सकता है।
- 100 से 175 वर्ग मीटर तक के आकार के भूखण्ड के संबंध में इस अधिसूचना में दिये गए प्रभावों का भुगतान करने पर इस अधिसूचना की तारीख को यथा मौजूद निर्माण के नियमितकरण के लिए 100 प्रतिशत तल कवरेज और 350 तल क्षेत्र अनुपात पात्र होगा।

शर्तें और निबंधन

- (i) जब तक स्थानीय निकाय द्वारा अवस्थापना और सेवाओं को बढ़ाया नहीं जाता तथा क्षेत्र की ले-आउट योजना और सेवा योजना का तदनुसार उन्नयन नहीं किया जाता, तब तक दिनांक 15 मई, 1995 की अधिसूचना के अन्तर्गत अनुमेय रिहायशी इकाइयों से अधिक किसी अतिरिक्त रिहायशी इकाई की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसलिए, आवेदक, भूखण्ड स्वामी/आवंटी को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि दिनांक 15 मई, 1995 की अधिसूचना के तहत अनुमेय रिहायशी इकाई से अधिक कोई अतिरिक्त रिहायशी इकाई सृजित नहीं की गई है अथवा सृजित की जानी है।
- (ii) किसी श्रेणी के किसी भी भूखंड में अनुमेय कुल कवरेज तथा तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) अगली निम्नतर श्रेणी में सबसे बड़े भूखंड के लिए अनुमेय और उपलब्ध, कवरेज तथा तल क्षेत्र अनुपात से कम नहीं होगा।
- (iii) भूखंडों का उप विभाजन अनुमत्य नहीं है। तथापि, यदि एक रिहायशी भूखंड में एकसे अधिक भवन हैं तो निर्मित क्षेत्र तथा सभी ऐसे भवनों के तल कवरेज का योग उस भूखंड में निर्मित क्षेत्र तथा अनुमत्य तल कवरेज से अधिक नहीं होगा।
- (iv) मेजनीन तल तथा सर्विस तल, यदि निर्मित किया गया हो तो उसे तल क्षेत्र अनुपात में गिना जाएगा।
- (v) भूखंड विकास के मामले में यदि बेसमेंट का निर्माण किया गया है तो वह तल क्षेत्र अनुपात में शामिल नहीं होगा। बेसमेंट क्षेत्रफल यथा अनुमत्य और स्वीकृत निर्मित क्षेत्र के अनुसार भूतल पर कवरेज से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा लेकिन आंतरिक आंगन (कोर्टयार्ड) तथा शाफ्ट के नीचे के क्षेत्र तक बढ़ाया जा सकता है।
- (vi) रिहायशी भूखंड के भीतर पार्किंग स्थल निम्नलिखित अनुसार मुहैया कराया जाएगा:-
 क. 250 से 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में 2 समतुल्य कार स्थान (ईसीएस)
 ख. 300 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों में प्रति 100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के लिए एक समतुल्य कार स्थान (ईसीएस)
 बशर्ते कि यदि किसी भूखंड में उपर्युक्त पार्किंग मानदंडों के अनुसार अनुमेय कवरेज और तल क्षेत्र अनुपात नहीं है तो पूर्ववर्ती श्रेणी के पार्किंग मानदंड अनुमत्य होंगे।
- (vii) यदि पार्किंग के लिए प्रयुक्त गैर-निवास योग्य ऊंचाई (2.4 मीटर से कम) के स्टिल्ट क्षेत्र के साथ भवन निर्मित किया गया है तो ऐसे स्टिल्ट क्षेत्र को तल क्षेत्र अनुपात में शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि भवन की ऊंचाई के लिए गिना जाएगा।

- (viii) जब तक अन्यथा निर्धारित न किया जाए तब तक न्यूनतम सैटबैक निम्नलिखित सारणी में दिए अनुसार होगा:-

क्र. सं.	भूखंड का आकार (वर्ग मीटर में)	न्यूनतम सैटबैक (मीटर में)			
		सामने	पृष्ठ	साइड (1)	साइड (2)
1	100 से कम	0	0	0	0
2	100 से अधिक 250 तक	3	0	0	0
3	250 से अधिक 500 तक	3	3	3	0
4	500 से अधिक 2000 तक	6	3	3	3
5	2000 से अधिक 10000 तक	9	6	6	6
6	10000 से अधिक	15	9	9	9

- (क) यदि भूखण्ड में अनुमेय कवरेज उपर्युक्त सैटबैक के साथ नहीं की जाती है तो पूर्ववर्ती श्रेणी के सैटबैक की अनुमति होगी।
- (ख) भविष्य में निर्माण के मामले में 50 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय भूखंड में कम से कम 2 मीटर x 2 मीटर खुले आंगन की व्यवस्था की जाएगी।
- (ix) जो भूखंड स्वामी/आवंटी 23 जुलाई, 1998 की राजपत्र अधिसूचना के अलावा उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त कवरेज, अतिरिक्त फ्लोर अथवा उसका एक भाग बनाना चाहते हैं, उनसे सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अधिसूचित दरों पर सुधार प्रभार(अथवा अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात प्रभार) लिया जाएगा। यह प्रभार दिनांक 23 जुलाई, 1998 की अधिसूचना द्वारा अनुमेय से अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात और दिनांक 15 मई 1995 की अधिसूचना द्वारा अनुमेय अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात के लिए देय प्रभार से अलग होगा।
- (x) जो भूखंड स्वामी /आवंटी इस अधिसूचना के अंतर्गत अनुमेय अतिरिक्त कवरेज के संबंध में निर्माण नियमित कराना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त पैरा (ix) में उल्लिखित सुधार प्रभार के अलावा अर्थदण्ड और सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित प्रशमनकारी (कम्पाउंडिंग) प्रभार का भुगतान करना होगा।
- (xi) जो भूखंड स्वामी /आवंटी इस अधिसूचना के संबंध में अतिरिक्त ऊंचाई नियमित कराना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त पैरा (x) में उल्लिखित सुधार प्रभार के अलावा सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित अर्थदण्ड और विशेष प्रशमनकारी (कम्पाउंडिंग) प्रभारों का भुगतान करना होगा।

- (xii) इस प्रकार से प्राप्त राशि संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा एक एस्को एकाउंट में जमा कराई जाएगी जिसे पार्किंग स्थलों के विकास, सुविधाओं/अवस्थापना को बढ़ाने तथा पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा और इस खाते के आय-व्यय का तिमाही विवरण स्थानीय निकायों द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (xiii) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को नियमित नहीं किया जाएगा और स्थानीय निकाय द्वारा अतिरिक्त निर्माण/ऊंचाई के नियमितीकरण के लिए स्वीकृति देने से पहले अतिक्रमण हटाया जाएगा।
- (xiv) अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात तथा/अथवा ऊंचाई की स्वीकृति अथवा उसे नियमित कराने के इच्छुक प्रत्येक आवेदक को संरचना इंजीनियर से संरचना सुरक्षा का प्रमाणपत्र लेना होगा। यदि इस प्रकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता अथवा अन्यथा भवन को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित पाया जाता है तो संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा भवन स्वामी को एक औपचारिक नोटिस दिया जाएगा कि वे एक उचित निर्धारित अवधि में संरचना की कमियों को सुधार लें अन्यथा संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया जाएगा और इसे भवन स्वामी अथवा स्थानीय निकाय द्वारा गिरा दिया जाएगा।

[सं. के-13011/9/2006-डीडी आईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2006

S.O. 1591(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001, were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 1160(E), dated 21st July, 2006 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections and suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

2. Whereas the objections and suggestions received with regard to the proposed modifications were considered by a Board of Enquiry duly constituted by Delhi Development Authority under the relevant rules, and the Authority, after having considered the report of the Board, has recommended the modification of the Master Plan 2001, as envisaged in the said public notice, with certain changes;

3. And whereas, the Central Government has, after carefully considering all relevant aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2001;

2997 GI/06-2

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi- 2001 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

On page 159 (RHS) of the Gazette of India dated 1st August 1990, as modified vide Gazette of India Notification dated 23rd July 1998, the following development control norms shall be substituted in respect of Residential Plotted Development (001) in modification of norms laid down in the said Notification dated 23rd July 1998, and subject to the terms and conditions given below:-

Residential Plotted Development (001)

Sl. No.	Area of the plot (sqm) ⁽¹⁾	Maximum ground coverage %	Maximum FAR	Maximum height in metres
1	Below 32	90 ⁽²⁾	350	15
2	Above 32 to 50	90 ⁽²⁾	350	15
3	Above 50 to 100	90 ⁽²⁾	350	15
4	Above 100 to 250	75 ⁽³⁾	300 ⁽³⁾	15
5	Above 250 to 500	75	225	15
6	Above 500 to 1000	50	150	15
7	Above 1000 to 1500	40	120	15
8	Above 1500 to 2250	40	120	15
9	Above 2250 to 3000	40	120	15
10	Above 3000 to 3750	40	120	15
11	Above 3750	40	120	15

Note:

1. The local body concerned shall be competent to disregard variation of upto 2% in plot size, arising from conversion of area from sq.yard to sqm and to grant the norms applicable to the lower category of plot size in accordance to para (ii) below.
2. 100 % ground coverage shall be eligible for regularization of construction, already existing as on the date of this notification on payment of charges as given in this notification.
3. 100 % ground coverage and 350 FAR shall be eligible for regularization of construction already existing as on the date of this

notification on payment of charges as given in this notification, in respect plot size between 100 to 175 sqm.

Terms and conditions:

- (i) No additional dwelling unit beyond that permissible under notification dated 15th May 1995 shall be permitted, unless the infrastructure and services have been augmented by the local body and the lay-out plan and services plan of the area have been accordingly upgraded. The applicant plot owner/ allottee shall therefore have to give an undertaking to the effect that no additional dwelling unit has been or is sought to be created beyond that permissible vide notification dated 15th May 1995.
- (ii) The total coverage and FAR permissible in any plot in a category, shall not be less than that permissible and available to the largest plot in the next lower category.
- (iii) Subdivision of plots is not permitted. However, if there are more than one buildings in one residential plot, the sum of the built up area and ground coverage of all such buildings, shall not exceed the built up area and ground coverage permissible in that plot.
- (iv) The mezzanine floor and service floor, if constructed, shall be counted in the FAR.
- (v) Basement in case of plotted development, if constructed, shall not be included in FAR. Basement area shall not extend beyond the coverage on the ground floor as per permissible and sanctioned built up area, but may extend to the area below the internal courtyard and shaft.
- (vi) Parking space shall be provided for within the residential plot as follows:
 - a. 2 Equivalent Car Space (ECS) in plots of size 250-300 sqm;
 - b. 1 ECS for every 100 sqm built up area, in plots exceeding 300 sqmProvided that if the permissible coverage and FAR is not achieved with the above-mentioned parking norms in a plot, the parking norms of the preceding category shall be allowed.
- (vii) If the building is constructed with stilt area of non-habitable height (less than 2.4m), used for parking, such stilt area shall not be included in FAR but would be counted towards the height of the building.

298761706-3

- (viii) The minimum setbacks shall be as given in the following table unless otherwise prescribed.

S.No.	Plot size (in sqm)	Minimum Setbacks (in metre)			
		Front	Rear	Side (1)	Side (2)
1	Below 100	0	0	0	0
2	Above 100 and upto 250	3	0	0	0
3	Above 250 and upto 500	3	3	3	0
4	Above 500 and upto 2000	6	3	3	3
5	Above 2000 and upto 10000	9	6	6	6
6	Above 10000	15	9	9	9

- a) In case the permissible coverage is not achieved with the above-mentioned setbacks in a plot, the setbacks of the preceding category may be allowed.
- b) In the case of construction in the future, a minimum 2m X 2m open courtyard shall be provided for in residential plots of area of 50sqm to 100 sqm.
- (ix) Plot owners/ allottees seeking extra coverage, additional floor or part thereof, over and above Gazette Notification dated 23rd July 1998, as per above mentioned norms, shall be charged betterment levy (or additional FAR charges) at the rates notified with the approval of the Government, from time to time. This is in addition to the levy payable on the additional FAR allowed vide notification dated 23rd July 1998 and over the FAR allowed vide notification dated 15th May 1995.
- (x) Plot owners/ allottees seeking regularization of construction in terms of the additional coverage allowed under this notification, shall have to pay a penalty and compounding charges notified with the approval of the Government, over and above the betterment levy referred to in para (ix) above.
- (xi) Plot owners / allottees seeking regularization of additional height in terms of this notification, will have to pay penalty and special compounding charges notified with the approval of the Government, in addition to betterment levy referred to in para (x).
- (xii) The amount so collected shall be deposited in an ESCROW ACCOUNT by the local body concerned for incurring expenditure for developing

parking sites, augmentation of amenities/ infrastructure and environmental improvement programmes and a quarterly statement of the income and expenditure of the Account shall be rendered by the local bodies to the Government.

(xiii) Encroachment on public land shall not be regularized and shall be removed first before the local body grants sanction for regularization of additional construction/ height.

(xiv) Every applicant seeking sanction or regularization of additional FAR and / or height shall submit a certificate of structural safety obtained from a structural engineer. Where such certificate is not submitted or the Building is otherwise found to be structurally unsafe, formal notice shall be given to the owner by the local body concerned, to rectify the structural weakness within a reasonable stipulated period, failing which the building shall be declared unsafe by the local body concerned and shall be demolished by the owner or the local body.

[No. K-13011/9/2006-DD IB]
S. MUKHERJEE, Under Secy.

0

1
2
3



No. K-20013/4/2006-DDVA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Dated the 24th August, 2006.

To

✓
The Vice-Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan,
INA Colony,
New Delhi-110 023.

Sub: Amendment of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981 - Disposal of Senior Secondary School sites.

Sir,

Please refer to DDA's letter dated 3.2.2006 enclosing therewith a copy of the resolution relating to Agenda Item No.10/2006 of the Authority meeting held on 19.1.2006 on the above mentioned subject.

2. The proposal contained in Item No.10/06 of the Authority meeting held on 19.1.2006 has been approved by the Government and accordingly the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981 have been amended vide notification dated 19.4.2006. A copy of the said notification is also enclosed herewith.

Yours faithfully,

(Prem Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India
☎ # 2306 1478

Encl: As above.

Copy to:

1. The Secretary (Education), GNCTD, Old Secretariat, Delhi-110 054.
2. The Director (Education), GNCTD, Old Secretariat, Delhi-110 054. A copy of resolution relating to Item No.10/2006 of the Authority meeting held on 19.1.2006 and Amendment Notification dated 19.4.2006 are enclosed herewith for information.

(Prem Kumar)
Under Secretary

Cd.
010(L)
DD (Intr.)

✓
04/14-PCSS
29/8/06

649-AD/ML
29-8-06

PC-secy.

✓
24/8

15733
24/8/06
all
means
29/8
DD (Secy)
29/8/06
DD (Intr.)
ca. Dev. Backers
1/8



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]

No. 157]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2006/चैत्र 29, 1928

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2006/CHAITRA 29, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

सा.का.नि. 220(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 22 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण से परामर्श के पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) संशोधन नियम, 2006 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) नियम, 1981 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में:-
 - (i) उप-नियम(1) में "व्यक्ति निकायों" शब्दों के स्थान पर "व्यक्ति-निकाय, फर्मों, कंपनियों" शब्द रखे जाएंगे।
 - (ii) उप-नियम(2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) प्राधिकरण योजनाओं के अनुरूप तथा इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन नजूल भूमि का व्ययन निम्नलिखित संस्थाओं को नीलामी द्वारा करेगा:-

- (क) अस्पताल,
- (ख) औषधालय (डिस्पेंसरी)
- (ग) नर्सिंग होम
- (घ) उच्चतर अथवा तकनीकी शिक्षा संस्थान,
- (ङ.) सामुदायिक हॉल,
- (च) क्लब,
- (छ) विद्यालय,

परन्तु इस उप-नियम की कोई बात उक्त प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र और स्थानीय निकाय को भूमि के आवंटन को प्रभावित नहीं करेगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 5 में;
 - (i) "प्राधिकरण" शब्द के स्थान पर "नियम 4 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;
 - (ii) स्पष्टीकरण को लोप किया जायेगा।
4. उक्त नियमों में, नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"8. नियम 4 के उप नियम(2), नियम 5, 6, और 7 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी प्रयोजन के लिए नजूल भूमि का आवंटन ऐसे प्रीमियम के भुगतान पर किया जाएगा जितना कि इन नियमों के यथास्थिति अध्याय-3 या अध्याय-4, के उपबंधों के अनुसार या तो नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा अवधारित किया जाए।"
5. उक्त नियमों के नियम 16 में, आरंभिक पैरा में "व्यक्ति जिनके अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति प्रवर्ग" भी हैं, शब्दों के स्थान पर "व्यक्ति जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति प्रवर्ग भी हैं, कम्पनी और फर्म" शब्द रखे जाएंगे।
6. उक्त नियमों के नियम 20 में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु इस नियम की कोई बात नियम 4 के उपनियम(2) के उपबंधों को लागू नहीं होगी।"
7. उक्त नियमों के नियम 42 में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे अर्थात्:

"परन्तु इस नियम में किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण, रिहायशी प्रयोजन अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए नीलामी अथवा निविदा के माध्यम से फ्रीहोल्ड आधार पर नजूल भूमि आबंटित कर सकता है।"

"यह और भी कि फ्रीहोल्ड आधार पर आबंटन के मामले में आबंटिती प्रारूप ख क में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा।"
8. उक्त नियमों में प्रारूप ख के पश्चात निम्नलिखित प्रारूप अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

फार्म ख क
(नियम 42 देखें)
हस्तांतरण विलेख

(नीलामी अथवा निविदा के जरिए फ्रीहोल्ड आधार पर आबंटित रिहायशी और वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए)

यह हस्तांतरण विलेख एक पक्षधर के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें इसमें आगे दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली के जरिए विक्रेता कहा गया है (इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती तथा समनुदेशी भी हैं, जब तक कि संदर्भ में अन्य तथा भिन्न अर्थ अपेक्षित न हो) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री/श्रीमती/मैसर्स..... निवासी..... जिसे इसमें आगे "क्रेता" कहा गया है (इसके अन्तर्गत जब तक कि संदर्भ से अन्य तथा भिन्न अर्थ अपेक्षित न हो, उसके वारिस, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशी भी शामिल होंगे) के बीच किया गया।

.....में स्थित..... दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र सं० एफ--() / / तारीख.....के अधीन रूपए.....का प्रतिफल लेकर क्रेता को आबंटित किया गया था जो कि उक्त आबंटन पत्र में उल्लिखित सीमान निबंधनों और शर्तों के अध्यधी प्राप्त किया गया है

और उक्त आबंटन अब भी वैध तथा कायम है और उक्त क्रेता ने विक्रेता को उसे आबंटित की गई उक्त संपत्ति, जिसका वास्तविक कब्जा उन्हें तारीख.....को सौंपा गया था, में फ्रीहोल्ड स्वामित्व अधिकारों के लिए अंतरण विलेख निष्पादित करने हेतु आवेदन किया है तथा उसमें आगे दी गई शर्तों व निबंधनों के अधीन उक्त संपत्ति के संबंध में यह विलेख तदनुसार निष्पादित किया जा रहा है।

यह करार इस बात का साक्षी है कि आबंटन के समय संदत्त.....रु०(शब्दों में.....रु०)की राशि(जिसकी प्राप्ति विक्रेता इसके द्वारा स्वीकार और अभिस्वीकार करता है) के प्रति फलस्वरूप, पूर्वोक्त विलेख और यहां इसमें आगे उल्लिखित सीमाओं के अध्यधीन विक्रेता द्वारा आवासीय योजना के प्लॉट सं०.....में उक्त क्रेता फ्रीहोल्ड स्वामित्व के लिए अनुदत्त हस्तांतरण, विक्रय, निर्माण और अंतरण, समनुदेशन तथा आश्वासन पूर्वोक्त क्रेता को करता है।

1. विक्रेता उक्त संपत्ति में या उसके अन्तर्गत सभी खानों और खनिज पदार्थों को, चाहे वे किसी भी स्वरूप के हों, अपने पास सुरक्षित/रखेगा और इसके साथ-साथ विक्रेता उसके अधिकर्ताओं और कर्मकारों को यह पूर्ण स्वतंत्रा होगी कि वे उक्त संपत्ति के किसी भाग में या सभी जगह तलाशी लेने के लिए, उसे पाने के लिए, विक्रय योग्य बनाने के लिए, उस समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग में किसी भी समय प्रवेश कर सकें और उक्त संपत्ति के अन्तर्गत या उस पर या विक्रेता की भूमि से संलग्न किसी भूमि पर उक्त खानों और खनिज पदार्थों को ले जा सकें तथा उक्त समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग की सतह का और उस संपत्ति के अंतर्गत आने वाले किन्हीं भवनों या उस पर इसके बाद बनाए जाने वाले भवनों का

निर्धारण कर सकें ताकि आदेशानुसार उसकी ओर से किए गए नुकसान के लिए क्रेता को उचित मुआवजा दिया जा सके बशर्तें उक्त संपत्ति के संबंध में भू-राजस्व या देय अन्य करों का भुगतान कर दिया गया हो, जो विधिपूर्ण रूप से उक्त संपत्ति के संबंध में देय हो या देय हो सकते हों, और सभी सार्वजनिक अधिकार या उससे प्रभावित होने वाले भोगाधिकार भी दे दिए गए हों।

2. संपत्ति के इस विलेख के पूरा होते हुए भी, मास्टर प्लान/जोनल विकास प्लान/ले-आउट प्लान के उपबंधों के उल्लंघन की किसी भी प्रकार से अनदेखी नहीं की जाएगी तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली विकास अधिनियम की धारा-14 या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन के संबंध में समुचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

3. क्रेता भवन, जल-निकास संबंधी तथा समुचित नगरपालिका या तत्समय प्रवर्त अन्य प्राधिकरणों के उप-नियमों का अनुपालन करेगा।

4. उक्त प्लॉट का आवंटन 'यथावत' आधार पर किया जाता है तथा क्रेता द्वारा इस प्लॉट में अथवा उसके आसपास कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/अतिक्रमण/अवैध निर्माण विक्रेता (डीडीए) की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता जो इस आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं अथवा कुछ शर्तों व निबंधनों के अधीन मंजूर भी कर सकते हैं।

सभी प्रकार के शुल्क, कर, प्रभार, निर्धारण, नगरपालिका अथवा अन्यथा और किसी भी प्रकार के प्रभार को आवंटिती/क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

5. यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि इस विलेख को किसी तथ्य को छिपाकर या गलत और गुमराह करने वाले ब्यौरे देकर या कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है तो विक्रेता की ओर से यह विलेख अमान्य हो जाएगा तथा विक्रेता को इस विलेख को रद्द करने तथा क्रेता द्वारा अदा की गई राशि को जप्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में विक्रेता का विनिश्चय अंतिम तथा क्रेता के लिए बाध्यकारी होगा और किसी भी स्थिति में उसे वापस नहीं लिया जाएगा।

6. क्रेता द्वारा आवंटन/नीलामी/निविदा की शर्तों व निबंधनों का अनुपालन किया जाएगा।

7. विक्रेता को आवंटन/नीलामी/निविदा अथवा इस विलेख की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में इस विलेख को रद्द करने का अधिकार होगा।

8. इस लिखत के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्टरीकरण प्रभार क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।

यह हस्तांतरण इस विलेख के रजिस्टरीकरण की तारीख से प्रवृत्त माना जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को श्री..... ने अपनी ओर से तथा विक्रेता के आदेश और निर्देश के अनुसार उसके हस्ताक्षर करवाए हैं तथा क्रेता श्री/श्रीमती.....ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

अनुसूची, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है:

आवासीय प्लॉट सं०.....ब्लॉक सं०.....माप.....
वर्ग मी./गज.....के ले-आउट प्लान में है और जो निम्नलिखित प्लॉटों से घिरा है:-

भूखण्ड के उत्तर में.....है।
भूखण्ड के पूर्व में.....है।
भूखण्ड के दक्षिण में.....है।
भूखण्ड के पश्चिम में.....है।

भारत के राष्ट्रपति(विक्रेता) की ओर से तथा उनके आदेश तथा निर्देश के अनुसार श्री/श्रीमती.....ने हस्ताक्षर किए।

(विक्रेता)

1. श्री/श्रीमती..... की उपस्थिति में
श्री/श्रीमती.....ने हस्ताक्षर किए।

(क्रेता)

निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए:-

1. श्री/श्रीमती.....
श्री/श्रीमती.....
.....

[फा. सं. के-20013/4/2006/डीडीवीए]

पी. के. प्रधान, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम सं.सा.का.नि. तारीख 26 सितंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन सं०(1) सा.का.नि. 97 तारीख 27 जनवरी, 1989(2) सा.का.नि. 677(अ) तारीख 11 नवम्बर, 1991(3) सा.का.नि. 486(अ) तारीख 5 जुलाई, 2002(4) सा.का.नि. 806(अ) तारीख 3 दिसम्बर, 2002 और(5) सा.का.नि. 801(अ) तारीख 9 दिसम्बर, 2004 द्वारा किए गए।

1164 G5/2006-2

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2006

G.S.R. 220(E).— In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (2) of section 56, read with sub-section (3) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government, after consultation with the Delhi Development Authority, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Development Authority (Disposal of Development Nazul Land) Rules, 1981, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Amendment Rules, 2006.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, -
 - (i) in sub-rule 1, for the words "body of persons", the words "body of persons, firms, companies," shall be substituted;
 - (ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The Authority shall, in conformity with plans and subject to the provisions of these rules, dispose the Nazul land by auction to the following institutions :-

 - a) hospitals;
 - b) dispensaries;
 - c) nursing homes;

- d) higher or technical education institutions;
- e) community halls;
- f) clubs;
- g) schools:

Provided that nothing in this sub-rule shall affect the allotment of land to the Central Government, a State Government, a Union territory and the local body for the said purpose."

3. In the said rules, in rule 5, -
 - (i) for the words "The Authority may", the words "Subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 4, the Authority may" shall be substituted;
 - (ii) the Explanation shall be omitted.
4. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:-

"8. Save as otherwise provided in sub-rule (2) of rule 4, rules 5, 6 and 7, allotment of Nazul land for any purpose shall be made on payment of such premium as may be determined either by auction or by tender in accordance with the provisions of Chapter III or Chapter IV, as the case may be, of these rules."
5. In the said rules, in rule 16, in the opening paragraph, for the words "individuals, including the following categories of individuals", the words "individuals including the following categories of individuals, companies and firms" shall be substituted.
6. In the said rules, in rule 20, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that nothing in this rule shall apply to the provisions of sub-rule (2) of rule 4."

7. In the said rules, in rule 42, the following provisions shall be inserted, namely:-

"Provided that notwithstanding anything contained in this rule, the Authority may allot Nazul land on free hold basis either through auction or by tender for residential purpose or commercial purpose:

Provided further that in the case of allotment on free hold basis, the allottee shall execute a conveyance deed in Form BA."

8. In the said rules, after Form B, the following form shall be inserted, namely:-

FORM BA

(See rule 42)

CONVEYANCE DEED

(For Residential and Commercial Properties allotted on Freehold basis through Auction or Tender)

This deed of conveyance made on this.....day of..... between President of India, hereinafter called "THE VENDER" through DDA, Vikas Sadan, New Delhi (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his successors in office and assigns) of the one part and Shri/Smt/M/S.....R/o

..... hereinafter called "The purchaser" (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his/her heirs, administrators, representatives and permitted assigns) of the other part.

WHEREAS..... situated in was allotted to the purchaser by Delhi Development Authority vide allotment letter No.F() / dated against a consideration of Rs.

.....(Rupees.....) which has been received subject to limitation, terms and conditions mentioned in the said letter of allotment.

AND WHEREAS representing that the said allotment is still valid and subsisting, the said purchaser has applied to the Vendor to execute the Conveyance Deed for free hold ownership rights in the said demised property allotted to him and physical possession whereof has been handed over to him on/...../..... and this deed is being executed accordingly of the said demised property subject to terms and conditions appearing hereinafter.

NOW THIS INDENTURE WITNESSES THAT in consideration of the sum of Rs/- (Rupees) Paid at the time of allotment and Rs (Rupees) was paid before the execution hereof (the receipt whereof the Vendor hereby admits and acknowledges), the aforesaid representation and subject to limitation mentioned hereinafter, the Vendor do hereby grants, conveys, sells, releases and transfers, assigns and assures unto the aforesaid purchaser free hold ownership, in the Scheme..... Plot No

1. The Vendor excepts and reserves unto himself all mines and minerals of whatever nature lying in or under the said property together with full liberty at all times for the Vendor, its agents and workmen, to enter upon all or any part of the property together to search for, win, make merchantable and carry away the said mines, and minerals under or upon the said property or any adjoining lands of the vendor and to lay-down the surface of all or any part of the said property and any building under or hereafter to be erected thereon making fair compensation to the purchaser for damage done unto him thereby, subject to the payment of land revenue or other imposition payable or which may become lawfully payable in respect of the said property and to all public rights or easement affecting the same.

2. That notwithstanding execution of this Deed, use of the property in contravention of the provisions of Master Plan/Zonal Development Plan/Layout plan shall not be deemed to have been condoned in any manner and Delhi Development Authority shall be entitled to take appropriate action for contravention of Section 14 of Delhi Development Act or any other law for the time being in force.

3. The purchaser shall comply with the building, drainage and other byelaws of the appropriate Municipal or other authorities for the time being in force.

4. The said plot is allotted on the basis of 'as is' and the purchaser cannot make any alteration/addition/encroachment/unauthorized construction in or

1164 97/2006-3

around the same without written permission of Vendor (DDA) who may refuse or grant the same subject to such terms and conditions as deems proper.

All fees, taxes, charges, assessments, Municipal or otherwise and other levies of whatsoever nature shall be born by the allottee/purchaser.

5. If it is discovered at any stage that the allotment or this deed has been obtained by suppression of any fact or by any misstatement, misrepresentation or fraud, then this deed shall become void at the option of the vendor, which shall have the right to cancel this deed and forfeit the consideration paid by the purchaser. The decision of the vendor in this regard shall be final and binding upon the purchaser and shall not be called in question in any proceedings.

6. That the purchaser shall abide by the terms and conditions of allotment/auction/tender, which shall be treated as a part of these presents.

7. That the vendor reserves the right to cancel this deed in event of breach of conditions of allotment/auction/tender and of this deed.

8. The stamp duty and registration charges upon this instrument shall be borne by the purchaser.

This transfer shall be deemed to have come into force with effect from the date of registration of the deed.

In _____ witness _____ where _____ of _____ Shri/Smt _____

For and on behalf of and by the order and direction of the Vendor has hereunto set his/her hand Shri/Smt / M/S _____ the purchaser, the hereunto set his/her hand day and year first above written.

THIS SCHEDULE ABOVE REFERRED TO

All that _____ in the layout plan of and consisting of _____ sq.mtrs (Courtyard Area _____) or thereabouts bounded as follows.

NORTH
EAST
SOUTH
WEST

Signed by Shri/Smt. _____

for and on behalf of and by the order and direction of the President of India (vendor)

(VENDOR)

In the presence of:

(1) Shri/Smt.....
.....

Signed by Shri/Smt.....
.....

(PURCHASER)

In the presence of:

(1) Shri/Smt.....
(2) Shri/Smt.....

[F. No. K-20013/4/2006/DDVA]

P. K. PRADHAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published vide number G.S.R 872, dated the 26th September, 1981 and subsequently amended vide number (1) G.S.R. 97, dated the 27th January, 1989, (2) G.S.R. 677 (E), dated the 11th November, 1991, (3) G.S.R. 486(E), dated the 5th July, 2002, (4) G.S.R. 806 (E), dated the 3rd December, 2002, and (5) G.S.R. 801 (E), dated the 9th December, 2004.

वि. वि. प्र. / संज्ञा एवं संग्रह विभाग
D.D.A. / PARLT. & CO-ORDN. BRANCH
घाबली सं. / DIARY No. 122-6
दिनांक / DATE 29/8/06

GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INDUSTRIES
UDYOG SADAN, PLOT NO. 419, FIE PATPARGANJ, DELHI-92.

No. F. 1 / CI / Policy / INSITU / Misc. / 2005 / 15 / 1665

Dated:- 24/08/06

Sub: Extra Ordinary Gazette Notification (NCTD No. 073) dated 30th June, 2006 regarding redevelopment of Jawahar Nagar area having Industrial Concentration.

Sir/Madam,

Please find enclosed a copy of the aforesaid Gazette Notification dated 30th June, 2006 published in the Part IV of Delhi Extraordinary Gazette, for information.

Yours faithfully,

(A.K. Madan)
53-08-06

(A.K. MADAN)

Deputy Commissioner of Industries (Policy)

Phone No. 22157017

End: As above.

1. Secretary to LG, Delhi Raj Niwas Marg, Delhi. (original copy)
2. Secretary to Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi. (original copy)
3. Secretary to Minister of Industries, Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi.
4. Secretary to Minister of Urban Development, A-Wing, Level-6, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002.
5. Pr. Secretary (Home), C-Wing, Level-5, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002.
6. Pr. Secretary (Urban Development), Government of NCT of Delhi, 9th Level, C-Wing, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002.
7. Pr. Secretary (Finance), Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002.
8. Pr. Secretary (Land & Building), Government of NCT of Delhi, "B" Block, Vikas Bhawan, New Delhi-110002.
9. Staff Officer to the Chief Secretary, Government of Delhi, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi.

Com (PK)
PC-Secy.
sh
24/8
Imp. keep all relevant records file
Office to

EM, PC, CLD, CMg,
CLM, CA etc

20/8/06 29/8

29/8/06
AD(P.C.)
AD(M.C.)

29/8/06
1/9

10. Secretary (Environment), Government of NCT of Delhi, 6th Level, C-Wing, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002..
11. The Secretary & Commissioner (Industries), Government of NCT of Delhi, Plot No. 419, Udyog Sadan, FIE Patparganj, Delhi.
12. Commissioner (Labour), Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi-110054.
13. Commissioner (Transport), Government of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi-110054.
14. Divisional Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi-110054..
- ✓ 15. Spl. Secretary (Power), Government of NCT of Delhi, 8th Level, B-Wing, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002.
- ✓ 16. The Vice Chairman, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
17. Ministry of Urban Development, Delhi Division, Nirman Bhawan, New Delhi.
18. Managing Director, Delhi State Industrial Development Corporation, N-Block, Bombay Life building, Connaught Place, New Delhi.
19. The Commissioner, MCD, Town Hall.
20. The Chief Planner, TCPO, Vikas Bhavan, ITO, New Delhi.
21. The Chairman, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
22. The Chairman, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-32.
23. The Member Secretary, Delhi Pollution Control Committee, 4th Floor, ISBT Building, Kashmere Gate, Delhi.
24. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, ITO, New Delhi.
25. CEO, Delhi Jal Board, Varunalaya, Phase-II, Karol Bagh, New Delhi-110005.
26. Chief Town Planner, MCD, Town Hall New Delhi-110005.
27. Member Secretary, NCR Planning Board, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi.
28. Chief Fire Officer, Delhi Fire Services Head Quarter, Connaught Place, New Delhi.
29. Police Commissioner, Delhi Police, IP Estate, New Delhi-110002.
30. President, Delhi Manufacturer Federation, 7/83 Arjun Gali, Vishwas Nagar, Delhi-32.

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]

दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2006/आषाढ़ 9, 1928

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 073

No. 108]

DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2006/ASADHA 9, 1928

[N.C.T.D. No. 073

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रमायुक्त कार्यालय

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जून, 2006

सं. फा. 01 (30)/70/एल.सी.-स्था./2001/161.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68-डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श के पश्चात्:-

- इसके साथ संलग्न अनुसूची में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के श्रमायुक्त कार्यालय में फैक्टरियों का रसायन निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं के विषय में नियम बनाते हैं, तथा
- समय-समय पर यथासंशोधित श्रम विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली की दिनांक 22-11-1988 की अधिसूचना संख्या फाईल 10(83)सी.आई.एफ./87/लैब./स्थापना द्वारा अधिसूचित दिल्ली सरकार के श्रमायुक्त कार्यालय में फैक्टरियों के रसायन निरीक्षक के पद के लिए भर्ती नियमों को निरस्त करते हैं।

अनुसूची

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के श्रम मंत्रालय में फैक्टरियों के रसायन निरीक्षक के पद के भर्ती के नियम

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फैक्टरियों का रसायन निरीक्षक	01* (2004) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अलिपिकीय	रु. 8000-275-13,500	लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों)

Part

(6)

के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)।
टीप: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।

क्या के.सि.से. पेंशन नियमावली 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है?	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)
नहीं	अनिवार्य :- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन इंजीनियरिंग या बी.टैक. (रसायन) की डिग्री या समकक्ष (ii) रसायन कार्यशाला या विनिर्माण संस्थान में 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव नोट:-1 अभ्यर्थी के अन्यथा सुयोग्य होने पर योग्यता संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय। 2. यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।	लागू नहीं होता	एक वर्ष

भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
---	--	---	---

(11)	(12)	(13)	(14)
प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) केन्द्र/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/सार्वजनिक उपक्रमों/विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा संस्थानों/स्वायत्त संस्थाओं/सांविधिक संस्थाओं के अधिकारियों से (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में 6500-10,500 रु. के वेतनमान या समकक्ष में नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित आधार पर सेवा; या (iii) मूल संवर्ग/विभाग में 5500-9000 रु. के वेतनमान या समकक्ष में नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित आधार पर सेवा; या (ख) कालम सं. 8 सीधी भर्ती के लिए उल्लिखित प्रकार की शैक्षिक योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले। [प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) भी सम्मिलित है। सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख/को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी]।	समूह "क" वि.प.स. (स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. मुख्य सचिव—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—अध्यक्ष 2. सचिव—संबंधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में संबंधित विभाग—सदस्य 3. संबंधित विभागाध्यक्ष, जब तक वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पदेन सचिव न हो—सदस्य	सीधी भर्ती के समय तथा किसी अधिकारी का प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के समय तथा इन भर्ती नियमों के किसी उपबंध में संशोधन/छूट देते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एस.एम. मजुमदार, सचिव (श्रम)

**OFFICE OF THE LABOUR COMMISSIONER
NOTIFICATION**

Delhi, the 30th June, 2006

No. F. 1/30/70/LC-Estt./2001/161.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 24/78/68-DH (S) dated 24th September, 1968, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, is please to:—

- (i) Make rules in the schedule hereto annexed regarding the method of recruitment and qualification necessary for the appointment to the post of Chemical Inspector of Factories in the Office of the Labour Commissioner, Government of NCT of Delhi; and

- (ii) to cancel the Recruitment Rules for the post of Chemical Inspector of Factories in the Office of the Labour Commissioner, Delhi Administration, Delhi, notified in the schedule to Labour Department, Delhi Administration, Delhi Notification No. F. 10 (83) CIF/87/Lab./Estt. dated 22-11-1988 as amended from time to time.

SCHEDULE

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF CHEMICAL INSPECTOR OF FACTORIES
IN THE LABOUR DEPARTMENT, GOVERNMENT OF NCT OF DELHI**

UPSC Ref: 3/24D(1)/2002-RR

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection or non-selection post	Age limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chemical Inspector of Factories	01* 2004 *Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	8000-275-13500	N.A.	Not exceeding 35 years. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladkh Division of J and K State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshdweep).
Whether benefits of added years of service admissible	Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
No	(i) Essential : Degree in Chemical Engineering/B. Tech. (chemical) from a recognized University or equivalent. (ii) Three years practical experience in a Chemical Workshop or a manufacturing concern.		N.A.	1 year	Deputation (including Short-term Contract) failing which by Direct Recruitment.

(8)

Note 1:—Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2:—The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

In case of recruitment by promotion/deputations/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made

If a DPC exists, what is its composition

Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

(14)

Deputation (including Short-term Contract) :

Officers under the Central/State Govts./UTs/Public Sector Undertakings/Central University/Educational/Research/Institutions/Autonomous/Statutory Organizations—

(a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department ; or
(ii) With five years service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500—10500 or equivalent in the parent cadre/department ; or

(iii) With eight years service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500—9000 or equivalent in the parent cadre/department ; and

(b) Possessing the Educational qualification prescribed for direct Recruits under Col. No. 08

[Period of Deputation (ISTC) including period of Deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by Deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on closing date of the receipt of applications.]

Group 'A' DPC (for considering confirmation) :

1. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi —Chairman
2. Secretary, Govt. of NCT of Delhi in the concerned Department —Member
3. Head of the Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Govt. of NCT of Delhi —Member

Consultation with UPSC necessary while making Direct Recruitment and appointing an Officer on Deputation. (ISTC) and for Amendment/Relaxation of any provision of these Recruitment Rules.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

S. M. MAZUMDAR, Secy. (Labour)

उद्योग विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जून, 2006

सं. फा. 01/सी. आई./नीति/इनसीटू./जवाहर नगर/2006/18/616.—यतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 741 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन किये हैं।

यतः उक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि जिन समूहों में निम्नलिखित तत्व हैं उन्हें पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है।

(क) यह सतत क्षेत्र कम से कम 4 हेक्टेयर हो, तथा

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों।

यतः डी एस आई डी सी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार एवं सीलमपुर उपमंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर जवाहर नगर स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआउट प्लान के अनुसार), जिसके आस पास क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जाएगा।

क. समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व : बलराज नगर

पश्चिम : टुण्डा नगर

उत्तर : राम विहार

दक्षिण : जौहरी पुरी

अतः, अब उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निर्माण इकाईयों की एतद्वारा उद्योग मालिकों की इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और यह सोसाइटी स्थानीय निकाय/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसको दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सांविधिक पर्यावरण तथा अन्य विभागों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी जिसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देनी होगी।

सभी निर्माण इकाईयों को, जिन्होंने उद्योग को पुनः स्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आबंटन का लाभ उठाया है उन्हें आबंटित प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बन्द किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लान के लिए निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास विभाग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संदर्भ के लिए संलग्न है।

एस. सी. पोद्दार, सचिव एवं आयुक्त (उद्योग)

अनुलग्नक ख

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2005

का. आ. 741(अ) —यतः दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियां/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केंद्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः, अब, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-
उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं. 125 (दिल्ली मास्टर प्लान, 2001) की बायीं तरफ (3) 'समयपुर बादली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र' के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है :-

'न्यूनतम 4 हेक्टे. सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर-नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों/डीडीए अथवा सोसायटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली), द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी बशर्ते पर्यावरण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हो।

(i) समूहों में कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधा पहुंचा जा सकेगा।

(ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन, सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रखरखाव के लिए सोसाइटी द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।

(iii) केवल अनुमेय उद्योगों, जिन्हें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमति दी जायेगी।

(iv) ग्राउंड फ्लोर एरिया पर ही औद्योगिक कार्यकलापों की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा फ्लैट उद्योगों के लिए प्लॉटों के और विभाजन अथवा एकीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) सभी इकाइयों के डीपीसीसी तथा स्थानीय निकायों सहित कानूनी अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाइयों के बिजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।

(vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

* न्यूनतम 10% क्षेत्र परिभ्रमण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।

* 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध-पारगम्य सतह।

* 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए सांझा पार्किंग उपलब्ध करायी जानी है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु बिना चारदिवारी के फ्रन्ट सेट बेक (न्यूनतम 3 मी.) उपलब्ध कराया जायेगा।

* सीईटीपी, सब-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

* निम्नलिखित को तैयार करना :-

(क) पम्पिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण/वर्षा जल संग्रहण करने की जरूरतों सहित दिल्ली जल बोर्ड/केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षानुसार) से जल आपूर्ति के लिए योजना।

(ख) मानदण्डों के अनुसार जल निकासी योजना।

(vii) पाकौ/ग्रीन बफर के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जायेगा।

(viii) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।

भू-स्थितियों के आधार पर डीडीए की तकनीकी समिति मानकों में 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे :-

बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी तल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल,

दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट्स, निजी सहकारी समूह आवास सोसाइटियां; सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोजक आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियां पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रभार वसूलेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भूमि लागत में वृद्धि (जहाँ भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय

द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया (○)ना चाहिए। जो समूह यथा-निर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. के-13011/5/2000-डीडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th June, 2006

No. F-1/C. I./Policy/INSITU/Jawahar Nagar/2006/018/616.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, *vide* Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S. O. 741 (E) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India: Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi 2001;

And whereas the said notification provides that clusters that could be considered for re-development should have—

- (a) Minimum contiguous area of 4 Ha, and
- (b) More than 70% of the plots within the area (Industrial cluster) should be under manufacturing activity/use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-Divisional Magistrate Seelam Pur, the Industrial Cluster located at Jawahar Nagar (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May 2005.

A. Boundaries :

East : Balraj Nagar

West : Tunda Nagar

North : Ram Vihar.

South : Jauhari Puri

Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of re-development plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said Notification dated 31st May, 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to be undersigned.


All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the re-development scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development Notification dated the 31st May, 2005 referred to above is Annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.

S. C. PODDAR, Secy. and Commissioner (Industries)

JAWAHAR NAGAR


ANNEXURE-A



SHIV VIHAR

D. P. SINGH
Asst. Commr. Municipalities
(North-East)
New Delhi-110005

CLB
10/1/68
Sd/-
10/1/68
Sub Commr. Municipalities
New Delhi-110005



LEGENDS

MAN HOLE	●
TELEPHONE POLE	△
ELECTRIC POLE	⊕
TREE	○
RESIDENCE AREA	▨
INDUSTRIAL AREA	▤
RAILWAY LINE	—+—+—+—
COMMERCIAL AREA	▩
OPEN AREA	□
RESIDENCE AREA	▨
DRAIN	—+—+—+—

ANNEXURE-B
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(DELHI DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extraordinary Gazette Notification No. S. O. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations. The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The following shall be added after (3) 'Shamapur Badli—Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi-2001).

"Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha. contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions:

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.
- (ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan pollution control and environmental management development of services and parking and maintenance.

(iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.

(iv) Industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.

(v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.

(vi) Other stipulations shall include—

* Minimum 10% areas is to be reserved for circulation/roads/service lanes.

* Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.

* Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.

* Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.

* Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.

* Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-stations, Pump House, Fire Station, Police Post, etc. as per the norms.

* Preparation of:

(a) Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging/rainwater harvesting.

(b) Drainage plan as per norms.

(vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks/green buffer.

(viii) Other provisions/development control norms etc. shall be applicable as per provisions of MPD 2001.

Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%.

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme:—

Bungalow Zones (New Delhi and Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation and heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies,

Government flats/bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity.

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges of change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority,

Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance."

[No.K-13011/5/2000-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

Handwritten signature/initials

15.08.06 / 29.08.06
D.D. / PART. & COM. BRANCH
D.D. / DAILY No. 192-6
Date 29/8/06

GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INDUSTRIES
UDYOG SADAN, PLOT NO. 419, FIE PATPARGANJ, DELHI-92.

4156-Part
29/8/06

No.F.1/CI/Policy/INSITU/Misc./2005/15/1665

Dated:- 24/08/06

28 AUG 2006

R7220

Sub: Extra Ordinary Gazette Notification (NCTD No. 073) dated 30th June, 2006 regarding redevelopment of Jawahar Nagar area having Industrial Concentration.

Sir/Madam,

cc to
29/8

Please find enclosed a copy of the aforesaid Gazette Notification dated 30th June, 2006 published in the Part IV of Delhi Extraordinary Gazette, for information.

Yours faithfully,

A. K. Madan
53.08.06

(A.K. MADAN)

Deputy Commissioner of Industries (Policy)
Phone No. 22157017

650 AD/AC
29-8-06

1983-2A
2005

Com (PK)

Encl: As above.

PL-Secy:

sh

24/8

1. Secretary to LG, Delhi Raj Niwas Marg, Delhi. (original copy)
2. Secretary to Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi. (original copy)
3. Secretary to Minister of Industries, Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi.
4. Secretary to Minister of Urban Development, A-Wing, Level-6, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002.
5. Pr. Secretary (Home), C-Wing, Level-5, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002.
6. Pr. Secretary (Urban Development), Government of NCT of Delhi, 9th Level, C-Wing, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002.
7. Pr. Secretary (Finance), Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002.
8. Pr. Secretary (Land & Building), Government of NCT of Delhi, "B" Block, Vikas Bhawan, New Delhi-110002.
9. Staff Officer to the Chief Secretary, Government of Delhi, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi.

Imp. keep on relevant related file

Price to

6/10/06
EM, PC, C2D, C.Mg, CLM, CAO etc.

20/8/06

29/8/06
AD(P&C)
AO(P&C)

29/8/06
1/9

6/12/06
for copy

10. Secretary (Environment), Government of NCT of Delhi, 6th Level, C-Wing, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002..
11. The Secretary & Commissioner (Industries), Government of NCT of Delhi, Plot No. 419, Udyog Sadan, FIE Patparganj, Delhi.
12. Commissioner (Labour), Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi-110054.
13. Commissioner (Transport), Government of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi-110054.
14. Divisional Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi-110054..
15. Spl. Secretary (Power), Government of NCT of Delhi, 8th Level, B-Wing, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002.
16. The Vice Chairman, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
17. Ministry of Urban Development, Delhi Division, Nirman Bhawan, New Delhi.
18. Managing Director, Delhi State Industrial Development Corporation, N-Block, Bombay Life building, Connaught Place, New Delhi.
19. The Commissioner, MCD, Town Hall.
20. The Chief Planner, TCPO, Vikas Bhavan, ITO, New Delhi.
21. The Chairman, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
22. The Chairman, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-32.
23. The Member Secretary, Delhi Pollution Control Committee, 4th Floor, ISBT Building, Kashmere Gate, Delhi.
24. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, ITO, New Delhi.
25. CEO, Delhi Jal Board, Varunalaya, Phase-II, Karol Bagh, New Delhi-110005.
26. Chief Town Planner, MCD, Town Hall New Delhi-110005.
27. Member Secretary, NCR Planning Board, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi.
28. Chief Fire Officer, Delhi Fire Services Head Quarter, Connaught Place, New Delhi.
29. Police Commissioner, Delhi Police, IP Estate, New Delhi-110002.
30. President, Delhi Manufacturer Federation, 7/83 Arjun Gali, Vishwas Nagar, Delhi-32.

उद्योग विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जून, 2006

सं. फा. 01/सी. आई./नीति/इनसीटू/जवाहर नगर/2006/18/616.—यतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 741 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन किये हैं।

यतः उक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि जिन समूहों में निम्नलिखित तत्व हैं उन्हें पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है।

(क) यह सतत क्षेत्र कम से कम 4 हेक्टेयर हो, तथा

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों।

यतः डी एस आई डी सी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार एवं सीलमपुर उपमंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर जवाहर नगर स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआउट प्लान के अनुसार), जिसके आस पास क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जाएगा।

क. समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व : बलराज नगर

पश्चिम : टुण्डा नगर

उत्तर : राम विहार

दक्षिण : जौहरी पुरी


अतः, अब उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निर्माण इकाईयों की एतद्द्वारा उद्योग मालिकों की इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और यह सोसाइटी स्थानीय निकाय/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसको दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सांविधिक पर्यावरण तथा अन्य विभागों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी जिसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देनी होगी।

सभी निर्माण इकाईयों को, जिन्होंने उद्योग को पुनःस्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आर्बटन का लाभ उठाया है उन्हें आर्बटित प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बन्द किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लान के लिए निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास विभाग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संदर्भ के लिए संलग्न है।

एस. सी. पोद्दार, सचिव एवं आयुक्त (उद्योग)

अनुसन्धक क



अनुलग्नक ख
शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2005

का. आ. 741(अ) — यतः दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियां/सुझाव उक्त सूचना की नार्गख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केंद्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः, अब, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-
उपांतरण

दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं. 125 (दिल्ली मास्टर प्लान, 2001) की बायीं तरफ (3) 'समयपुर बादली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र' के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है :-

'न्यूनतम 4 हेक्टे. सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर-नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों/डीडीए अथवा सोसायटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली), द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी बशर्ते पर्यावरण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हो।

(i) समूहों में कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधा पहुंचा जा सकेगा।

(ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन, सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रखरखाव के लिए सोसाइटी द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।

(iii) केवल अनुमंय उद्योगों, जिन्हें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमति दी जायेगी।

(iv) ग्राउंड फ्लोर एरिया पर ही औद्योगिक कार्यकलापों की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा प्लैट उद्योगों के लिए प्लॉटों के और विभाजन अथवा एकीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) सभी इकाइयों के डीपीसीसी तथा स्थानीय निकायों सहित कानूनी अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाइयों के बिजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।

(vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

* न्यूनतम 10% क्षेत्र परिभ्रमण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।

* 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध-पारगम्य सतह।

* 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए सांझा पार्किंग उपलब्ध कराया जाना है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु बिना चारदिवारी के फ्रन्ट सेट बेक (न्यूनतम 3 मी.) उपलब्ध कराया जायेगा।

* सीईटीपी, सब-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

* निम्नलिखित को तैयार करना :-

(क) पम्पिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण/वर्षा जल संग्रहण करने की जरूरतों सहित दिल्ली जल बोर्ड/केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षानुसार) से जल आपूर्ति के लिए योजना।

(ख) मानदण्डों के अनुसार जल निकासी योजना।

(vii) पाकों/ग्रीन बफर के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जायेगा।

(viii) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।

भू-स्थितियों के आधार पर डीडीए की तकनीकी समिति मानकों में 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे :-

बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी तल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल,

दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट्स, निजी सहकारी समूह आवास सोसाइटियां; सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोजक आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र ।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा । यदि एजेंसियां पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रभार वसूलेंगी । भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भूमि लागत में वृद्धि (जहाँ भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा ।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय

द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा । जो समूह यथा-निर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे । ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे । इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा ।

[सं. के-13011/5/2000-डीडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th June, 2006

No. F-1/C. I./Policy/INSITU/Jawahar Nagar/2006/018/616.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, *vide* Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S. O. 741 (E) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India: Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi 2001;

And whereas the said notification provides that clusters that could be considered for re-development should have—

(a) Minimum contiguous area of 4 Ha, and

(b) More than 70% of the plots within the area (Industrial cluster) should be under manufacturing activity/use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-Divisional Magistrate Seelam Pur, the Industrial Cluster located at Jawahar Nagar (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May 2005.

A. Boundaries :

East : Balraj Nagar

West : Tunda Nagar

North : Ram Vihar.

South : Jauhari Puri


Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of re-development plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said Notification dated 31st May, 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to be undersigned.

All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the re-development scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development Notification dated the 31st May, 2005 referred to above is Annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.

S. C. PODDAR, Secy. and Commissioner (Industries)

ANNEXURE-A



ANNEXURE-B
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(DELHI DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extraordinary Gazette Notification No. S. O. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations. The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The following shall be added after (3) 'Shamapur Badli—Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi-2001).

"Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha. contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions:

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.
- (ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan pollution control and environmental management development of services and parking and maintenance.

(iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.

(iv) Industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.

(v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.

(vi) Other stipulations shall include—

- * Minimum 10% areas is to be reserved for circulation/roads/service lanes.
- * Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.
- * Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.
- * Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.
- * Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.
- * Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-stations, Pump House, Fire Station, Police Post, etc. as per the norms.
- * Preparation of:
 - (a) Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging/rainwater harvesting.
 - (b) Drainage plan as per norms.
- (vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks/green buffer.
- (viii) Other provisions/development control norms etc. shall be applicable as per provisions of MPD 2001.

Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%.

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme:—

Bungalow Zones (New Delhi and Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation and heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies,

Government flats/bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity.

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges of change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority,

Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance."

[No. K-13011/5/2000-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

No. K- 13011/9/2006-DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division IB)

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 3 Oct. 2006.

Subject: Extraordinary Gazette Notification regarding Development Control
Norms for residential plotted development.

A copy of Notifications dated 022.9.06 published in the Gazette of India
Extraordinary on the subject cited above are sent herewith for information and
necessary action.

668/AD/ME
6/X/06
488-6-106
4/X/06

S. Mukherjee
(S. Mukherjee)

Under Secretary to the Government of India
Telfax. No. 23061681

Copy to:

1. The Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
2. The Director General, CPWD (Works), Nirman Bhawan, N. Delhi.
3. The Chairperson, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
4. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
5. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi.
6. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, ITO, New Delhi.
7. The Principal Secretary, (UD), Government of NCT Delhi, O Wing, Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi.
8. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.

PC-secy

Com(1/3)

(Separate Copies)

Sh
Copies to
all members

DD (PC) 6/10
AD (MC)

✓ Commr. (1/9)

✓ Commr. (L.M.)

Commr. (L.D.)

Commr. (Housing)

C. Engr. (Head Qtr.)

✓ Chief Architect

Director (Works)

offic copy

III
I #
I #
9-100

09/10/06



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1115]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2006/भाद्र 31, 1928

No. 1115]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2006/BHADRA 31, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2006

का.आ. 1591(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव था उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 21 जुलाई, 2006 के सं. का.आ. 1160(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) के तहत यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

- यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संगत नियमों के तहत विधिवत गठित जांच बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और प्राधिकरण ने उक्त बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में, उक्त सार्वजनिक सूचना में यथा उल्लिखित संशोधन की, कुछ परिवर्तनों के साथ सिफारिश की है;
- और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी संगत पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2001 को संशोधित करने का निर्णय लिया है ;
- अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन:

दिनांक 23 जुलाई, 1998 के भारत की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा यथा संशोधित दिनांक 1 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र के अंग्रेजी पाठ के पृष्ठ 159 पर (दायीं तरफ), दिनांक 23 जुलाई, 1998 की उक्त अधिसूचना में निर्धारित मानदण्डों के संशोधन में रिहायशी भूखण्ड विकास(001) के संबंध में निम्नलिखित विकास मानदण्डों को प्रतिस्थापित किया जाएगा और ये निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन होंगे :-

रिहायशी भूखण्ड विकास(001)

क्र०सं०	भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्ग मीटर) (1)	अधिकतम भूमि कवरेज %	अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)	अधिकतम ऊँचाई मीटर में
1	32 से कम	90(2)	350	15
2	32 से अधिक 50 तक	90(2)	350	15
3	50 से अधिक 100 तक	90(2)	350	15
4	100 से अधिक 250 तक	75(3)	300(3)	15
5	250 से अधिक 500 तक	75	225	15
6	500 से अधिक 1000 तक	50	150	15
7	1000 से अधिक 1500 तक	40	120	15
8	1500 से अधिक 2250 तक	40	120	15
9	2250 से अधिक 3000 तक	40	120	15
10	3000 से अधिक 3750 तक	40	120	15
11	3750 से अधिक	40	120	15

नोट:

- क्षेत्र को वर्ग गज से वर्ग मीटर में परिवर्तित करने से उत्पन्न भूखण्ड आकार में 2% तक की विभिन्नता की अनदेखी करने तथा नीचे दिए गए पैरा (ii) के अनुसार भूखण्ड आकार की निम्नतर श्रेणी के लिए लागू मानदण्डों की अनुमति प्रदान करने हेतु संबंधित स्थानीय निकाय सक्षम होगा।
- इस अधिसूचना में दिए गए प्रभारों का भुगतान करने पर इस अधिसूचना की तारीख को पहले से यथा मौजूद निर्माण के नियमितिकरण के लिए 100% भूमि कवरेज किया जा सकता है।
- 100 से 175 वर्ग मीटर तक के आकार के भूखण्ड के संबंध में इस अधिसूचना में दिये गए प्रभारों का भुगतान करने पर इस अधिसूचना की तारीख को यथा मौजूद निर्माण के नियमितिकरण के लिए 100 प्रतिशत तल कवरेज और 350 तल क्षेत्र अनुपात पात्र होगा।

शर्तें और निबंधन

- (i) जब तक स्थानीय निकाय द्वारा अवस्थापना और सेवाओं को बढ़ाया नहीं जाता तथा क्षेत्र की ले-आउट योजना और सेवा योजना का तदनुसार उन्नयन नहीं किया जाता, तब तक दिनांक 15 मई, 1995 की अधिसूचना के अन्तर्गत अनुमेय रिहायशी इकाइयों से अधिक किसी अतिरिक्त रिहायशी इकाई की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसलिए, आवेदक, भूखण्ड स्वामी/आवंटी को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि दिनांक 15 मई, 1995 की अधिसूचना के तहत अनुमेय रिहायशी इकाई से अधिक कोई अतिरिक्त रिहायशी इकाई सृजित नहीं की गई है अथवा सृजित की जानी है।
- (ii) किसी श्रेणी के किसी भी भूखंड में अनुमेय कुल कवरेज तथा तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) अगली निम्नतर श्रेणी में सबसे बड़े भूखंड के लिए अनुमेय और उपलब्ध, कवरेज तथा तल क्षेत्र अनुपात से कम नहीं होगा।
- (iii) भूखंडों का उप विभाजन अनुमत्य नहीं है। तथापि, यदि एक रिहायशी भूखंड में एकसे अधिक भवन हैं तो निर्मित क्षेत्र तथा सभी ऐसे भवनों के तल कवरेज का योग उस भूखंड में निर्मित क्षेत्र तथा अनुमत्य तल कवरेज से अधिक नहीं होगा।
- (iv) मेजनीन तल तथा सर्विस तल, यदि निर्मित किया गया हो तो उसे तल क्षेत्र अनुपात में गिना जाएगा।
- (v) भूखंड विकास के मामले में यदि बेसमेंट का निर्माण किया गया है तो वह तल क्षेत्र अनुपात में शामिल नहीं होगा। बेसमेंट क्षेत्रफल यथा अनुमत्य और स्वीकृत निर्मित क्षेत्र के अनुसार भूतल पर कवरेज से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा लेकिन आंतरिक आंगन (कोर्टयार्ड) तथा शाफ्ट के नीचे के क्षेत्र तक बढ़ाया जा सकता है।
- (vi) रिहायशी भूखंड के भीतर पार्किंग स्थल निम्नलिखित अनुसार मुहैया कराया जाएगा:-
 - क. 250 से 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में 2 समतुल्य कार स्थान (ईसीएस)
 - ख. 300 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों में प्रति 100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के लिए एक समतुल्य कार स्थान (ईसीएस)

बशर्ते कि यदि किसी भूखंड में उपर्युक्त पार्किंग मानदंडों के अनुसार अनुमेय कवरेज और तल क्षेत्र अनुपात नहीं है तो पूर्ववर्ती श्रेणी के पार्किंग मानदंड अनुमत्य होंगे।
- (vii) यदि पार्किंग के लिए प्रयुक्त गैर-निवास योग्य ऊंचाई (2.4 मीटर से कम) के स्टिल्ट क्षेत्र के साथ भवन निर्मित किया गया है तो ऐसे स्टिल्ट क्षेत्र को तल क्षेत्र अनुपात में शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि भवन की ऊंचाई के लिए गिना जाएगा।

- (viii) जब तक अन्यथा निर्धारित न किया जाए तब तक न्यूनतम सैटबैक निम्नलिखित सारणी में दिए अनुसार होगा:-

क्र. सं.	भूखंड का आकार (वर्ग मीटर में)	न्यूनतम सैटबैक (मीटर में)			
		सामने	पृष्ठ	साइड (1)	साइड (2)
1	100 से कम	0	0	0	0
2	100 से अधिक 250 तक	3	0	0	0
3	250 से अधिक 500 तक	3	3	3	0
4	500 से अधिक 2000 तक	6	3	3	3
5	2000 से अधिक 10000 तक	9	6	6	6
6	10000 से अधिक	15	9	9	9

- (क) यदि भूखंड में अनुमेय कवरेज उपर्युक्त सैटबैक के साथ नहीं की जाती है तो पूर्ववर्ती श्रेणी के सैटबैक की अनुमति होगी।
- (ख) भविष्य में निर्माण के मामले में 50 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय भूखंड में कम से कम 2 मीटर x 2 मीटर खुले आंगन की व्यवस्था की जाएगी।
- (ix) जो भूखंड स्वामी/आवंटी 23 जुलाई, 1998 की राजपत्र अधिसूचना के अलावा उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त कवरेज, अतिरिक्त फ्लोर अथवा उसका एक भाग बनाना चाहते हैं, उनसे सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अधिसूचित दरों पर सुधार प्रभार (अथवा अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात प्रभार) लिया जाएगा। यह प्रभार दिनांक 23 जुलाई, 1998 की अधिसूचना द्वारा अनुमेय से अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात और दिनांक 15 मई 1995 की अधिसूचना द्वारा अनुमेय अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात के लिए देय प्रभार से अलग होगा।
- (X) जो भूखंड स्वामी /आवंटी इस अधिसूचना के अंतर्गत अनुमेय अतिरिक्त कवरेज के संबंध में निर्माण नियमित कराना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त पैरा (ix) में उल्लिखित सुधार प्रभार के अलावा अर्थदण्ड और सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित प्रशमनकारी (कम्पाउंडिंग) प्रभार का भुगतान करना होगा।
- (xi) जो भूखंड स्वामी /आवंटी इस अधिसूचना के संबंध में अतिरिक्त ऊंचाई नियमित कराना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त पैरा (x) में उल्लिखित सुधार प्रभार के अलावा सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित अर्थदण्ड और विशेष प्रशमनकारी (कम्पाउंडिंग) प्रभारों का भुगतान करना होगा।

- (xii) इस प्रकार से प्राप्त राशि संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा एक एस्क्रो एकाउंट में जमा कराई जाएगी जिसे पार्किंग स्थलों के विकास, सुविधाओं/अवस्थापना को बढ़ाने तथा पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा और इस खाते के आय-व्यय का तिमाही विवरण स्थानीय निकायों द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (xiii) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को नियमित नहीं किया जाएगा और स्थानीय निकाय द्वारा अतिरिक्त निर्माण/ऊँचाई के नियमितीकरण के लिए स्वीकृति देने से पहले अतिक्रमण हटाया जाएगा।
- (xiv) अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात तथा/अथवा ऊँचाई की स्वीकृति अथवा उसे नियमित कराने के इच्छुक प्रत्येक आवेदक को संरचना इंजीनियर से संरचना सुरक्षा का प्रमाणपत्र लेना होगा। यदि इस प्रकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता अथवा अन्यथा भवन को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित पाया जाता है तो संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा भवन स्वामी को एक औपचारिक नोटिस दिया जाएगा कि वे एक उचित निर्धारित अवधि में संरचना की कमियों को सुधार लें अन्यथा संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया जाएगा और इसे भवन स्वामी अथवा स्थानीय निकाय द्वारा गिरा दिया जाएगा।

[सं. के-13011/9/2006-डीडी आईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2006

S.O. 1591(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001, were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 1160(E), dated 21st July, 2006 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections and suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

2. Whereas the objections and suggestions received with regard to the proposed modifications were considered by a Board of Enquiry duly constituted by Delhi Development Authority under the relevant rules, and the Authority, after having considered the report of the Board, has recommended the modification of the Master Plan 2001, as envisaged in the said public notice, with certain changes;

3. And whereas, the Central Government has, after carefully considering all relevant aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2001;

299761/06-2

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi- 2001 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

On page 159 (RHS) of the Gazette of India dated 1st August 1990, as modified vide Gazette of India Notification dated 23rd July 1998, the following development control norms shall be substituted in respect of Residential Plotted Development (001) in modification of norms laid down in the said Notification dated 23rd July 1998, and subject to the terms and conditions given below:-

Residential Plotted Development (001)

Sl. No.	Area of the plot (sqm) ⁽¹⁾	Maximum ground coverage %	Maximum FAR	Maximum height in metres
1	Below 32	90 ⁽²⁾	350	15
2	Above 32 to 50	90 (2)	350	15
3	Above 50 to 100	90 (2)	350	15
4	Above 100 to 250	75 (3)	300 (3)	15
5	Above 250 to 500	75	225	15
6	Above 500 to 1000	50	150	15
7	Above 1000 to 1500	40	120	15
8	Above 1500 to 2250	40	120	15
9	Above 2250 to 3000	40	120	15
10	Above 3000 to 3750	40	120	15
11	Above 3750	40	120	15

Note:

1. The local body concerned shall be competent to disregard variation of upto 2% in plot size, arising from conversion of area from sq.yard to sqm and to grant the norms applicable to the lower category of plot size in accordance to para (ii) below.
2. 100 % ground coverage shall be eligible for regularization of construction, already existing as on the date of this notification on payment of charges as given in this notification.
3. 100 % ground coverage and 350 FAR shall be eligible for regularization of construction already existing as on the date of this

GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INDUSTRIES
UDYOG SADAN, PLOT NO. 419, FIE PATPARGANJ, DELHI-92.

NO.F.1./CI/Policy/INSITU/Misc./2005/15/1665

Dated:- 24/08/06

Sub: Extra Ordinary Gazette Notification (NCTD No. 073) dated 30th June, 2006 regarding redevelopment of Jawahar Nagar area having Industrial Concentration.

Sir/Madam,

Please find enclosed a copy of the aforesaid Gazette Notification dated 30th June, 2006 published in the Part IV of Delhi Extraordinary Gazette, for information.

Yours faithfully,

(A.K. Madan)
53.08.06

(A.K. MADAN)
Deputy Commissioner of Industries (Policy)
Phone No. 22157017

Com (PK) End: As above.

PL-Secy:

1. Secretary to LG, Delhi Raj Niwas Marg, Delhi. (original copy)
2. Secretary to Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi. (original copy)
3. Secretary to Minister of Industries, Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi.
4. Secretary to Minister of Urban Development, A-Wing, Level-6, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002.
5. Pr. Secretary (Home), C-Wing, Level-5, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002.
6. Pr. Secretary (Urban Development), Government of NCT of Delhi, 9th Level, C-Wing, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002.
7. Pr. Secretary (Finance), Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002.
8. Pr. Secretary (Land & Building), Government of NCT of Delhi, "B" Block, Vikas Bhawan, New Delhi-110002.
9. Staff Officer to the Chief Secretary, Government of Delhi, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi.

Imp. keep on relevant
related file
Office to

EM, PC, CLD, CMG,
CLM, CA etc.

20/8/06 29/8

29/8/06

AD(P&C) 29/8/06
AD(P&C)

20/8/06
1/3

10. Secretary (Environment), Government of NCT of Delhi, 6th Level, C-Wing, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002..
11. The Secretary & Commissioner (Industries), Government of NCT of Delhi, Plot No. 419, Udyog Sadan, FIE Patparganj, Delhi.
12. Commissioner (Labour), Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi-110054.
13. Commissioner (Transport), Government of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi-110054.
14. Divisional Commissioner, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi-110054..
- ✓ 15. Spl. Secretary (Power), Government of NCT of Delhi, 8th Level, B-Wing, Delhi Sectt., IP Estate, New Delhi-110002.
- ✓ 16. The Vice Chairman, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
17. Ministry of Urban Development, Delhi Division, Nirman Bhawan, New Delhi.
18. Managing Director, Delhi State Industrial Development Corporation, N-Block, Bombay Life building, Connaught Place, New Delhi.
19. The Commissioner, MCD, Town Hall.
20. The Chief Planner, TCPO, Vikas Bhavan, ITO, New Delhi.
21. The Chairman, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
22. The Chairman, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-32.
23. The Member Secretary, Delhi Pollution Control Committee, 4th Floor, ISBT Building, Kashmere Gate, Delhi.
24. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, ITO, New Delhi.
25. CEO, Delhi Jal Board, Varunalaya, Phase-II, Karol Bagh, New Delhi-110005.
26. Chief Town Planner, MCD, Town Hall New Delhi-110005.
27. Member Secretary, NCR Planning Board, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi.
28. Chief Fire Officer, Delhi Fire Services Head Quarter, Connaught Place, New Delhi.
29. Police Commissioner, Delhi Police, IP Estate, New Delhi-110002.
30. President, Delhi Manufacturer Federation, 7/83 Arjun Gali, Vishwas Nagar, Delhi-32.

उद्योग विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 जून, 2006

सं. फा. 01/सी. आई./नीति/इनसीटू/जवाहर नगर/2006/18/616.—यतः दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 741 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में संशोधन किये हैं।

यतः उक्त अधिसूचना में प्रावधान है कि जिन समूहों में निम्नलिखित तत्व हैं उन्हें पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है।

(क) यह सतत क्षेत्र कम से कम 4 हेक्टेयर हो, तथा

(ख) इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों।

यतः डी एस आई डी सी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार एवं सीलमपुर उपमंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करने पर जवाहर नगर स्थित औद्योगिक समूह (अनुलग्नक-क पर संलग्न लेआऊट प्लान के अनुसार), जिसके आस पास क्षेत्र निम्न रूप से है, का दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार पुनर्विकास हेतु विचार किया जाएगा।

क. समीपवर्ती क्षेत्र

पूर्व : बलराज नगर

पश्चिम : टुण्डा नगर

उत्तर : राम विहार

दक्षिण : जौहरी पुरी

अतः, अब उक्त क्षेत्र (औद्योगिक समूह) में आने वाली निर्माण इकाईयों की एतद्द्वारा उद्योग मालिकों की इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर सोसाइटी बनानी है और यह सोसाइटी स्थानीय निकाय/डी डी ए के अनुमोदन हेतु पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जिसको दिनांक 31 मई, 2005 की उक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुसार सांविधिक पर्यावरण तथा अन्य विभागों से अनुमति 180 दिन के भीतर प्राप्त करनी होगी जिसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देनी होगी।


सभी निर्माण इकाईयों को, जिन्होंने उद्योग को पुनःस्थापित करने की योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्लॉट के किसी आर्बटन का लाभ उठाया है उन्हें आर्बटन प्लॉट वापस लौटाना होगा। जिसके न होने पर उक्त औद्योगिक समूह की निर्माण इकाई को बन्द किया जा सकता है और इकाई के बंद होने पर जो प्लॉट उपलब्ध होगा उसे पुनर्विकास योजना के अंतर्गत उस प्लान के लिए निश्चित किये गये प्रयोग हेतु रखा जायेगा और दिल्ली सरकार द्वारा उसका विक्रय भी किया जा सकेगा।

शहरी विकास विभाग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 31 मई, 2005 की उपरोक्त अधिसूचना की प्रति अनुलग्नक-ख के रूप में संदर्भ के लिए संलग्न है।

एस. सी. पोद्दार, सचिव एवं आयुक्त (उद्योग)

JAWAHAR NAGAR

अनुलग्नक २६



SHIV VIHAR

G. P. SINGH
Asst. Dir. Municipal
(North-East)
Municipal Engineering

1/10/53
Sd/-
G. P. SINGH
Asst. Dir. Municipal
(North-East)
Municipal Engineering

RESIDENCE
(JAUHARI PURI)RESIDENCE
(JAUHARI PURI)RESIDENCE
(JAUHARI PURI)RESIDENCE
(JAUHARI PURI)

KHAJAN NAGAR

RESIDENCE
TUNDANAGARRESIDENCE
JAGDAMBA COLONYRESIDENCE
JAGDAMBA COLONYRESIDENCE
JAGDAMBA COLONY

RESIDENCE

RAM VIHAR

RESIDENCE
JAWAHAR NAGAR
U.P.RESIDENCE
JAWAHAR NAGAR
U.P.RESIDENCE
JAWAHAR NAGAR
U.P.BALRAJ NAGAR
U.P.RANVEER NAGAR
U.P.RESIDENCE
(INDRAPUR)
U.P.**LEGEND**

MAN HOLE	●
TELEPHONE POLE	△
ELECTRIC POLE	⊕
TREE	○
RESIDENCE AREA	—
INDUSTRIAL AREA	—
RAILWAY LINE	—
COMMERCIAL AREA	—
OPEN AREA	—
RESIDENCE AREA	—

अनुलग्नक ख
शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2005

का. आ. 741(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 4 नवंबर, 2004 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 1246(अ) द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप में प्रकाशित किए गए थे और उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित आपत्तियां/सुझाव उक्त सूचना की तारीख से 30 दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के बारे में 710 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे और इन आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु आयुक्त (आयोजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। केन्द्र सरकार ने समिति की सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

3. अतः, अब, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपांतरण
दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ सं. 125 (दिल्ली मास्टर प्लान, 2001) की बायीं तरफ (3) 'समयपुर बादली-विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र' के बाद निम्नलिखित को जोड़ने का प्रस्ताव है :—

'न्यूनतम 4 हेक्टे. सतत क्षेत्र वाले औद्योगिक संकेन्द्रण वाले ऐसे गैर-नियोजित समूहों, जिनमें 70% से अधिक प्लॉट निर्माण गतिविधि/उपयोग वाले हों, उन पर सर्वेक्षण के आधार पर तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकायों/डीडीए अथवा सोसायटी (स्वामियों द्वारा बनाई जाने वाली), द्वारा दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से बनाई जाएगी बशर्ते पर्यावरण तथा अन्य सक्षम एजेंसियों की कानूनी मंजूरी ली गई हो और वह निम्नलिखित मानदण्डों/शर्तों पर आधारित हो।

(i) समूहों में कम से कम 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से सीधा पहुंचा जा सकेगा।

(ii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रबंधन, सेवाओं और पार्किंग का विकास तथा रखरखाव के लिए सोसाइटी द्वारा मदद करना अनिवार्य होगा।

(iii) केवल अनुमय उद्योगों, जिन्हें डीपीसीसी से स्वीकृति प्रदान की गई है, को ही अनुमति दी जायेगी।

(iv) ग्राउंड फ्लोर एरिया पर ही औद्योगिक कार्यकलापों की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक प्रयोजनों तथा फ्लैट उद्योगों के लिए प्लॉटों के और विभाजन अथवा एकीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(v) सभी इकाइयों के डीपीसीसी तथा स्थानीय निकायों सहित कानूनी अनुमोदन लेना होगा। औद्योगिक इकाइयों के बिजली के कनेक्शन भी अलग होंगे।

(vi) अन्य शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

* न्यूनतम 10% क्षेत्र परिभ्रमण/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित किया जाना है।

* 100 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के भूखण्डों में न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार होगा।

* पार्किंग तथा लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 10% अर्द्ध-पारगम्य सतह।

* 60 वर्ग मीटर से कम के भूखण्डों के लिए सांझा पार्किंग उपलब्ध करायी जानी है जबकि 60 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पार्किंग तथा लोडिंग और अनलोडिंग हेतु बिना चारदिवारी के फ्रन्ट सेट बेक (न्यूनतम 3 मी.) उपलब्ध कराया जायेगा।

* सीईटीपी, सब-स्टेशनों, पम्प हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी आदि जैसी अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए मानदण्डों के अनुसार कुल क्षेत्र का न्यूनतम 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है।

* निम्नलिखित को तैयार करना :—

(क) पम्पिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण/वर्षा जल संग्रहण करने की जरूरतों सहित दिल्ली जल बोर्ड/केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (अपेक्षानुसार) से जल आपूर्ति के लिए योजना।

(ख) मानदण्डों के अनुसार जल निकासी योजना।

(vii) पाकॉ/ग्रीन बफर के लिए समूह क्षेत्र का 8% क्षेत्र आरक्षित किया जायेगा।

(viii) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदण्ड इत्यादि दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे।

भू-स्थितियों के आधार पर डीडीए की तकनीकी समिति मानकों में 10 प्रतिशत तक की छूट दे सकती है।

निम्नलिखित क्षेत्र पुनर्विकास स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे :—

बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइन्स), रिज क्षेत्र, नदी तल (जोन ओ), जलाशयों, नहरों के पास के क्षेत्र, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण तथा हरिटेज क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित जंगल,

दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट्स, निजी सहकारी समूह आवास सोसाइटियां; सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोजक आवास आदि तथा उनके आसपास के क्षेत्र।

पुनर्विकास का कार्य सोसाइटियों द्वारा अपने खर्च पर अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यदि एजेंसियां पुनर्विकास कार्य का निष्पादन करती हैं तो वे अलग-अलग उद्योगों से सीधे प्रभार वसूलेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन करने, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भूमि लागत में वृद्धि (जहाँ भी लागू हो) संबंधी भुगतान संबंधित प्राधिकरण को किया जाना अपेक्षित होगा।

पुनर्विकास का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय

द्वारा इसके लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। जो समूह यथा-निर्दिष्ट अवधि में पुनर्विकास का कार्य पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्स्थापित होना होगा और गैर-नियोजित समूहों में चलाए जा रहे यूनिट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे मामलों में, लाइसेंस प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारियों से भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना औद्योगिक यूनिटों के लाइसेंस का नवीनीकरण/उन्हें लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भू-उपयोग संबंधी अनुमति प्राप्त किए बिना गैर नियोजित क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. के-13011/5/2000-डीडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th June, 2006

No. F-1/C. I/Policy/INSITU/Jawahar Nagar/2006/018/616.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957), has, *vide* Ministry of Urban Development (Delhi Division), Government of India's Notification S. O. 741 (E) dated the 31st May, 2005 published in the Gazette of India: Extraordinary made modification in the Master Plan for Delhi 2001;

And whereas the said notification provides that clusters that could be considered for re-development should have—

- (a) Minimum contiguous area of 4 Ha, and
- (b) More than 70% of the plots within the area (Industrial cluster) should be under manufacturing activity/use only;

And whereas on the basis of survey conducted by DSIDC and further verified by the Sub-Divisional Magistrate Seelam Pur, the Industrial Cluster located at Jawahar Nagar (layout plan enclosed as Annexure-A) and bounded as follows is to be considered for redevelopment in terms of the said notification dated 31st May 2005.

A. Boundaries :

East : Balraj Nagar

West : Tunda Nagar

North : Ram Vihar

South : Jauhari Puri

Now, therefore, the manufacturing units within the aforesaid area (industrial cluster) are hereby required to form the society of the industry owners within a period of 90 days from the date of issue of this notification and that such society shall take further steps for preparation of re-development plan for the approval of the local body/DDA subject to other statutory environment clearance and clearance from all others as per the terms and conditions of the said Notification dated 31st May, 2005 within a period of 180 days thereafter, under intimation to be undersigned.


All manufacturing units which have availed of any allotment of plot under the scheme of relocation of industries shall have to surrender such plots allotted to them failing which the manufacturing unit in the aforesaid cluster shall be liable for closure and the plot that would become available as a result of closure of the unit shall be put for such use that may be assigned to that plot under the re-development scheme and also disposal by the Government of NCT of Delhi.

A copy of Govt. of India, Ministry of Urban Development Notification dated the 31st May, 2005 referred to above is Annexed as Annexure-B to this notification for ready reference.

S. C. PODDAR, Secy. and Commissioner (Industries)

JAWAHAR NAGAR

ANNEXURE-A



SHIV VIHAR

DRAIN

G. P. SINGH
Sd/-
M. D. Singh
(M. D. Singh)
M. D. Singh

6/8
G. P. SINGH
Sd/-
M. D. Singh
(M. D. Singh)
M. D. Singh

RESIDENCE
(JAUHARI PURI)RESIDENCE
(JAUHARI PURI)RESIDENCE
(JAUHARI PURI)

KHAJAN NAGAR

RESIDENCE
(INDRAPUR)
U.P.BALRAJ NAGAR
U.P.RANVEER NAGAR
U.P.RESIDENCE
JAWAHAR NAGAR
U.P.RESIDENCE
JAWAHAR NAGAR
U.P.RESIDENCE
JAWAHAR NAGAR
U.P.RESIDENCE
JAGDAMBA COLONYRESIDENCE
JAGDAMBA COLONYRESIDENCE
JAGDAMBA COLONYRESIDENCE
TUNDANAGAR

RESIDENCE

RESIDENCE

LEGEND

MAN HOLE	⊙
TELEPHONE POLE	△
ELECTRIC POLE	⊕
TREE	⊙
RESIDENCE AREA	▨
INDUSTRIAL AREA	▨
RAILWAY LINE	—
COMMERCIAL AREA	▨
OPEN AREA	▨
RESIDENCE AREA	▨
DRAIN	—

ANNEXURE-B
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(DELHI DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 741(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 mentioned hereunder were published as Public Notice *vide* Extraordinary Gazette Notification No. S. O. 1246(E) on 4th November, 2004 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 710 objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and a Committee constituted under the Chairmanship of Commissioner (Planning), Delhi Development Authority to consider the objections and suggestions gave its recommendations. The Central Government have, after carefully considering the recommendations of the Committee, decided to modify the Master Plan for Delhi-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The following shall be added after (3) 'Shamapur Badli—Extensive Industrial Area' on left hand side of page-125 of Gazette of India (Extraordinary) dated 1-8-90 (Master Plan for Delhi-2001).

"Non-conforming clusters of industrial concentration of minimum 4 Ha. contiguous area, having more than 70% plots within cluster under manufacturing activity/use may be considered for redevelopment on the basis of surveys and issue of notification by the Industry Department of Government of National Capital Territory of Delhi. The redevelopment scheme shall be prepared by the concerned local bodies/DDA or by the society of the industries owners with the approval of MCD/DDA subject to statutory environmental clearance and clearance from other competent agencies and based on the following norms and conditions:

- (i) The cluster should have direct approach from a road of at least 18 mtrs. ROW.
- (ii) Formation of Society shall be mandatory to facilitate preparation of redevelopment plan pollution control and environmental management development of services and parking and maintenance.

(iii) Only permissible industries having clearance from DPCC shall be permitted.

(iv) Industrial activity shall be permitted only in the ground floor area. Further sub-division or amalgamation of the plots for industrial purposes and flatted industries shall not be permissible.

(v) All the units shall have to obtain the statutory clearances including clearances from DPCC and local bodies. The industrial units shall also have separate electrical connections.

(vi) Other stipulations shall include—

- * Minimum 10% areas is to be reserved for circulation/roads/service lanes.
- * Plots measuring less than 100 sqm. to have minimum 7.5 mtrs. ROW.
- * Plots measuring more than 100 sqm. to have minimum 9.0 mtrs. ROW.
- * Minimum 10% of semi-permeable surface in each plot for parking and loading/unloading areas.
- * Common parking to be provided for plots below 60 sqm., whereas for plots above 60 sqm. front set back (min. 3m) shall be provided without boundary wall for parking and loading and unloading.
- * Minimum 10% of total area to be reserved for infrastructure requirements like CETP, Sub-stations, Pump House, Fire Station, Police Post, etc. as per the norms.

* Preparation of:

- (a) Plan for water supply from DJB/Central Ground Water Authority (wherever required) along with requirement for pumping stations, storage tanks, ground water recharging/rainwater harvesting.
- (b) Drainage plan as per norms.
- (vii) 8% of the cluster area shall be reserved for parks/green buffer.
- (viii) Other provisions/development control norms etc. shall be applicable as per provisions of MPD 2001.

Depending upon ground conditions, the Technical Committee of DDA may relax the norms upto 10%.

The following areas shall not be eligible for redevelopment scheme:—

Bungalow Zones (New Delhi and Civil Lines), the Ridge, River Bed (Zone-O), areas along water bodies, canals, sensitive areas from security point of view, conservation and heritage areas, reserved/protected forests, DDA flats, private cooperative group housing societies,

Government flats/bungalows/Employer housing etc. and their immediate proximity:

The redevelopment work may be undertaken by the societies at their own cost or by the concerned agencies. In case the agencies take up the redevelopment work for execution they shall collect the charges from the individual industries themselves directly. Requisite charges of change of land use, enhanced FAR and land (wherever applicable) would be required to be paid to the concerned Authority.

The redevelopment shall be completed within the period specified by the Delhi Development Authority,

Local Bodies in this regard. Clusters which fail to complete the redevelopment proposals within the period specified as above, shall have to shift to other conforming industrial areas and the units functioning in non-conforming clusters shall have to close down. In such cases, the licensing authority will not renew/issue the licenses to industrial units without obtaining land use clearance from the competent authority. Further no new licenses will be issued in non-conforming areas, without obtaining land use clearance."

[No. K-13011/5/2000-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

20.5.00

notification on payment of charges as given in this notification, in respect plot size between 100 to 175 sqm..

Terms and conditions:

- (i) No additional dwelling unit beyond that permissible under notification dated 15th May 1995 shall be permitted, unless the infrastructure and services have been augmented by the local body and the lay-out plan and services plan of the area have been accordingly upgraded. The applicant plot owner/ allottee shall therefore have to give an undertaking to the effect that no additional dwelling unit has been or is sought to be created beyond that permissible vide notification dated 15th May 1995.
- (ii) The total coverage and FAR permissible in any plot in a category, shall not be less than that permissible and available to the largest plot in the next lower category.
- (iii) Subdivision of plots is not permitted. However, if there are more than one buildings in one residential plot, the sum of the built up area and ground coverage of all such buildings, shall not exceed the built up area and ground coverage permissible in that plot.
- (iv) The mezzanine floor and service floor, if constructed, shall be counted in the FAR.
- (v) Basement in case of plotted development, if constructed, shall not be included in FAR. Basement area shall not extend beyond the coverage on the ground floor as per permissible and sanctioned built up area, but may extend to the area below the internal courtyard and shaft.
- (vi) Parking space shall be provided for within the residential plot as follows:
 - a. 2 Equivalent Car Space (ECS) in plots of size 250-300 sqm;
 - b. 1 ECS for every 100 sqm built up area, in plots exceeding 300 sqmProvided that if the permissible coverage and FAR is not achieved with the above-mentioned parking norms in a plot, the parking norms of the preceding category shall be allowed.
- (vii) If the building is constructed with stilt area of non-habitable height (less than 2.4m), used for parking, such stilt area shall not be included in FAR but would be counted towards the height of the building.

299761/06-3

- (viii) The minimum setbacks shall be as given in the following table unless otherwise prescribed.

S.No.	Plot size (in sqm)	Minimum Setbacks (in metre)			
		Front	Rear	Side (1)	Side (2)
1	Below 100	0	0	0	0
2	Above 100 and upto 250	3	0	0	0
3	Above 250 and upto 500	3	3	3	0
4	Above 500 and upto 2000	6	3	3	3
5	Above 2000 and upto 10000	9	6	6	6
6	Above 10000	15	9	9	9

- a) In case the permissible coverage is not achieved with the above-mentioned setbacks in a plot, the setbacks of the preceding category may be allowed.
- b) In the case of construction in the future, a minimum 2m X 2m open courtyard shall be provided for in residential plots of area of 50sqm to 100 sqm.
- (ix) Plot owners/ allottees seeking extra coverage, additional floor or part thereof, over and above Gazette Notification dated 23rd July 1998, as per above mentioned norms, shall be charged betterment levy (or additional FAR charges) at the rates notified with the approval of the Government, from time to time. This is in addition to the levy payable on the additional FAR allowed vide notification dated 23rd July 1998 and over the FAR allowed vide notification dated 15th May 1995.
- (x) Plot owners/ allottees seeking regularization of construction in terms of the additional coverage allowed under this notification, shall have to pay a penalty and compounding charges notified with the approval of the Government, over and above the betterment levy referred to in para (ix) above.
- (xi) Plot owners / allottees seeking regularization of additional height in terms of this notification, will have to pay penalty and special compounding charges notified with the approval of the Government, in addition to betterment levy referred to in para (x).
- (xii) The amount so collected shall be deposited in an ESCROW ACCOUNT by the local body concerned for incurring expenditure for developing

parking sites, augmentation of amenities/ infrastructure and environmental improvement programmes and a quarterly statement of the income and expenditure of the Account shall be rendered by the local bodies to the Government.

- (xiii) Encroachment on public land shall not be regularized and shall be removed first before the local body grants sanction for regularization of additional construction/ height.
- (xiv) Every applicant seeking sanction or regularization of additional FAR and / or height shall submit a certificate of structural safety obtained from a structural engineer. Where such certificate is not submitted or the Building is otherwise found to be structurally unsafe, formal notice shall be given to the owner by the local body concerned, to rectify the structural weakness within a reasonable stipulated period, failing which the building shall be declared unsafe by the local body concerned and shall be demolished by the owner or the local body.

[No. K-13011/9/2006-DD IB]
S. MUKHERJEE, Under Secy.

No. K- 13011/9/2006-DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division IB)

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 3 Oct. 2006.

Subject: Extraordinary Gazette Notification regarding Development Control
Norms for residential plotted development.

A copy of Notifications dated 022.9.06 published in the Gazette of India
Extraordinary on the subject cited above are sent herewith for information and
necessary action.

668/AD/ME
6/X/06
488-6-106
4/X/06

S. Mukherjee

(S. Mukherjee)

Under Secretary to the Government of India
Telfax. No. 23061681

Copy to:

- ✓ 1. The Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
2. The Director General, CPWD (Works), Nirman Bhawan, N. Delhi.
3. The Chairperson, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
4. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
5. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi
Road, New Delhi.
6. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, ITO, New Delhi.
7. The Principal Secretary, (UD), Government of NCT Delhi, O Wing,
Delhi Secretariat, IP Estate, New Delhi.
8. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.

PC-secy

Com(1/5)

(Separate Copies)

Shr
Copies to
all members

DD (sec) le
6/10

16/10/06
AD (mc)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1115]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2006/भाद्र 31, 1928

No. 1115]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2006/BHADRA 31, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2006

का.आ. 1591(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव था उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 21 जुलाई, 2006 के सं. का.आ. 1160(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) के तहत यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

- यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संगत नियमों के तहत विधिवत गठित जांच बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और प्राधिकरण ने उक्त बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में, उक्त सार्वजनिक सूचना में यथा उल्लिखित संशोधन की, कुछ परिवर्तनों के साथ सिफारिश की है;
- और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी संगत पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2001 को संशोधित करने का निर्णय लिया है ;
- अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन:

दिनांक 23 जुलाई, 1998 के भारत की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा यथा संशोधित दिनांक 1 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र के अंग्रेजी पाठ के पृष्ठ 159 पर (दायीं तरफ), दिनांक 23 जुलाई, 1998 की उक्त अधिसूचना में निर्धारित मानदण्डों के संशोधन में रिहायशी भूखण्ड विकास(001) के संबंध में निम्नलिखित विकास मानदण्डों को प्रतिस्थपित किया जाएगा और ये निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन होंगे :-

रिहायशी भूखण्ड विकास(001)

क्र०सं०	भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्ग मीटर) (1)	अधिकतम भूमि कवरेज %	अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)	अधिकतम ऊँचाई मीटर में
1	32 से कम	90(2)	350	15
2	32 से अधिक 50 तक	90(2)	350	15
3	50 से अधिक 100 तक	90(2)	350	15
4	100 से अधिक 250 तक	75(3)	300(3)	15
5	250 से अधिक 500 तक	75	225	15
6	500 से अधिक 1000 तक	50	150	15
7	1000 से अधिक 1500 तक	40	120	15
8	1500 से अधिक 2250 तक	40	120	15
9	2250 से अधिक 3000 तक	40	120	15
10	3000 से अधिक 3750 तक	40	120	15
11	3750 से अधिक	40	120	15

नोट:

- क्षेत्र को वर्ग गज से वर्ग मीटर में परिवर्तित करने से उत्पन्न भूखण्ड आकार में 2% तक की विभिन्नता की अनदेखी करने तथा नीचे दिए गए पैरा (ii) के अनुसार भूखण्ड आकार की निम्नतर श्रेणी के लिए लागू मानदण्डों की अनुमति प्रदान करने हेतु संबंधित स्थानीय निकाय सक्षम होगा।
- इस अधिसूचना में दिए गए प्रभारों का भुगतान करने पर इस अधिसूचना की तारीख को पहले से यथा मौजूद निर्माण के नियमितिकरण के लिए 100% भूमि कवरेज किया जा सकता है।
- 100 से 175 वर्ग मीटर तक के आकार के भूखण्ड के संबंध में इस अधिसूचना में दिये गए प्रभारों का भुगतान करने पर इस अधिसूचना की तारीख को यथा मौजूद निर्माण के नियमितिकरण के लिए 100 प्रतिशत तल कवरेज और 350 तल क्षेत्र अनुपात पात्र होगा।

शर्तें और निबंधन

- (i) जब तक स्थानीय निकाय द्वारा अवस्थापना और सेवाओं को बढ़ाया नहीं जाता तथा क्षेत्र की ले-आउट योजना और सेवा योजना का तदनुसार उन्नयन नहीं किया जाता, तब तक दिनांक 15 मई, 1995 की अधिसूचना के अन्तर्गत अनुमेय रिहायशी इकाइयों से अधिक किसी अतिरिक्त रिहायशी इकाई की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसलिए, आवेदक, भूखण्ड स्वामी/आवंटी को इस आशय की वचनबद्धता देनी होगी कि दिनांक 15 मई, 1995 की अधिसूचना के तहत अनुमेय रिहायशी इकाई से अधिक कोई अतिरिक्त रिहायशी इकाई सृजित नहीं की गई है अथवा सृजित की जानी है।
- (ii) किसी श्रेणी के किसी भी भूखंड में अनुमेय कुल कवरेज तथा तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) अगली निम्नतर श्रेणी में सबसे बड़े भूखंड के लिए अनुमेय और उपलब्ध, कवरेज तथा तल क्षेत्र अनुपात से कम नहीं होगा।
- (iii) भूखंडों का उप विभाजन अनुमत्य नहीं है। तथापि, यदि एक रिहायशी भूखंड में एकसे अधिक भवन हैं तो निर्मित क्षेत्र तथा सभी ऐसे भवनों के तल कवरेज का योग उस भूखंड में निर्मित क्षेत्र तथा अनुमत्य तल कवरेज से अधिक नहीं होगा।
- (iv) मेजनीन तल तथा सर्विस तल, यदि निर्मित किया गया हो तो उसे तल क्षेत्र अनुपात में गिना जाएगा।
- (v) भूखंड विकास के मामले में यदि बेसमेंट का निर्माण किया गया है तो वह तल क्षेत्र अनुपात में शामिल नहीं होगा। बेसमेंट क्षेत्रफल यथा अनुमत्य और स्वीकृत निर्मित क्षेत्र के अनुसार भूतल पर कवरेज से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा लेकिन आंतरिक आंगन (कोर्टयार्ड) तथा शाफ्ट के नीचे के क्षेत्र तक बढ़ाया जा सकता है।
- (vi) रिहायशी भूखंड के भीतर पार्किंग स्थल निम्नलिखित अनुसार मुहैया कराया जाएगा:-
 क. 250 से 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में 2 समतुल्य कार स्थान (ईसीएस)
 ख. 300 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों में प्रति 100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के लिए एक समतुल्य कार स्थान (ईसीएस)
 बशर्ते कि यदि किसी भूखंड में उपर्युक्त पार्किंग मानदंडों के अनुसार अनुमेय कवरेज और तल क्षेत्र अनुपात नहीं है तो पूर्ववर्ती श्रेणी के पार्किंग मानदंड अनुमत्य होंगे।
- (vii) यदि पार्किंग के लिए प्रयुक्त गैर-निवास योग्य ऊंचाई (2.4 मीटर से कम) के स्टिल क्षेत्र के साथ भवन निर्मित किया गया है तो ऐसे स्टिल क्षेत्र को तल क्षेत्र अनुपात में शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि भवन की ऊंचाई के लिए गिना जाएगा।

- (viii) जब तक अन्यथा निर्धारित न किया जाए तब तक न्यूनतम सैटबैक निम्नलिखित सारणी में दिए अनुसार होगा:-

क्र. सं.	भूखंड का आकार (वर्ग मीटर में)	न्यूनतम सैटबैक (मीटर में)			
		सामने	पृष्ठ	साइड (1)	साइड (2)
1	100 से कम	0	0	0	0
2	100 से अधिक 250 तक	3	0	0	0
3	250 से अधिक 500 तक	3	3	3	0
4	500 से अधिक 2000 तक	6	3	3	3
5	2000 से अधिक 10000 तक	9	6	6	6
6	10000 से अधिक	15	9	9	9

- (क) यदि भूखण्ड में अनुमेय कवरेज उपर्युक्त सैटबैक के साथ नहीं की जाती है तो पूर्ववर्ती श्रेणी के सैटबैक की अनुमति होगी ।
- (ख) भविष्य में निर्माण के मामले में 50 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय भूखंड में कम से कम 2 मीटर x 2 मीटर खुले आंगन की व्यवस्था की जाएगी ।
- (ix) जो भूखंड स्वामी/आवंटी 23 जुलाई, 1998 की राजपत्र अधिसूचना के अलावा उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त कवरेज, अतिरिक्त फ्लोर अथवा उसका एक भाग बनाना चाहते हैं, उनसे सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अधिसूचित दरों पर सुधार प्रभार(अथवा अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात प्रभार) लिया जाएगा । यह प्रभार दिनांक 23 जुलाई, 1998 की अधिसूचना द्वारा अनुमेय से अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात और दिनांक 15 मई 1995 की अधिसूचना द्वारा अनुमेय अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात के लिए देय प्रभार से अलग होगा ।
- (x) जो भूखंड स्वामी /आवंटी इस अधिसूचना के अंतर्गत अनुमेय अतिरिक्त कवरेज के संबंध में निर्माण नियमित कराना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त पैरा (ix) में उल्लिखित सुधार प्रभार के अलावा अर्थदण्ड और सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित प्रशमनकारी (कम्पाउंडिंग) प्रभार का भुगतान करना होगा ।
- (xi) जो भूखंड स्वामी /आवंटी इस अधिसूचना के संबंध में अतिरिक्त ऊंचाई नियमित कराना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त पैरा (x) में उल्लिखित सुधार प्रभार के अलावा सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित अर्थदण्ड और विशेष प्रशमनकारी (कम्पाउंडिंग) प्रभारों का भुगतान करना होगा ।

- (xii) इस प्रकार से प्राप्त राशि संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा एक एस्को एकाउंट में जमा कराई जाएगी जिसे पार्किंग स्थलों के विकास, सुविधाओं/अवस्थापना को बढ़ाने तथा पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा और इस खाते के आय-व्यय का तिमाही विवरण स्थानीय निकायों द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (xiii) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को नियमित नहीं किया जाएगा और स्थानीय निकाय द्वारा अतिरिक्त निर्माण/ऊंचाई के नियमितीकरण के लिए स्वीकृति देने से पहले अतिक्रमण हटाया जाएगा।
- (xiv) अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात तथा/अथवा ऊंचाई की स्वीकृति अथवा उसे नियमित कराने के इच्छुक प्रत्येक आवेदक को संरचना इंजीनियर से संरचना सुरक्षा का प्रमाणपत्र लेना होगा। यदि इस प्रकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता अथवा अन्यथा भवन को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित पाया जाता है तो संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा भवन स्वामी को एक औपचारिक नोटिस दिया जाएगा कि वे एक उचित निर्धारित अवधि में संरचना की कमियों को सुधार लें अन्यथा संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया जाएगा और इसे भवन स्वामी अथवा स्थानीय निकाय द्वारा गिरा दिया जाएगा।

[सं. के-13011/9/2006-डीडी आईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2006

S.O. 1591(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001, were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 1160(E), dated 21st July, 2006 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections and suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

2. Whereas the objections and suggestions received with regard to the proposed modifications were considered by a Board of Enquiry duly constituted by Delhi Development Authority under the relevant rules, and the Authority, after having considered the report of the Board, has recommended the modification of the Master Plan 2001, as envisaged in the said public notice, with certain changes;

3. And whereas, the Central Government has, after carefully considering all relevant aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2001;

2497 GI/66-2

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi- 2001 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

On page 159 (RHS) of the Gazette of India dated 1st August 1990, as modified vide Gazette of India Notification dated 23rd July 1998, the following development control norms shall be substituted in respect of Residential Plotted Development (001) in modification of norms laid down in the said Notification dated 23rd July 1998, and subject to the terms and conditions given below:-

Residential Plotted Development (001)

Sl. No.	Area of the plot (sqm) ⁽¹⁾	Maximum ground coverage %	Maximum FAR	Maximum height in metres
1	Below 32	90 ⁽²⁾	350	15
2	Above 32 to 50	90 ⁽²⁾	350	15
3	Above 50 to 100	90 ⁽²⁾	350	15
4	Above 100 to 250	75 ⁽³⁾	300 ⁽³⁾	15
5	Above 250 to 500	75	225	15
6	Above 500 to 1000	50	150	15
7	Above 1000 to 1500	40	120	15
8	Above 1500 to 2250	40	120	15
9	Above 2250 to 3000	40	120	15
10	Above 3000 to 3750	40	120	15
11	Above 3750	40	120	15

Note:

1. The local body concerned shall be competent to disregard variation of upto 2% in plot size, arising from conversion of area from sq.yard to sqm and to grant the norms applicable to the lower category of plot size in accordance to para (ii) below.
2. 100 % ground coverage shall be eligible for regularization of construction, already existing as on the date of this notification on payment of charges as given in this notification.
3. 100 % ground coverage and 350 FAR shall be eligible for regularization of construction already existing as on the date of this

notification on payment of charges as given in this notification, in respect plot size between 100 to 175 sqm..

Terms and conditions:

- (i) No additional dwelling unit beyond that permissible under notification dated 15th May 1995 shall be permitted, unless the infrastructure and services have been augmented by the local body and the lay-out plan and services plan of the area have been accordingly upgraded. The applicant plot owner/ allottee shall therefore have to give an undertaking to the effect that no additional dwelling unit has been or is sought to be created beyond that permissible vide notification dated 15th May 1995.
- (ii) The total coverage and FAR permissible in any plot in a category, shall not be less than that permissible and available to the largest plot in the next lower category.
- (iii) Subdivision of plots is not permitted. However, if there are more than one buildings in one residential plot, the sum of the built up area and ground coverage of all such buildings, shall not exceed the built up area and ground coverage permissible in that plot.
- (iv) The mezzanine floor and service floor, if constructed, shall be counted in the FAR.
- (v) Basement in case of plotted development, if constructed, shall not be included in FAR. Basement area shall not extend beyond the coverage on the ground floor as per permissible and sanctioned built up area, but may extend to the area below the internal courtyard and shaft.
- (vi) Parking space shall be provided for within the residential plot as follows:
 - a. 2 Equivalent Car Space (ECS) in plots of size 250-300 sqm;
 - b. 1 ECS for every 100 sqm built up area, in plots exceeding 300 sqmProvided that if the permissible coverage and FAR is not achieved with the above-mentioned parking norms in a plot, the parking norms of the preceding category shall be allowed.
- (vii) If the building is constructed with stilt area of non-habitable height (less than 2.4m), used for parking, such stilt area shall not be included in FAR but would be counted towards the height of the building.

299761706-3

- (viii) The minimum setbacks shall be as given in the following table unless otherwise prescribed.

S.No.	Plot size (in sqm)	Minimum Setbacks (in metre)			
		Front	Rear	Side (1)	Side (2)
1	Below 100	0	0	0	0
2	Above 100 and upto 250	3	0	0	0
3	Above 250 and upto 500	3	3	3	0
4	Above 500 and upto 2000	6	3	3	3
5	Above 2000 and upto 10000	9	6	6	6
6	Above 10000	15	9	9	9

- a) In case the permissible coverage is not achieved with the above-mentioned setbacks in a plot, the setbacks of the preceding category may be allowed.
- b) In the case of construction in the future, a minimum 2m X 2m open courtyard shall be provided for in residential plots of area of 50sqm to 100 sqm.
- (ix) Plot owners/ allottees seeking extra coverage, additional floor or part thereof, over and above Gazette Notification dated 23rd July 1998, as per above mentioned norms, shall be charged betterment levy (or additional FAR charges) at the rates notified with the approval of the Government, from time to time. This is in addition to the levy payable on the additional FAR allowed vide notification dated 23rd July 1998 and over the FAR allowed vide notification dated 15th May 1995.
- (x) Plot owners/ allottees seeking regularization of construction in terms of the additional coverage allowed under this notification, shall have to pay a penalty and compounding charges notified with the approval of the Government, over and above the betterment levy referred to in para (ix) above.
- (xi) Plot owners / allottees seeking regularization of additional height in terms of this notification, will have to pay penalty and special compounding charges notified with the approval of the Government, in addition to betterment levy referred to in para (x).
- (xii) The amount so collected shall be deposited in an ESCROW ACCOUNT by the local body concerned for incurring expenditure for developing

parking sites, augmentation of amenities/ infrastructure and environmental improvement programmes and a quarterly statement of the income and expenditure of the Account shall be rendered by the local bodies to the Government.

(xiii) Encroachment on public land shall not be regularized and shall be removed first before the local body grants sanction for regularization of additional construction/ height.

(xiv) Every applicant seeking sanction or regularization of additional FAR and / or height shall submit a certificate of structural safety obtained from a structural engineer. Where such certificate is not submitted or the Building is otherwise found to be structurally unsafe, formal notice shall be given to the owner by the local body concerned, to rectify the structural weakness within a reasonable stipulated period, failing which the building shall be declared unsafe by the local body concerned and shall be demolished by the owner or the local body.

[No. K-13011/9/2006-DD IB]
S. MUKHERJEE, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1001]
No. 1001]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 7, 2006/भाद्र 16, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 7, 2006/BHADRA 16, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2006

का.आ. 1456(अ).—यतः दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों को करने का प्रस्ताव है उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 21 जुलाई, 2006 के सं. का.आ. 1161(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) के तहत यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संगत नियमों के तहत विधिवत गठित जांच बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और प्राधिकरण ने उक्त बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में, उक्त सार्वजनिक सूचना में यथा उल्लिखित संशोधन की, कुछ परिवर्तनों के साथ सिफारिश की है;

3. और यतः केन्द्र सरकार ने मामले को सभी संगत पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान-2001 को संशोधित करने का निर्णय लिया है;

4. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन :

भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) दिनांक 1-8-1990 में निम्नलिखित शामिल किया जाएगा :-

(1) अंग्रेजी पाठ के पृष्ठ 165 पर (दायीं तरफ) अनुच्छेद 10.0 मिश्रित उपयोग विनियम, के अंतर्गत दिनांक 28-3-2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 425(अ) द्वारा यथा-संशोधित विद्यमान प्रावधानों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

10.0 मिश्रित उपयोग विनियमः

इस अध्याय में कुछ अनुमेय प्रयोजनों हेतु भूमि की मिश्रित उपयोग नीति आती है। यह नीति, जिन प्रयोजनों हेतु इसे नियोजित किया गया था, उनसे भिन्न भूमि उपयोग की अनुमति देने की आवश्यकता को मानती है और उन शर्तों को निर्दिष्ट करती है, जिनके अंतर्गत इसे विभिन्न स्थितियों में लागू किया जा सकता है। उक्त नीति को लागू करने के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य पद्धति और ऐसे क्षेत्रों में ऐसे अनिच्छित उपयोग के प्रभाव का सामना करने के लिए किए जाने वाले शमनीय उपाय भी बताए गए हैं।

10.1 मिश्रित उपयोग के नियंत्रक सिद्धांत

- (i) इस अध्याय के प्रयोजनों हेतु मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय परिसरों में गैर-आवासीय कार्यकलाप के प्रावधान से है।
- (ii) नीति का लक्ष्य ऐसे कार्यकलाप हेतु सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता और आवासीय क्षेत्रों में उक्त कार्यकलाप के पर्यावरण प्रभाव के बीच संतुलन बनाए रखना है।
- (iii) मिश्रित उपयोग की नीति आवासों के निकटस्थ क्षेत्र में व्यावसायिक कार्यकलापों तक पहुंचने की अनुमति देती है और शहर में विभिन्न जोनों में आने-जाने की आवश्यकता को कम करती है। तथापि, साथ ही साथ, भीड़भाड़, बढ़ते हुए यातायात और नागरिक सुविधाओं पर बढ़ते हुए दबाव से संबंधित विपरीत प्रभाव को संभालने और कम करने के उद्देश्य से इसे विनियमित करने की आवश्यकता है।
- (iv) मिश्रित उपयोग की अनुमति देने वाले अध्यारोहों सिद्धांतों का प्रयोजन सामुदायिक आवश्यकताओं को मानना तथा उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान करना, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना तथा सुरक्षित एवं सुविधाजनक परिवहन और पार्किंग की उचित व्यवस्था करना है।
- (v) मिश्रित उपयोग की अनुमति लुटियंस बंगला क्षेत्र, सिविल लाइन्स, सरकारी आवास, सार्वजनिक और निजी एजेंसियों को सांस्थानिक व स्टाफ आवासों और विशाल संरक्षण समिति द्वारा सूचीबद्ध किए गए भवनों/अहातों में नहीं दी जाएगी।

10.2 आवासीय क्षेत्रों में मिश्रित उपयोगः**10.2.1 अलग-अलग दृष्टिकोण :**

- (i) मिश्रित उपयोग नीति में अलग-अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता इस तथ्य से उत्पन्न हो गई है कि दिल्ली देश की राजधानी होने तथा आर्थिक कार्यकलाप का एक महत्वपूर्ण केन्द्र होने के कारण यहां आवासीय क्षेत्रों के प्रकार(टाइपोलॉजी) में काफी भिन्नता है। लुटियंस-दिल्ली के भाग के रूप में और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए नियोजित विकास की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित नियोजित आवासीय कालोनियों के अतिरिक्त चार दोवारी शहर, विशेष क्षेत्रों और शहरीकृत गांवों में प्राधिकृत आवासीय क्षेत्र है। अन्य नियोजित क्षेत्रों में पुनर्वास कालोनियां, दिल्ली विकास अधिनियम से पूर्व बसी कालोनियां, भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पुनर्वास कालोनियां शामिल हैं। दिल्ली के विभिन्न भागों में नियमित

की गई अनधिकृत कालोनियां, अनधिकृत कालोनियां तथा स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी समूह भी है।

(ii) इसके अतिरिक्त निवासियों द्वारा स्वयं आवश्यक या वांछनीय समझे गए गैर आवासीय कार्यकलाप की सीमा निवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उस क्षेत्र में विकास की पुरानी पद्धति के आधार पर भिन्न-भिन्न है। कुछ कालोनियों को, अपनी आजीविका के अभिन्न भाग के रूप में गैर आवासीय कार्यकलाप की जरूरत हो सकती है, जबकि कुछ अन्य कालोनियां अपनी कालोनियों और आसपास के क्षेत्रों के विशेष आवासीय स्वरूप को बनाए रखना चाहेंगी।

(iii) अतः दिल्ली में मिश्रित उपयोग नीति को लागू करने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव है। अपनाया जाने वाला अलग-अलग दृष्टिकोण संपत्ति के निर्धारण के यूनिट एरिया सिद्धांत के रूप में दिल्ली नगर निगम द्वारा अपनाए गए क से छ तक कालोनियों के वर्गीकरण के आधार पर होगा।

10.2.2 मिश्रित उपयोग की किस्में

इस अधिसूचना के प्रावधानों के अध्यधीन आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग की निम्नलिखित तीन व्यापक किस्में अनुमत्त होंगी:-

(i) अधिसूचित मिश्रित उपयोग मार्गों से लगे प्लॉटों में, पैरा 10.6 में दी गई शर्तों के अनुसार फुटकर दुकानों के रूप में वाणिज्यिक कार्यकलाप।

(ii) पैरा 10.3.2 में निर्धारित न्यूनतम मार्गाधिकार वाली सड़कों से लगे प्लॉटों में पैरा 10.7 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, पैरा 10.7.1 में सूचीबद्ध सामान्यतः सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में अन्य कार्यकलाप।

(iii) पैरा 10.8 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार व्यावसायिक कार्यकलाप।

उपर्युक्त किस्म के मिश्रित उपयोग, परवर्ती पैराग्राफों में निर्दिष्ट सामान्य शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन होंगे।

10.3 वर्तमान शहरी क्षेत्रों और शहरीकरण योग्य क्षेत्रों में मिश्रित भूमि उपयोग का निर्धारण:

दिल्ली के शहरीकृत/शहरी क्षेत्रों तथा शहरीकरण योग्य क्षेत्रों, दोनों में, मिश्रित उपयोग क्षेत्रों/मार्गों का निर्धारण निम्नानुसार होगा:

10.3.1 पहले से शहरीकृत / शहरी क्षेत्रों में से निम्नलिखित क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग अनुमेय होगा :-

- i. दिल्ली मास्टर प्लान-2001 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरण द्वारा पहले अधिसूचित और अनुबंध-1 में निर्दिष्ट (निर्दिष्ट भूभागों / मार्गों की सूची) सभी मार्गों / भूभागों पर ।
- ii पूर्व में घोषित व्यावसायिक क्षेत्रों/ मार्गों अथवा जहां दिल्ली मास्टर प्लान - 1962 में व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी गई थी, उन आवासीय क्षेत्रों और मार्गों / भूभागों में, दिल्ली मास्टर प्लान-1962 में अनुमेय सीमा तक, ऐसा उपयोग जारी रहेगा ।
- iii दस्तावेजी प्रमाण की शर्त पर 1962 से पूर्व आवासीय क्षेत्रों में मौजूद वाणिज्यिक कार्यकलाप ।
- iv भविष्य में मिश्रित भूमि उपयोग की पहचान / अधिसूचना पैरा 10.3.2 में दिए गए मानदण्ड के आधार पर तथा पैरा 10.3.3 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी तथा संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा इसका व्यापक प्रचार किया जायेगा ।

10.3.2 विभिन्न श्रेणियों की कालोनियों में अनुमेय मिश्रित उपयोग की सीमा को नीचे लिखे अनुसार और अधिक स्पष्ट किया जाता है :-

1. श्रेणी क और ख में आने वाली कालोनियों में :

क और ख श्रेणियों के अधीन आने वाली कालोनियों में निम्नलिखित के सिवाय कोई व्यवसायिक कार्यकलाप अनुमेय नहीं होगा :-

- पैरा 10.8 में दी गई शर्तों के अध्यधीन व्यवसायिक कार्यकलाप ।
- मास्टर प्लान सड़कों जिन्हे क्रमशः मिश्रित उपयोग मार्गों और व्यवसायिक मार्गों के रूप में अधिसूचित किया गया है, से सटे भूखण्डों में एक भूखण्ड की गहराई तक मिश्रित उपयोग और व्यवसायिक कार्यकलाप क्योंकि ऐसी सड़कें कालोनियों की आन्तरिक सड़कें नहीं हैं (बशर्त कि मिश्रित उपयोग मार्गों अथवा व्यवसायिक मार्गों के रूप में कालोनियों से सटी मास्टर प्लान सड़कों को अधिसूचित करने के लिए संबंधित रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का अनुरोध आवश्यक नहीं होगा) ।
- " अन्य कार्यकलाप " नियमित भूखण्ड विकास में न्यूनतम 18 मीटर मार्गाधिकार की सड़कों से सटे भूखण्डों में पैरा 10.7 में दी गई , शर्तों के अध्यधीन पैरा 10.7.1 में यथा परिभाषित गेस्ट हाउसों, नर्सिंग होमों और पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों तक सीमित है क्योंकि ये कार्यकलाप " सार्वजनिक और अर्द्ध- सार्वजनिक " सुविधाओं के प्रकार हैं । नए बैंक और फिटनेस केन्द्र इस अधिसूचना की तारीख से अनुमेय नहीं होंगे । तथापि दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अधीन इस संबंध में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार बैंक और फिटनेस केन्द्र जो इस अधिसूचना की तारीख को पहले से ही मौजूद हैं, और न्यूनतम 18 मीटर मार्गाधिकार की सड़कों से सटे भूखण्डों में हैं , अनुमेय रहेंगे ।
- नियमित रिहायशी भूखण्ड विकास में कालोनी के भीतर न्यूनतम 18 मी0 मार्गाधिकार वाले ऐसे मिश्रित उपयोग मार्गों पर पैरा 10.6 के अनुसार फुटकर दुकाने जिन्हें पैरा 10.3.3 के अनुसार अधिसूचित किया गया है यदि पैरा 10.10 के अनुसार संबंधित रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से विशेष अनुरोध किया जाता है ।

नोट :

दिल्ली मास्टर प्लान -2001 के अन्तर्गत पूर्व में अधिसूचित क और ख श्रेणी की कालोनियों के भीतर मिश्रित उपयोग मार्गों पर व्यवसायिक कार्यकलाप तत्काल प्रभाव से बन्द हो जाएंगे (मास्टर प्लान सड़कों से सटे भूखण्डों के सिवाय) ।

2. ग और घ श्रेणियों में आने वाली कालोनियों में :

- अनुलग्नक-1 में सूचीबद्ध अधिसूचित मिश्रित उपयोग मार्गों से सटे भूखण्डों में पैरा 10.6 में दी गई शर्तों के अनुसार फुटकर दुकानों के रूप में मिश्रित उपयोग अनुमेय रहेगा ।
- पैरा 10.7 की शर्तों के अध्यधीन नियमित भूखण्ड विकास में न्यूनतम 18 मी० आर ओ डब्ल्यू पुनर्वास कालोनियों में 13.5 मी० आर ओ डब्ल्यू तथा , नियमित-अनधिकृत कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों, विशेष क्षेत्रों और शहरी गांवों में 9 मी० मार्गाधिकार की सड़कों से सटे भूखण्डों में पैरा 10.7 के अनुसार "अन्य कार्यकलाप" अनुमेय होंगे ।
- भविष्य में नियमित रिहायशी भूखण्ड विकास में न्यूनतम 18 मी० मार्गाधिकार , पुनर्वास कालोनियों में 13.5 मी० मार्गाधिकार तथा पैरा 10.3.3 के अनुसार नियमित-अनधिकृत कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों, पुरानी दिल्ली, विशेष क्षेत्र और शहरी गांवों में 9 मी० मार्गाधिकार के मिश्रित उपयोग मार्गों की अधिसूचना पैरा 10.10 के अनुसार संबंधित रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशनों के परामर्श के अध्यधीन होगी ।
- पैरा 10.3.3 के अनुसार पैदल शापिंग मार्गों में मिश्रित उपयोग अनुमेय होगा ।
- पैरा 10.8 में नियत शर्तों के अनुसार व्यवसायिक गतिविधियां अनुमेय होंगी ।

3. ड.च और छ श्रेणियों में आने वाली कालोनियों में :

- अनुलग्नक-1 में सूचीबद्ध अधिसूचित मिश्रित उपयोग मार्गों से सटे भूखण्डों में पैरा 10.6 में दी गई शर्तों के अनुसार फुटकर दुकानें अनुमेय रहेंगी ।
- पैरा 10.7 की शर्तों के अध्यधीन नियमित भूखण्ड विकास में न्यूनतम 13.5 मी० मार्गाधिकार पुनर्वास कालोनियों में 9 मी० मार्गाधिकार तथा नियमित-अनधिकृत कालोनियों , पुनर्स्थापन कालोनियों, पुरानी दिल्ली, विशेष क्षेत्र और शहरी गांवों में 6 मी० मार्गाधिकार की सड़कों से सटे भूखण्डों में पैरा 10.7 के अनुसार "अन्य कार्यकलाप" अनुमेय होंगे ।
- पैरा 10.8 में दी गई शर्तों के अध्यधीन व्यवसायिक कार्यकलाप अनुमेय होंगे ।
- भविष्य में नियमित रिहायशी भूखण्ड विकास में न्यूनतम 13.5 मी० मार्गाधिकार, पुनर्वास कालोनियों में 9 मी० मार्गाधिकार तथा नियमित-अनधिकृत कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों, पुरानी दिल्ली विशेष क्षेत्र और शहरी गांवों में 6 मी० मार्गाधिकार के मिश्रित उपयोग मार्गों की अधिसूचना पैरा 10.3.3 के अनुसार होगी ।
- पैरा 10.3.3 के अनुसार पैदल शापिंग मार्गों में मिश्रित उपयोग अनुमेय होगा ।

4. सभी श्रेणियों की कालोनियों में ग्रुप हाऊसिंग

- केवल व्यवसायिक कार्यकलाप अनुमेय होगा। ग्रुप हाऊसिंग की ले-हाउट प्लान में विशेष रूप से उल्लिखित फुटकर दुकानें अनुमेय होंगी।

5. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र (लुटियन बंगला जोन, सरकारी आवास, संस्थागत सार्वजनिक और निजी एजेन्सी के स्टाफ आवास तथा हेरीटेज संरक्षण समिति द्वारा सूचीबद्ध भवनों/क्षेत्रों के सिवाए) में आने वाली कालोनियों के संबंध में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा मौजूदा मिश्रित उपयोग मार्गों/भूभागों को अधिसूचित किया जायेगा। मिश्रित उपयोग मार्गों/भूभागों की भावी अधिसूचना फील्ड स्तरीय सर्वेक्षण करने के बाद तथा संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएसनों के परामर्श से जारी की जायेगी ताकि सामुदायिक आवश्यकताओं, पर्यावरणीय प्रभाव और यातायात परिचालन/पर्याप्त पार्किंग का आकलन किया जा सके।

10.3.3 भविष्य में शहरी क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग मार्गों की अधिसूचना

- मिश्रित उपयोग मार्ग के रूप में किसी मार्ग अथवा भूभाग का निर्धारण करने के लिए न्यूनतम मार्गाधिकार निम्नवत होगा:

“क” और “ख” कालोनियों में:

नियमित भूखण्ड विकास में 18 मीटर मार्गाधिकार यदि संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएसन का विशेष अनुरोध है।

“ग” और “घ” कालोनियों में:

रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएसन के परामर्श से नियमित रिहायशी भूखण्ड विकास में 18 मीटर मार्गाधिकार, पुनर्वास कालोनियों में 13.5 मीटर मार्गाधिकार तथा नियमित-अनधिकृत कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों, पुरानी दिल्ली, विशेष क्षेत्र तथा शहरी गाँवों में 9 मीटर मार्गाधिकार।

“ड”, “च” और “छ” कालोनियों में:

नियमित भूखण्ड विकास में 13.5 मीटर मार्गाधिकार, पुनर्वास कालोनियों में 9 मीटर मार्गाधिकार तथा पुरानी दिल्ली, नियमित-अनधिकृत कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों, विशेष क्षेत्रों और शहरी गाँवों में 6 मीटर मार्गाधिकार।

- नियमित-अनधिकृत कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों, शहरी गाँवों, विशेष क्षेत्र तथा पुरानी दिल्ली में 9 मीटर (अथवा “ड”, “च” और “छ” श्रेणी की कालोनियों में 6 मीटर) से कम के मार्गों को यदि मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित किया जाता है, तो पैदल शॉपिंग मार्ग (पी एस एस) के रूप में घोषित किया जायेगा तथा मोटरयुक्त वाहनों को उस पर चलने नहीं दिया जायेगा।

टिप्पणी:

- (क) कालोनियों से सटी मास्टर प्लान सड़कों को मिश्रित उपयोग सड़कें अधिसूचित करने के लिए संबंधित आरडब्ल्यूए का अनुरोध अथवा संबंधित आरडब्ल्यूए के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है क्योंकि ये सड़कें कालोनियों की आंतरिक सड़कें नहीं हैं।
- (ख) संबंधित आरडब्ल्यूए का विशेष अनुरोध अथवा परामर्श पैरा 10.10 द्वारा शासित होगा।
- (iii) मिश्रित उपयोग सड़कों को अधिसूचित करने के लिए स्थानीय निकाय अधिसूचना जारी होने के समुचित समय के अंदर शीघ्र ही उपर्युक्त चौड़ाई वाली सभी सड़कों का सर्वेक्षण कराएंगे यदि यह पहले न किया गया हो, ताकि मिश्रित उपयोग सड़कों के रूप में इस प्रकार की सड़कों की पहचान हो सके।
- (iv) फील्ड सर्वेक्षण से सड़क पर मौजूदा गैर रिहायशी उपयोग के विस्तार, सड़क के जिस भाग को अधिसूचित किया जाना है, नागरिक सुविधाओं की अतिरिक्त आवश्यकता और यातायात व पार्किंग के लिए प्रावधान का मूल्यांकन किया जाएगा।
- (v) फील्ड सर्वेक्षण पूरा होने के तत्काल बाद संबंधित अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से स्थानीय निकाय/ प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी।

10.3.4 भविष्य में शहरीकरण योग्य क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग सड़कों की अधिसूचना :

नए शहरीकरण योग्य क्षेत्रों में, निम्नलिखित क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग की अनुमति होगी :-

- (i) नए विकसित आवासीय क्षेत्रों में उपर्युक्त निर्दिष्ट मिश्रित उपयोग केवल 18 मी. मार्गाधिकारों वाले मार्गों पर स्थित आवासीय प्लॉटों पर ही अनुमति होगा।
- (ii) ऐसे गांवों में जो शहरी घोषित किए जाते हैं और विकास प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं उनमें इस प्रकार के समाकलन हेतु तैयार की गई स्थानीय क्षेत्रीय योजना/लेआउट प्लान में निर्दिष्ट क्षेत्रों/सीमाओं में मिश्रित उपयोग अनुमति होगा।
- (iii) ऐसे नए क्षेत्रों में ले-आउट प्लान में ऐसे विस्तार क्षेत्रों / प्लॉटों को निर्दिष्ट किया जाएगा और निजी विकास के मामले में ले-आउट प्लान के लिए अनुमति प्रदान करने के समय उन्हें मिश्रित उपयोग नीति के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित क्षेत्रों के मामले में आवंटन अथवा नीलामी द्वारा निपटान के समय अधिसूचित किया जाएगा।

10.4 मिश्रित उपयोग को नियंत्रित करने वाले सामान्य निबंधन एवं शर्तें :

उपर्युक्त पैरा 10.3.2 में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों की कालोनियों के लिए निर्धारित शर्तों के संदर्भ में और बशात् कि प्लॉट अधिसूचित मिश्रित उपयोग सड़क (फुटकर दुकानों के मामले में) अथवा न्यूनतम मार्गाधिकार (अन्य मिश्रित उपयोग कार्यकलापों के मामले में) वाली सड़क से सटा हो , तो निम्नलिखित शर्तें व निबंधनों के अधीन मिश्रित उपयोग अनुमेय होगा: -

आवासीय भूखण्ड विकास में:

- (i) यदि किसी आवासीय प्लॉट में केवल एक रिहायशी इकाई है तो इस इकाई में केवल एक ही प्रकार के मिश्रित उपयोग (अर्थात् पैरा 10.6 के अनुसार फुटकर दुकान अथवा व्यावसायिक कार्यकलाप अथवा पैरा 10.7 में सूचीबद्ध अन्य कार्यकलापों में से कोई एक) की अनुमति दी जाएगी।
- (ii) यदि किसी आवासीय प्लॉट में एक से अधिक रिहायशी इकाइयां हैं तो प्रत्येक रिहायशी इकाई में केवल एक ही प्रकार के मिश्रित उपयोग (पैरा 10.6 के अनुसार फुटकर दुकान अथवा व्यावसायिक कार्यकलाप अथवा पैरा 10.7 में सूचीबद्ध अन्य कार्यकलापों में से कोई एक) की अनुमति होगी।

ग्रुप हाऊसिंग में :

- (iii) ग्रुप हाऊसिंग में, केवल व्यावसायिक कार्यकलाप अनुमेय है। ग्रुप हाऊसिंग के ले-आउट नक्शे में फुटकर दुकान का प्रावधान यदि विशेषरूप से किया जाता है तो उनकी अनुमति दी जाएगी।

अन्य शर्तें एवं निबंधन :

- (iv) मार्गों या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं होगी।
- (v) प्लॉट/आवासीय इकाई को मिश्रित उपयोग में रखने के बाद भी विशेष आवासीय उपयोग के लिए यथा लागू विकास नियंत्रण मानदण्ड लागू रहेंगे।
- (vi) यदि अधिसूचित मार्ग, मुख्य योजना सड़क है, और यदि सेवा सड़क उपलब्ध है अथवा स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी तो उस मामले में मिश्रित उपयोग परिसर तक ऐसी सेवा सड़क से पहुंचा जा सके और मुख्य कौरिजवे से सीधे नहीं।
- (vii) भूखंडीय विकास में, आगे के सैटबैक पर चारदीवारी नहीं होगी, ताकि उसका अतिरिक्त पार्किंग के लिए उपयोग किया जा सके।

(viii) परिसरों के अंदर 2.0 ई.सी.एस. प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। जहां तक उपलब्ध नहीं है, पार्किंग के विकास की लागत प्लॉट के आबंटिती/स्वागी द्वारा देय होगी। यह शर्त उन मामलों में भी लागू होगी जहां आवासीय परिसरों का उपयोग केवल व्यावसायिक कार्यों के लिए हो रहा है।

(ix) मिश्रित उपयोग नीति के अंतर्गत मार्ग की अधिसूचना के परिणाम स्वरूप यातायात और पार्किंग पर अतिरिक्त भार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित मिश्रित उपयोग के चिह्नित मार्गों पर सामूहिक पार्किंग क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे। यदि कोई पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं है तो उक्त मार्ग पर भूमि/प्लॉट ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा या तो पार्किंग सुविधाओं के निर्माण के लिए वरीयतः बहुतलीय पार्किंग के लिए अधिग्रहीत किया जाएगा। इस प्रकार की पार्किंग सुविधाओं का विकास या तो ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा और कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल के रूप में सार्वजनिक निजी साझेदारी को भी शामिल किया जा सकता है।

10.5 अनुमेय और गैर अनुमेय उपयोग

किसी भी व्यापार अथवा कार्यकलाप जिसमें किसी प्रकार का हानिकार, जोखिम भरा, ज्वलशील, असंगत और प्रदूषणकारी पदार्थ या प्रणाली हो, को अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.6 फुटकर दुकानें

(i) मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित प्लॉटों और मार्गों पर फुटकर दुकानें केवल भूतल पर अधिकतम अनुमेय भूतल कवरेज तक अनुमत होगी।

(ii) निम्नलिखित कार्यकलापों को मिश्रित उपयोग के अंतर्गत अनुमति नहीं दी जाएगी :

क. भवन निर्माण सामग्री (लकड़ी, लकड़ी के उत्पाद (फर्नीचर को छोड़कर) मार्बल, लौह एवं इस्पात, (बजरी सीमेंट व रेत) जलाने वाली लकड़ी (फायरवुड), कोयला और अग्नि के जोखिम वाले और अन्य भारी सामग्री वाली फुटकर दुकानें।

ख. ऑटोमोबाइल की मरम्मत की दुकानें और वर्कशॉप, टायर रिसोलिंग और रीट्रीडिंग, बैटरी चार्जिंग वाली दुकानें।

ग. भण्डारण, गोदाम और भाण्डागार।

घ. कबाड़ी की दुकान

ड. शराब की दुकान

278362/06-2H

- घ. मुद्रण, रंगाई एवं वार्निशिंग
- छ. कोई अन्य कार्यकलाप जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए ।

नोट:

1. पूर्णतः तैयार मार्बल उत्पाद के व्यवसायी जो कटिंग और पॉलिशिंग का कार्यकलाप नहीं करती हों, शामिल नहीं है ।
2. ड., च तथा छ श्रेणी कालोनियों में अधिसूचित मिश्रित उपयोग सड़कों में कम से कम 50 वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉटों में बजरी, रेत और सीमेंट की फुटकर दुकानों की अनुमति होगी बशर्ते कि सामग्री पूरी तरह प्लॉट परिसर में ही रखी जाए ।
3. ऑटोमोबाइल के मामले में मरम्मत की दुकानें और वर्कशॉप ऐसे प्लॉटों पर अनुमेय होगी जो 30 मीटर या अधिक मार्गाधिकार वाले मिश्रित उपयोग मार्गों से लगे हुए हैं ।

10.7 अन्य कार्यकलाप

10.7.1 पैरा 10.4 में उल्लिखित सामान्य शर्तों तथा पैरा 10.7.3 में उल्लिखित अतिरिक्त शर्तों के अध्यक्षीन, 10.7.2 में यथा-निर्धारित न्यूनतम मार्गाधिकार वाली सड़कों के साथ लगे रिहायशी भूखंडों में, चाहे वह सड़क मिश्रित उपयोग मार्ग के रूप में अधिसूचित है या नहीं, निम्नलिखित सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक क्रियाकलापों की भी अनुमति दी जाएगी:-

- (क) प्री-प्राइमरी स्कूल (नर्सरी/मांटेसरी स्कूल, क्रेच सहित)
- (ख) नर्सिंग होम (क्लिनिक, डिस्पेंसरी, पैथोलोजी लैब तथा डायग्नोस्टिक सेंटर सहित)
- (ग) गेस्ट हाउस (लॉजिंग हाउस सहित), चाहे कमरों की संख्या कितनी भी हो
- (घ) बैंक
- (ङ) फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योगा/मेडिटेशन सेंटर सहित)

10.7.2 किसी मार्ग का न्यूनतम मार्गाधिकार अथवा सड़क का हिस्सा, जिस पर उपर्युक्त अन्य क्रियाकलाप अनुमत्य हैं, इस प्रकार हैं :-

“क” और “ख” कालोनियों में : नियमित भूखंडीय विकास में 18 मी0 मार्गाधिकार

टिप्पणी

* तथापि, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पहले से चल रहे बैंक और फिटनेस सेंट्रों के अलावा अन्य बैंक और फिटनेस सेंट्रों की अनुमति नहीं होगी।

“ग” और “घ” कालोनियों में : नियमित रिहायशी भूखंडीय विकास में 18 मी0 मार्गाधिकार, पुनर्वास कालोनियों में 13.5 मी0 मार्गाधिकार, नियमित - अनधिकृत कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों, वाल्ड सिटी, विशेष क्षेत्रों तथा शहरी गांवों, और पैदल शॉपिंग मार्गों में 9 मी0 मार्गाधिकार

“ङ”, “च” और “छ” कालोनियों में : नियमित भूखंडीय विकास में 13.5 मी0 मार्गाधिकार, पुनर्वास कालोनियों में 9 मी0 मार्गाधिकार तथा वाल्ड सिटी, नियमित - अनधिकृत कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों, विशेष क्षेत्रों तथा शहरी गांवों और पैदल शॉपिंग मार्गों में 6 मी0 मार्गाधिकार

10.7.3 उपर्युक्त सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक कार्यकलाप पूर्ववर्ती पैराग्राफों में निर्धारित सामान्य शर्तों के अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होंगे:-

- (i) परवर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित विशेष शर्तों के अध्यक्षीन निर्धारित न्यूनतम मार्गाधिकार वाले मार्गों पर जिन भूखंडों पर ये कार्यकलाप अनुमेय होंगे, उनका न्यूनतम आकार : से

कार्यकलाप अनुमत्य होंगे, निर्माणित भूखंडीय विकास में 200 वर्ग मी० तथा पुनर्वास कालोनियों, नियमित-अनधिकृत कालोनियों, पुनर्स्थापन कालोनियों (रिहैबिलिटेशन कालोनी), वाल्ड सिटी, विशेष क्षेत्रों व शहरी गांवों में 75 वर्ग मी० होगा। तथापि, इन कालोनियों के साथ-साथ ल.व और छ श्रेणी की कालोनियों में चल रहे क्लिनिक, डिस्पेंसरियों तथा पैथोलोजी लैब के लिए भूखंड का न्यूनतम आकार 50 वर्ग मी० होगा।

- (ii) बैंक एफएआर के 2/3 भाग पर 600 वर्ग मी० की शर्त पर अनुमेष होंगे, जबकि गेस्ट हाउस और नर्सिंग होम तल क्षेत्र के 3/4 भाग तक अनुमेष होंगे।
- (iii) तथापि, मास्टर प्लान सड़कों और जोनल प्लान सड़कों के साथ लगते भूखंडों में चल रहे नर्सिंग होम निर्मित क्षेत्र के 100% तक अनुमेष होंगे और भूखंड के आकार की सीमा उन पर लागू नहीं होगी।
- (iv) विशेष क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम मार्गाधिकार की सड़कों के साथ लगते भूखंडों तथा मास्टर प्लान सड़कों व जोनल प्लान सड़कों के साथ लगते भूखंडों पर, जो मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित हैं, निर्मित क्षेत्र के 100% तक अनुमेष होंगे और भूखंड के आकार की सीमा उन पर लागू नहीं होगी।
- (v) प्री-प्राइमरी स्कूल तथा फिटनेस सेंटर(वाणिज्यिक मार्गों के साथ लगते भूखंडों को छोड़कर) केवल भूतल पर अनुमत्य तल कवरेज तक सीमित होंगे।
- (vi) उपर्युक्त कार्यकलाप किन्हीं अन्य निबंधनों व शर्तों के अधधीन होंगे, जो उन पर लागू संबंधित विधानों/अधिनियमों में यथा निर्धारित हो।
- (vii) भूखंडों के आबंटी/स्वामी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पार्किंग की व्यवस्था करें ताकि पार्किंग से सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण/फैलाव न हो।

नोट: ** भूखंड के आकार में $\pm 5\%$ का अन्तर हो सकता है।

10.7.4 बैंकट हॉल की अनुमति केवल औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में होगी न कि रिहायशी उपयोग जोन में। तल कवरेज, तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर), ऊंचाई और बेसमेंट के संबंध में विकास नियंत्रण मानक उस परिसर के लिए विशिष्ट उपयोग हेतु मास्टर प्लान मानकों के अनुसार लागू होंगे।

10.8 व्यावसायिक कार्यकलाप

पैरा 10.4 में विनिर्दिष्ट सामान्य निबंधनों व शर्तों के अधधीन भूखंडीय विकास और ग्रुप हाउसिंग में व्यावसायिक कार्यकलापों की अनुमति निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के अंतर्गत होगी:-

- i. व्यावसायिक कार्यकलाप की अनुमति होगी, यदि निवासी ये कार्यकलाप स्वयं करे।
- ii. व्यावसायिक कार्यकलापों का तात्पर्य उन कार्यकलापों से है, जिनमें डॉक्टर, वकील, वास्तुकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे व्यावसायिक कौशल पर आधारित सेवाएं शामिल हैं।
- iii. ग्रुप हाउसिंग, तथा बहु आवासीय यूनिटों वाले भूखंडीय विकास में किसी भी तल पर व्यावसायिक कार्यकलाप की अनुमति होगी, बशर्ते कि यह कार्यकलाप प्रत्येक आवासीय यूनिट के अनुमत्य अथवा स्वीकृत तल क्षेत्र अनुपात, जो भी कम हो, का अधिक से अधिक 50% हो।
- iv. एकल रिहायशी यूनिट वाले भूखंडीय विकास के मामले में व्यावसायिक कार्यकलाप की अनुमति केवल एक ही तल पर होगी, लेकिन उस भूखंड पर अनुमत्य अथवा स्वीकृत तल क्षेत्र अनुपात, जो भी कम हो, के 50% से कम पर अनुमति होगी।

10.9 मिश्रित उपयोग परिसरों का पंजीकरण तथा प्रभारों का भुगतान

- i. मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत पहले से आने वाले अथवा मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत लाए जाने वाले रिहायशी परिसरों के मामले में यदि भूखंडीय विकास है तो भूखंड/रिहायशी यूनिट के स्वामी/आबंटी/निवासी तथा यदि ग्रुप हाउसिंग है तो रिहायशी यूनिट को इस संबंध में एक फार्म भरकर ऐसे मिश्रित उपयोग की घोषणा करनी होगी और उस फार्म को संबंधित स्थानीय निकाय के पास जमा कराना होगा तथा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित दरों पर एकमुश्त पंजीकरण प्रभार जमा कराना होगा।
- ii. मिश्रित उपयोग वाले परिसरों को संबंधित स्थानीय निकाय को, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित दरों पर, जिस अवधि के लिए सम्पत्ति को मिश्रित उपयोग में लाया गया है, उसके लिए हर साल मिश्रित-उपयोग प्रभारों का भुगतान भी करना होगा। पूर्व मूल्यांकन वर्ष (अप्रैल-मार्च) के संबंध में यह भुगतान सम्पत्ति के स्वामी/आबंटी द्वारा हर साल 30 जून से पूर्व स्वैच्छिक रूप से किया जाएगा।
- iii. मिश्रित उपयोग नीति के अन्तर्गत गैर-रिहायशी कार्यकलापों के लिए रिहायशी परिसर का उपयोग करने के लिए भवन में कोई परिवर्तन करने की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक कि आबंटी/स्वामी ने संशोधित भवन योजना की स्वीकृति न ले ली हो और आवश्यक शुल्क अथवा प्रभार का भुगतान न कर दिया हो।
- iv. संबंधित स्थानीय निकाय मिश्रित उपयोग वाली परिसम्पत्तियों, चाहे उसके पास पंजीकृत हो या न हो, की परीक्षण जांच करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- v. संगत अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध अन्य दण्डात्मक कार्रवाई के अलावा, पंजीकरण न की गई अथवा इस अधिसूचना के निबंधनों का उल्लंघन करने वाली सम्पत्तियों को मिश्रित उपयोग के लिए वार्षिक परिवर्तन प्रभार का 10 गुना जुर्माना स्थानीय निकाय को अदा करना होगा।

10.10 रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ परामर्श:

- (i) रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) किसी कानून यथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत दिनांक 21.7.2006 के पहले पंजीकृत निकाय होगा।
- (ii) मिश्रित उपयोग वाले मार्गों को घोषित करने के उद्देश्यों के लिए संबंधित रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा परामर्श किया जायेगा।
- (iii) रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ अर्थपूर्ण परामर्श के लिए स्थानीय निकायों द्वारा वास्तविक प्रयास किये जायेंगे। इस तरह के प्रयासों में शामिल हो सकते हैं : - प्रस्तावित परामर्शों का व्यापक प्रचार, परामर्श के रिकार्ड का रखरखाव और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों और जनता तक उन रिकार्डों की पहुंच उपलब्ध कराना।
- (iv) संबंधित रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ परामर्श व्यापक हो सकता है परन्तु यह मिश्रित उपयोग मार्गों की पहचान तक सीमित होगा और व्यक्तिगत मामलों में अनुमति प्रदान करने के लिए नहीं। तथापि, संबंधित रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को सार्वजनिक परेशानियों और गैर अनुमेय उपयोगों की शिकायतों के मामलों में अपनी सुनवाई कराने का अधिकार होगा।

10.11 किन मामलों में मिश्रित उपयोग मना किया जा सकता है/ वापस लिया जा सकता है/ प्रतिबंधित किया जा सकता है।

10.11.1 किसी भी ऐसी शर्त, जिसके अंतर्गत ऐसा मिश्रित उपयोग अनुमेय/अनुमत है, के उल्लंघन के मामले में संबंधित स्थानीय निकाय मिश्रित उपयोग की अनुमति अथवा पंजीकरण को रद्द अथवा निलंबित कर सकती है।

10.11.2 निम्नलिखित गैर-रिहायशी कार्यकलाप, जिन्हें मिश्रित उपयोग नीति के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिहायशी क्षेत्रों में अनुमेय होंगे :-

- (i) रिहायशी उपयोग जोनों में रिहायशी परिसरों में चल रहे विद्यालय दिनांक 18 मई, 2007 तक चलते रहेंगे। संबंधित स्थानीय निकाय तत्पश्चात विद्यालयों को चलते रहने की अनुमति दे सकता है बशर्ते दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के उप खण्ड 8(2) क (दिनांक 1.8.1990 को भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचित सां.आ. 606 (अ) के तहत पृष्ठ 152-153) के संबंध में स्थानीय निकाय द्वारा अपनी क्षमता के भीतर उपयोग परिसरों/ भू-विन्यास योजना में आवश्यक परिवर्तन किए जायें तथा इस उद्देश्य के लिए विद्यालयों द्वारा संबंधित स्थानीय निकाय के पास आवेदन करना अपेक्षित होगा।
- (ii) इसके अलावा रिहायशी परिसरों में चल रहे कोचिंग सेंटर तथा ऐसे ही शिक्षण संस्थान वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के अंत तक या 18 मई, 2007 तक, इनमें से जो भी पहले हो, चलते रहेंगे।

10.12 व्यावसायिक सड़कें एवं क्षेत्र :-

10.12.1 निम्नलिखित अधिसूचित मिश्रित उपयोग वाले मार्गों/ मिश्रित उपयोग वाले मार्गों के विस्तार को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक मार्गों या व्यावसायिक क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है :-

- (क) जहां नियमित भूखण्ड विकास वाले क्षेत्र में 24 मीटर से अधिक मार्गाधिकार वाली सड़कों पर कम से कम 300 मीटर लंबी सड़क से लगे प्लॉटों में से 70% से अधिक प्लॉटों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा हो (बशर्ते 'क' और 'ख' श्रेणी की कॉलोनियों में किसी मार्ग को व्यावसायिक मार्ग के रूप में अधिसूचित नहीं किया जायेगा),
- (ख) जहां पैरा 10.3.1 के अनुसार दिल्ली मास्टर प्लान 1962 के तहत घोषित पुनर्वास कालोनियों, अनधिकृत-नियमित कालोनियों, पुनर्वास कालोनियों (रीसेटलमेंट कालोनी), प्राचीनबद्ध शहर, विशेष क्षेत्र एवं ग्राम तथा स्थानीय व्यावसायिक मार्गों में 24 मीटर मार्गाधिकार से कम चौड़ी सड़कों पर कम से कम 100 मीटर लम्बी सड़क से लगी हुई संपत्तियों में से 70 % से अधिक संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा हो, तथा
- (ग) (ड.), (च) तथा (छ) श्रेणी की कालोनियों में जहां एक हेक्टेयर के संसक्त क्षेत्र के भीतर 80% रिहायशी प्लॉटों का मिश्रित उपयोग हो रहा हो या 300 दुकानें हो ।

10.12.2 ऐसे मार्गों/ विस्तारों (स्ट्रेचेज) की पहचान इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि के बाद यथोचित समयावधि के भीतर तथा यथोचित शीघ्रता से स्थानीय निकाय द्वारा कराए गए फील्ड सर्वेक्षण के आधार पर की जायेगी ।

10.12.3 पहचान किये जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से स्थानीय निकाय/ प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक क्षेत्रों/ मार्गों की अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा :-

- (i) ऐसे क्षेत्रों/ मार्गों के लिए स्थानीय निकाय/ प्राधिकरण के अनुमोदन से संशोधित ले-आउट प्लान तैयार करना ।
- (ii) ऐसे क्षेत्रों/ मार्गों के ले-आउट प्लान में परिचालन, पार्किंग, खुले स्थानों की पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान और अन्य योजना मानदण्डों का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
- (iii) किसी मार्ग को व्यावसायिक क्षेत्र/ मार्ग के रूप में अधिसूचित किए जाने के परिणामस्वरूप यातायात और पार्किंग पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को ध्यान में रखते हुए सामान्य पार्किंग क्षेत्र निर्धारित किए जायेंगे । यदि पार्किंग के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है तो जहां संभव हो उपर्युक्त मार्ग/क्षेत्र में भूमि/प्लॉट ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराया जाये या पार्किंग सुविधाओं, अधिमानतः बहुस्तरीय पार्किंग के निर्माण के लिए भूमि/प्लॉट

का अधिग्रहण किया जाये। ऐसे पार्किंग सुविधाओं का विकास या तो ट्रेडर्स एसोसिएशन या स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यान्वयन के मॉडल के तौर पर इसमें सरकारी- निजी साझेदारी भी हो सकती है।

- (iv) इस खण्ड के तहत किसी व्यावसायिक मार्ग/ क्षेत्र को अधिसूचित किए जाने के बाद व्यावसायिक मार्गों पर स्थित प्लॉटों के मालिकों/ आवंटियों को व्यावसायिक उपयोग के लिए लागू विकास नियंत्रण मानकों के तहत अनुमेय क्षेत्र से अधिक कवरेज के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर अतिरिक्त परिवर्तन प्रभार का भुगतान करना अपेक्षित होगा। ऐसे व्यावसायिक क्षेत्रों/ मार्गों में प्लॉटों के आवंटियों/ मालिकों के लिए यह केवल एक बार की सुविधा है तथा इसे भविष्य में व्यावसायिक मार्गों/ क्षेत्रों में विकास नियंत्रण मानकों में छूट के रूप में नहीं समझा जाये।
- (v) अन्य कोई शर्त जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाये।

[सं. के-13011/2/2006-डीडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

अनुलग्नक-1**दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में गलियों का मिला जुला उपयोग**

1. क्षेत्र "क" भाग "ग" (चार दीवारी शहर)

क्र.सं.	
1.	चाँदनी चौक रोड (100 फुट मार्गाधिकार)
2.	नेताजी सुभाष मार्ग (80 फुट मार्गाधिकार)
3.	अन्सारी रोड (60 फुट मार्गाधिकार)
4.	खारी बावली (80 फुट मार्गाधिकार)
5.	नया बाजार रोड (30 फुट मार्गाधिकार)
6.	श्रद्धानन्द मार्ग (80 फुट मार्गाधिकार)
7.	अजमेरी गेट बाजार (60 फुट मार्गाधिकार)
8.	चर्च मिशन रोड (60 फुट मार्गाधिकार)
9.	एस.प्रो.एम. मार्ग (120 फुट मार्गाधिकार)
10.	एच.सी.सेन. रोड (100 फुट मार्गाधिकार)
11.	अजमेरी गेट रोड, बाजार सीताराम, गली कूचा पाती राम, गली आर्य समाज, गली काली मस्जिद, गली कटरा अनिखान
12.	बाजार दिल्ली दरवाजा
13.	नेताजी सुभाष मार्ग, सर सइयद अहमद मार्ग, गली कूचा चालान, गली पटौदी हाउस, गली कला महल
14.	गली चूड़ीवालान चावड़ी बाजार, बाजार मटिया महल, सीताराम बाजार, गली पंडित प्रेम नारायण
15.	अजमेरी गेट रोड, फाजिल रोड, गली शाह तारा, गली कूचा पंडित, गली शाह गंज, फराश खाना रोड लाल कुआं बाजार
16.	फराश खाना रोड, समोसा वाली गली, फाजिल रोड, नया बांस रोड, बाजार खारी बावली, कटरा दरिया रोड, गली बताशावाली, गली कूचा नवाब
17.	नेताजी सुभाष मार्ग, दयानंद रोड अन्सारी रोड
18.	कटरा बारीयान रोड, लाल कुआं रोड, गली बल्लीमारान, गली कासिम जान, चावरी बाजार, नई सड़क, चाँदनी चौक ।
19.	नई सड़क, चाँदनी चौक, एसप्लेनेड रोड, दरिबा कलां बाजार गुलियान, चावरी बाजार, छाता शाहजी, गली खजूर, गली कटरा कुशल राय, गली अनार वाली, किनारी बाजार, मालीवाड़ा रोड ।
20.	चाँदनी चौक, कटरा नील, चर्च मिशन रोड, कटरा नटवर दरिया
21.	एच.सी. सेन रोड, चाँदनी चौक
22.	बड़ा बाजार रोड

278362/06-3H

2. क्षेत्र "क" (चार दीवारी शहर के अतिरिक्त)

क्र.सं.		
1	रानी झांसी रोड (आजाद मार्किट से फिल्मिस्तान तक)	गोशाला रोड के पास वाले क्रॉसिंग से फिल्मिस्तान तक (पूर्व की ओर)
2	कुतुब रोड (सिंगाड़ा चौक से पुल मिठाई तक)	सीनियर सेकेण्डरी स्कूल सदर बाजार के जंक्शन से पुल मिठाई और रोड के पश्चिम की ओर
3	सदर थाना रोड	सदर थाना से फूटा रोड
4	ईदगाह रोड	सिंगाड़ा चौक से सदर थाना रोड के क्रॉसिंग (रोड के उत्तरी साइड पर)
5	आजाद मार्किट रोड	आजाद मार्किट रोड से पुल मिठाई तक
6	चर्मेलियन रोड	रानी झांसी रोड क्रॉसिंग से महाराजा अग्रसेन मार्ग जंक्शन तक
7	महाराजा अग्रसेन मार्ग	रानी झांसी रोड जंक्शन से कुतुब रोड क्रॉसिंग तक (सदर बाजार)
8	मेन पहाड़गंज रोड	चेम्स फोर्ड रोड जंक्शन से रामकृष्ण आश्रम तक
9	देश बंधु गुप्ता रोड	पहाड़ गंज पुलिस स्टेशन क्रॉसिंग से शीला सिनेमा के सामने
10	राजगुरु रोड (गुरुवाला रोड)	देश बंधु गुप्ता रोड जंक्शन से मेन बाजार पहाड़गंज रोड जंक्शन तक
11	नेहरु बाजार रोड	पंचकुइयां रोड जंक्शन से मेन पहाड़ गंज बाजार रोड जंक्शन तक

3. क्षेत्र "ख"

क्र.सं.		
1	देश बंधु गुप्ता रोड	फैज रोड क्रॉसिंग से प्रस्तावित 30 मी० रोड के जंक्शन तक (नक्शे में रोड नं० -4)
2	बैंक स्ट्रीट	फैज रोड क्रॉसिंग से रामकृष्ण मार्ग क्रॉसिंग तक
3	हरध्यान सिंह रोड	-----वही-----
4	आर्य समाज रोड	फैज रोड क्रॉसिंग से प्रस्तावित 30 मी० चौड़ी रोड क्रॉसिंग तक (नक्शे में रोड नं०-4)
5	पदम सिंह रोड	सत्त्वावन गर्ल्स स्कूल रोड क्रॉसिंग से गुरुद्वारा रोड क्रॉसिंग तक
6	न्यू रोहतक रोड (दक्षिण साइड)	फैज रोड क्रॉसिंग से जोशी रोड जंक्शन तक
7	रोड नं० 4 (प्रस्तावित 30 मी० चौड़ी रोड पूर्व साइड)	डी.बी.गुप्ता रोड क्रॉसिंग से पदमसिंह रोड जंक्शन तक

8	न्यू पूसा रोड	डी.बी. गुप्ता रोड जंक्शन से टैक रोड जंक्शन तक
9	रामकृष्णदास मार्ग	डी.बी. गुप्ता रोड जंक्शन से नक्शे में रोड नं0 31 के जंक्शन तक
10	विष्णु मंदिर मार्ग	नक्शे में डी.बी. गुप्ता रोड नं0 31 के जंक्शन से
11	सरस्वती मार्ग	डी.बी. गुप्ता रोड जंक्शन से आर्य समाज रोड जंक्शन तक
12	अजमल खां रोड	टैक रोड जंक्शन से पूसा लेन जंक्शन तक
13	गुरुद्वारा रोड	डी.बी. गुप्ता रोड जंक्शन से पदम सिंह मार्ग जंक्शन तक
14	लक्ष्मी द्वार मार्ग	आर्य समाज रोड जंक्शन से पूसा लेन जंक्शन तक
15	अब्दुल अजीज रोड	बैक गली जंक्शन से आर्य समाज रोड जंक्शन तक
16	कृष्ण.दास रोड	डी.बी. गुप्ता रोड जंक्शन से आर्य समाज रोड जंक्शन तक
17	सत्वरान आर्य गर्ल्स स्कूल मार्ग (पश्चिम साइड)	आर्य समाज रोड जंक्शन से पूसा लेन जंक्शन तक
18	जोशी रोड	न्यू रोहतक रोड जंक्शन से डी.बी. गुप्ता रोड जंक्शन तक
19	अब्दुल रहमान रोड	डी.बी. गुप्ता रोड जंक्शन से आर्य समाज रोड जंक्शन तक
20	इलाही वक्श मार्ग	-----वही-----
21	फैज रोड (पश्चिम साइड)	-----वही-----

4. क्षेत्र "ग".

1	रोशननारा रोड	1.00
2	जी.टी. रोड	2.18
3	शक्ति मार्ग (नागिया पार्क के निकट)	0.32
4	सत्यवती रोड	0.15
5	मंडेला रोड	0.06
6	कोलाहपुर रोड	0.06
7	मल्कार्गज रोड	0.88

5. क्षेत्र "घ "

1.	टेम्पल रोड, भोगल
2.	शाही हॉस्पिटल रोड, भोगल
3.	सेंट्रल रोड, भोगल
4.	मस्जिद रोड, भोगल
5.	गुरुद्वारा रोड, लाजपत नगर-4
6.	रिंग रोड के साथ नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1 सर्विस रोड
7.	ब्लॉक "ओ " व के लाजपत नगर-2 के मध्य मेन रोड (24 मी0 चौड़ी)
8.	सेंट्रल मार्केट और लाजपत नगर-2
9.	अलंकार सीनेमा रोड/पुष्पा मार्केट रोड (लाजपत नगर)
10.	भौष्म पितामह रोड (डिफेंस कालोनी)
11.	दुकान प्लॉटों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे का निर्मित भाग

6. क्षेत्र "ड. "

1.	शापिंग सेंटर, कृष्णा नगर	
2.	छोटा बाजार, शाहदरा	
3.	मेन गांधी नगर बाजार	
4.	बड़ा बाजार, शाहदरा	
5.	अनाज मंडी, शाहदरा	
6.	विश्वास नगर, शापिंग एरिया	
7.	सीलमपुर का शापिंग एरिया/सलीमपुर	
8.	फर्श बाजार, शाहदरा	
9.	रेलवे रोड, शाहदरा	
10.	मेन रोड गांधी नगर	मार्जीनल बांध से झील बस टर्मिनल तक
11.	मेन विकास मार्ग	मार्जीनल बांध से पटपड़गंज रोड तक
12.	विजय चौक रोड (लक्ष्मी नगर मेन रोड)	विकास मार्ग से पटपड़गंज रोड
13.	पटपड़गंज रोड	जी.एच.बी.एस. और पुनर्वास कालोनियों के अतिरिक्त झील बस टर्मिनल से मधुबन रेलवे क्रासिंग तक
14.	रोड नं0 57	सी.जी.एच.एस. और सुविधा केन्द्रों के अतिरिक्त जी.टी. रेलवे लाइन से परवाना रोड तक
15.	भोलानाथ नगर रोड	रोड नं0 57 से बाबूराम स्कूल तक
16.	मंदिर मार्ग रोड	रघुनाथ मंदिर से रोड नं0 57 तक
17.	रोड नं0 35 ए	पुल क्षेत्र और मदर डेरी प्लांट के अतिरिक्त विकास मार्ग से मदर डेरी तक
18.	60 फुटा चौड़ा रोड	तेलीवाड़ा से बाबूराम स्कूल तक

19	मौजपुर क्षेत्र में प्रस्तावित मास्टर प्लान रोड नं० 67	रोड नं० 66 से घोंडा चौक
20	लोनी रोड	जी.टी. रोड से रोड नं० 68 तक
21	जी.टी.- रोड	राधू सिनेमा से लोनी रोड तक
22	रोड नं० 66	जी.टी. रोड से केवल पश्चिम साइड पर रोड नं० 68 तक
23	ब्रह्मपुरी मेन रोड	घोंडा चौक से न्यू सीलमपुर मार्किट रोड
24	यमुना विहार रोड	घोंडा चौक से डी.टी.सी. डिपो तक
25	60 फुटा चौड़ा रोड बलबीर नगर (बाबर पुर रोड)	पूर्वी यमुना नहर से जी.टी. रोड तक
26	100 फुटा रोड नं० 68	पूर्वी यमुना नहर रेलवे लेवल क्रॉसिंग तक
27	वजीरा बाद रोड	मार्जिनल बांध यमुना विहार योजना तक (केवल दक्षिण साइड)

7. क्षेत्र "च"

(क)	नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2 (रिंग रोड पर सामने का भाग)
(ख)	कालकाजी मेन रोड (ब्लॉक जी और एच तथा ई और एफ के मध्य)
(ग)	मालवीय नगर (मेन मार्किट रोड)
(घ)	गोविंदपुरी और गोविंदपुरी विस्तार के मध्य का रोड
(ड.)	दुकान प्लॉट, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार

8. क्षेत्र "छ"

क	लक्ष्मण सल्वानिया, न्यू मोती नगर चौक मेन नजफगढ़ रोड से बाहरी रिंग रोड क्रॉसिंग तक गणेश नगर।
ख	कीर्ति नगर मायापुरी चौक से कीर्ति नगर पटेल नगर चौक के मध्य।
ग	लाजवंती गार्डन चौक से नांगल राय तक।
घ	सुभाष नगर से दीन दयाल उपाध्याय हास्पिटल।
ड.	तिलक नगर चौक से नांगल राय फ्लाई ओवर, जेल रोड।
च	एच ब्लॉक, बाली नगर नजफगढ़ रोड से बी. ब्लॉक बाली नगर तक।

8. क्षेत्र "ज"

1.	रोड नं० 43 रानी बाग	200 फुट
2.	मेन बाजार, ऋषि नगर	50 फुट
3.	मेन बाजार (रोड रानी बाग)	50 फुट
4.	मेन रोड राजा पार्क	100 फुट
5.	मेन रोड, शास्त्री नगर	200 फुट
6.	मेन रोड त्रिनगर	50 फुट
7.	रोड नं० 41 रोहिणी	45 मी०

No. K-13011/25/2005- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated 23rd August, 2006

Subject: **Extraordinary Gazette Notification – for circulation of Notification S.O. No. 1321 (E) dated 18.8.2006 regarding Change of land use in Pocket III, Phase-I in Zone 'O'.**

A copy of Notification dated 18th August, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

Encl : As above.

S. Mukherjee
(S. Mukherjee)

Under Secretary to the Government of India
Telefax.: 23061681

644 AD/mc
24.8.06

To

PC L. Sen
CIF 19
(Separate copies)

Oh
3/9

उपस्थित कार्यालय
आयसी सं० 1560B
दिनांक 23/8/06

- ✓ 1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi
3. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
4. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
5. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
7. The Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
8. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
9. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
11. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

DD [Signature]
24/8

25/8/06

AD (Lyc...)

File
L. Sen
25/8



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 917]
No. 917]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 18, 2006/श्रावण 27, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 18, 2006/SRAVANA 27, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2006

का.आ. 1321(अ).—यतः केन्द्र सरकार दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जोकि दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 2 मार्च, 2006 की सार्वजनिक सूचना सं. का.आ. 273(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और जिनके संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथोचित आपत्तियां/सुझाव उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में दिनांक 2 मार्च, 2006 को प्रकाशित उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में कई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में संशोधन करने का निर्णय किया है।

3. अतः, अब, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2001 में भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

(i) जोन 'ओ' के पॉकेट-III, फेज-I में 16.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली भूमि का भू-उपयोग निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :—

स्थान	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भू-उपयोग (मास्टर प्लान-2001)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
1	2	3	4	5
जोन 'ओ' में पॉकेट-III, फेज-I	(i) 11.0 हेक्टेयर (ii) 5.5 हेक्टेयर	'कृषि तथा जलाशय' 'कृषि तथा जलाशय'	'आवासीय' 'व्यवसायिक/होटल'	पूर्व—पार्किंग/अक्षरधाम मंदिर दक्षिण—हरित क्षेत्र/राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पश्चिम—45 मी. चौड़ी तटबंध सड़क उत्तर—प्रस्तावित 30 मी. चौड़ी सड़क

[सं. के-13011/25/2005-डीडी 1बी]

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2006

S.O. 1321(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 273(E) dated 2nd March, 2006 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas a number of objections/suggestions were received in response to the above stated public notice dated 2nd March, 2006 with regard to the proposed modifications and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications :

(i) The land use of an area of 16.5 ha. in Pocket-III, Phase-I in Zone 'O' is changed as per following description :—

Location	Area in hectares	Land use (MPD-2001)	Land use changed	Boundaries
1	2	3	4	5
Pocket-III, Phase-I in Zone 'O'	(i) 11.0 ha.	'Agricultural and Water Body'	'Residential'	East—Parking/Akshar Dham Temple
	(ii) 5.5 ha.	'Agricultural and Water Body'	'Commercial/Hotel'	South—Green/National Highway 24 West—45m wide embankment road North—Proposed 30m road.

[No. K-13011/25/2005-DD 1B]

S. MUKHERJEE, Under Secy.



दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
pro205

No. F1(1)2006/28/6-81

RECEIVED / DEPT. OF URBAN LANDS
D.D.A. / DEPT. & CO. ORDN. BRANCH
RECEIVED / DEPT. NO. 252
RECEIVED / DATE 21/7/06

From: A K Manna
Jt. Director (MP)
6th floor, Vikas Minar

Date 20.7.06. 200

TO:

Sh. S Mukherjee
Under Secretary,
Ministry of Urban Development
Nirman Bhawan, New Delhi.

Sub: Notification of Zonal Development Plans in accordance with the directions of the Hon'ble Supreme Court in I A No. 22 in W P (C) No. 4677 of 1985 M C Mehta Vs Union of India and others.

Sir,

Please refer to letter no. K-13011/7/2006-DDIB dated 21.6.2006 on the above mentioned subject. In this regard, I am directed to inform that as per the provision of DD Act 1957 read with relevant rules and regulations framed there under, the notices for Zonal Development Plan of Zone 'G' (West Delhi), 'H' (North Delhi), 'M (Pt) - Rohini Subcity' and 'M (Pt), N (Pt) & P (Pt.) - Narela Subcity' have been published in the Gazette of India on 7.7.2006 and in three local newspapers on 8.7.2006. A copy of the Gazette Notification for each of the Zonal Plans mentioned above are enclosed.

As per the Regulations, the notice shall have to be published by affixing copies thereof in the offices of the Delhi Development Authority, Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Committee & the Delhi Administration Secretariat. Accordingly 2 copies of the notices are being sent to each of these organizations.

Thanking you,

Yours faithfully,

Encl. as above.

(A K Manna)

Copy alongwith the enclosure to:

1. Principal Commissioner cum Secretary, DDA
2. PS to Chief Secretary, GNCTD
3. PS to Commissioner, MCD
4. PS to Chairperson, NDMC

: for information of the later and
: with the request to kindly
: arrange to affix copies of the
: notices in the notice board of
: their respective offices.

Joint Director (MP)

19/7/06
AD (myc)
DDA (myc)
Meeting 15.5.11
24/7

961-PCU
21/7/06

604 AD/M
24-7-06



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2006/आषाढ़ 16, 1928

No. 705]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2006/ASADHA 16, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2006

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11 के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1020(अ).—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि:—

- (क) केन्द्र सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जोन 'जी' (उत्तरी पश्चिमी दिल्ली-1) की क्षेत्रीय विकास योजना अनुमोदित कर दी है।
- (ख) यथा अनुमोदित योजना की प्रति का निरीक्षण सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच निदेशक (ए.पी.-I) कार्यालय, चौथी मंजिल, विकास मीनार अथवा क्षेत्रीय योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली-110002 में किया जा सकता है।

[सं. एफ. 1(26)94-जैड.पी./पार्ट]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTICE

New Delhi, the 7th July, 2006

Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957)

S.O. 1020(E).—Notice is hereby given that:—

- (a) The Central Government under the Sub section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 has approved Zonal Development Plan for Zone 'G' (North West Delhi-I).
- (b) A copy of the Plan, as approved may be inspected at the office of the Director (AP-I) 4th floor, Vikas Minar or Zonal Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, Delhi Development Authority, New Delhi-110002 between the hours of 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on all working days.

[No. F. 1(26)94-ZP/Pt.]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum- Secy.

सूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2006

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11 के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1021(अ).—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि:—

- (क) केन्द्र सरकार ने जोन 'एच' (उत्तरी पश्चिमी दिल्ली-1) की क्षेत्रीय विकास योजना को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अनुमोदित प्रदान कर दिया है।
- (ख) यथा अनुमोदित योजना की प्रति का निरीक्षण सभी कार्य-दिवसों को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच निदेशक (ए.पी.-II) कार्यालय, चतुर्थ तल, विकास मीनार अथवा क्षेत्रीय योजना अनुभाग, छठा तल, विकास मीनार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली-110002 में किया जा सकता है।

[सं. एफ. 1(1)(93)-जैड.पी.]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

NOTICE

New Delhi, the 7th July, 2006

Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957)

S.O. 1021(E).—Notice is hereby given that:—

- (a) The Central Government under the Sub-section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 has approved Zonal Development Plan for Zone 'H' (North-West Delhi-I)
- (b) A copy of the Plan, as approved may be inspected at the office of the Director (AP-II) 4th floor, Vikas Minar or Zonal Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, Delhi Development Authority, New Delhi-110002 between the hours of 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on all working days.

[No. F.1(1)93-ZP]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum- Secy.

सूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2006

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11 के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1022(अ).—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि:—

- (क) केन्द्र सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जोन 'एम' (पार्ट) रोहिणी उपनगर की क्षेत्रीय विकास योजना अनुमोदित कर दी है।
- (ख) यथा अनुमोदित योजना की प्रति का निरीक्षण सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच निदेशक (आर पी), दीपाली चौक, सैक्टर-3, रोहिणी के कार्यालय में अथवा क्षेत्रीय योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली-110002 में किया जा सकता है।

[सं. एफ. 4(4)98-एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

NOTICE

New Delhi, the 7th July, 2006

Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957)

S.O. 1022(E).—Notice is hereby given that:—

- (a) The Central Government under the Sub-section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 has approved Zonal Development Plan for Zone 'M' (Part), Rohini Sub City.

- (b) A copy of the Plan, as approved, may be inspected at the office of the Director (RP), Deepali Chowk, Sector-3, Rohini, or Zonal Plan Section, 6th floor, Vikas Minar Delhi Development Authority, New Delhi-110002 between the hours of 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on all working days.

[No. F. 4(4)98-MP]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum- Secy.

सूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2006

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11 के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1023(अ).—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :—

- (क) केन्द्र सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जोन 'एम' (पार्ट) एन (पार्ट), एवं पी (पार्ट) नरेला उपनगर की क्षेत्रीय विकास योजना अनुमोदित कर दी है।
- (ख) यथा अनुमोदित योजना की प्रति का निरीक्षण सभी कार्य-दिवसों में पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच निदेशक (एन पी) कार्यालय, ग्यारहवीं मंजिल, विकास मीनार अथवा क्षेत्रीय योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली-110002 में किया जा सकता है।

[सं. एफ. 4(3)98-एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

NOTICE

New Delhi, the 7th July, 2006

Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957)

S.O. 1023(E).—Notice is hereby given that:—

- (a) The Central Government under the Sub-section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 has approved Zonal Development Plan for Zone 'M' (Part), N (Part) and P (Part)—Narela Sub City.
- (b) A copy of the Plan, as approved may be inspected at the office of the Director (NP), 11th floor, Vikas Minar or Zonal Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, Delhi Development Authority, New Delhi-110002 between the hours of 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on all working days.

[No. F. 4(3) 98-MP]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum- Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2006/आषाढ़ 16, 1928

No. 705]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2006/ASADHA 16, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2006

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11 के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1020(अ).—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि:—

- (क) केन्द्र सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जोन 'जी' (उत्तरी पश्चिमी दिल्ली-1) की क्षेत्रीय विकास योजना अनुमोदित कर दी है।
- (ख) यथा अनुमोदित योजना की प्रति का निरीक्षण सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच निदेशक (ए.पी.-1) कार्यालय, चौथी मंजिल, विकास मीनार अथवा क्षेत्रीय योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली-110002 में किया जा सकता है।

[सं. एफ. 1(26)94-जैड.पी./पार्ट]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTICE

New Delhi, the 7th July, 2006

Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957)

S.O. 1020(E).—Notice is hereby given that:—

- (a) The Central Government under the Sub section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 has approved Zonal Development Plan for Zone 'G' (North West Delhi-1).
- (b) A copy of the Plan, as approved may be inspected at the office of the Director (AP-I) 4th floor, Vikas Minar or Zonal Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, Delhi Development Authority, New Delhi-110002 between the hours of 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on all working days.

[No. F. 1(26)94-ZP/Pt.]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum- Secy.

सूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2006

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11 के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1021(अ).—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि:—

- (क) केन्द्र सरकार ने जोन 'एच' (उत्तरी पश्चिमी दिल्ली-1) की क्षेत्रीय विकास योजना को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अनुमोदित प्रदान कर दिया है।
- (ख) यथा अनुमोदित योजना की प्रति का निरीक्षण सभी कार्य-दिवसों को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच निदेशक (ए.पी.-II) कार्यालय, चतुर्थ तल, विकास मीनार अथवा क्षेत्रीय योजना अनुभाग, छठा तल, विकास मीनार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली-110002 में किया जा सकता है।

[सं. एफ. 1(1)(93)-जैड.पी.]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

NOTICE

New Delhi, the 7th July, 2006

Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957)

S.O. 1021(E).—Notice is hereby given that:—

- (a) The Central Government under the Sub-section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 has approved Zonal Development Plan for Zone 'H' (North-West Delhi-I)
- (b) A copy of the Plan, as approved may be inspected at the office of the Director (AP-II) 4th floor, Vikas Minar or Zonal Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, Delhi Development Authority, New Delhi-110002 between the hours of 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on all working days.

[No. F. 1(1)93-ZP]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.

सूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2006

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11 के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1022(अ).—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि:—

- (क) केन्द्र सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जोन 'एम' (पार्ट) रोहिणी उपनगर की क्षेत्रीय विकास योजना अनुमोदित कर दी है।
- (ख) यथा अनुमोदित योजना की प्रति का निरीक्षण सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच निदेशक (आर पी), दीपाली चौक, सेक्टर-3, रोहिणी के कार्यालय में अथवा क्षेत्रीय योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली-110002 में किया जा सकता है।

[सं. एफ. 4(4)98-एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

NOTICE

New Delhi, the 7th July, 2006

Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957)

S.O. 1022(E).—Notice is hereby given that:—

- (a) The Central Government under the Sub-section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 has approved Zonal Development Plan for Zone 'M' (Part), Rohini Sub City.

- (b) A copy of the Plan, as approved, may be inspected at the office of the Director (RP), Deepali Chowk, Sector-3, Rohini, or Zonal Plan Section, 6th floor, Vikas Minar Delhi Development Authority, New Delhi-110002 between the hours of 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on all working days.

[No. F. 4(4)98-MP]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.

सूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2006

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11 के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1023(अ).—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :—

- (क) केन्द्र सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जोन 'एम' (पार्ट) एन (पार्ट), एवं पी (पार्ट) नरेला उपनगर की क्षेत्रीय विकास योजना अनुमोदित कर दी है।
- (ख) यथा अनुमोदित योजना की प्रति का निरीक्षण सभी कार्य-दिवसों में पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच निदेशक (एन पी) कार्यालय, ग्यारहवीं मंजिल, विकास मीनार अथवा क्षेत्रीय योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली-110002 में किया जा सकता है।

[सं. एफ. 4(3)98-एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

NOTICE

New Delhi, the 7th July, 2006


Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957)

S.O. 1023(E).—Notice is hereby given that:—

- (a) The Central Government under the Sub-section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 has approved Zonal Development Plan for Zone 'M' (Part), N (Part) and P (Part)—Narela Sub City.
- (b) A copy of the Plan, as approved may be inspected at the office of the Director (NP), 11th floor, Vikas Minar or Zonal Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, Delhi Development Authority, New Delhi-110002 between the hours of 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on all working days.

[No. F. 4(3)98-MP]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.



दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
pro205

No. F1(1)2006/29/C-81

From: A K Manna
Jt. Director (MP)
6th floor, Vikas Minar

दि. वि. प्र. / संसद एवं समन्वय विभाग
D.D.A. / PARLT & CO-ORDN. BRANCH
पायली सं. / DIARY No. 252
दिनांक / DATE 24/7/06

20.7.06
Dated 2006

TO:

Sh. S Mukherjee
Under Secretary,
Ministry of Urban Development
Nirman Bhawan, New Delhi.

Sub: Notification of Zonal Development Plans in accordance with the directions of the Hon'ble Supreme Court in I A No. 22 in W P (C) No. 4677 of 1985 M C Mehta Vs Union of India and others.

Sir,

Please refer to letter no. K-13011/7/2006-DDIB dated 21.6.2006 on the above mentioned subject. In this regard, I am directed to inform that as per the provision of DD Act 1957 read with relevant rules and regulations framed there under, the notices for Zonal Development Plan of Zone 'G' (West Delhi), 'H' (North Delhi), 'M (Pt) - Rohini Subcity' and 'M (Pt), N (Pt) & P (Pt.) - Narela Subcity' have been published in the Gazette of India on 7.7.2006 and in three local newspapers on 8.7.2006. A copy of the Gazette Notification for each of the Zonal Plans mentioned above are enclosed.

As per the Regulations, the notice shall have to be published by affixing copies thereof in the offices of the Delhi Development Authority, Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Committee & the Delhi Administration Secretariat. Accordingly 2 copies of the notices are being sent to each of these organizations.

Thanking you,

Yours faithfully,

(A K Manna)

Encl. as above.

Copy alongwith the enclosure to:

1. Principal Commissioner cum Secretary, DDA
2. PS to Chief Secretary, GNCTD
3. PS to Commissioner, MCD
4. PS to Chairperson, NDMC

: for information of the later and
: with the request to kindly
: arrange to affix copies of the
: notices in the notice board of
: their respective offices.

Joint Director (MP)

19/7/06
AD (myc)
DDA
Meeting 15.5.11
24/7



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2006/आषाढ़ 16, 1928

No. 705]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2006/ASADHA 16, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2006

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11 के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1020(अ).—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि:—

- (क) केन्द्र सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जोन 'जी' (उत्तरी पश्चिमी दिल्ली-1) की क्षेत्रीय विकास योजना अनुमोदित कर दी है।
- (ख) यथा अनुमोदित योजना की प्रति का निरीक्षण सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच निदेशक (ए.पी.-I) कार्यालय, चौथी मंजिल, विकास मीनार अथवा क्षेत्रीय योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली-110002 में किया जा सकता है।

[सं. एफ. 1(26)94-जैड.पी./पार्ट]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTICE

New Delhi, the 7th July, 2006

Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957)

S.O. 1020(E).—Notice is hereby given that:—

- (a) The Central Government under the Sub section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 has approved Zonal Development Plan for Zone 'G' (North West Delhi-I).
- (b) A copy of the Plan, as approved may be inspected at the office of the Director (AP-I) 4th floor, Vikas Minar or Zonal Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, Delhi Development Authority, New Delhi-110002 between the hours of 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on all working days.

[No. F. 1(26)94-ZP/Pt.]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum- Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2006/आषाढ़ 16, 1928

No. 705]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2006/ASADHA 16, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2006

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11 के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1020(अ).—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि:—

- (क) केन्द्र सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जोन 'जी' (उत्तरी पश्चिमी दिल्ली-I) की क्षेत्रीय विकास योजना अनुमोदित कर दी है।
- (ख) यथा अनुमोदित योजना की प्रति का निरीक्षण सभी कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच निदेशक (ए.पी.-I) कार्यालय, चौथी मंजिल, विकास मीनार अथवा क्षेत्रीय योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली-110002 में किया जा सकता है।

[सं. एफ. 1(26)94-जैड.पी./पार्ट]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTICE

New Delhi, the 7th July, 2006

Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957)

S.O. 1020(E).—Notice is hereby given that:—

- (a) The Central Government under the Sub section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 has approved Zonal Development Plan for Zone 'G' (North West Delhi-I).
- (b) A copy of the Plan, as approved may be inspected at the office of the Director (AP-I) 4th floor, Vikas Minar or Zonal Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, Delhi Development Authority, New Delhi-110002 between the hours of 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on all working days.

[No. F. 1(26)94-ZP/Pt.]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum- Secy.

सूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2006

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11 के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1021(अ).—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि:—

- (क) केन्द्र सरकार ने जोन 'एच' (उत्तरी पश्चिमी दिल्ली-1) की क्षेत्रीय विकास योजना को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अनुमोदित प्रदान कर दिया है।
- (ख) यथा अनुमोदित योजना की प्रति का निरीक्षण सभी कार्य-दिवसों को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच निदेशक (ए.पी.-II) कार्यालय, चतुर्थ तल, विकास मीनार अथवा क्षेत्रीय योजना अनुभाग, छठा तल, विकास मीनार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली-110002 में किया जा सकता है।

[सं. एफ. 1(1)(93)-जैड.पी.]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

NOTICE

New Delhi, the 7th July, 2006

Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957)

S.O. 1021(E).—Notice is hereby given that:—

- (a) The Central Government under the Sub-section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 has approved Zonal Development Plan for Zone 'H' (North-West Delhi-I)
- (b) A copy of the Plan, as approved may be inspected at the office of the Director (AP-II) 4th floor, Vikas Minar or Zonal Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, Delhi Development Authority, New Delhi-110002 between the hours of 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on all working days.

[No. F.1(1)93-ZP]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum- Secy.

सूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2006

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11 के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1022(अ).—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि:—

- (क) केन्द्र सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जोन 'एम' (पार्ट) रोहिणी उपनगर की क्षेत्रीय विकास योजना अनुमोदित कर दी है।
- (ख) यथा अनुमोदित योजना की प्रति का निरीक्षण सभी कार्य-दिवसों में पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच निदेशक (आर पी), दीपाली चौक, सैक्टर-3, रोहिणी के कार्यालय में अथवा क्षेत्रीय योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली-110002 में किया जा सकता है।

[सं. एफ. 4(4)98-एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

NOTICE

New Delhi, the 7th July, 2006

Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957)

S.O. 1022(E).—Notice is hereby given that:—

- (a) The Central Government under the Sub-section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 has approved Zonal Development Plan for Zone 'M' (Part), Rohini Sub City.

- (b) A copy of the Plan, as approved, may be inspected at the office of the Director (RP), Deepali Chowk, Sector-3, Rohini, or Zonal Plan Section, 6th floor, Vikas Minar Delhi Development Authority, New Delhi-110002 between the hours of 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on all working days.

[No. F. 4(4)98-MP]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum- Secy.

सूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2006

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11 के अंतर्गत सूचना**का.आ. 1023(अ).—**एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :—

- (क) केन्द्र सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जोन 'एम' (पार्ट) एन (पार्ट), एवं पी (पार्ट) नरेला उपनगर की क्षेत्रीय विकास योजना अनुमोदित कर दी है ।
- (ख) यथा अनुमोदित योजना की प्रति का निरीक्षण सभी कार्य-दिवसों में पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच निदेशक (एन पी) कार्यालय, ग्यारहवीं मंजिल, विकास मीनार अथवा क्षेत्रीय योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली-110002 में किया जा सकता है ।

[सं. एफ. 4(3)98-एम.पी.]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

NOTICE

New Delhi, the 7th July, 2006

Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957)**S.O. 1023(E).**—Notice is hereby given that:—

- (a) The Central Government under the Sub-section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 has approved Zonal Development Plan for Zone 'M' (Part), N (Part) and P (Part)—Narela Sub City.
- (b) A copy of the Plan, as approved may be inspected at the office of the Director (NP), 11th floor, Vikas Minar or Zonal Plan Section, 6th floor, Vikas Minar, Delhi Development Authority, New Delhi-110002 between the hours of 11.00 A.M. and 3.00 P.M. on all working days.

[No. F. 4(3)98-MP]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum- Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 777]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2006/आषाढ़ 30, 1928

No. 777]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2006/ASADHA 30, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सुचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2006

का.आ. 1160(अ).—जबकि, अधिसूचना सं. का.आ. 557(अ), दिनांक 7-6-2000 के साथ पठित अधिसूचना सं. का.आ. 623(अ) दिनांक 23-7-1998 द्वारा दिल्ली मुख्य योजना, 2001 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के द्वारा जल, विद्युत, जल-मल व्ययन, सड़कों को चौड़ा करने, परिचालन, पार्किंग, पार्कों, आदि जैसी नगर सेवाओं को बढ़ाने की शर्त पर आवासीय भूखण्ड/भूखण्डीय विकास से संबंधित विकास नियंत्रण मानदंडों जैसे अनुमत तल कवरेज, तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ ए आर), आवासी इकाइयों की संख्या और ऊंचाई के संबंध में संशोधन किया गया था।

जबकि, दिनांक 23.7.98 की उक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक किए गए निर्माण-कार्यों को नियमित करने के लिए समय-समय पर अम्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

जबकि, केन्द्र सरकार ने समस्या की गंभीरता और इस मामले में शामिल मुद्दों का मूल्यांकन करने और इनसे निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति सुझाने के लिए श्री तेजेन्द्र खन्ना, भूतपूर्व उपराज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 14.2.2006 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी।

जबकि, उक्त तेजेन्द्र खन्ना समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13-5-06 को प्रस्तुत कर दी है।

और जबकि केन्द्र सरकार ने तेजेन्द्र खन्ना समिति की रिपोर्ट पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद अनधिकृत निर्माण-कार्य के एक समयकालिक नियमन के लिए आवासीय भूखण्डीय विकास के संबंध में मानदंडों को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है।

अतः अब समय-समय पर यथा संशोधित दिल्ली विकास (मुख्य योजना और क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, 1959 के नियम 16 एवं 17 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 ए के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संशोधनों, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली मुख्य योजना 2001 में किये जाने का प्रस्ताव है, को एतद्वारा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से आम जनता के लिए प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा सुझाव देना हो, तो वह उसे लिखित रूप में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अन्दर प्रधान आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन:

भारत के राजपत्र दिनांक 1.8.90 के पृष्ठ 159 (दाईं तरफ) पर, जिसे भारत के राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 23.07.1998 द्वारा संशोधित किया गया है, दिनांक 23.07.1998 की उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट मानदंडों

के संशोधन में निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन आवासीय भूखंडीय विकास (001) के संबंध में निम्नलिखित विकास नियंत्रण मानदंडों का प्रस्ताव है:-

क्रम सं.	भूखंड का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	अधिकतम तल कवरेज % में	अधिकतम तल क्षेत्रफल अनुपात	अधिकतम ऊंचाई मीटर में
1.	100 से कम	100	350	15
2.	100 से 250 तक	75	300	15
3.	250 से 500 तक	75	225	15
4.	500 से 1000 तक	50	150	15
5.	1000 से 1500 तक	40	120	15
6.	1500 से 2250 तक	40	120	15
7.	2250 से 3000 तक	40	120	15
8.	3000 से 3750 तक	40	120	15
9.	3750 से अधिक	40	120	15

निबंधन एवं शर्तें:

- (i) ये संशोधित विकास मानदंड केवल इस सार्वजनिक सूचना की तिथि को विद्यमान निर्माण पर ही लागू होंगे। सभी अन्य निर्माण विद्यमान मानदंडों द्वारा शासित किये जाते रहेंगे।
- (ii) अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात और/ या उपर्युक्त संशोधित मानदंडों के अनुसार ऊंचाई की मांग करने वाले भूखंड स्वामियों/आबंटितियों को संशोधित मानदंडों की अधिसूचना की तिथि से 60 दिन की अवधि के अन्दर स्थानीय निकाय को आवेदन करना होगा। आवेदक को भवन नक्शे की प्रति, जैसी कि स्थल पर वास्तविक रूप से विद्यमान हो, भी संलग्न करनी चाहिए, जो पंजीकृत वास्तुकार द्वारा प्रमाणित हो।
- (iii) उपर्युक्त उल्लिखित संशोधित मानदंडों के अनुसार तल क्षेत्रफल के अतिरिक्त कवरेज चाहने वाले भूखंड के स्वामियों/आबंटितियों से समय-समय पर सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित दरों पर संघटन प्रभार वसूल किए जाएंगे।
- (iv) उपर्युक्त उल्लिखित मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त तल अथवा उसके किसी भाग को चाहने वाले भूखंड स्वामियों/आबंटितियों से समय-समय पर सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित दरों पर जुर्माना/विशेष संघटन प्रभार वसूल किए जाएंगे।
- (v) इस तरह से एकत्र की गई राशि को पार्किंग स्थलों के विकास, सुविधाओं/आधारिक संरचना के संवर्धन और पर्यावरणीय सुधार कार्यक्रमों पर व्यय करने के लिए संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा 'एस्क्रो एकाउन्ट' में जमा किया जाएगा।
- (vi) अतिरिक्त एफ.ए.आर. इत्यादि के लाभ में सभी सम्पत्तियां/उप विभाजित प्लॉट सहित प्लॉट शामिल होंगे। तथापि उप-प्लॉट के लिए मानदंड सम्पूर्ण प्लॉट के यथा अनुपात में होंगे। अर्थात् यदि 1000 वर्ग मीटर का प्लॉट 500 वर्ग मीटर के दो उप प्लॉटों में विभाजित किया जाता है, तो इस तरह के प्रत्येक उप प्लॉट 500 वर्ग मीटर पर 40 प्रतिशत भू कवरेज और 120 एफ.ए.आर. के हकदार होंगे। सम्पूर्ण प्लॉट में आवासीय इकाइयों की कुल संख्या 6(8) से अधिक नहीं होगी।
- (vii) सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को नियमित नहीं किया जाएगा और उसे अतिरिक्त निर्माण/ऊंचाई की स्वीकृति के लिए आवेदन करने से पूर्व हटाना होगा।
- (viii) अतिरिक्त एफ.ए.आर. और/अथवा ऊंचाई को चाहने वाले प्रत्येक आवेदक को संरचना इंजीनियर से प्राप्त संरचनात्मक सुरक्षा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जहां इस प्रकार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता अथवा भवन संरचनात्मक रूप से अन्यथा असुरक्षित पाया जाता है तो संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा स्वामी को समुचित निर्धारित अवधि के अन्दर संरचनात्मक कमजोरी को ठीक करने के लिए औपचारिक नोटिस दिया जाएगा। इसके ठीक न किए जाने पर भवन को असुरक्षित घोषित किया जाएगा और स्थानीय निकाय द्वारा उसे गिरा दिया जाएगा।

[सं. एफ.-20(4)2005/एमपी/पार्ट-2]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(MASTER PLAN SECTION)
PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 21st July, 2006

S.O. 1160 (E).—Whereas, the Master Plan of Delhi, 2001 was modified *vide* notification No. S.O. 623(E), dated 23-7-1998 read with notification No. S.O. 557(E), dated 7-6-2000 revising the development control norms in respect of residential plot/plotted development regarding permissible ground coverage, FAR, number of dwelling units and height, subject to augmentation of municipal services such as water, power, sewerage, road widening, circulation, parking, parks, etc.;

Whereas, representations have been received from time to time for regularisation of constructions carried out in excess of the norms laid down by the said notification dated 23-7-98;

Whereas, the Central Government had constituted a Committee of experts on 14.2.2006 under the Chairmanship of Shri Tejendra Khanna, former, Lt. Governor, Delhi to assess the magnitude of the problem and issues involved in the matter and to suggest a comprehensive strategy to deal with it;

Whereas, the said Tejendra Khanna Committee has submitted its report on 13-5-06;

And whereas the Central Government, after careful consideration of the report of the Tejendra Khanna Committee, has proposed to modify the norms in respect of residential plotted development, to provide for one-time regularization for unauthorized construction;

Now, therefore, in exercise of powers under Section 11 A of the Delhi Development Act 1957, read with Rules 16 & 17 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules 1959, as amended from time to time, the following modifications, which are proposed to be made by the Delhi Development Authority in the Master Plan for Delhi 2001, are hereby published with the approval of the Central Government, for public information. Any person having any objection or suggestion may send the same in writing to the Principal Commissioner—cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi - 110023, within a period of 30 days from the date of publication of this Notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

Modification:

On page 159 (RHS) of the Gazette of India dated 1-8-90, as modified vide Gazette of India Notification dated 23.07.1998, the following development control norms are proposed in respect of Residential Plotted Development (001) in modification of norms laid down in the said Notification dated 23.07.1998, subject to the terms and conditions given below:-

Sl. No.	Area of Plot in sqm	Maximum ground coverage in %	Maximum FAR	Maximum height in metres
1	Below 100	100	350	15
2	From 100 to 250	75	300	15
3	From 250 to 500	75	225	15
4	From 500 to 1000	50	150	15
5	From 1000 to 1500	40	120	15
6	From 1500 to 2250	40	120	15
7	From 2250 to 3000	40	120	15
8	From 3000 to 3750	40	120	15
9	Above 3750	40	120	15

Terms and conditions:

- (i) These modified development norms will be applicable only to construction existing as on the date of this public notice. All other construction will continue to be governed by the existing norms.
- (ii) Plot owners/ allottees seeking additional FAR and/or height as per above-mentioned modified norms shall be required to apply to the local body concerned within a period of 60 days from the date of the notification of the modified norms. The applicant should also attach a copy of the Building Plan, as it actually exists, at site, certified by a Registered Architect.
- (iii) Plot owners/ allottees seeking extra coverage of floor area as per above-mentioned modified norms shall be charged compounding charges at the rates notified with the approval of the Government, from time to time.
- (iv) Plot owners / allottees seeking additional floor or part thereof as per above mentioned norms shall be charged penalty/ special compounding charges at the rates notified with the approval of the Government, from time to time.

- (v) The amount so collected shall be deposited in an ESCROW ACCOUNT by the local body concerned for incurring expenditure for developing parking sites, augmentation of amenities/ infrastructure and environmental improvement programmes.
- (vi) The benefit of additional FAR etc. shall cover all properties/plots including sub-divided plots. However the norms for the subplot will be proportionate to that for the entire plot. That is to say if a plot of 1000 sqm is divided into two subplots of 500 sqm each, then each such sub-plot will be entitled to 40% ground coverage and 120 FAR on 500 sqm. The total number of dwelling units in the entire plot shall not exceed 6 (8).
- (vii) Encroachment on public land shall not be regularized and shall be removed first before applying for sanction of additional construction/ height.
- (viii) Every applicant seeking additional FAR and / or height will submit a certificate of structural safety obtained from a structural engineer. Where such certificate is not submitted or the Building is otherwise found to be structurally unsafe, formal notice will be given to the owner by the local body concerned, to rectify the structural weakness within a reasonable stipulated period, failing which the building shall be declared unsafe and shall be demolished by the local body.

[No. F-20(4)2005/MP/Part-II]

V. M. BANSAL, Principal Commissioner-cum-Secy.

2239 9172008-2



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 778]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2006/आषाढ़ 30, 1928

No. 778]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2006/ASADHA 30, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2006

का.आ. 1161(अ).—जबकि, जहां तक मिश्रित भूमि उपयोग पर अध्याय का संबंध है, दिल्ली मुख्य योजना-2001 में अधिसूचना सं. का.आ. 425(अ), दिनांक 28-3-2006 द्वारा संशोधन किया गया था।

जबकि, उसके बाद मिश्रित उपयोग से संबंधित प्रावधानों में और संशोधन करने और उन्हें युक्तिसंगत बनाने के लिए अनेक अभिवेदन प्राप्त हुए हैं।

जबकि, केन्द्र सरकार ने समस्या की गंभीरता और इस मामले में शामिल मुद्दों का मूल्यांकन करने और इनसे निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति सुझाने के लिए श्री तेजेन्द्र खन्ना, भूतपूर्व उपराज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 14.2.2006 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी।

जबकि, उक्त तेजेन्द्र खन्ना समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.5.06 को प्रस्तुत कर दी है।

और जबकि, केन्द्र सरकार ने तेजेन्द्र खन्ना समिति की रिपोर्ट पर सावधानी से विचार करने के बाद मिश्रित उपयोग से संबंधित सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव किया है।

अतः अब समय-समय पर यथासंशोधित दिल्ली विकास (मुख्य योजना और क्षेत्रीय विकास योजना) नियम 1959 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 11-ए के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण का केन्द्र सरकार के अनुमोदन से दिल्ली मुख्य योजना-2001 में आगे निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें एतद्वारा सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या सुझाव देना हो तो वह इसे लिखित रूप में प्रधान आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को, इस सूचना के प्रकाशित होने से 30 दिनों के अंदर भेज सकता है। आपत्ति करने वाले अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन:-

भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (2) दिनांक 1.8.1990 में निम्नलिखित शामिल किया जाएगा:-

(1) पृष्ठ 165 पर दाईं तरफ 'अनुच्छेद 10.0 मिश्रित उपयोग विनियम' के अंतर्गत अधिसूचना एस.ओ. नं. 425

(ई) दिनांक 28.3.2006 द्वारा यथा-संशोधित विद्यमान प्रावधानों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

10.0 मिश्रित उपयोग नीति:-

इस अध्याय में कुछ अनुमेय प्रयोजनों हेतु भूमि की मिश्रित उपयोग नीति आती है। यह नीति जिन उद्देश्यों हेतु इसे नियोजित किया गया था, उनके भिन्न भूमि उपयोग की अनुमति देने की आवश्यकता को दर्शाती है और उन शर्तों को निर्दिष्ट करती है, जिनके अंतर्गत इसे विभिन्न स्थितियों में लागू किया जा सकता है। उक्त नीति को लागू करने के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य पद्धति और ऐसे क्षेत्रों में ऐसे अनिच्छित उपयोग के प्रभाव का सामना करने के लिए किए जाने वाले शमनीय उपाय भी बताए गए हैं।

10.1 मिश्रित उपयोग के नियंत्रक सिद्धांत

- 1) इस अध्याय के उद्देश्यों हेतु मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय परिसरों में गैर-आवासीय कार्यकलापों के प्रावधान से है।
- 2) नीति का लक्ष्य ऐसे क्रिया-कलापों हेतु सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता और आवासीय क्षेत्रों में उक्त क्रिया कलापों के पर्यावरणीय प्रभाव में संतुलन बनाए रखना है।
- 3) मिश्रित उपयोग की नीति आवासों के निकटस्थ क्षेत्र में व्यावसायिक संस्थापनाओं तक पहुंचने की अनुमति देती है और शहर में विभिन्न जोनों में आने-जाने की आवश्यकता को कम करती है। तथापि, साथ ही साथ, भीड़-भाड़ बढ़ते हुए यातायात और नागरिक सुविधाओं पर बढ़ते हुए दबाव से संबंधित विपरीत प्रभाव को प्रबंधित और कम करने के उद्देश्य से इसे विनियमित करने की आवश्यकता है।
- 4) मिश्रित उपयोग की अनुमति देने वाले महत्वहीन सिद्धान्तों को समझने और सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान करने, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने तथा सुरक्षित एवं सुविधाजनक परिवहन और पार्किंग की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
- 5) मिश्रित-उपयोग की अनुमति लुटियंस बंगला क्षेत्र, सिविल लाइन्स, सरकारी आवास, सार्वजनिक और निजी एजेंसियों को सांस्थानिक व स्टाफ आवासों और विरासत संरक्षण समिति द्वारा सूचीबद्ध किए गए भवनों/अहातों में नहीं दी जाएगी।

10.2 आवासीय क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग: विभिन्न दृष्टिकोण

- 1) मिश्रित उपयोग नीति में विभिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता इस तथ्य से उत्पन्न हो गई है कि दिल्ली देश की राजधानी होने तथा आर्थिक कार्यकलाप का एक महत्वपूर्ण केन्द्र होने के कारण यहां आवासीय क्षेत्रों के प्रकार में काफी भिन्नता है। लुटियंस-दिल्ली के रूप में निर्मित की गई नियोजित आवासीय कालोनियों और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए नियोजित विकास की प्रक्रिया के माध्यम के अतिरिक्त चार दीवारी शहर, विशेष क्षेत्रों और शहरीकृत गांवों में अधिकृत आवासीय क्षेत्र हैं। अन्य नियोजित क्षेत्रों में पुनर्वास कालोनियां, दि.वि.प्रा. के अस्तित्व से पूर्व में बसीं कालोनियां, भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पुनर्वासित कालोनियां शामिल हैं। दिल्ली के विभिन्न भागों में अनियोजित अनधिकृत विनियमित की गई कालोनियां, अनधिकृत कालोनियां तथा स्लम एवं झुग्गी-झोंपड़ी समूह भी हैं।
- 2) इसके अतिरिक्त निवासियों द्वारा स्वयं आवश्यक या वांछनीय समझे गए गैर आवासीय कार्यकलापों की सीमा निवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उस क्षेत्र में विकास की पुरानी पद्धति के आधार पर भिन्न-भिन्न हैं। कुछ कालोनियां गैर आवासीय कार्यकलापों को अपनी आजीविका के महत्वपूर्ण भाग के रूप में मानेंगी, जबकि कुछ अन्य कालोनियां अपनी कालोनियों और आसपास के क्षेत्रों की कमोबेश विशेष आवासीय प्रकृति को सुरक्षित रखना चाहेंगी।
- 3) अतः दिल्ली में मिश्रित उपयोग नीति के प्रयोग में एक अलग प्रकार के प्रस्ताव का अनुसरण करना प्रस्तावित है।
- 4) पृथक प्रस्ताव सम्पत्ति कर निर्धारण के यूनिट एरिया सिद्धांत के रूप में दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वीकार किए गए क से ग तक कालोनियों के वर्गीकरण के आधार पर होगा।
- क) क से ख श्रेणियों में आने वाली कालोनियों में केवल व्यावसायिक कार्य-कलापों की अनुमति होगी। किसी अन्य कार्यकलाप की अनुमति अनुवर्ती पैराओं में विनिर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत केवल तभी दी जा सकती है, यदि उक्त कालोनियों के आर.डब्ल्यू.ए. इस संबंध में विशेष अनुरोध करें।
- ख) ग और घ श्रेणियों में आने वाली कालोनियों में मिश्रित उपयोग, आर.डब्ल्यू.ए. के साथ विचार-विमर्श की शर्त पर, अनुवर्ती पैराग्राफों में निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुमेय होगा।
- ग) ङ, च और छ में आने वाली कालोनियों में सभी श्रेणियों का मिश्रित उपयोग, अनुवर्ती पैराग्राफों में विनिर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुमेय होगा।
- घ) नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन डी एम सी) क्षेत्र में आने वाली कालोनियों (लुटियंस बंगला जोन, सरकारी आवास, सार्वजनिक एवं निजी एजेंसियों के सांस्थानिक और स्टाफ आवास और विरासत संरक्षण समिति द्वारा सूचीबद्ध भवनों/अहातों को छोड़कर) के संबंध में वर्तमान मिश्रित उपयोग मार्ग/सीमाएं एन डी एम सी द्वारा अधिसूचित की जाएंगी। मिश्रित उपयोग वाले मार्गों/सीमाओं की आगामी अधिसूचना सामुदायिक आवश्यकताओं, पर्यावरण प्रभाव और यातायात परिचालन/पर्याप्त पार्किंग के मूल्यांकन के लिए एक फील्ड स्तरीय सर्वेक्षण और रेजीडेन्ट्स वेलफेयर ऐसोशिएसनों के साथ विचार-विमर्श करके की जाएगी।

10.3 वर्तमान शहरी क्षेत्रों और शहरीकरण योग्य क्षेत्रों में मिश्रित भूमि उपयोग का निर्धारण:

- दिल्ली के शहरीकरण योग्य क्षेत्रों के अतिरिक्त शहरीकृत/शहरी दोनों में मिश्रित उपयोग क्षेत्रों/मार्गों का निर्धारण निम्नानुसार होगा:
- 1) पहले से ही शहरीकृत/शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग अनुमेय होगा।
 - क) श्रेणी क और ख श्रेणी में आने वाली कालोनियों में नियमित आवासीय भूखंडीय विकास में न्यूनतम 18 मी. मार्गाधिकार के साथ मार्गों/सड़कों के सामने वाले आवासीय भूखंडों में आर.डब्ल्यू.ए. के विशेष अनुरोध पर।

- ख. ग और घ श्रेणी में आने वाली कालोनियों में नियमित आवासीय भूखंडीय विकास में न्यूनतम 18 मी. मार्गाधिकार के साथ पुनर्वास कालोनियों में 13.5 मी. मार्गाधिकार और विशेष क्षेत्र एवं शहरी गांवों में 9 मी. मार्गाधिकार के साथ मार्गों/सड़कों के सामने वाले आवासीय भूखंडों में आर डब्ल्यू ए के परामर्श की शर्त पर ।
- ग. ड, च और छ श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली सभी कालोनियों में 13.5 मी., 9 मी. और 6 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़कों के सामने वाले आवासीय भूखंडों में क्रमशः आवासीय भूखंडीय विकास, पुनर्वास कालोनियों और विशेष क्षेत्र/चारदीवारी शहर/गांवों में ।
2. दिल्ली मुख्य योजना-2001 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले अधिसूचित और अनुबंध-1 में निर्दिष्ट (निर्दिष्ट सीमाओं/मार्गों की सूची) सभी मार्गों/सीमाओं पर मिश्रित उपयोग की अनुमति जारी रहेगी ।
 3. पूर्व में घोषित व्यावसायिक अथवा जहाँ दिल्ली मुख्य योजना-1962 में व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी गई थी, उन आवासीय क्षेत्रों और मार्गों/सीमाओं को भी दि.मु.यो. 1962 में अनुमेय विस्तार तक ऐसे उपयोग की अनुमति होगी ।
 4. आवासीय क्षेत्रों में 1962 से पूर्व से मौजूद कार्यकलापों को उनके दस्तावेजी प्रमाण देने की शर्त पर जारी रखने की अनुमति दी जाएगी ।
 5. उपर्युक्त (2) एवं (3) के अंतर्गत आने वाले मार्गों के अतिरिक्त अधिसूचना लागू होने के 60 दिनों के अंदर, ऐसे मार्गों के मिश्रित उपयोग मार्गों के रूप में निर्दिष्ट सीमाओं की अधिसूचना पर निर्णय को ध्यान में रखकर स्थानीय निकायों द्वारा उपर्युक्त विस्तार वाले सभी अन्य मार्गों का एक सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक होगा ।
 6. फील्ड सर्वेक्षण में मार्ग पर मौजूदा गैर आवासीय उपयोग के विस्तार क्षेत्र का निर्धारण किए जाने वाले मार्ग की सीमा, नागरिक सुविधाओं की अतिरिक्त आवश्यकता और यातायात परिचालन एवं पार्किंग की व्यवस्था का आकलन होगा ।
 7. संबंधित अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ एक फील्ड सर्वेक्षण के बाद अधिसूचना उक्त 60 दिनों के अंदर पूरी की जानी चाहिए ।
 8. नए शहरीकरण योग्य क्षेत्रों में
- क. नए विकसित आवासीय क्षेत्रों में उपर्युक्त निर्दिष्ट मिश्रित उपयोग केवल 18 मी. मार्गाधिकारों वाले मार्गों पर स्थित आवासीय प्लॉटों पर अनुमेय होगा ।
- ख. ऐसे गांवों में जो शहरी घोषित किए जाते हैं और विकास प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं उनमें इस प्रकार के समाकलन हेतु तैयार की गई स्थानीय क्षेत्रीय योजना/लेआउट प्लान में निर्दिष्ट क्षेत्रों/सीमाओं में मिश्रित उपयोग अनुमेय होगा ।
9. ऐसे नए क्षेत्रों में लेआउट प्लान में ऐसे विस्तार क्षेत्रों/प्लॉटों को निर्दिष्ट किया जाएगा और निजी विकास के मामले में लेआउट प्लान के लिए अनुमति प्रदान करने के समय उन्हें मिश्रित उपयोग नीति के अंतर्गत दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित क्षेत्रों के मामले में आबंटन अथवा नीलामी द्वारा निपटान के समय अधिसूचित किया जाएगा ।
- 10.4 मिश्रित उपयोग को नियंत्रित करने वाले सामान्य निबंधन एवं शर्तें :
- अधिसूचित विस्तार क्षेत्रों/मार्गों पर मिश्रित उपयोग की अनुमति निम्नलिखित सामान्य निबंधन एवं शर्तों के आधार पर होगी :
- (1) अधिसूचित मार्गों पर भूखंडों में भूखंडीय विकास में तीन प्रकार के मिश्रित उपयोग नामतः खुदरा दुकानों, व्यावसायिक कार्यकलाप और अन्य कार्यकलापों की अनुमति है ।
 - (2) किसी भी आवासीय प्लॉट पर (अधिसूचित मार्ग पर, भूखंडीय विकास में), दोनों में से किसी एक को : या तो पैरा 10.6 के अनुसार दुकान या पैरा 10.7 के अनुसार नीचे दी गई सूची में दिए गए अन्य कार्यकलाप में से किसी एक को अनुमति दी जाएगी । तथापि, इन प्लॉटों में व्यावसायिक कार्यकलाप भी अनुमत होंगे ।
 - (3) एक आवासीय इकाई में, (अधिसूचित मार्ग पर, भूखंडीय विकास में) केवल किसी एक प्रकार का मिश्रित उपयोग (अर्थात् फुटकर दुकान अथवा व्यावसायिक कार्यकलाप अथवा अन्य कार्यकलापों में से एक) अनुमेय होगा ।
 - (4) समूह आवास में, केवल व्यावसायिक कार्यकलाप अनुमेय हैं । समूह आवास के लेआउट नक्शे में फुटकर दुकानें विशेष रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी ।
 - (5) मार्गों (गलियों) या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं होगी ।
 - (6) प्लॉट/आवासीय इकाई को मिश्रित उपयोग में रखने के बाद भी विशेष आवासीय उपयोग के लिए यथा लागू विकास निबंधन मानदण्ड लागू रहेंगे ।
 - (7) यदि अधिसूचित मार्ग, मुख्य योजना सड़क है, तो सेवा सड़क उपलब्ध होनी चाहिए अथवा स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि मिश्रित उपयोग परिसर तक ऐसी सेवा सड़क से पहुंचा जा सके और मुख्य कैरिजवे से सीधे नहीं ।

- (8) भूखंडीय विकास में, आगे के सैटबैक पर चारदीवारी नहीं होगी, ताकि उसका अतिरिक्त पार्किंग के लिए उपयोग किया जा सके । यह समूह आवासों में भू-तल के आवासों पर भी लागू होगा, जिनका व्यावसायिक कार्यकलाप के लिए उपयोग किया जा रहा है ।
- (9) परिसरों के अंदर 2.0 ई.सी.एस. प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से उपलब्ध कराई जाएगी । जहां यह उपलब्ध नहीं है, पार्किंग के विकास की लागत प्लॉट के आबंटिती/स्वामी द्वारा देय होगी ।
- (10) मिश्रित उपयोग नीति के अंतर्गत मार्ग की अधिसूचना के परिणाम स्वरूप यातायात और पार्किंग पर अतिरिक्त भार को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के मार्गों पर सामूहिक पार्किंग क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे । यदि कोई पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं है तो उक्त मार्ग पर भूमि/प्लॉट ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा या तो पार्किंग सुविधाओं के निर्माण के लिए वरीयतः बहुतलीय पार्किंग के लिए अधिग्रहीत किया जाएगा । इस प्रकार की पार्किंग सुविधाओं का विकास या तो ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा और कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल के रूप में सार्वजनिक निजी साझेदारी को भी शामिल किया जा सकता है ।
- (11) शहरी गांवों, विशेष क्षेत्रों और चारदीवारी शहर में 9 मीटर से कम (ई.एफ. एवं जी. श्रेणी की कालोनियों में 6 मीटर) मार्गाधिकार वाले मार्ग यदि मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित हैं तो उन्हें पैडेस्ट्रियन शॉपिंग स्थानों (पी.एस.एस.) के रूप में घोषित किया जाएगा और मोटर द्वारा चलने वाले वाहनों के लिए नहीं खोले जाएंगे ।
- 10.5 अनुमेय और गैर अनुमेय उपयोग
किसी भी व्यापार अथवा कार्यकलाप जिसमें किसी प्रकार का हानिकर, जोखिम भरा, ज्वलनशील, असंगत और प्रदूषणकारी पदार्थ या प्रणाली हो, को अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- 10.6 फुटकर दुकानें
1. मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित प्लॉटों और मार्गों पर फुटकर दुकानें केवल भूतल पर अधिकतम अनुमेय भूतल कवरेज तक अनुमत होंगी ।
 2. निम्नलिखित कार्यकलापों को मिश्रित उपयोग के अंतर्गत अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- क. भवन निर्माण सामग्री (लकड़ी, लकड़ी के उत्पाद, मार्बल*, लौह एवं इस्पात और रेत), जलाने वाली लकड़ी (फायरवुड), कोयला और अग्नि के जोखिम वाले और अन्य भारी सामग्री वाली फुटकर दुकानें ।
- ख. ऑटोमोबाइल की मरम्मत की दुकानें और वर्कशॉप, साइकिल रिक्शा मरम्मत, टायर रिसोर्टिंग और रीट्रीडिंग, बैटरी चार्जिंग वाली दुकानें । **
- ग. भण्डारण, गोदाम और भाण्डागार ।
- घ. कबाड़ी की दुकान
- ङ. शराब की दुकान
- च. मुद्रण, रंगाई एवं वार्निशिंग
- छ. कोई अन्य कार्यकलाप जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए ।
- नोट: *पूर्णतः तैयार मार्बल उत्पाद की फुटकर दुकानें जो कटिंग और पॉलिशिंग का कार्यकलाप नहीं करती हों, **ऑटोमोबाइल और साइकिल रिक्शा के मामले में मरम्मत की दुकानें और वर्कशॉप ऐसे प्लॉटों पर अनुमेय होंगी जो 30 मीटर या अधिक मार्गाधिकार वाले मिश्रित उपयोग मार्गों से लगे हुए हैं ।
- 10.7 अन्य कार्यकलाप
- 10.7.1 अधिसूचित मार्गों पर स्थित आवासीय भूखंडों में निम्नलिखित अन्य कार्यकलाप भी अनुमत होंगे :-
- (क) प्री-प्राइमरी स्कूल (नर्सरी/मांटेसरी स्कूल, क्लेश)
 - (ख) नर्सिंग होम
 - (ग) गेस्ट हाउस
 - (घ) बैंक
 - (ङ) फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र)
- 10.7.2 ऊपर उल्लिखित कार्यकलाप पूर्ववर्ती पैरों में निर्धारित सामान्य शर्तों के अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन भी होंगे :

- (1) परवर्ती पैरों में उल्लिखित विशेष शर्तों के अधीन जिन भूखण्डों पर ये कार्यकलाप अनुमेष होंगे उनका न्यूनतम आकार अधिसूचित मार्गों पर नियमित भूखण्डीय विकास में 200 वर्गमीटर और पुनर्वास कालोनियों, विशेष क्षेत्रों एवं गांवों में 160 वर्गमीटर होगा। भूखण्ड का अधिकतम आकार 1000 वर्ग मीटर होगा।
- (2) बैंक एफ.ए.आर. के 2/3 भाग पर 600 वर्गमीटर की शर्त पर अनुमेष होंगे, जबकि गेस्ट हाउस और नर्सिंग होम तल क्षेत्रफल के 3/4 भाग तक अनुमेष होंगे।
- (3) मुख्य योजना सड़कों और क्षेत्रीय योजना सड़कों के सामने भूखण्डों, जो मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित हैं, में चल रहे नर्सिंग होम निर्मित क्षेत्र के 100 प्रतिशत तक अनुमेष होंगे और उन पर भूखंड के आकार की सीमा संबंधी शर्त लागू नहीं होगी।
- (4) विशेष क्षेत्र के मिश्रित उपयोग मार्गों पर स्थित भूखंडों में और मुख्य योजना सड़कों तथा क्षेत्रीय योजना सड़कों के सामने स्थित भूखंडों, जो मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित हैं, में चल रहे गेस्ट हाउस निर्मित क्षेत्र के 100 प्रतिशत तक अनुमेष होंगे और उन पर भूखंड के आकार की सीमा संबंधी शर्त लागू नहीं होगी।
- (5) प्री-प्राइमरी स्कूल और फिटनेस सेण्टर को केवल भू-तल पर अनुमत तल कवरेज तक सीमित किया जाएगा।
- (6) उपर्युक्त कार्यकलाप, भू-खंडों के आकार, सड़क की चौड़ाई आदि के संबंध में निबंधनों और शर्तों सहित, उन पर लागू संबंधित अध्यादेशों/अधिनियमों में निर्धारित किन्ही अन्य विशिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन होंगे।
- (7) भू-खंड के आबंटिती/स्वामी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पार्किंग की व्यवस्था करें ताकि पार्किंग से सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण न हो और न ही वह उससे आगे बढ़े।

टिप्पणी :- अधिसूचना संख्या 273 से 275 (ई) दिनांक 11.3.2003 के माध्यम से निबंधनों और शर्तों को शामिल करने वाले संबंधित विनियमों में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

10.7.3 बैंकट हॉल की अनुमति केवल आद्योगिक क्षेत्रों में होगी न कि आवासीय उपयोग क्षेत्र में। तल कवरेज, तल क्षेत्रफल अनुपात, उँचाई और तहखाने के संबंध में विकास नियंत्रण मानदंड उस परिसर के लिए विशिष्ट भूमि उपयोग हेतु मुख्य योजना मानदंडों के अनुसार लागू होंगे।

10.8 पेशेवर (प्रोफेशनल) कार्यकलाप :

1. पेशेवर कार्यकलाप की अनुमति होगी बशर्ते कि ये कार्यकलाप निवासी द्वारा स्वयं चलाये जायें।
2. पेशेवर कार्यकलापों से तात्पर्य उन कार्यकलापों से होगा, जिनमें डाक्टर, वकील, वास्तुकार और चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट जैसी पेशेवर दक्षता पर आधारित व्यावसायिक सेवायें शामिल हैं।
3. समूह आवासों और बहु आवासीय इकाइयों वाले भू-खंड के विकास में किसी भी तल पर पेशेवर कार्यकलाप चलाने की अनुमति होगी, बशर्ते कि यह कार्यकलाप आवासीय इकाई के अनुमत अथवा संस्वीकृत तल क्षेत्रफल अनुपात, जो भी कम हो, के 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में न हों।
4. एकल आवासीय इकाई वाले भू-खंडीय विकास के मामले में ऐसे कार्यकलाप केवल किसी एक तल पर ही अनुमत होंगे, परन्तु भू-खंड पर अनुमत अथवा संस्वीकृत तल क्षेत्रफल अनुपात, जो भी कम हो, के 50 प्रतिशत से कम पर ऐसे कार्यकलाप चलाने की अनुमति होगी।

10.9 मिश्रित उपयोग परिसरों का पंजीकरण और प्रभारों का भुगतान :

1. मिश्रित उपयोग नीति के प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए भू-खंडीय विकास के मामले में भू-खंड/आवासीय इकाई और समूह आवासों के मामले में आवासीय इकाई के स्वामी/आबंटिती को स्वयं को पंजीकृत कराना होगा और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली दरों पर निर्धारित प्रभारों का भुगतान करना होगा।
2. पहले से मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत आने वाले अथवा मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत लाये जाने वाले निवास स्थान के संपत्ति स्वामी/उपयोग कर्ता को इस संबंध में फार्म भरकर ऐसे मिश्रित उपयोग की घोषणा करनी होगी और उस फार्म को एक समयकालिक पंजीकरण प्रभार के साथ स्थानीय निकाय में जमा करना होगा।
3. मिश्रित उपयोग वाली संपत्ति के लिए, जिस अवधि के दौरान संपत्ति का मिश्रित उपयोग हुआ है उस अवधि के लिए, प्रतिवर्ष स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. को मिश्रित उपयोग प्रभार का भुगतान भी करना होगा। संपत्ति स्वामी/आबंटिती द्वारा यह भुगतान प्रत्येक वर्ष 30 जून से पूर्व स्वैच्छिक रूप से किया जायेगा।

224002/06-2

4. इसके अतिरिक्त यदि गैर-आवासीय कार्यकलापों के लिए आवासीय परिसर का उपयोग करने के लिए भवन नक्शे में कोई संशोधन आवश्यक है तो संपत्ति के आबंटिती/स्वामी को संशोधित भवन नक्शा संस्वीकृत करना होगा और उसके लिए आवश्यक प्रमारों का भुगतान करना होगा।
 5. संबंधित स्थानीय निकाय मिश्रित उपयोगाधीन संपत्ति की परीक्षण-जांच करने के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही वह संपत्ति उसके पास पंजीकृत हो अथवा नहीं।
 6. संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध अन्य दण्डात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त, स्व-घोषणा/पंजीकरण के बिना अथवा पंजीकरण के निबंधनों का उल्लंघन करने वाली मिश्रित उपयोगाधीन संपत्ति पर मिश्रित उपयोग के लिए निर्धारित वार्षिक प्रभार से दस गुना जुर्माना लगेगा।
- 10.10 रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के साथ परामर्श
1. मिश्रित उपयोग मार्गों को घोषित करने के उद्देश्यों के लिए रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के साथ संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा परामर्श किया जायेगा। इस तरह के परामर्श में एक अथवा अधिक रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के माध्यम से उस कालोनी के कम से कम 50 प्रतिशत प्लॉट आबंटिती/मालिक शामिल होंगे।
 2. रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के साथ अर्थपूर्ण परामर्श के लिए स्थानीय निकायों द्वारा वास्तविक प्रयास किये जायेंगे। इस तरह के प्रयासों में शामिल हैं :- प्रस्तावित परामर्शों का व्यापक प्रचार, परामर्श के रिकार्ड का रखरखाव और रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों और जनता तक उन रिकार्डों की पहुंच को उपलब्ध कराना।
 3. रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन परामर्श व्यापक हो सकता है परन्तु यह मिश्रित उपयोग मार्गों की पहचान तक सीमित होगा और व्यक्तिगत मामलों में अनुमति प्रदान करने के लिए नहीं। तथापि, रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों को सार्वजनिक परेशानियों और गैर-अनुमेल्य उपयोगों की शिकायतों के मामलों में अपनी सुनवाई कराने का अधिकार होगा।
 4. बैंकेट हॉलों के लिए अनुमति देने से पूर्व रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के साथ परामर्श करना न केवल 1962 के बाद के भू-खंडीय विकास के मामलों में अनिवार्य होगा वरन् किसी भी ऐसे आवासीय क्षेत्र के लिए होगा जहाँ बैंकेट हॉलों की अनुमति है।
- 10.11 किन मामलों में मिश्रित उपयोग मना किया जा सकता है / वापस लिया जा सकता है।

किसी भी ऐसी शर्त, जिसके अन्तर्गत ऐसा मिश्रित उपयोग अनुमेल्य/अनुमत है, के उल्लंघन के मामले में संबंधित स्थानीय निकाय मिश्रित उपयोग की अनुमति अथवा पंजीकरण को रद्द अथवा निलंबित कर सकती है।

10.12

10.12.1

व्यावसायिक सड़कें :

24 मी० से अधिक मार्गाधिकार की मुख्य सड़कों पर जहाँ अधिसूचित मिश्रित उपयोग पर 70 प्रतिशत से अधिक सम्पत्तियाँ व्यावसायिक उपयोग के अधीन हैं, वहाँ इस प्रकार के क्षेत्र को सरकार द्वारा व्यावसायिक क्षेत्र/सड़कों के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। इस प्रकार के क्षेत्रों की पहचान स्थानीय निकाय द्वारा आयोजित किये जाने वाले क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर होगी।

10.12.2

पहचान किये जाने के बाद व्यावसायिक क्षेत्रों/मार्गों की अधिसूचना निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन होगी :

1. ऐसे क्षेत्रों/मार्गों के लिए स्थानीय ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा संशोधित ले-आउट प्लान तैयार करना और स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान करना।
2. ऐसे क्षेत्रों/मार्गों के ले-आउट प्लान में परिचालन, पार्किंग, खुले स्थानों की पर्याप्त व्यवस्था और समान आकार के व्यावसायिक केन्द्रों पर यथा लागू अन्य योजना मानदंडों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
3. स्थानीय ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा ऐसे क्षेत्र/मार्ग पर पार्किंग और सामूहिक सुविधाओं के लिए आवश्यक खुले स्थान उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
5. व्यावसायिक मार्गों पर स्थित भू-खंड/संपत्ति स्वामियों/आबंटितियों को ऐसी आधारिक संरचना की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त विकास प्रभारों का भुगतान

करना होगा ।

6. कोई अन्य शर्त, जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाये ।

[सं. एफ. 20(4)/2005/एम.पी./पार्ट-2]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

अनुबंध

दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में गलियों का मिला जुला उपयोग

1. क्षेत्र 'क' भाग 'ग' (चार दीवारी शहर)

क्र.सं.	
1	चौदनी चौक रोड़ (100 फुट मार्गाधिकार)
2	नेताजी सुभाष मार्ग (80 फुट मार्गाधिकार)
3	अन्सारी रोड़ (60 फुट मार्गाधिकार)
4	खारी बावली (80 फुट मार्गाधिकार)
5	नया बाजार रोड़ (30 फुट मार्गाधिकार)
6	श्रद्धानंद मार्ग (80 फुट मार्गाधिकार)
7	अजमेरी गेट बाजार (60 फुट मार्गाधिकार)
8	चर्च मिशन रोड़ (60 फुट मार्गाधिकार)
9	एस.पी.एम.मार्ग (120 फुट मार्गाधिकार)
10	एच.सी.सेन.रोड़(100 फुट मार्गाधिकार)
11	अजमेरी गेट रोड़, बाजार सीताराम, गली कूचा पाती राम, गली आर्य समाज, गली काली मस्जिद, गली कटरा अनिखान
12	बाजार दिल्ली दरवाजा
13	नेताजी सुभाष मार्ग, सर सइयद अहमद मार्ग, गली कूचा चालान, गली पटौदी हाउस, गली कला महल ।
14	गली चूड़ीवालान घावड़ी बाजार, बाजार भटिया महल, सीताराम बाजार, गली पंडित प्रेम नारायण ।
15	अजमेरी गेट, फाजिल रोड़ गली शाह तारा, गली कूचा पंडित, गली शाह गंज, फराश खाना रोड़ लाल कुआं बाजार ।
16	फराश खाना रोड़ समोसा वाली गली, फाजिल रोड़, नया बाँस रोड़, बाजार खारी बावली, कटरा दरियां रोड़, गली बताशावाली, गली कूचा नबाव
17	नेताजी सुभाष मार्ग, दयानंद रोड़ अन्सारी रोड़ ।
18	कटरा बारीयान रोड़, लाल कुआं रोड़, गली बल्लीमरान, गली कासिम जान, चावरी बाजार, नई सड़क, चौदनी चौक ।
19	नई सड़क, चौदनी चौक, एसप्लेनेड रोड़, दरिबा कला बाजार गुलियान, चावरी बाजार, छत्ता शाहजी गली खजूर गली कटरा कुशल राय, गली अनार वाली, किनारी बाजार, मालीवाड़ा रोड़ ।
20	चौदनी चौक, कटरा नील, चर्च मिशन रोड़, कटरा नटवर एरिया
21	एच.सी. सेन रोड़, चौदनी चौक
22	बड़ा बाजार रोड़

2. क्षेत्र 'क' (चार दीवारी क्षेत्र के अतिरिक्त)

क्र.सं.		
1	रानी झांसी रोड़ (आजाद मार्केट से फिल्मिस्तान तक)	गोशाला रोड़ के पास वाले कोसिंग से फिल्मिस्तान तक (पूर्व की ओर)
2	कुतुब रोड़ (सिंगाड़ा चौक से पुल मिठाई तक)	सीनियर सेकण्डरी स्कूल सदर बाजार के जंक्शन से पुल मिठाई और रोड़ के पश्चिम की ओर
3	सदर थाना रोड़	सदर थाना से फूटा रोड़
4	ईदगाह रोड़	सिंगाड़ा चौक से सदर थाना रोड़ के कोसिंग (रोड़ के उत्तरी साइड पर)
5	आजाद मार्केट रोड़	आजाद मार्केट रोड़ से पुल मिठाई तक
6	चमेलियन रोड़	रानी झांसी रोड़ कोसिंग से महाराजा अग्रसेन मार्ग जंक्शन तक
7	महाराजा अग्रसेन मार्ग	रानी झांसी रोड़ जंक्शन से कुतुब रोड़ कोसिंग तक

		(सदर बाजार)
8.	मैन पहाड़गंज रोड	चेम्स फोर्ड रोड जंक्शन से रामकृष्ण आश्रम
9	देश बंधु गुप्ता रोड	पहाड़ गंज पुलिस स्टेशन कोसिंग से शीला सिनेमा के सामने ।
10	रागुरु रोड (गुरुवाला रोड)	देश बंधु गुप्ता रोड जंक्शन से मैन बाजार पहाड़ गंज रोड जंक्शन तक
11	नेहरू बाजार रोड	पंचकुईयाँ रोड जंक्शन से मैन पहाड़ गंज बाजार रोड जंक्शन तक

3 क्षेत्र 'ख'

1	देश बंधु गुप्ता रोड	फेज रोड कोसिंग से प्रस्तावित 30 मी. रोड के जंक्शन तक (नक्शे में रोड नं-4)
2.	बैंक गली	फेज रोड कोसिंग से रामकृष्ण मार्ग कोसिंग तक
3.	हरध्यान सिंह रोड	—वही—
4.	आर्य समाज रोड	फेज रोड कोसिंग से प्रस्तावित 30 मी. चौड़ी रोड कोसिंग तक (नक्शे में रोड नं.-4)
5.	पदम सिंह रोड	सत्तावन गर्ल्स स्कूल रोड कोसिंग से गुरुद्वारा रोड कोसिंग तक
6	न्यू रोहतक रोड (दक्षिण साइड)	फेज रोड कोसिंग से जोशी रोड जंक्शन तक
7	रोड नं. 4(प्रस्तावित 30 मी0 चौड़ी रोड (पूर्व साइड)	डी.बी. गुप्ता रोड कोसिंग से पदमसिंह रोड जंक्शन तक
8	न्यू पूषा रोड	डी.बी.गुप्ता रोड जंक्शन से टैंक रोड जंक्शन तक
9	रामकृष्णदास मार्ग	डी.बी.गुप्ता रोड जंक्शन से नक्शे में रोड नं. -31 के जंक्शन तक
10	विष्णु मंदिर मार्ग	नक्शे में डी.बी.गुप्ता रोड नं-31 के जंक्शन से ।
11	सरस्वती मार्ग	डी.बी.गुप्ता रोड जंक्शन से आर्य समाज रोड जंक्शन तक
12	अजमल खाँ रोड	टैंक रोड जंक्शन से पूषा लेन जंक्शन तक
13	गुरुद्वारा रोड	डी.बी.गुप्ता रोड जंक्शन से पदम सिंह मार्ग जंक्शन तक

14	लक्ष्मी द्वार मार्ग	आर्य समाज रोड जंक्शन से पूषा लेन जंक्शन तक
15	अब्दुल अजीज रोड	बैंक गली जंक्शन से आर्य समाज रोड जंक्शन तक
16	कृष्ण दास रोड	डी.बी.गुप्ता रोड जंक्शन से आर्य समाज रोड जंक्शन तक
17	सत्तावन आर्य गर्ल्स स्कूल मार्ग (पश्चिम साइड)	आर्य समाज रोड जंक्शन से पूषा लेन जंक्शन तक
18	जोशी रोड	न्यू रोहतक रोड जंक्शन से डी.बी.गुप्ता रोड जंक्शन तक
19	अब्दुल रहमान रोड	डी.बी.गुप्ता रोड जंक्शन से आर्य समाज रोड जंक्शन तक
20	इलाही वक्श मार्ग	—वही—
21	फेज रोड (पश्चिम साइड)	—वही—

4. क्षेत्र 'ग'

1.	रोशनारा रोड	1.00
2.	जी.टी.रोड	2.18
3	शक्ति मार्ग (नागिया पार्क के निकट)	0.32
4	सत्यवती रोड	0.15
5	मंडेला रोड	0.06
6	कोलाहपुर रोड	0.06
7	मल्कागंज रोड	0.88

5. क्षेत्र 'घ'

1	टैम्पल रोड, भोगल
2	शाही होस्पिटल रोड, भोगल
3	सैट्रल रोड, भोगल
4	मस्जिद रोड, भोगल
5	गुरुद्वारा रोड, लाजपत नगर-4
6	रिंग रोड, के साथ नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1 सर्विस रोड
7	ब्लॉक 'ओ' व के लाजपत नगर-2 के मध्य में रोड (24 मी. चौड़ी)
8	सैट्रल मार्केट और लाजपत नगर-2
9	अलंकार सीनेमारोड/पुष्पा मार्केट रोड(लाजपत नगर)
10	मीष्म पितामह रोड (डिफेंस कालोनी)
11	दुकान प्लॉटों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे का निर्मित भाग

6. क्षेत्र- 'ड'

1	शापिंग सेंटर, कृष्णा नगर	
2	छोटा बाजार, शाहदरा	
3	मेन गांधी नगर बाजार	
4	बड़ा बाजार, शाहदरा	
5	अनाज मंडी, शाहदरा	
6	विश्वास नगर, शापिंग एरिया	
7	सीलमपुर का-शापिंग एरिया/सीलमपुर	
8	फरी बाजार, शाहदरा	
9	रेलवे रोड, शाहदरा	
10	मेन रोड गांधी नगर	मार्जीनल बांध से झील बस टर्मिनल तक
11	मेन विकास मार्ग	मार्जीनल बांध से पटपड़गंज रोड तक
12	विजय चौक रोड(लक्ष्मी नगर मेन रोड)	विकास मार्ग से पटपड़गंज रोड
13	पटपड़गंज रोड	जी.एच.बी.एस. और पुनर्वास कालोनियों के अतिरिक्त झील बस टर्मिनल से मधुबन रेलवे कासिंग तक
14	रोड नं-57	सी.जी.एच.एस. और सुविधा केन्द्रों के अतिरिक्त जी.टी. रेलवे लाइन से परवाना रोड तक
15	भोलानाथ नगर रोड	रोड नं 57 से बाबूराम स्कूल तक
16	मंदिर मार्ग रोड	रघुनाथ मंदिर से रोड नं. 57 तक

17	रोड. नं 35 'ए'	पुल क्षेत्र और मदर डेरी प्लॉट के अतिरिक्त विकास मार्ग से मदर डेरी तक
18	60 फुटा चौड़ा रोड	तेलीवाड़ा से बाबूराम स्कूल
19	मौजपुर क्षेत्र में प्रस्तावित मास्टर प्लॉन रोड नं. 67	रोड नं. 66 से घोंडा चौक
20	लोनी रोड	टी.टी. रोड से रोड नं 68 तक
21	टी.टी.रोड	राधू सिनेमा से लोनी रोड तक
22	रोड नं 66	टी.टी. रोड से केवल पश्चिम साइड पर रोड नं. 68 तक
23	ब्रह्मपुरी मेन रोड	घोंडा चौक से न्यू सीलमपुर मार्केट, रोड
24	यमुना विहार रोड	घोंडा चौक से डी.टी.सी. डिपो तक
25	60 फुटा चौड़ा रोड बलबीर नगर(बाबर पुर रोड)	पूर्वी यमुना नहर से जी.टी.रोड तक
26	100 फुटा रोड नं. 68	पूर्वी यमुना नहर, रेलवे लेवल कासिंग तक

224007/66-3

27	वजीरा बाद रोड	मार्जिनल बांध यमुना विहार योजना तक (केवल दक्षिण साइड)
----	---------------	---

7. क्षेत्र- 'घ'

(क)	नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2 (रिंग रोड पर सामने का भाग)	
(ख)	कालकाजी मेन रोड (ब्लॉक जी और एच तथा इ और एफ के मध्य)	
(ग)	मालवीय नगर (मेन मार्केट रोड)	
(घ)	गोविंदपुरी और गोविंदपुरी विस्तार के मध्य का रोड	
(ड)	दुकान प्लॉट, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार	

8. क्षेत्र 'छ'

1. लक्ष्मण सल्वानिया, न्यू मोती नगर चौक मेन नजफगढ़ रोड से बाहरी रिंग रोड कासिंग तक गणेश नगर ।
2. कीर्ति नगर मायापुरी चौक से कीर्ति नगर पटेल नगर चौक के मध्य ।
3. लाजवंती गार्डन चौक से नंगल राय तक ।
4. सुभाष नगर से दीन दयाल उपाध्य होस्पिटल ।
5. तिलक नगर चौक से नंगल राय फलाई ओवर, जेल रोड ।
6. एच ब्लॉक, बाली नगर नजफगढ़ रोड से बी. ब्लॉक बाली नगर तक ।

9. क्षेत्र 'ज'

1.	रोड नं. 43रानी बाग	200 फुट
2	मेन बाजार, ऋषि नगर	50 फुट
3	मेन बाजार (रोड रानी बाग)	50 फुट
4	मेन रोड राजा पार्क	100 फुट
5	मेन रोड, शास्त्री नगर	200 फुट
6	मेन रोड त्रि नगर	50 प्रतिशत
7	रोड नं. 41 रोहिणी	45 मी0

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 21st July, 2006

S.O. 1161(E).—Whereas, the Master Plan of Delhi-2001 was modified *vide* notification No. S.O. 425(E), dated 28-3-2006 in so far as the chapter on Mixed Use is concerned.

Whereas, several representations have been received since then for further modification and rationalization of the provisions relating to Mixed Use;

Whereas, the Central Government had already constituted a Committee of Experts on 14.2.2006 under the Chairmanship of Shri Tejendra Khanna, former, Lt. Governor, Delhi to assess the magnitude of the problem and issues involved in the matter and to suggest a comprehensive strategy to deal with it;

Whereas, the said Tejendra Khanna Committee has submitted its report on 13-5-06;

And whereas the Central Government after careful consideration of the report of the Tejendra Khanna Committee has proposed to implement the recommendations pertaining to Mixed Use;

Now, therefore, in exercise of powers under section 11 A of the Delhi Development Act read with Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plans) Rules 1959, as amended from time to time, the following further modifications, which are proposed to be made by the Delhi Development Authority in the Master Plan for Delhi-2001, with the approval of Central Government, are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion may send the same in writing to the Principal Commissioner -cum- Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi - 110023; within a period of 30 days from the date of publication of this Notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

Modification:

In Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) dated 1.8.1990 the following shall be incorporated:-

- (i) On page 165(RHS) under CLAUSE 10.0 MIXED USE REGULATIONS the existing provisions, as modified vide notification S.O. No. 425(E) dated 28.3.2006 shall be substituted by the following:-

10.0: MIXED USE POLICY

This chapter covers the policy for mixed use of land for certain permissible purposes. The policy acknowledges the need for permitting use of land for purposes other than that for which it is planned and lays down the conditions under which this may be applied in different situations. The general procedure to be followed for implementation of the said policy, and mitigating measures to be taken to counter the effect of such non-intended use in such areas are also described.

10.1 GOVERNING PRINCIPLES FOR MIXED USE

Mixed use for the purposes of this Chapter means the provision for non-residential activity in residential premises.

- ii. The policy aims to balance the socio-economic need for such activity and the environmental impact of the said activity in residential areas.
- iii. Mixed use allows access to commercial establishments in the proximity of the residences and reduces the need for commuting across zones in the city. However at the same time, it needs to be regulated in order to manage and mitigate associated adverse impacts related to congestion, increased traffic and increased pressure on civic amenities.
- iv. The over-riding principles for permitting mixed use are the need to acknowledge and make adequate provision for meeting community needs, mitigating environmental impact and providing for safe and convenient circulation and parking.
- v. Mixed-use shall not be permitted in the Lutyens Bungalow Zone, Civil Lines, Government housing, institutional and staff housing of public and private agencies, buildings/precincts listed by the Heritage Conservation Committee.

10.2. MIXED USE IN RESIDENTIAL AREAS: DIFFERENTIATED APPROACH:

- i). The need for a differentiated approach to mixed use policy arises from the fact that Delhi, being the country's capital and an important centre of economic activity has a large diversity in the type of residential areas. Apart from the planned residential colonies built as part of Lutyens' Delhi as well as through the process of planned development undertaken by the Delhi Development Authority, there are authorized residential areas in the Walled City, Special areas and in urbanized villages. Other planned areas include resettlement colonies and pre-DDA colonies including post-partition rehabilitation colonies. There are also unplanned unauthorized regularized colonies; unauthorized colonies as well as slums and jhuggi jhonpuri clusters in various parts of Delhi.

- ii). Moreover, the extent of non-residential activity seen as being necessary or desirable by the residents themselves varies from area to area based on the socio-economic status of the residents as well as the past pattern of development in that area. While certain colonies may appreciate the need for non-residential activity as an integral part of their livelihood, some others may fervently wish to preserve the more or less exclusive residential character of their colonies and neighborhoods.
- iii) Hence it is proposed to follow a differentiated approach in the application of the mixed use policy in Delhi.
- iv) The differentiated approach would be based on categorization of colonies from A to G as adopted by MCD for Unit Area method of property tax assessment.
- a. In colonies falling in categories A and B, only professional activity would be permissible. Any other activity may be permitted under the terms and conditions prescribed in the succeeding paras, only if the RWA(s) of the said colonies make a specific request in this regard.
- b. In colonies falling in C and D categories, mixed use would be permissible as per terms and conditions prescribed in the succeeding paras, subject to consultation with RWAs.
- c. In colonies falling in E, F and G all categories of mixed use would be permissible as per terms and conditions prescribed in the succeeding paras.
- d. In respect of colonies falling in NDMC area (excluding Lutyens Bungalow Zone, Government housing, institutional and staff housing of public and private agencies, and buildings/precincts listed by the Heritage Conservation Committee), existing mixed use streets / stretches will be notified by NDMC. Future notification of mixed use streets/ stretches will be done on a field level survey to assess the community needs, environmental impact and traffic

224062/06-4

circulation/ adequate parking and in consultation with Residents Welfare Associations.

10.3 IDENTIFICATION OF MIXED USE AREAS IN EXISTING URBAN AREAS AND URBANIZABLE AREAS:

The identification of mixed use areas/ streets in both the urbanized/urban as well as urbanizable areas of Delhi would be as follows:

- i. In already urbanized /urban areas, mixed use would be permissible in the following areas:
 - a. In colonies falling in Category A and B, subject to specific request of the RWA, in residential plots facing streets/roads with a minimum 18 m ROW in regular residential plotted development.
 - b. In colonies falling in Category C and D, subject to consultation of the RWA in residential plots facing streets/roads with a minimum 18 m ROW in regular residential plotted development, 13.5 m ROW in rehabilitation colonies and 9 m ROW in special area and urban villages.
 - c. In all the colonies falling under E, F and G categories, in residential plots facing roads of ROW 13.5m, 9m and 6 m respectively in residential plotted development, rehabilitation colonies and special area/ walled city/ villages.
- ii. Mixed use shall continue to be permitted on all streets/ stretches already notified by the competent authority under MPD 2001 and indicated in **Annexure-I** (List of identified stretches / Streets).
- iii. Residential areas and Streets/ stretches earlier declared as commercial or where commercial use was allowed in MPD 1962 would also be allowed to continue such use at least to the extent as permissible in MPD 1962.
- iv. Commercial activity existing from prior to 1962 in residential areas would be permitted to continue subject to documentary proof thereof.

- v. In addition to streets covered under (ii) & (iii) above, local bodies shall be required to carry out within 60 days of the Notification coming into force, a survey of all other streets of the above-mentioned width, with a view to decide on notification of identified stretches of such streets as mixed use streets.
- vi. The field survey shall assess the extent of existing non-residential use on the street, the stretch of the street to be notified, the additional requirement of civic amenities and the provision for traffic circulation and parking.
- vii. The notification should be completed within the following 60 days after the field survey with the approval of the Competent Authority under the relevant Act.
- viii. **In new urbanizable areas,**
 - a. In newly developed residential areas, mixed use as specified above shall be permitted only on residential plots located on 18 m. ROW roads.
 - b. In villages that are declared as urban and get integrated into the process of development, mixed use would be permissible in areas/ stretches identified in the local area plan/ lay out plan prepared for such integration.
- ix. The layout plan in such new areas shall earmark such stretches/ plots and notify them under the Mixed Use Policy at the time of grant of permission for layout plan in the case of private development and at the time of disposal by allotment or auction in the case of areas developed by DDA.

10.4 GENERAL TERMS AND CONDITIONS GOVERNING MIXED USE:

On the notified stretches/ streets, mixed use shall be permitted, subject to the following general terms and conditions:

- (i) In plots on notified streets, in plotted development, three types of mixed use namely, retail shops, professional activity and other activity, are permissible.

- (ii) In any residential plot (on the notified street, in plotted development), only one of the two: either retail shop as per para 10.6, or any one of the other activities listed below in para 10.7, would be permitted. However, professional activity would also be permitted in such plots.
- (iii) In one residential dwelling unit, (on the notified street, in plotted development,) only one type of mixed use (i.e., retail shop or professional activity or one of the other activities) shall be permissible.
- (iv) In group housing, only professional activity is permissible. Retail shops would be specifically provided for in the lay out plan of group housing.
- (v) No encroachment shall be permitted on the streets or public land.
- (vi) Development control norms as applicable for the particular residential use will continue to be applicable, even if the plot/ dwelling unit is put to mixed use.
- (vii) If the notified street is a Master Plan Road, service road should be available or provided for by local bodies so that mixed use premises can be approached from such service road and not directly from the main carriageway.
- (viii) In plotted development, front setback should not have boundary wall, so that it can be used for additional parking. This would also apply to ground floor residences in group housing, being used for professional activity.
- (ix) Parking @ 2.0 ECS per 100 sqm shall be provided within the premises. Where this is not available, cost of development of parking, shall be payable by the plot allottee/ owner.
- (x) Common parking areas would be earmarked on such streets taking into account the additional load on traffic and parking consequent upon notification of the street under Mixed Use Policy. If no parking space is available, land/ plot on the said street would be made available by Traders association or acquired for construction of parking facilities, preferably, multi

level parking. Development of such parking facilities would be done by either the traders Association or by local bodies and may include public-private partnership as a model for implementation.

- (xi) Streets of less than 9 m (or 6 m in E, F & G category colonies) ROW in Urban villages, special areas and Walled City, if notified for mixed use shall be declared as Pedestrian Shopping Streets (PSS) and will not be open to motorized transport.

10.5 PERMISSIBLE AND NON-PERMISSIBLE USES:

Any trade or activity involving any kind of obnoxious, hazardous, inflammable, non-compatible and polluting substance or process shall not be permitted.

10.6 RETAIL SHOPS

- i. Retail shops shall be permitted on plots on streets notified for mixed use only on ground floor upto the maximum permissible ground floor coverage.
- ii. The following activities shall not be allowed under Mixed Use:
 - a) Retail shops of building materials (timber, timber products, marble*, iron and steel and sand), firewood, coal and any fire hazardous and other bulky materials.
 - b) Repair shops of automobiles repair and workshop, cycle rickshaw repair, tyre resorting and re-treading, and battery charging.**
 - c) Storage, go-down and warehousing.
 - d) Junk shop
 - e) Liquor shop
 - f) Printing, dying and varnishing
 - g) Any other activity that may be notified from time to time by Government.

Note: * Retail shops of finished Marble products, not undertaking cutting and polishing activities and , ** repair shops and workshops in

224042/06-5

case of automobile and cycle rickshaws, would be permissible on plots abutting mixed use streets of ROW of 30 m or more.

10.7 OTHER ACTIVITY

10.7.1 The following other activities shall also be permitted in the residential plots on notified streets:

- (a) Pre-primary school (Nursery/Montessori School, Crèche.)
- (b) Nursing home
- (c) Guest house
- (d) Bank
- (e) Fitness Centre (Gymnasium, yoga/ meditation centre)

10.7.2. The above mentioned activities would be subject to the following additional conditions in addition to general conditions prescribed in preceding paras:

- (i) Subject to the specific conditions mentioned in succeeding paras, the minimum size of the plot on which these activities shall be permissible, on notified streets, shall be 200 sqm in regular plotted development; 160 sqm in rehabilitation colonies, special area & villages. The maximum size of the plot will be 1000sqm.
- (ii) Banks will be permissible on $2/3^{\text{rd}}$ of FAR subject to 600 sqm, while Guest House and Nursing Homes will be permissible upto $3/4^{\text{th}}$ of the floor area.
- (iii) Nursing Homes operating in plots facing MP roads and ZP roads that are notified for mixed use, will be permissible upto 100% of built up area and the limits on the size of the plot would not apply.
- (iv) Guest Houses operating in plots on mixed use streets in Special Area and in plots facing MP roads and ZP roads that are notified for mixed use will be permissible upto 100% of built up area and the limits on the size of the plot would not apply.

- (v) Pre-primary school and fitness centre would be restricted only to the ground floor up to the permissible ground coverage.
- (vi) The above mentioned activities would also be subject to any other specific terms and conditions, as may be prescribed in the relevant Statutes/ Acts applicable to them, including those in respect of size of plots, road width etc.
- (vii) It shall be the responsibility of the plot allottee/ owner to make arrangements for parking so that the parking does not encroach/ spill over on public land.

The relevant regulations covering terms and conditions vide Notification No 273 to 275(E) dated 11. 03.2003 will be taken up for revision accordingly.

10.7.3. Banquet hall shall be permissible only in industrial areas and not in the residential use zone. Development control norms in respect of Ground coverage, FAR, height and basement shall be applicable as per Master Plan Norms for the specific land use for that premises.

10.8 PROFESSIONAL ACTIVITY

- i. Professional activity will be permitted if carried out by the resident him/her self.
- ii. Professional activities would mean those activities involving commercial services based on professional skills namely Doctor, Lawyer, Architect, and Chartered Accountant.
- iii. In group housing, and plotted development with multiple dwelling units, professional activity shall be permitted on any floor subject to maximum of 50% of the permissible or sanctioned FAR, whichever is less, of the dwelling unit
- iv. In the case of plotted development with single dwelling unit, such activity will be permissible on any one floor only, but

restricted to less than 50% of the permissible or sanctioned FAR, whichever is less on that plot.

10.9 REGISTRATION OF MIXED USE PREMISES AND PAYMENT OF CHARGES:

- i. In order to avail of the provisions under the Mixed Use Policy, the owner/allottee of the plot/ dwelling unit in case of plotted development and dwelling unit in the case of group housing would be required to register himself and pay the prescribed charges at rates to be notified by the Central Government from time to time.
- ii. The property owner/ user of a residence already under mixed use or intended to be put to mixed use, is required to declare such mixed-use by filling up a form in this respect and depositing it with the local body along with one-time registration charges.
- iii. The property under mixed use shall also be liable for payment of mixed-use charges every year to the local body/DDA for the period during which the property is put to mixed use. Such payment will be made by the property owner/ allottee voluntarily before 30 June of every year.
- iv. In addition, if any revision in building plans is required for using residential premises for non-residential activities, the property allottee/ owner would be required to seek sanctioned revised building plans and pay necessary charges.
- v. The local body concerned shall be responsible to conduct test check of properties under mixed use, whether registered with it or not.
- vi. In addition to other penal action available under the relevant Act, properties found to be under mixed use, without self-declaration/ registration or in violation of the terms of registration would be penalized by levy of 10 times the annual charges for mixed use.

10.10 CONSULTATION WITH RWAs:

- i. Consultation with the RWAs for the purposes of declaring mixed use streets would be done by the local bodies concerned. Such consultation should cover at least 50% of the plot allottees/ owners of that colony, through one or more RWAs.
- ii. Genuine efforts for meaningful consultations with RWAs should be made by the local bodies. Such efforts will include wide publicity to the proposed consultations, maintenance of record of consultation and providing access to those records to RWA and public.
- iii. RWA consultation may be extensive but limited to identification of mixed use streets, and not for grant of permission in individual cases. However RWAs would have a right to be heard in cases of complaints of public nuisance and non-permissible uses.
- iv. Consultation with RWAs prior to granting permission for banquet halls shall be compulsory not only in post 1962 plotted development but in any residential area, where banquet halls are permissible.

10.11 UNDER WHAT CONDITIONS MIXED USE CAN BE DENIED/ WITHDRAWN:

Permission or registration for mixed use can be cancelled or suspended by the concerned local body in case of violation of any of the conditions under which such mixed use is permissible/ permitted.

10.12 COMMERCIAL STREETS:

10.12.1. In cases where more than 70% of the properties on a notified mixed use street are under commercial use, on main roads of ROW exceeding 24mts, such stretches can be notified by Government as Commercial stretches/ streets. Identification of such stretches would be on the basis of field survey to be conducted by the local body.

10.12.2. After identification is done, notification of commercial stretches/ streets would be subject to the following terms and conditions:

2240G/06-6

- i) Preparation of revised lay-out plan for such areas/ streets by the local traders Association and approval by the local body.
- ii) The lay-out plan for such areas/ streets should indicate adequate provision for circulation, parking, open spaces and other planning norms as applicable to commercial centres of comparable size.
- iii) Necessary open space should be made available on the stretch / street by local traders association for parking and common facilities.
- v) Plot/ property owners / allottees on the commercial streets would be liable for payment of additional development charges for provisioning of such infrastructure.
- vi) Any other condition that may be prescribed by Government from time to time.

[No. F. 20(4)/2005/MP/Part-II]

V. M. BANSAL, Principal Commissioner-cum-Secy.

Annexure-I

MIXED USE STREETS IN VARIOUS ZONES OF DELHI:

1. Zone-A and part C (Walled City)

1.	Chandi Chowk Road (100 feet R/W)
2.	Netaji Subhash Marg (80 feet R/W)
3.	Ansari Road (60 feet R/W)
4.	Khari Baoli (80 feet R/W)
5.	Naya Bazar Road (80 feet R/W)
6.	Shardanand Marg (60 feet R/W)
7.	Ajmeri Gate Bazar (60 feet R/W)
8.	Church Mission Road (60 feet R/W)
9.	S.P. Marg (120 feet R/W)
10.	H.C. Sen Road (100 Feet R/W)
11.	Ajmeri Gate Road Bazaar Sita Ram, Gali Kucha Pati Ram, Gali Arya Samaj, Gali Kali Masjid, Gali Katra Anikhan.
12.	Bazar Dilli Darwaza
13.	Netaji Subhash Marg, Sir Syed Ahmed Marg, Gali Kuncha Chalan, Gali Pataudi House, Gali Kala Mahal.
14.	Gali Churiwalan Chawri Bazar, Bazar Matia Mahal, Sita Ram Bazar, Gali Pandit Prem Narainh.
15.	Ajmeri Gate Road, Fasil Road, Gali Shah Tara, Gali Kucha Pandit, Gali Shahaganj, Farashkhana Road, Lal Kuan Bazar.
16.	Farash Khana Road, Samosa Wali Gali, Fasil Road, Naya Bans Road, Bazar Khari Baioli, Katra Dariyan Road, Gali Batashawali, Gali Kucha Nawab.
17.	Netaji Subhas Marg, Dayanand road, Ansari Road.

18.	Katra Bariyan Road, Lal Kuan Road, Gali Ballimaran, Gali Kashim Jaan, Chawri Bazar, Nai Sarai, Chandni Chowk.
19.	Nai Sarak, Chandni Chwok, Esplanade Road, Dariba Kalan Bazaar, Gulian, Chawri Bazar, Chatta Shahji, Gali Khajoor, Gali Katra Kushal Rai, Gali Anarwali, Kinari Bazar, Maliwara Road.
20.	Chandni Chowk, Katra Neel, Church Mission Road, Katra Natwar Area.
21.	H.C. Sen Road, Chandni Chowk.
22.	Bara Bazar Road.

2. Zone-A (Part other than Walled City)

1.	Rani Jhasi Road, (Azad Market Chowk to Filmistan)	From crossing with Gaushala Road to Filmistan (on East Side)
2.	Qutab Road (Singhara Chowk to Pul Mithai)	From Junction near Senior Secondary School Sadar Bazar to Pul Mithai and Western Side of the Road.
3.	Sadar Thana Road	Sadar Thana to Phoota Road.
4.	Idgah Road	Singhara Chowk to crossing with Sadar Thana Road (on north side of the road).
5.	Azar Market Road	Azad Market Road to Pul Mithai.
6.	Chamelian Road	From crossing with Rani Jhansi Road to Junction with Maharaja Agrasen Marg.
7.	Maharaja Agresan Marg	From junction with Rani Jhansi road to crossing with Qutab Road (Sadar Bazar).
8.	Main Paharganj Road	From Junction with Chemsford road to Ram Krishna Ashrm.
9.	Desh Bandu Gupta Road	Pahargan Police Station crossing to opposite Shiela Cinema.
10.	Raguru Road (Guruwala Road)	Junction with Desh Bandhu Gupta Road to junction with Main Bazar Pahar Ganj Road.
11.	Nehru Bazar Road	From junction with Punchkuian Road to junction with main paharganj Bazar Road.

3. Zone-B

1.	Desh Bandhu Gupta Road	From crossing with Faiz Road to the junction with proposed 30-M road (road No. 4 in the layout plan).
2.	Bank Street	From crossing with Faiz Road to crossing with Ram Krishna Marg.
3.	Hardhyan Singh Road	- do -
4.	Arya Samaj Road	From crossing with Faiz Road to crossingn with proposed 30-M wide road (road No. 4 in the layout plan).
5.	Padam Singh Road	From crossing with Satbravan Girls School Road to crossing with Gurudwara Road.
6.	New Rohtak Road (South side)	From crossing with Faiz Road to junction with Joshi Road.

224002/06-7

7.	Road No. (proposed 30-M wide road) (East Side)	From crossing with D.B. Gupta Road to junction with Padam Singh Road.
8.	New Pusa Road	From Junction with D.B. Gupta Road to junction with Tank Road.
9.	Ram Krishan Dass Marg	From junction with D.B. Gupta Road to Junction with Road No. 31 of the layout plan.
10.	Vishnu Mandir Marg	From junction with D.B. Gupta road no. 31 of the layout plan.
11.	Saraswati Marg	From junction with D.B. Gupta Road to junction with Arya Samaj Road.
12.	Ajmal Khan Road	From junction with Tank Road to junction with Pusa Lane.
13.	Gurudwara Road	From junction with D.B. Gupta Road to junction with Padam Singh Marg.
14.	Laxmi Dawar Marg	From junction with Arya Samaj Road to junction with Pusa Lane.
15.	Abdul Aziz Road	From junction with bank Street to junction with Arya Samaj road.
16.	Krishna Das Road	From junction with D.B. Gupta Road to junction with Arya Samaj Road.
17.	Satbharavan Arya Girls School Marg (West Side)	From junction with Arya Samaj Road to junction with Pusa Lane.
18.	Joshi road.	From junction with New Rohtak Road to junction with D.B. Gupta Marg.
19.	Abdur Rehman Road	From junction with D.B. Gupta Road to junction with Arya Samaj Road.
20.	Ilahi Baksh Marg	- do -
21.	Faiz Road (West side)	- do -

4. Zone-C

1.	Roshnara Road	1.00
2.	G.T. Road	2.18
3.	Shakti Marg (Nangia Park round about)	0.32
4.	Satyawati Road	0.15
5.	Mandella Road	0.06
6.	Kohlapur Road	0.06
7.	Malka Ganj Road	0.88

5. Zone-D

1. Temple Road, Bhogal.
2. Shahi Hospital Road, Bhogal.
3. Central Road, Bhogal.
4. Masjid Road, Bhogal.

5. Gurudwara Road, Lajpat Nagar-IV.
6. New Delhi South Extension-I, service road along Ring Road.
7. Main Road (24-M wide) between Blocks O & K, Lajpat Nagar-II.
8. Central Market and Lajpat Nagar-II.
9. Alankar Cinema road/Pushpa Market Road (Lajpat Nagar).
10. Bhishm Pitahamah Road, Defence Colony.
11. In addition, shop plots forming part of an approved layout of the competent authority.

Zone-E

1. Shopping Centre, Krishna Nagar.
2. Chota Bazar, Shahdara.
3. Main Gandhi Nagar, Bazar.
4. Bara Bazar, Shahdara.
5. Anaj Mandi, Shahdara.
6. Shopping area of Vishwas Nagar.
7. Shopping area of Seelampur/Saleempur.
8. Farash Bazar, Shahdara.
9. Railway road, Shahdara.
10. Main Road Gandhi Nagar. : From Marginal Bund to Jheel Bus Trm.
11. Main Vikas Marg : From Marginal Bund to Patparganj Rd.
12. Vijay Chowk Road : From Vikas Marg to Patparganj Road.
(Laxmi Nagar Main Road)
13. Patparganj Road : From Jheel Bus Terminal to Madhuban
Railway Crossing excluding the GHBS
And Rehabilitation Colony.
14. Road No. 57 : From G.T. Railway Line to Parwana Rd.
Excluding CGHS and facility centers.
15. Bhola Nath Nagar Road : From road no. 57 to Babu Ram School.
16. Mandir Marg Road : From Raghunath mandir Road to Road
No. 57.
17. Road No. 35-A : From Vikas Marg to Mother Dairy
Excluding bridge area and Mother Dairy
Plant.
18. 60-feet Road. : From Teliwara to Babu Ram School.
19. Proposed Master Plan road : From road no. 66 to Ghonda Chowk.
No. 67 in Maujpur Area.
20. Loni Road : From T.T. road to Road No. 68.
21. T.T. Road : From Radhu Cinema to Loni Road.
22. Road No. 66 : From T.T. Road to Road no. 68 on
Western Side only.

23. **Brahmpuri Main Road.** : From Ghonda Chowk to New Seelampur Market road.
24. **Yamuna Vihar Road** : From Ghonda Chowk to DTC Depot.
25. **60-feet wide road Balbir Nagar** : From East Yamuna Canal to G.T. Road.
(Babarpur Road)
26. **100-feet Road no. 68.** : From Easter Yamuna Canal upto Railway level crossing.
27. **Wazirabad Road** : From Marginal Bund upto Yamuna Vihar Scheme (on south side only).

7. **Zone-F**

- a) New Delhi South Extn. Part-II (Portion fronting on Ring Road).
b) Kalkaji Main road (Between Block G & H and E&F).
c) Malviya Nagar (Main Market Road).
d) Road between Govindpuri and Govindpuri Extn.
e) Shop-plots, forming parts of an approved layout plan of the competent authority.

8. **Zone-G**

1. Main Najafgarh Road from Laxman Sylvania, New Moti nagar Chowk to Outer ring Road crossing i.e. Ganesh nagar.
2. Beteen Kirti nagar and Mayapur chowk to Kirti nagar, Patel nagar Chowk.
3. Lajwanti Garden Chowk to Nangal Raya.
4. Subhash Nagar to Deen Dayal Upadhyaya Hospial.
5. Tilak Nagar Chowk to Nangal Raya flyover i.e. Jail Road.
6. H-Block, Bali Nagar Najafgarh Road to B-Block, Bali Nagar.

9. **Zone-H**

- | | | | |
|----|------------------------------|---|-----------|
| 1. | Road No. 43, Rani Bagh | : | 200 feet. |
| 2. | Main Bazar, Rishi Nagar | : | 50 feet |
| 3. | Main Bazar, (road Rani Bagh) | : | 50 feet |
| 4. | Main road Raja Park | : | 100 feet |
| 5. | Main Road Shashtri Nagar | : | 200-feet |
| 6. | Main Road Tri Nagar | : | 50% |
| 7. | Road No. 41, Rohini | : | 45 meter. |

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8011
नं. 8011

नई दिल्ली, बुधवार, जून 15, 2005/ज्येष्ठ 25, 1927
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 15, 2005/JYASTHA 25, 1927

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(प्रधान आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2005

दिल्ली विकास (मुख्य योजना एवं जोनल विकास योजना) नियम, 1959, अध्याय-3, नियम 9 के अंतर्गत जांच और सुनवाई के लिए बोर्ड का गठन।

क्र.आ. 824 (अ).—दिल्ली मुख्य योजना 2021 के प्रारूप को भारत के असाधारण राजपत्र के साप्ताहिक आदेश सं. (क्र.आ.) 318 (अ) दिनांक 16-3-2005 में प्रकाशित किया गया है। दिनांक 8-4-2005 को समाचार-पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की गयी है, जिसके द्वारा 90 दिनों के अंदर जनता से आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

निर्धारित अवधि के अंदर आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने के लिए दि.वि.प्रा. (मुख्य योजना एवं जोनल विकास योजना) नियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण निम्नलिखित जांच और सुनवाई बोर्ड का गठन करता है:—

- | | |
|--|-------------------|
| (1) उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. | — अध्यक्ष |
| (2) अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. | — सदस्य |
| (3) आयुक्त, दि.न.नि. | — सदस्य |
| (4) मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम निगमों के संयोजन | — सदस्य |
| आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा. | — संयोजक एवं सचिव |

[सं. एफ 20 (6) 2005-एम पी/पार्ट-1]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(OFFICE OF THE PR. COMM. - CUM - SECRETARY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2005

Sub :— Constitution of Board of Enquiry and Hearing under Rule 9, Chapter III, Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959.

S.O. 824 (E).—The Draft Master Plan for Delhi 2021 has been published in Gazette of India, Extraordinary, No. S.O. 318 (E), dated 16-3-2005. A Public Notice has also been published in the newspapers on 8-4-2005, vide which the objections/suggestions have been invited within 90 days from the public.

The Delhi Development Authority under the provisions of DDA (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959, hereby appoints the following Board for Enquiry and Hearing to consider the objections/suggestions thus received within the stipulated period:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| (i) Vice-Chairman, DDA | — Chairman |
| (ii) Engineer Member, DDA | — Member |
| (iii) Commissioner, MCD | — Member |
| (iv) Chief Planner, TCPO | — Member |
| Commissioner (Planning), DDA | — Convener & Secretary |

[F.No. 20(6) 2005-MP/PLI]

V.M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1248]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2005/अग्रहायण 11, 1927

No. 1248]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 2005/AGRAHAYANA 11, 1927

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(प्रधान आयुक्त एवं सचिव का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2005

विषय : दिल्ली विकास (मुख्य/योजना एवं क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, 1959 के नियम 9, अध्याय-III के अन्तर्गत जाँच एवं सुनवाई बोर्ड का गठन।

का.आ. 1685(अ).—दिल्ली मुख्य योजना, 2021 का मसौदा भारत के असाधारण राजपत्र संख्या का.आ. 318(अ) दिनांक 16-3-2005 में प्रकाशित किया गया था। दिनांक 8-4-2005 के समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की गई थी, जिसके माध्यम से आम जनता से 90 दिनों के अन्दर आपत्तियों/सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

अब, भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. 824(अ), दिनांक 15-6-2005 के क्रम में श्री योरेन्द्र कसाना, पार्षद, दि.न.नि., जो दि.वि.प्रा. के सदस्य भी हैं, को एतद्वारा जाँच एवं सुनवाई बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

[सं. एफ. 20(6)2005/एम.पी. पार्ट-1/डी]

विरव मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER-
CUM-SECRETARY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2005

Sub. : Constitution of Board of Enquiry and Hearing under Rule 9, Chapter III, Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959.

S.O. 1685(E).—The Draft Master Plan for Delhi, 2021 had been published in Gazette of India, Extraordinary, No. S.O. 318(E), dated 16-3-2005. A Public Notice had also been published in the newspapers on 8-4-2005, vide which the objections/suggestions had been invited within 90 days from the public.

Now, in continuation to the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Notification No. S.O. 824(E), dated 15-6-2005, Shri Virender Kasana, Councillor, MCD, who is also a member of the DDA is hereby appointed as a member on the Board for Enquiry and Hearing.

[No. F. 20(6)2005/MP-Pt. I/D]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

No. K-13011/25/2005- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

दि. वि. प्रा. / संचालन एवं सहायक विभाग
D.O.A. / PARLT. & CO-ORDN. BRANCH
पार्लो सं. / DIARY No. 129-6
दि. सं. / DATE 24/8/06

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated 23rd August, 2006

Subject: **Extraordinary Gazette Notification – for circulation of Notification S.O. No. 1321 (E) dated 18.8.2006 regarding Change of land use in Pocket III, Phase-I in Zone 'O'.**

A copy of Notification dated 18th August, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

Encl : As above.

S. Mukherjee
(S. Mukherjee)

Under Secretary to the Government of India
Telefax.: 23061681

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi
- ③ Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
4. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
5. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
7. The Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
8. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
9. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
11. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Dr. Dev Prakash
24/8/06

h
2378
DD (12)
24/8/06
AD (MC)

It pertains to
AD (MC)
24/8/06
AD (MC)



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 917]
No. 917]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 18, 2006/श्रावण 27, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 18, 2006/SRAVANA 27, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2006

का.आ. 1321(अ).—यतः केन्द्र सरकार दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जोकि दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 2 मार्च, 2006 की सार्वजनिक सूचना सं. का.आ. 273(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और जिनके संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथोचित आपत्तियां/सुझाव उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में दिनांक 2 मार्च, 2006 को प्रकाशित उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में कई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में संशोधन करने का निर्णय किया है।

3. अतः, अब, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2001 में भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

(i) जोन 'ओ' के पॉकेट-III, फेज-I में 16.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली भूमि का भू-उपयोग निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :—

स्थान	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भू-उपयोग (मास्टर प्लान-2001)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
1	2	3	4	5
जोन 'ओ' में पॉकेट-III, फेज-I	(i) 11.0 हेक्टेयर (ii) 5.5 हेक्टेयर	'कृषि तथा जलाशय' 'कृषि तथा जलाशय'	'आवासीय' 'व्यवसायिक/होटल'	पूर्व—पार्किंग/अक्षरधाम मंदिर दक्षिण—हरित क्षेत्र/राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पश्चिम—45 मी. चौड़ी तटबंध सड़क उत्तर—प्रस्तावित 30 मी. चौड़ी सड़क

[सं. के-13011/25/2005-डीडी 1बी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

No. K-13011/25/2005- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

दि. वि. प्र. / संयोजक एवं सहायक विभाग
D.O.A. / PARLT. & CO-ORDN. BRANCH
पावली सं. / DIARY No. 129-6
दिनांक / DATE 24/8/06

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated 23rd August, 2006

Subject: **Extraordinary Gazette Notification – for circulation of Notification S.O. No. 1321 (E) dated 18.8.2006 regarding Change of land use in Pocket III, Phase-I in Zone 'O'.**

A copy of Notification dated 18th August, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

Encl: As above.

S. Mukherjee
(S. Mukherjee)
Under Secretary to the Government of India
Telefax.: 23061681

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi
- ③ Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
4. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
5. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
7. The Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
8. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
9. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
11. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Dr. Dev Prakash
24/8/06

h
2378
DDI (2)
24/8/06
AD (M.C.)

It pertains to
AD (M.C.)
24/8/06
AD (M.C.)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 777]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2006/आषाढ़ 30, 1928

No. 777]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2006/ASADHA 30, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2006

का.आ. 1160(अ).—जबकि, अधिसूचना सं. का.आ. 557(अ), दिनांक 7-6-2000 के साथ पठित अधिसूचना सं. का.आ. 623(अ) दिनांक 23-7-1998 द्वारा दिल्ली मुख्य योजना, 2001 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के द्वारा जल, विद्युत, जल-मल व्ययन, सड़कों को चौड़ा करने, परिचालन, पार्किंग, पार्कों, आदि जैसी नगर सेवाओं को बढ़ाने की शर्त पर आवासीय भूखण्ड/भूखण्डीय विकास से संबंधित विकास नियंत्रण मानदंडों जैसे अनुमत तल कवरेज, तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ ए आर), आवासी इकाइयों की संख्या और ऊंचाई के संबंध में संशोधन किया गया था।

जबकि, दिनांक 23.7.98 की उक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक किए गए निर्माण-कार्यों को नियमित करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

जबकि, केन्द्र सरकार ने समस्या की गंभीरता और इस मामले में शामिल मुद्दों का मूल्यांकन करने और इनसे निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति सुझाने के लिए श्री तेजेन्द्र खन्ना, भूतपूर्व उपराज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 14.2.2006 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी।

जबकि, उक्त तेजेन्द्र खन्ना समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13-5-06 को प्रस्तुत कर दी है।

और जबकि केन्द्र सरकार ने तेजेन्द्र खन्ना समिति की रिपोर्ट पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद अनधिकृत निर्माण-कार्य के एक समयकालिक नियमन के लिए आवासीय भूखण्डीय विकास के संबंध में मानदंडों को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है।

अतः अब समय-समय पर यथा संशोधित दिल्ली विकास (मुख्य योजना और क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, 1959 के नियम 16 एवं 17 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 ए के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संशोधनों, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली मुख्य योजना 2001 में किये जाने का प्रस्ताव है, को एतद्वारा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से आम जनता के लिए प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा सुझाव देना हो, तो वह उसे लिखित रूप में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अन्दर प्रधान आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन:

भारत के राजपत्र दिनांक 1.8.90 के पृष्ठ 159. (दाईं तरफ) पर, जिसे भारत के राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 23.07.1998 द्वारा संशोधित किया गया है, दिनांक 23.07.1998 की उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट मानदंडों

के संशोधन में निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन आवासीय भूखंडीय विकास (001) के संबंध में निम्नलिखित विकास नियंत्रण मानदंडों का प्रस्ताव है:-

क्रम सं.	भूखंड का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	अधिकतम तल कवरेज % में	अधिकतम तल क्षेत्रफल अनुपात	अधिकतम ऊंचाई मीटर में
1.	100 से कम	100	350	15
2.	100 से 250 तक	75	300	15
3.	250 से 500 तक	75	225	15
4.	500 से 1000 तक	50	150	15
5.	1000 से 1500 तक	40	120	15
6.	1500 से 2250 तक	40	120	15
7.	2250 से 3000 तक	40	120	15
8.	3000 से 3750 तक	40	120	15
9.	3750 से अधिक	40	120	15

निबंधन एवं शर्तें:

- (i) ये संशोधित विकास मानदंड केवल इस सार्वजनिक सूचना की तिथि को विद्यमान निर्माण पर ही लागू होंगे। सभी अन्य निर्माण विद्यमान मानदंडों द्वारा शासित किये जाते रहेंगे।
- (ii) अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात और/या उपर्युक्त संशोधित मानदंडों के अनुसार ऊंचाई की मांग करने वाले भूखंड स्वामियों/आबंटितियों को संशोधित मानदंडों की अधिसूचना की तिथि से 60 दिन की अवधि के अन्दर स्थानीय निकाय को आवेदन करना होगा। आवेदक को भवन नक्शे की प्रति, जैसी कि स्थल पर वास्तविक रूप से विद्यमान हो, भी संलग्न करनी चाहिए, जो पंजीकृत वास्तुकार द्वारा प्रमाणित हो।
- (iii) उपर्युक्त उल्लिखित संशोधित मानदंडों के अनुसार तल क्षेत्रफल के अतिरिक्त कवरेज चाहने वाले भूखंड के स्वामियों/आबंटितियों से समय-समय पर सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित दरों पर संघटन प्रभार वसूल किए जाएंगे।
- (iv) उपर्युक्त उल्लिखित मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त तल अथवा उसके किसी भाग को चाहने वाले भूखंड स्वामियों/आबंटितियों से समय-समय पर सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित दरों पर जुर्माना/विशेष संघटन प्रभार वसूल किए जाएंगे।
- (v) इस तरह से एकत्र की गई राशि को पार्किंग स्थलों के विकास, सुविधाओं/आधारिक संरचना के संवर्धन और पर्यावरणीय सुधार कार्यक्रमों पर व्यय करने के लिए संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा 'एस्करो एकाउन्ट' में जमा किया जाएगा।
- (vi) अतिरिक्त एफ.ए.आर. इत्यादि के लाभ में सभी सम्पत्तियां/उप विभाजित प्लॉट सहित प्लॉट शामिल होंगे। तथापि उप-प्लॉट के लिए मानदंड सम्पूर्ण प्लॉट के यथा अनुपात में होंगे। अर्थात् यदि 1000 वर्ग मीटर का प्लॉट 500 वर्ग मीटर के दो उप प्लॉटों में विभाजित किया जाता है, तो इस तरह के प्रत्येक उप प्लॉट 500 वर्ग मीटर पर 40 प्रतिशत भू कवरेज और 120 एफ.ए.आर. के हकदार होंगे। सम्पूर्ण प्लॉट में आवासीय इकाइयों की कुल संख्या 6(8) से अधिक नहीं होगी।
- (vii) सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को नियमित नहीं किया जाएगा और उसे अतिरिक्त निर्माण/ऊंचाई की स्वीकृति के लिए आवेदन करने से पूर्व हटाना होगा।
- (viii) अतिरिक्त एफ.ए.आर. और/अथवा ऊंचाई को चाहने वाले प्रत्येक आवेदक को संरचना इंजीनियर से प्राप्त संरचनात्मक सुरक्षा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जहाँ इस प्रकार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता अथवा भवन संरचनात्मक रूप से अन्यथा असुरक्षित पाया जाता है तो संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा स्वामी को समुचित निर्धारित अवधि के अन्दर संरचनात्मक कमजोरी को ठीक करने के लिए औपचारिक नोटिस दिया जाएगा। इसके ठीक न किए जाने पर भवन को असुरक्षित घोषित किया जाएगा और स्थानीय निकाय द्वारा उसे गिरा दिया जाएगा।

[सं. एफ.-20(4)2005/एमपी/पार्ट-2]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 21st July, 2006

S.O. 1160 (E).—Whereas, the Master Plan of Delhi, 2001 was modified *vide* notification No. S.O. 623(E), dated 23-7-1998 read with notification No. S.O. 557(E), dated 7-6-2000 revising the development control norms in respect of residential plot/plotted development regarding permissible ground coverage, FAR, number of dwelling units and height, subject to augmentation of municipal services such as water, power, sewerage, road widening, circulation, parking, parks, etc.;

Whereas, representations have been received from time to time for regularisation of constructions carried out in excess of the norms laid down by the said notification dated 23-7-98;

Whereas, the Central Government had constituted a Committee of experts on 14.2.2006 under the Chairmanship of Shri Tejendra Khanna, former, Lt. Governor, Delhi to assess the magnitude of the problem and issues involved in the matter and to suggest a comprehensive strategy to deal with it;

Whereas, the said Tejendra Khanna Committee has submitted its report on 13-5-06;

And whereas the Central Government, after careful consideration of the report of the Tejendra Khanna Committee, has proposed to modify the norms in respect of residential plotted development, to provide for one-time regularization for unauthorized construction;

Now, therefore, in exercise of powers under Section 11 A of the Delhi Development Act 1957, read with Rules 16 & 17 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules 1959, as amended from time to time, the following modifications, which are proposed to be made by the Delhi Development Authority in the Master Plan for Delhi 2001, are hereby published with the approval of the Central Government, for public information. Any person having any objection or suggestion may send the same in writing to the Principal Commissioner—cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi - 110023, within a period of 30 days from the date of publication of this Notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

Modification:

On page 159 (RHS) of the Gazette of India dated 1-8-90, as modified vide Gazette of India Notification dated 23.07.1998, the following development control norms are proposed in respect of Residential Plotted Development (001) in modification of norms laid down in the said Notification dated 23.07.1998, subject to the terms and conditions given below:-

Sl. No.	Area of Plot in sqm	Maximum ground coverage in %	Maximum FAR	Maximum height in metres
1	Below 100	100	350	15
2	From 100 to 250	75	300	15
3	From 250 to 500	75	225	15
4	From 500 to 1000	50	150	15
5	From 1000 to 1500	40	120	15
6	From 1500 to 2250	40	120	15
7	From 2250 to 3000	40	120	15
8	From 3000 to 3750	40	120	15
9	Above 3750	40	120	15

Terms and conditions:

- (i) These modified development norms will be applicable only to construction existing as on the date of this public notice. All other construction will continue to be governed by the existing norms.
- (ii) Plot owners/ allottees seeking additional FAR and/or height as per above-mentioned modified norms shall be required to apply to the local body concerned within a period of 60 days from the date of the notification of the modified norms. The applicant should also attach a copy of the Building Plan, as it actually exists, at site, certified by a Registered Architect.
- (iii) Plot owners/ allottees seeking extra coverage of floor area as per above-mentioned modified norms shall be charged compounding charges at the rates notified with the approval of the Government, from time to time.
- (iv) Plot owners / allottees seeking additional floor or part thereof as per above mentioned norms shall be charged penalty/ special compounding charges at the rates notified with the approval of the Government, from time to time.

- (v) The amount so collected shall be deposited in an ESCROW ACCOUNT by the local body concerned for incurring expenditure for developing parking sites, augmentation of amenities/ infrastructure and environmental improvement programmes.
- (vi) The benefit of additional FAR etc. shall cover all properties/plots including sub-divided plots. However the norms for the subplot will be proportionate to that for the entire plot. That is to say if a plot of 1000 sqm is divided into two subplots of 500 sqm each, then each such sub-plot will be entitled to 40% ground coverage and 120 FAR on 500 sqm. The total number of dwelling units in the entire plot shall not exceed 6 (8).
- (vii) Encroachment on public land shall not be regularized and shall be removed first before applying for sanction of additional construction/ height.
- (viii) Every applicant seeking additional FAR and / or height will submit a certificate of structural safety obtained from a structural engineer. Where such certificate is not submitted or the Building is otherwise found to be structurally unsafe, formal notice will be given to the owner by the local body concerned, to rectify the structural weakness within a reasonable stipulated period, failing which the building shall be declared unsafe and shall be demolished by the local body.

[No. F-20(4)2005/MP/Part-II]

V. M. BANSAL, Principal Commissioner-cum-Secy.

2239 9172008-2



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 778]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2006/आषाढ़ 30, 1928

No. 778]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2006/ASADHA 30, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2006

का.आ. 1161(अ).—जबकि, जहां तक मिश्रित भूमि उपयोग पर अध्याय का संबंध है, दिल्ली मुख्य योजना-2001 में अधिसूचना सं. का.आ. 425(अ), दिनांक 28-3-2006 द्वारा संशोधन किया गया था।

जबकि, उसके बाद मिश्रित उपयोग से संबंधित प्रावधानों में और संशोधन करने और उन्हें युक्तिसंगत बनाने के लिए अनेक अभिवेदन प्राप्त हुए हैं।

जबकि, केन्द्र सरकार ने समस्या की गंभीरता और इस मामले में शामिल मुद्दों का मूल्यांकन करने और इनसे निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति सुझाने के लिए श्री तेजेन्द्र खन्ना, भूतपूर्व उपराज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 14.2.2006 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी।

जबकि, उक्त तेजेन्द्र खन्ना समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.5.06 को प्रस्तुत कर दी है।

और जबकि, केन्द्र सरकार ने तेजेन्द्र खन्ना समिति की रिपोर्ट पर सावधानी से विचार करने के बाद मिश्रित उपयोग से संबंधित सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव किया है।

अतः अब समय-समय पर यथासंशोधित दिल्ली विकास (मुख्य योजना और क्षेत्रीय विकास योजना) नियम 1959 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 11-ए के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण का केन्द्र सरकार के अनुमोदन से दिल्ली मुख्य योजना-2001 में आगे निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें एतद्वारा सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या सुझाव देना हो तो वह इसे लिखित रूप में प्रधान आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को, इस सूचना के प्रकाशित होने से 30 दिनों के अंदर भेज सकता है। आपत्ति करने वाले अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन:-

भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (2) दिनांक 1.8.1990 में निम्नलिखित शामिल किया जाएगा:-

- (1) पृष्ठ 165 पर दाईं तरफ 'अनुच्छेद 10.0 मिश्रित उपयोग विनियम' के अंतर्गत अधिसूचना एस.ओ. नं. 425 (ई) दिनांक 28.3.2006 द्वारा यथा-संशोधित विद्यमान प्रावधानों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

10.0 मिश्रित उपयोग नीति:-

इस अध्याय में कुछ अनुमेय प्रयोजनों हेतु भूमि की मिश्रित उपयोग नीति आती है। यह नीति जिन उद्देश्यों हेतु इसे नियोजित किया गया था, उनके भिन्न भूमि उपयोग की अनुमति देने की आवश्यकता को दर्शाती है और उन शर्तों को निर्दिष्ट करती है, जिनके अंतर्गत इसे विभिन्न स्थितियों में लागू किया जा सकता है। उक्त नीति को लागू करने के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य पद्धति और ऐसे क्षेत्रों में ऐसे अनिच्छित उपयोग के प्रभाव का सामना करने के लिए किए जाने वाले शमनीय उपाय भी बताए गए हैं।

10.1 मिश्रित उपयोग के नियंत्रक सिद्धांत

- 1) इस अध्याय के उद्देश्यों हेतु मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय परिसरों में गैर-आवासीय कार्यकलापों के प्रावधान से है।
- 2) नीति का लक्ष्य ऐसे क्रिया-कलापों हेतु सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता और आवासीय क्षेत्रों में उक्त क्रिया कलापों के पर्यावरणीय प्रभाव में संतुलन बनाए रखना है।
- 3) मिश्रित उपयोग की नीति आवासों के निकटस्थ क्षेत्र में व्यावसायिक संस्थापनाओं तक पहुंचने की अनुमति देती है और शहर में विभिन्न जोनों में आने-जाने की आवश्यकता को कम करती है। तथापि, साथ ही साथ, भीड़-भाड़, बढ़ते हुए यातायात और नागरिक सुविधाओं पर बढ़ते हुए दबाव से संबंधित विपरीत प्रभाव को प्रबंधित और कम करने के उद्देश्य से इसे विनियमित करने की आवश्यकता है।
- 4) मिश्रित उपयोग की अनुमति देने वाले महत्वहीन सिद्धान्तों को समझने और सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान करने, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने तथा सुरक्षित एवं सुविधाजनक परिवहन और पार्किंग की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
- 5) मिश्रित-उपयोग की अनुमति लुटियंस बंगला क्षेत्र, सिविल लाइन्स, सरकारी आवास, सार्वजनिक और निजी एजेंसियों को सांस्थानिक व स्टाफ आवासों और विरासत संरक्षण समिति द्वारा सूचीबद्ध किए गए भवनों/अहातों में नहीं दी जाएगी।

10.2 आवासीय क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग : विभिन्न दृष्टिकोण

- 1) मिश्रित उपयोग नीति में विभिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता इस तथ्य से उत्पन्न हो गई है कि दिल्ली देश की राजधानी होने तथा आर्थिक कार्यकलाप का एक महत्वपूर्ण केन्द्र होने के कारण यहां आवासीय क्षेत्रों के प्रकार में काफी भिन्नता है। लुटियंस-दिल्ली के रूप में निर्मित की गई नियोजित आवासीय कालोनियों और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए नियोजित विकास की प्रक्रिया के माध्यम के अतिरिक्त चार दीवारी शहर, विशेष क्षेत्रों और शहरीकृत गांवों में अधिकृत आवासीय क्षेत्र हैं। अन्य नियोजित क्षेत्रों में पुनर्वास कालोनियां, दि.वि.प्रा. के अस्तित्व से पूर्व में बसी कालोनियां, भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पुनर्वासित कालोनियां शामिल हैं। दिल्ली के विभिन्न भागों में अनियोजित अनधिकृत विनियमित की गई कालोनियां, अनधिकृत कालोनियां तथा स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी समूह भी हैं।
- 2) इसके अतिरिक्त निवासियों द्वारा स्वयं आवश्यक या वांछनीय समझे गए गैर आवासीय कार्यकलापों की सीमा निवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उस क्षेत्र में विकास की पुरानी पद्धति के आधार पर भिन्न-भिन्न हैं। कुछ कालोनियां गैर आवासीय कार्यकलापों को अपनी आजीविका के महत्वपूर्ण भाग के रूप में मानेंगी, जबकि कुछ अन्य कालोनियां अपनी कालोनियों और आसपास के क्षेत्रों की कमोबेश विशेष आवासीय प्रकृति को सुरक्षित रखना चाहेंगी।
- 3) अतः दिल्ली में मिश्रित उपयोग नीति के प्रयोग में एक अलग प्रकार के प्रस्ताव का अनुसरण करना प्रस्तावित है।
- 4) पृथक प्रस्ताव सम्पत्ति कर निर्धारण के यूनिट एरिया सिद्धांत के रूप में दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वीकार किए गए क से ग तक कालोनियों के वर्गीकरण के आधार पर होगा।
- क) क से ख श्रेणियों में आने वाली कालोनियों में केवल व्यावसायिक कार्य-कलापों की अनुमति होगी। किसी अन्य कार्यकलाप की अनुमति अनुवर्ती पैराओं में विनिर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत केवल तभी दी जा सकती है, यदि उक्त कालोनियों के आर.डब्ल्यू.ए. इस संबंध में विशेष अनुरोध करें।
- ख) ग और घ श्रेणियों में आने वाली कालोनियों में मिश्रित उपयोग, आर.डब्ल्यू.ए. के साथ विचार-विमर्श की शर्त पर, अनुवर्ती पैराग्राफों में निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुमेय होगा।
- ग) ड, च और छ में आने वाली कालोनियों में सभी श्रेणियों का मिश्रित उपयोग, अनुवर्ती पैराग्राफों में विनिर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुमेय होगा।
- घ) नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन डी एम सी) क्षेत्र में आने वाली कालोनियों (लुटियंस बंगला जोन, सरकारी आवास, सार्वजनिक एवं निजी एजेंसियों के सांस्थानिक और स्टाफ आवास और विरासत संरक्षण समिति द्वारा सूचीबद्ध भवनों/अहातों को छोड़कर) के संबंध में वर्तमान मिश्रित उपयोग मार्ग/सीमाएं एन डी एम सी द्वारा अधिसूचित की जाएंगी। मिश्रित उपयोग वाले मार्गों/सीमाओं की आगामी अधिसूचना सामुदायिक आवश्यकताओं, पर्यावरण प्रभाव और यातायात परिचालन/पर्याप्त पार्किंग के मूल्यांकन के लिए एक फील्ड स्तरीय सर्वेक्षण और रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोशिएशनों के साथ विचार-विमर्श करके की जाएगी।

10.3 वर्तमान शहरी क्षेत्रों और शहरीकरण योग्य क्षेत्रों में मिश्रित भूमि उपयोग का निर्धारण:

- दिल्ली के शहरीकरण योग्य क्षेत्रों के अतिरिक्त शहरीकृत/शहरी दोनों में मिश्रित उपयोग क्षेत्रों/मार्गों का निर्धारण निम्नानुसार होगा:
- 1) पहले से ही शहरीकृत/शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग अनुमेय होगा।
 - क. श्रेणी क और ख श्रेणी में आने वाली कालोनियों में नियमित आवासीय भूखंडीय विकास में न्यूनतम 18 मी. मार्गाधिकार के साथ मार्गों/सड़कों के सामने वाले आवासीय भूखंडों में आर डब्ल्यू ए के विशेष अनुरोध पर।

- ख. ग और घ श्रेणी में आने वाली कालोनियों में नियमित आवासीय भूखंडीय विकास में न्यूनतम 18 मी. मार्गाधिकार के साथ पुनर्वास कालोनियों में 13.5 मी. मार्गाधिकार और विशेष क्षेत्र एवं शहरी गांवों में 9 मी. मार्गाधिकार के साथ मार्गों/सड़कों के सामने वाले आवासीय भूखंडों में आर डब्ल्यू ए के परामर्श की शर्त पर ।
- ग. ड, च और छ श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली सभी कालोनियों में 13.5 मी., 9 मी. और 6 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़कों के सामने वाले आवासीय भूखंडों में क्रमशः आवासीय भूखंडीय विकास, पुनर्वास कालोनियों और विशेष क्षेत्र/चारदीवारी शहर/गांवों में ।
2. दिल्ली मुख्य योजना-2001 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले अधिसूचित और अनुबंध-1 में निर्दिष्ट (निर्दिष्ट सीमाओं/मार्गों की सूची) सभी मार्गों/सीमाओं पर मिश्रित उपयोग की अनुमति जारी रहेगी ।
 3. पूर्व में घोषित व्यावसायिक अथवा जहां दिल्ली मुख्य योजना-1962 में व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी गई थी, उन आवासीय क्षेत्रों और मार्गों/सीमाओं को भी दि.मु.यो. 1962 में अनुमेय विस्तार तक ऐसे उपयोग की अनुमति होगी ।
 4. आवासीय क्षेत्रों में 1962 से पूर्व से मौजूद कार्यकलापों को उनके दस्तावेजी प्रमाण देने की शर्त पर जारी रखने की अनुमति दी जाएगी ।
 5. उपर्युक्त (2) एवं (3) के अंतर्गत आने वाले मार्गों के अतिरिक्त अधिसूचना लागू होने के 60 दिनों के अंदर, ऐसे मार्गों के मिश्रित उपयोग मार्गों के रूप में निर्दिष्ट सीमाओं की अधिसूचना पर निर्णय को ध्यान में रखकर स्थानीय निकायों द्वारा उपर्युक्त विस्तार वाले सभी अन्य मार्गों का एक सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक होगा ।
 6. फील्ड सर्वेक्षण में मार्ग पर मौजूदा गैर आवासीय उपयोग के विस्तार क्षेत्र का निर्धारण किए जाने वाले मार्ग की सीमा, नागरिक सुविधाओं की अतिरिक्त आवश्यकता और यातायात परिचालन एवं पार्किंग की व्यवस्था का आकलन होगा ।
 7. संबंधित अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ एक फील्ड सर्वेक्षण के बाद अधिसूचना उक्त 60 दिनों के अंदर पूरी की जानी चाहिए ।
 8. नए शहरीकरण योग्य क्षेत्रों में
- क. नए विकसित आवासीय क्षेत्रों में उपर्युक्त निर्दिष्ट मिश्रित उपयोग केवल 18 मी. मार्गाधिकारों वाले मार्गों पर स्थित आवासीय प्लॉटों पर अनुमेय होगा ।
- ख. ऐसे गांवों में जो शहरी घोषित किए जाते हैं और विकास प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं उनमें इस प्रकार के समाकलन हेतु तैयार की गई स्थानीय क्षेत्रीय योजना/लेआउट प्लान में निर्दिष्ट क्षेत्रों/सीमाओं में मिश्रित उपयोग अनुमेय होगा ।
9. ऐसे नए क्षेत्रों में लेआउट प्लान में ऐसे विस्तार क्षेत्रों/प्लॉटों को निर्दिष्ट किया जाएगा और निजी विकास के मामले में लेआउट प्लान के लिए अनुमति प्रदान करने के समय उन्हें मिश्रित उपयोग नीति के अंतर्गत दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित क्षेत्रों के मामले में आर्बटन अथवा नीलामी द्वारा निपटान के समय अधिसूचित किया जाएगा ।
- 10.4 मिश्रित उपयोग को नियंत्रित करने वाले सामान्य निबंधन एवं शर्तें :
- अधिसूचित विस्तार क्षेत्रों/मार्गों पर मिश्रित उपयोग की अनुमति निम्नलिखित सामान्य निबंधन एवं शर्तों के आधार पर होगी :
- (1) अधिसूचित मार्गों पर भूखंडों में भूखंडीय विकास में तीन प्रकार के मिश्रित उपयोग नामतः खुदरा दुकानों, व्यावसायिक कार्यकलाप और अन्य कार्यकलापों की अनुमति है ।
 - (2) किसी भी आवासीय प्लॉट पर (अधिसूचित मार्ग पर, भूखंडीय विकास में), दोनों में से किसी एक को : या तो पैरा 10.6 के अनुसार दुकान या पैरा 10.7 के अनुसार नीचे दी गई सूची में दिए गए अन्य कार्यकलाप में से किसी एक को अनुमति दी जाएगी । तथापि, इन प्लॉटों में व्यावसायिक कार्यकलाप भी अनुमत होंगे ।
 - (3) एक आवासीय इकाई में, (अधिसूचित मार्ग पर, भूखंडीय विकास में) केवल किसी एक प्रकार का मिश्रित उपयोग (अर्थात् फुटकर दुकान अथवा व्यावसायिक कार्यकलाप अथवा अन्य कार्यकलापों में से एक) अनुमेय होगा ।
 - (4) समूह आवास में, केवल व्यावसायिक कार्यकलाप अनुमेय हैं । समूह आवास के लेआउट नक्शे में फुटकर दुकानों विशेष रूप से उपलब्ध कराई जाएगी ।
 - (5) मार्गों (गलियों) या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं होगी ।
 - (6) प्लॉट/आवासीय इकाई को मिश्रित उपयोग में रखने के बाद भी विशेष आवासीय उपयोग के लिए यथा लागू विकास नियंत्रण नानदण्ड लागू रहेंगे ।
 - (7) यदि अधिसूचित मार्ग, मुख्य योजना सड़क है, तो सेवा सड़क उपलब्ध होनी चाहिए अथवा स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि मिश्रित उपयोग परिसर तक ऐसी सेवा सड़क से पहुंचा जा सके और मुख्य कैरिजवे से सीधे नहीं ।

- (8) भूखंडीय विकास में, आगे के सैटबैक पर चारदीवारी नहीं होगी, ताकि उसका अतिरिक्त पार्किंग के लिए उपयोग किया जा सके। यह समूह आवासों में भू-तल के आवासों पर भी लागू होगा, जिनका व्यावसायिक कार्यकलाप के लिए उपयोग किया जा रहा है।
- (9) परिसरों के अंदर 2.0 ई.सी.एस. प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। जहां यह उपलब्ध नहीं है, पार्किंग के विकास की लागत प्लॉट के आबंटिती/स्वामी द्वारा देय होगी।
- (10) मिश्रित उपयोग नीति के अंतर्गत मार्ग की अधिसूचना के परिणाम स्वरूप यातायात और पार्किंग पर अतिरिक्त भार को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के मार्गों पर सामूहिक पार्किंग क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे। यदि कोई पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं है तो उक्त मार्ग पर भूमि/प्लॉट ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा या तो पार्किंग सुविधाओं के निर्माण के लिए वरीयतः बहुतलीय पार्किंग के लिए अधिग्रहीत किया जाएगा। इस प्रकार की पार्किंग सुविधाओं का विकास या तो ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा और कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल के रूप में सार्वजनिक निजी साझेदारी को भी शामिल किया जा सकता है।
- (11) शहरी गांवों, विशेष क्षेत्रों और चारदीवारी शहर में 9 मीटर से कम (ई.एफ. एवं जी. श्रेणी की कालोनियों में 6 मीटर) मार्गाधिकार वाले मार्ग यदि मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित हैं तो उन्हें पैडेस्ट्रियन शॉपिंग स्थानों (पी.एस.एस.) के रूप में घोषित किया जाएगा और मोटर द्वारा चलने वाले वाहनों के लिए नहीं खोले जाएंगे।
- 10.5 अनुमेय और गैर अनुमेय उपयोग
किसी भी व्यापार अथवा कार्यकलाप जिसमें किसी प्रकार का हानिकार, जोखिम भरा, ज्वलनशील, असंगत और प्रदूषणकारी पदार्थ या प्रणाली हो, को अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 10.6 फुटकर दुकानें
1. मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित प्लॉटों और मार्गों पर फुटकर दुकानें केवल भूतल पर अधिकतम अनुमेय भूतल कवरेज तक अनुमत होंगी।
 2. निम्नलिखित कार्यकलापों को मिश्रित उपयोग के अंतर्गत अनुमति नहीं दी जाएगी।
- क. भवन निर्माण सामग्री (लकड़ी, लकड़ी के उत्पाद, मार्बल*, लौह एवं इस्पात और रेत), जलाने वाली लकड़ी (फायरवुड), कोयला और अग्नि के जोखिम वाले और अन्य भारी सामग्री वाली फुटकर दुकानें।
- ख. ऑटोमोबाइल की मरम्मत की दुकानें और वर्कशॉप, साइकिल रिक्शा मरम्मत, टायर रिसोर्टिंग और रीट्रीडिंग, बैटरी चार्जिंग वाली दुकानें।**
- ग. भण्डारण, गोदाम और भाण्डागार।
- घ. कबाड़ी की दुकान
- ङ. शराब की दुकान
- च. मुद्रण, रंगाई एवं वार्निशिंग
- छ. कोई अन्य कार्यकलाप जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।
- नोट: *पूर्णतः तैयार मार्बल उत्पाद की फुटकर दुकानें जो कटिंग और पॉलिशिंग का कार्यकलाप नहीं करती हों, **ऑटोमोबाइल और साइकिल रिक्शा के मामले में मरम्मत की दुकानें और वर्कशॉप ऐसे प्लॉटों पर अनुमेय होंगी जो 30 मीटर या अधिक मार्गाधिकार वाले मिश्रित उपयोग मार्गों से लगे हुए हैं।
- 10.7 अन्य कार्यकलाप
- 10.7.1 अधिसूचित मार्गों पर स्थित आवासीय भूखंडों में निम्नलिखित अन्य कार्यकलाप भी अनुमत होंगे :-
- (क) प्री प्राइमरी स्कूल (नर्सरी/मांटेसरी स्कूल, क्रेश)
 - (ख) नर्सिंग होम
 - (ग) गेस्ट हाउस
 - (घ) बैंक
 - (ङ) फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र)
- 10.7.2 ऊपर उल्लिखित कार्यकलाप पूर्ववर्ती पैरों में निर्धारित सामान्य शर्तों के अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन भी होंगे :

- (1) परवर्ती पैरों में उल्लिखित विशेष शर्तों के अधीन जिन भूखण्डों पर ये कार्यकलाप अनुमेय होंगे उनका न्यूनतम आकार अधिसूचित मार्गों पर नियमित भूखण्डीय विकास में 200 वर्गमीटर और पुनर्वस कालोनियों, विशेष क्षेत्रों एवं गांवों में 160 वर्गमीटर होगा। भूखण्ड का अधिकतम आकार 1000 वर्ग मीटर होगा।
- (2) बैंक एफ.ए.आर. के 2/3 भाग पर 600 वर्गमीटर की शर्त पर अनुमेय होंगे, जबकि गेस्ट हाउस और नर्सिंग होम तल क्षेत्रफल के 3/4 भाग तक अनुमेय होंगे।
- (3) मुख्य योजना सड़कों और क्षेत्रीय योजना सड़कों के सामने भूखण्डों, जो मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित हैं, में चल रहे नर्सिंग होम निर्मित क्षेत्र के 100 प्रतिशत तक अनुमेय होंगे और उन पर भूखंड के आकार की सीमा संबंधी शर्त लागू नहीं होगी।
- (4) विशेष क्षेत्र के मिश्रित उपयोग मार्गों पर स्थित भूखंडों में और मुख्य योजना सड़कों तथा क्षेत्रीय योजना सड़कों के सामने स्थित भूखंडों, जो मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित हैं, में चल रहे गेस्ट हाउस निर्मित क्षेत्र के 100 प्रतिशत तक अनुमेय होंगे और उन पर भूखंड के आकार की सीमा संबंधी शर्त लागू नहीं होगी।
- (5) प्री-प्राइमरी स्कूल और फिटनेस सेण्टर को केवल भू-तल पर अनुमत तल कवरेज तक सीमित किया जाएगा।
- (6) उपर्युक्त कार्यकलाप, भू-खंडों के आकार, सड़क की चौड़ाई आदि के संबंध में निबंधनों और शर्तों सहित, उन पर लागू संबंधित अध्यादेशों/अधिनियमों में निर्धारित किन्हीं अन्य विशिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन होंगे।
- (7) भू-खंड के आबंटिती/स्वामी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पार्किंग की व्यवस्था करें ताकि पार्किंग से सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण न हो और न ही वह उससे आगे बढ़े।

टिप्पणी :- अधिसूचना संख्या 273 से 275 (ई) दिनांक 11.3.2003 के माध्यम से निबंधनों और शर्तों को शामिल करने वाले संबंधित विनियमों में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

10.7.3 बैंक हॉल की अनुमति केवल आद्यौगिक क्षेत्रों में होगी न कि आवासीय उपयोग क्षेत्र में। तल कवरेज, तल क्षेत्रफल अनुपात, उँचाई और तहखाने के संबंध में विकास नियंत्रण मानदंड उस परिसर के लिए विशिष्ट भूमि उपयोग हेतु मुख्य योजना मानदंडों के अनुसार लागू होंगे।

10.8 पेशेवर (प्रोफेशनल) कार्यकलाप :

1. पेशेवर कार्यकलाप की अनुमति होगी बशर्ते कि ये कार्यकलाप निवासी द्वारा स्वयं चलाये जायें।
2. पेशेवर कार्यकलापों से तात्पर्य उन कार्यकलापों से होगा, जिनमें डाक्टर, वकील, वास्तुकार और चार्टर्ड एकाउण्टेंट जैसी पेशेवर दक्षता पर आधारित व्यावसायिक सेवायें शामिल हैं।
3. समूह आवासों और बहु आवासीय इकाइयों वाले भू-खंड के विकास में किसी भी तल पर पेशेवर कार्यकलाप चलाने की अनुमति होगी, बशर्ते कि यह कार्यकलाप आवासीय इकाई के अनुमत अथवा संस्वीकृत तल क्षेत्रफल अनुपात, जो भी कम हो, के 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में न हों।
4. एकल आवासीय इकाई वाले भू-खंडीय विकास के मामले में ऐसे कार्यकलाप केवल किसी एक तल पर ही अनुमत होंगे, परन्तु भू-खंड पर अनुमत अथवा संस्वीकृत तल क्षेत्रफल अनुपात, जो भी कम हो, के 50 प्रतिशत से कम पर ऐसे कार्यकलाप चलाने की अनुमति होगी।

10.9 मिश्रित उपयोग परिसरों का पंजीकरण और प्रभारों का भुगतान :

1. मिश्रित उपयोग नीति के प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए भू-खंडीय विकास के मामले में भू-खंड/आवासीय इकाई और समूह आवासों के मामले में आवासीय इकाई के स्वामी/आबंटिती को स्वयं को पंजीकृत कराना होगा और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली दरों पर निर्धारित प्रभारों का भुगतान करना होगा।
2. पहले से मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत आने वाले अथवा मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत लाये जाने वाले निवास स्थान के संपत्ति स्वामी/उपयोग कर्ता को इस संबंध में फार्म भरकर ऐसे मिश्रित उपयोग की घोषणा करनी होगी और उस फार्म को एक समयकालिक पंजीकरण प्रभार के साथ स्थानीय निकाय में जमा करना होगा।
3. मिश्रित उपयोग वाली संपत्ति के लिए, जिस अवधि के दौरान संपत्ति का मिश्रित उपयोग हुआ है उस अवधि के लिए, प्रतिवर्ष स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. को मिश्रित उपयोग प्रभार का भुगतान भी करना होगा। संपत्ति स्वामी/आबंटिती द्वारा यह भुगतान प्रत्येक वर्ष 30 जून से पूर्व स्वैच्छिक रूप से किया जायेगा।

224002/06-2

4. इसके अतिरिक्त यदि गैर-आवासीय कार्यकलापों के लिए आवासीय परिसर का उपयोग करने के लिए भवन नक्शे में कोई संशोधन अनेक है तो संपत्ति के आबंटिती/स्वामी को संशोधित भवन नक्शा संस्वीकृत करना होगा और उसके लिए आवश्यक प्रमारों का भुगतान करना होगा।
5. संबंधित स्थानीय निकाय मिश्रित उपयोगाधीन संपत्ति की परीक्षण-जांच करने के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही वह संपत्ति उसके पास पंजीकृत हो अथवा नहीं।
6. संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध अन्य दण्डात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त, स्वः घोषणा/पंजीकरण के बिना अथवा पंजीकरण के निबंधनों का उल्लंघन करने वाली मिश्रित उपयोगाधीन संपत्ति पर मिश्रित उपयोग के लिए निर्धारित वार्षिक प्रभार से दस गुना जुर्माना लगेगा।

10.10

रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के साथ परामर्श

1. मिश्रित उपयोग मार्गों को घोषित करने के उद्देश्यों के लिए रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के साथ संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा परामर्श किया जायेगा। इस तरह के परामर्श में एक अथवा अधिक रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के माध्यम से उस कालोनी के कम से कम 50 प्रतिशत प्लॉट आबंटिती/मालिक शामिल होंगे।
2. रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के साथ अर्थपूर्ण परामर्श के लिए स्थानीय निकायों द्वारा वास्तविक प्रयास किये जायेंगे। इस तरह के प्रयासों में शामिल हैं :- प्रस्तावित परामर्शों का व्यापक प्रचार, परामर्श के रिकार्ड का रखरखाव और रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों और जनता तक उन रिकार्डों की पहुंच को उपलब्ध कराना।
3. रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन परामर्श व्यापक हो सकता है परन्तु यह मिश्रित उपयोग मार्गों की पहचान तक सीमित होगा और व्यक्तिगत मामलों में अनुमति प्रदान करने के लिए नहीं। तथापि, रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों को सार्वजनिक परेशानियों और गैर-अनुमेय उपयोगों की शिकायतों के मामलों में अपनी सुनवाई कराने का अधिकार होगा।
4. बैंकेट हॉलों के लिए अनुमति देने से पूर्व रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के साथ परामर्श करना न केवल 1962 के बाद के भू-खंडीय विकास के मामलों में अनिवार्य होगा वरन् किसी भी ऐसे आवासीय क्षेत्र के लिए होगा जहाँ बैंकेट हॉलों की अनुमति है।

10.11

किन मामलों में मिश्रित उपयोग मना किया जा सकता है / वापस लिया जा सकता है।

किसी भी ऐसी शर्त, जिसके अन्तर्गत ऐसा मिश्रित उपयोग अनुमेय/अनुमत है, के उल्लंघन के मामले में संबंधित स्थानीय निकाय मिश्रित उपयोग की अनुमति अथवा पंजीकरण को रद्द अथवा निलंबित कर सकती है।

10.12

व्यावसायिक सड़कें :

10.12.1

24 मी० से अधिक मार्गाधिकार की मुख्य सड़कों पर जहाँ अधिसूचित मिश्रित उपयोग पर 70 प्रतिशत से अधिक सम्पत्तियाँ व्यावसायिक उपयोग के अधीन हैं, वहाँ इस प्रकार के क्षेत्र को सरकार द्वारा व्यावसायिक क्षेत्र/सड़कों के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। इस प्रकार के क्षेत्रों की पहचान स्थानीय निकाय द्वारा आयोजित किये जाने वाले क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर होगी।

10.12.2

पहचान किये जाने के बाद व्यावसायिक क्षेत्रों/मार्गों की अधिसूचना निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन होगी :

1. ऐसे क्षेत्रों/मार्गों के लिए स्थानीय ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा संशोधित ले-आउट प्लान तैयार करना और स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान करना।
2. ऐसे क्षेत्रों/मार्गों के ले-आउट प्लान में परिचालन, पार्किंग, खुले स्थानों की पर्याप्त व्यवस्था और समान आकार के व्यावसायिक केंद्रों पर यथा लागू अन्य योजना मानदंडों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
3. स्थानीय ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा ऐसे क्षेत्र/मार्ग पर पार्किंग और सामूहिक सुविधाओं के लिए आवश्यक खुले स्थान उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
5. व्यावसायिक मार्गों पर स्थित भू-खंड/संपत्ति स्वामियों/आबंटितियों को ऐसी आधारीक संरचना की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त विकास प्रमारों का भुगतान

करना होगा ।

6. कोई अन्य शर्त, जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाये ।

[सं. एफ. 20(4)/2005/एम.पी./पार्ट-2]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

अनुबंध

दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में गलियों का मिला जुला उपयोग

1. क्षेत्र 'क' भाग 'ग' (चार दीवारी शहर)

क्र.सं.	
1	चाँदनी चौक रोड़ (100 फुट मार्गाधिकार)
2	नेताजी सुभाष मार्ग (80 फुट मार्गाधिकार)
3	अन्सारी रोड़ (60 फुट मार्गाधिकार)
4	खारी बावली (80 फुट मार्गाधिकार)
5	नया बाजार रोड़ (30 फुट मार्गाधिकार)
6	श्रद्धानंद मार्ग (80 फुट मार्गाधिकार)
7	अजमेरी गेट बाजार (60 फुट मार्गाधिकार)
8	चर्च मिशन रोड़ (60 फुट मार्गाधिकार)
9	एस.पी.एम.मार्ग (120 फुट मार्गाधिकार)
10	एच.सी.सेन.रोड़(100 फुट मार्गाधिकार)
11	अजमेरी गेट रोड़, बाजार सीताराम, गली कूचा पाती राम, गली आर्य समाज, गली काली मस्जिद, गली कटरा अनिखान
12	बाजार दिल्ली दरवाजा
13	नेताजी सुभाष मार्ग, सर सइयद अहमद मार्ग, गली कूचा चालान, गली पटौदी हाउस, गली कला महल ।
14	गली चूड़ीवालान चावड़ी बाजार, बाजार मटिया महल, सीताराम बाजार, गली पंडित प्रेम नारायण ।
15	अजमेरी गेट, फाजिल रोड़ गली शाह तारा, गली कूचा पंडित, गली शाह गंज, फराश खाना रोड़ लाल कुआं बाजार ।
16	फराश खाना रोड़ समोसा वाली गली, फाजिल रोड़, नया बाँस रोड़, बाजार खारी बावली, कटरा दरियां रोड़, गली बताशावाली, गली कूचा नबाव
17	नेताजी सुभाष मार्ग, दयानंद रोड़ अन्सारी रोड़ ।
18	कटरा बारीयान रोड़, लाल कुआं रोड़, गली बल्लीमारान, गली कासिम जान, चावरी बाजार, नई सड़क, चाँदनी चौक ।
19	नई सड़क, चाँदनी चौक, एसप्लेनेड रोड़, दरिबा कलां बाजार गुलियान, चावरी बाजार, छत्ता शाहजी गली खजूर गली कटरा कुशल राय, गली अनार वाली, किनारी बाजार, मालीवाड़ा रोड़ ।
20	चाँदनी चौक, कटरा नील, चर्च मिशन रोड़, कटरा नटवर एरिया
21	एच.सी. सेन रोड़, चाँदनी चौक
22	बड़ा बाजार रोड़

2. क्षेत्र 'क' (चार दीवारी क्षेत्र के अतिरिक्त)

क्र.सं.		
1	रानी झांसी रोड़ (आजाद मार्केट से फिल्मिस्तान तक)	गोशाला रोड़ के पास वाले कोसिंग से फिल्मिस्तान तक (पूर्व की ओर)
2	कुतुब रोड़ (सिंगाड़ा चौक से पुल मिठाई तक)	सीनियार सेकण्डरी स्कूल सदर बाजार के जंक्शन से पुल मिठाई और रोड़ के पश्चिम की ओर
3	सदर थाना रोड़	सदर थाना से फूटा रोड़
4	ईदगाह रोड़	सिंगाड़ा चौक से सदर थाना रोड़ के कोसिंग (रोड़ के उत्तरी साइड पर)
5	आजाद मार्केट रोड़	आजाद मार्केट रोड़ से पुल मिठाई तक
6	चर्मेलियन रोड़	रानी झांसी रोड़ कोसिंग से महाराजा अग्रसेन मार्ग जंक्शन तक
7	महाराजा अग्रसेन मार्ग	रानी झांसी रोड़ जंक्शन से कुतुब रोड़ कोसिंग तक

		(सदर बाजार)
8.	मेन पहाड़गंज रोड़	चेम्स फोर्ड रोड़ जंक्शन से रामकृष्ण आश्रम
9	देश बंधु गुप्ता रोड़	पहाड़ गंज पुलिस स्टेशन कासिंग से शीला सिनेमा के सामने ।
10	रागुरु रोड़ (गुरुवाला रोड़)	देश बंधु गुप्ता रोड़ जंक्शन से मेन बाजार पहाड़ गंज रोड़ जंक्शन तक
11	नेहरू बाजार रोड़	पंचकुईयों रोड़ जंक्शन से मेन पहाड़ गंज बाजार रोड़ जंक्शन तक

3 क्षेत्र 'ख'

1	देश बंधु गुप्ता रोड़	फैज रोड़ कासिंग से प्रस्तावित 30 मी. रोड़ के जंक्शन तक (नक्शे में रोड़ नं-4)
2.	बैंक गली	फैज रोड़ कासिंग से रामकृष्ण मार्ग कासिंग तक
3.	हरध्यान सिंह रोड़	वही
4.	आर्य समाज रोड़	फैज रोड़ कासिंग से प्रस्तावित 30 मी. चौड़ी रोड़ कासिंग तक (नक्शे में रोड़ नं.-4)
5.	पदम सिंह रोड़	सत्त्वावन गर्ल्स स्कूल रोड़ कासिंग से गुरुद्वारा रोड़ कासिंग तक
6	न्यू रोहतक रोड़ (दक्षिण साइड)	फैज रोड़ कासिंग से जोशी रोड़ जंक्शन तक
7	रोड़ नं. 4(प्रस्तावित 30 मी0 चौड़ी रोड़ (पूर्व साइड)	डी.बी. गुप्ता रोड़ कासिंग से पदमसिंह रोड़ जंक्शन तक
8	न्यू पूषा रोड़	डी.बी.गुप्ता रोड़ जंक्शन से टैंक रोड़ जंक्शन तक
9	रामकृष्णदास मार्ग	डी.बी.गुप्ता रोड़ जंक्शन से नक्शे में रोड़ नं. -31 के जंक्शन तक
10	विष्णु मंदिर मार्ग	नक्शे में डी.बी.गुप्ता रोड़ नं-31 के जंक्शन से ।
11	सरस्वती मार्ग	डी.बी.गुप्ता रोड़ जंक्शन से आर्य समाज रोड़ जंक्शन तक
12	अजमल खां रोड़	टैंक रोड़ जंक्शन से पूषा लेन जंक्शन तक
13	गुरुद्वारा रोड़	डी.बी.गुप्ता रोड़ जंक्शन से पदम सिंह मार्ग जंक्शन तक

14	लक्ष्मी द्वार मार्ग	आर्य समाज रोड़ जंक्शन से पूषा लेन जंक्शन तक
15	अब्दुल अजीज रोड़	बैंक गली जंक्शन से आर्य समाज रोड़ जंक्शन तक
16	कृष्ण दास रोड़	डी.बी.गुप्ता रोड़ जंक्शन से आर्य समाज रोड़ जंक्शन तक
17	सत्त्वावन आर्य गर्ल्स स्कूल मार्ग (पश्चिम साइड)	आर्य समाज रोड़ जंक्शन से पूषा लेन जंक्शन तक
18	जोशी रोड़	न्यू रोहतक रोड़ जंक्शन से डी.बी.गुप्ता रोड़ जंक्शन तक
19	अब्दुल रहमान रोड़	डी.बी.गुप्ता रोड़ जंक्शन से आर्य समाज रोड़ जंक्शन तक
20	इलाही वक्श मार्ग	वही
21	फैज रोड़ (पश्चिम साइड)	वही

4. क्षेत्र 'ग'

1.	रोशनारा रोड़	1.00
2.	जी.टी.रोड़	2.18
3	शक्ति मार्ग (नागिया पार्क के निकट)	0.32
4	सत्यवती रोड़	0.15
5	मंडेला रोड़	0.06
6	कोलाहपुर रोड़	0.06
7	मल्कागंज रोड़	0.88

5. क्षेत्र 'घ'

1	टैम्पल रोड, भोगल
2	शाही हॉस्पिटल रोड, भोगल
3	सैट्रल रोड, भोगल
4	मस्जिद रोड, भोगल
5	गुरुद्वारा रोड, लाजपत नगर-4
6	रिंग रोड, के साथ नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1 सर्विस रोड
7	ब्लॉक 'ओ' व के लाजपत नगर-2 के मध्य में रोड (24 मी. चौड़ी)
8	सैट्रल मार्केट और लाजपत नगर-2
9	अलंकार सीनेमारोड/पुष्पा मार्केट रोड(लाजपत नगर)
10	मीश पितामह रोड (डिफेंस कालोनी)
11	दुकान प्लॉटों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे का निर्मित भाग

6. क्षेत्र- 'ड'

1	शापिंग सेंटर, कृष्णा नगर	
2	छोटा बाजार, शाहदरा	
3	मेन गांधी नगर बाजार	
4	बड़ा बाजार, शाहदरा	
5	अनाज मंडी, शाहदरा	
6	विश्वास नगर, शापिंग एरिया	
7	सीलमपुर का-शापिंग एरिया/सीलमपुर	
8	फर्श बाजार, शाहदरा	
9	रेलवे रोड, शाहदरा	
10	मेन रोड गांधी नगर	मार्जीनल बांध से झील बस टर्मिनल तक
11	मेन विकास मार्ग	मार्जीनल बांध से पटपड़गंज रोड तक
12	विजय चौक रोड(लक्ष्मी नगर मेन रोड)	विकास मार्ग से पटपड़गंज रोड
13	पटपड़गंज रोड	जी.एच.बी.एस. और पुनर्वास कालोनियों के अतिरिक्त झील बस टर्मिनल से मधुबन रेलवे कासिंग तक
14	रोड नं-57	सी.जी.एच.एस. और सुविधा केन्द्रों के अतिरिक्त जी.टी. रेलवे लाइन से परवाना रोड तक
15	भोलानाथ नगर रोड	रोड नं 57 से बाबूराम स्कूल तक
16	मंदिर मार्ग रोड	रघुरनाथ मंदिर से रोड नं. 57 तक

17	रोड. नं 35 'ए'	पुल क्षेत्र और मदर डेरी प्लॉट के अतिरिक्त विकास मार्ग से मदर डेरी तक
18	60 फुटा चौड़ा रोड	तेलीवाड़ा से बाबूराम स्कूल
19	मौजपुर क्षेत्र में प्रस्तावित मास्टर प्लॉन रोड नं. 67	रोड नं. 66 से चौड़ा चौक
20	लोनी रोड	टी.टी. रोड से रोड नं 68 तक
21	टी.टी.रोड	राधू सिनेमा से लोनी रोड तक
22	रोड नं 66	टी.टी. रोड से केवल पश्चिम साइड पर रोड नं. 68 तक
23	ब्रह्मपुरी मेन रोड	घोंडा चौक से न्यू सीलमपुर मार्केट, रोड
24	यमुना विहार रोड	घोंडा चौक से डी.टी.सी. डिपो तक
25	60 फुटा चौड़ा रोड बलबीर नगर(बाबर पुर रोड)	पूर्वी यमुना नहर से जी.टी.रोड तक
26	100 फुटा रोड नं. 68	पूर्वी यमुना नहर, रेलवे लेवल कासिंग तक

224002/66-3

27	वजीरा बाद रोड़	मार्जिनल बांध यमुना विहार योजना तक (केवल दक्षिण साइड)
----	----------------	---

7. क्षेत्र—'च'

(क)	नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2 (रिंग रोड़ पर सामने का भाग)	
(ख)	कालकाजी मेन रोड़ (ब्लॉक जी और एच तथा इ और एफ के मध्य)	
(ग)	मालवीय नगर (मेन मार्केट रोड़)	
(घ)	गोविंदपुरी और गोविंदपुरी विस्तार के मध्य का रोड़	
(ङ)	दुकान प्लॉट, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार	

8. क्षेत्र 'छ'

1. लक्ष्मण सत्वानिया, न्यू मोती नगर चौक मेन नजफगढ़ रोड़ से बाहरी रिंग रोड़ कासिंग तक गणेश नगर ।
2. कीर्ति नगर मायापुरी चौक से कीर्ति नगर पटेल नगर चौक के मध्य ।
3. लाजवंती गार्डन चौक से नंगल राय तक ।
4. सुभाष नगर से दीन दयाल उपाध्य होस्पिटल ।
5. तिलक नगर चौक से नंगल राय फलाई ओवर, जेल रोड़ ।
6. एच ब्लॉक, बाली नगर नजफगढ़ रोड़ से बी. ब्लॉक बाली नगर तक ।

9. क्षेत्र 'ज'

1.	रोड़ नं. 43रानी बाग	200 फुट
2	मेन बाजार, ऋषि नगर	50 फुट
3	मेन बाजार (रोड़ रानी बाग)	50 फुट
4	मेन रोड़ राजा पार्क	100 फुट
5	मेन रोड़, शास्त्री नगर	200 फुट
6	मेन रोड़ त्रि नगर	50 प्रतिशत
7	रोड़ नं. 41 रोहिणी	45 मी0

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 21st July, 2006

S.O. 1161(E).—Whereas, the Master Plan of Delhi-2001 was modified *vide* notification No. S.O. 425(E), dated 28-3-2006 in so far as the chapter on Mixed Use is concerned.

Whereas, several representations have been received since then for further modification and rationalization of the provisions relating to Mixed Use;

Whereas, the Central Government had already constituted a Committee of Experts on 14.2.2006 under the Chairmanship of Shri Tejendra Khanna, former, Lt. Governor, Delhi to assess the magnitude of the problem and issues involved in the matter and to suggest a comprehensive strategy to deal with it;

Whereas, the said Tejendra Khanna Committee has submitted its report on 13-5-06;

And whereas the Central Government after careful consideration of the report of the Tejendra Khanna Committee has proposed to implement the recommendations pertaining to Mixed Use;

Now, therefore, in exercise of powers under section 11 A of the Delhi Development Act read with Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plans) Rules 1959, as amended from time to time, the following further modifications, which are proposed to be made by the Delhi Development Authority in the Master Plan for Delhi-2001, with the approval of Central Government, are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion may send the same in writing to the Principal Commissioner -cum- Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi - 110023, within a period of 30 days from the date of publication of this Notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

Modification:

In Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) dated 1.8.1990 the following shall be incorporated:-

- (i) On page 165(RHS) under CLAUSE 10.0 MIXED USE REGULATIONS the existing provisions, as modified vide notification S.O. No. 425(E) dated 28.3.2006 shall be substituted by the following:-

10.0 MIXED USE POLICY

This chapter covers the policy for mixed use of land for certain permissible purposes. The policy acknowledges the need for permitting use of land for purposes other than that for which it is planned and lays down the conditions under which this may be applied in different situations. The general procedure to be followed for implementation of the said policy, and mitigating measures to be taken to counter the effect of such non-intended use in such areas are also described.

10.1 GOVERNING PRINCIPLES FOR MIXED USE

Mixed use for the purposes of this Chapter means the provision for non-residential activity in residential premises.

- ii. The policy aims to balance the socio-economic need for such activity and the environmental impact of the said activity in residential areas.
- iii. Mixed use allows access to commercial establishments in the proximity of the residences and reduces the need for commuting across zones in the city. However at the same time, it needs to be regulated in order to manage and mitigate associated adverse impacts related to congestion, increased traffic and increased pressure on civic amenities.
- iv. The over-riding principles for permitting mixed use are the need to acknowledge and make adequate provision for meeting community needs, mitigating environmental impact and providing for safe and convenient circulation and parking.
- v. Mixed-use shall not be permitted in the Lutyens Bungalow Zone, Civil Lines, Government housing, institutional and staff housing of public and private agencies, buildings/precincts listed by the Heritage Conservation Committee.

10.2. MIXED USE IN RESIDENTIAL AREAS: DIFFERENTIATED APPROACH:

- i). The need for a differentiated approach to mixed use policy arises from the fact that Delhi, being the country's capital and an important centre of economic activity has a large diversity in the type of residential areas. Apart from the planned residential colonies built as part of Lutyens' Delhi as well as through the process of planned development undertaken by the Delhi Development Authority, there are authorized residential areas in the Walled City, Special areas and in urbanized villages. Other planned areas include resettlement colonies and pre-DDA colonies including post-partition rehabilitation colonies. There are also unplanned unauthorized regularized colonies; unauthorized colonies as well as slums and jhuggi jhonpri clusters in various parts of Delhi.

- ii). Moreover, the extent of non-residential activity seen as being necessary or desirable by the residents themselves varies from area to area based on the socio-economic status of the residents as well as the past pattern of development in that area. While certain colonies may appreciate the need for non-residential activity as an integral part of their livelihood, some others may fervently wish to preserve the more or less exclusive residential character of their colonies and neighborhoods.
- iii) Hence it is proposed to follow a differentiated approach in the application of the mixed use policy in Delhi.
- iv) The differentiated approach would be based on categorization of colonies from A to G as adopted by MCD for Unit Area method of property tax assessment.
- a. In colonies falling in categories A and B, only professional activity would be permissible. Any other activity may be permitted under the terms and conditions prescribed in the succeeding paras, only if the RWA(s) of the said colonies make a specific request in this regard.
 - b. In colonies falling in C and D categories, mixed use would be permissible as per terms and conditions prescribed in the succeeding paras, subject to consultation with RWAs.
 - c. In colonies falling in E, F and G all categories of mixed use would be permissible as per terms and conditions prescribed in the succeeding paras.
 - d. In respect of colonies falling in NDMC area (excluding Lutyens Bungalow Zone, Government housing, institutional and staff housing of public and private agencies, and buildings/precincts listed by the Heritage Conservation Committee), existing mixed use streets / stretches will be notified by NDMC. Future notification of mixed use streets/ stretches will be done on a field level survey to assess the community needs, environmental impact and traffic

224062/06-4

circulation/ adequate parking and in consultation with Residents Welfare Associations.

10.3 IDENTIFICATION OF MIXED USE AREAS IN EXISTING URBAN AREAS AND URBANIZABLE AREAS:

The identification of mixed use areas/ streets in both the urbanized/urban as well as urbanizable areas of Delhi would be as follows:

- i. In already urbanized /urban areas, mixed use would be permissible in the following areas:
 - a. In colonies falling in Category A and B, subject to specific request of the RWA, in residential plots facing streets/roads with a minimum 18 m ROW in regular residential plotted development.
 - b. In colonies falling in Category C and D, subject to consultation of the RWA in residential plots facing streets/roads with a minimum 18 m ROW in regular residential plotted development, 13.5 m ROW in rehabilitation colonies and 9 m ROW in special area and urban villages.
 - c. In all the colonies falling under E, F and G categories, in residential plots facing roads of ROW 13.5m, 9m and 6 m respectively in residential plotted development, rehabilitation colonies and special area/ walled city/ villages.
- ii. Mixed use shall continue to be permitted on all streets/ stretches already notified by the competent authority under MPD 2001 and indicated in **Annexure-I** (List of identified stretches / Streets).
- iii. Residential areas and Streets/ stretches earlier declared as commercial or where commercial use was allowed in MPD 1962 would also be allowed to continue such use at least to the extent as permissible in MPD 1962.
- iv. Commercial activity existing from prior to 1962 in residential areas would be permitted to continue subject to documentary proof thereof.

- v. In addition to streets covered under (ii) & (iii) above, local bodies shall be required to carry out within 60 days of the Notification coming into force, a survey of all other streets of the above-mentioned width, with a view to decide on notification of identified stretches of such streets as mixed use streets.
- vi. The field survey shall assess the extent of existing non-residential use on the street, the stretch of the street to be notified, the additional requirement of civic amenities and the provision for traffic circulation and parking.
- vii. The notification should be completed within the following 60 days after the field survey with the approval of the Competent Authority under the relevant Act.
- viii. **In new urbanizable areas,**
 - a. In newly developed residential areas, mixed use as specified above shall be permitted only on residential plots located on 18 m. ROW roads.
 - b. In villages that are declared as urban and get integrated into the process of development, mixed use would be permissible in areas/ stretches identified in the local area plan/ lay out plan prepared for such integration.
- ix. The layout plan in such new areas shall earmark such stretches/ plots and notify them under the Mixed Use Policy at the time of grant of permission for layout plan in the case of private development and at the time of disposal by allotment or auction in the case of areas developed by DDA.

10.4 GENERAL TERMS AND CONDITIONS GOVERNING MIXED USE:

On the notified stretches/ streets, mixed use shall be permitted, subject to the following general terms and conditions:

- (i) In plots on notified streets, in plotted development, three types of mixed use namely, retail shops, professional activity and other activity, are permissible.

- (ii) In any residential plot (on the notified street, in plotted development), only one of the two: either retail shop as per para 10.6, or any one of the other activities listed below in para 10.7, would be permitted. However, professional activity would also be permitted in such plots.
- (iii) In one residential dwelling unit, (on the notified street, in plotted development,) only one type of mixed use (i.e., retail shop or professional activity or one of the other activities) shall be permissible.
- (iv) In group housing, only professional activity is permissible. Retail shops would be specifically provided for in the lay out plan of group housing.
- (v) No encroachment shall be permitted on the streets or public land.
- (vi) Development control norms as applicable for the particular residential use will continue to be applicable, even if the plot/ dwelling unit is put to mixed use.
- (vii) If the notified street is a Master Plan Road, service road should be available or provided for by local bodies so that mixed use premises can be approached from such service road and not directly from the main carriageway.
- (viii) In plotted development, front setback should not have boundary wall, so that it can be used for additional parking. This would also apply to ground floor residences in group housing, being used for professional activity.
- (ix) Parking @ 2.0 ECS per 100 sqm shall be provided within the premises. Where this is not available, cost of development of parking, shall be payable by the plot allottee/ owner.
- (x) Common parking areas would be earmarked on such streets taking into account the additional load on traffic and parking consequent upon notification of the street under Mixed Use Policy. If no parking space is available, land/ plot on the said street would be made available by Traders association or acquired for construction of parking facilities, preferably, multi

level parking. Development of such parking facilities would be done by either the traders Association or by local bodies and may include public-private partnership as a model for implementation.

- (xi) Streets of less than 9 m (or 6 m in E, F & G category colonies) ROW in Urban villages, special areas and Walled City, if notified for mixed use shall be declared as Pedestrian Shopping Streets (PSS) and will not be open to motorized transport.

10.5 PERMISSIBLE AND NON-PERMISSIBLE USES:

Any trade or activity involving any kind of obnoxious, hazardous, inflammable, non-compatible and polluting substance or process shall not be permitted.

10.6 RETAIL SHOPS

- i. Retail shops shall be permitted on plots on streets notified for mixed use only on ground floor upto the maximum permissible ground floor coverage.
- ii. The following activities shall not be allowed under Mixed Use:
 - a) Retail shops of building materials (timber, timber products, marble*, iron and steel and sand), firewood, coal and any fire hazardous and other bulky materials.
 - b) Repair shops of automobiles repair and workshop, cycle rickshaw repair, tyre resorting and re-treading, and battery charging.**
 - c) Storage, go-down and warehousing.
 - d) Junk shop
 - e) Liquor shop
 - f) Printing, dying and varnishing
 - g) Any other activity that may be notified from time to time by Government.

Note: * Retail shops of finished Marble products, not undertaking cutting and polishing activities and , ** repair shops and workshops in

224042/06-5

use of automobile and cycle rickshaws, would be permissible on plots abutting mixed use streets of ROW of 30 m or more.

10.7 OTHER ACTIVITY

10.7.1 The following other activities shall also be permitted in the residential plots on notified streets:

- (a) Pre-primary school (Nursery/Montessori School, Crèche.)
- (b) Nursing home
- (c) Guest house
- (d) Bank
- (e) Fitness Centre (Gymnasium, yoga/ meditation centre)

10.7.2. The above mentioned activities would be subject to the following additional conditions in addition to general conditions prescribed in preceding paras:

- (i) Subject to the specific conditions mentioned in succeeding paras, the minimum size of the plot on which these activities shall be permissible, on notified streets, shall be 200 sqm in regular plotted development, 160 sqm in rehabilitation colonies, special area & villages. The maximum size of the plot will be 1000sqm.
- (ii) Banks will be permissible on $2/3^{\text{rd}}$ of FAR subject to 600 sqm, while Guest House and Nursing Homes will be permissible upto $3/4^{\text{th}}$ of the floor area.
- (iii) Nursing Homes operating in plots facing MP roads and ZP roads that are notified for mixed use, will be permissible upto 100% of built up area and the limits on the size of the plot would not apply.
- (iv) Guest Houses operating in plots on mixed use streets in Special Area and in plots facing MP roads and ZP roads that are notified for mixed use will be permissible upto 100% of built up area and the limits on the size of the plot would not apply.

- (v) Pre-primary school and fitness centre would be restricted only to the ground floor up to the permissible ground coverage.
- (vi) The above mentioned activities would also be subject to any other specific terms and conditions, as may be prescribed in the relevant Statutes/ Acts applicable to them, including those in respect of size of plots, road width etc.
- (vii) It shall be the responsibility of the plot allottee/ owner to make arrangements for parking so that the parking does not encroach/ spill over on public land.

The relevant regulations covering terms and conditions vide Notification No 273 to 275(E) dated 11. 03.2003 will be taken up for revision accordingly.

10.7.3. Banquet hall shall be permissible only in industrial areas and not in the residential use zone. Development control norms in respect of Ground coverage, FAR, height and basement shall be applicable as per Master Plan Norms for the specific land use for that premises.

10.8 PROFESSIONAL ACTIVITY

- i. Professional activity will be permitted if carried out by the resident him/her self.
- ii. Professional activities would mean those activities involving commercial services based on professional skills namely Doctor, Lawyer, Architect, and Chartered Accountant.
- iii. In group housing, and plotted development with multiple dwelling units, professional activity shall be permitted on any floor subject to maximum of 50% of the permissible or sanctioned FAR, whichever is less, of the dwelling unit
- iv. In the case of plotted development with single dwelling unit, such activity will be permissible on any one floor only, but

restricted to less than 50% of the permissible or sanctioned FAR, whichever is less on that plot.

10.9 REGISTRATION OF MIXED USE PREMISES AND PAYMENT OF CHARGES:

- i. In order to avail of the provisions under the Mixed Use Policy, the owner/allottee of the plot/ dwelling unit in case of plotted development and dwelling unit in the case of group housing would be required to register himself and pay the prescribed charges at rates to be notified by the Central Government from time to time.
- ii. The property owner/ user of a residence already under mixed use or intended to be put to mixed use, is required to declare such mixed-use by filling up a form in this respect and depositing it with the local body along with one-time registration charges.
- iii. The property under mixed use shall also be liable for payment of mixed-use charges every year to the local body/DDA for the period during which the property is put to mixed use. Such payment will be made by the property owner/ allottee voluntarily before 30 June of every year.
- iv. In addition, if any revision in building plans is required for using residential premises for non-residential activities, the property allottee/ owner would be required to seek sanctioned revised building plans and pay necessary charges.
- v. The local body concerned shall be responsible to conduct test check of properties under mixed use, whether registered with it or not.
- vi. In addition to other penal action available under the relevant Act, properties found to be under mixed use, without self-declaration/ registration or in violation of the terms of registration would be penalized by levy of 10 times the annual charges for mixed use.

10.10 CONSULTATION WITH RWAs:

- i. Consultation with the RWAs for the purposes of declaring mixed use streets would be done by the local bodies concerned. Such consultation should cover at least 50% of the plot allottees/ owners of that colony, through one or more RWAs.
- ii. Genuine efforts for meaningful consultations with RWAs should be made by the local bodies. Such efforts will include wide publicity to the proposed consultations, maintenance of record of consultation and providing access to those records to RWA and public.
- iii. RWA consultation may be extensive but limited to identification of mixed use streets, and not for grant of permission in individual cases. However RWAs would have a right to be heard in cases of complaints of public nuisance and non-permissible uses.
- iv. Consultation with RWAs prior to granting permission for banquet halls shall be compulsory not only in post 1962 plotted development but in any residential area, where banquet halls are permissible.

10.11 UNDER WHAT CONDITIONS MIXED USE CAN BE DENIED/ WITHDRAWN:

Permission or registration for mixed use can be cancelled or suspended by the concerned local body in case of violation of any of the conditions under which such mixed use is permissible/ permitted.

10.12 COMMERCIAL STREETS:

10.12.1. In cases where more than 70% of the properties on a notified mixed use street are under commercial use, on main roads of ROW exceeding 24mts, such stretches can be notified by Government as Commercial stretches/ streets. Identification of such stretches would be on the basis of field survey to be conducted by the local body.

10.12.2. After identification is done, notification of commercial stretches/ streets would be subject to the following terms and conditions:

224001/06-6

- i) Preparation of revised lay-out plan for such areas/ streets by the local traders Association and approval by the local body.
- ii) The lay-out plan for such areas/ streets should indicate adequate provision for circulation, parking, open spaces and other planning norms as applicable to commercial centres of comparable size.
- iii) Necessary open space should be made available on the stretch / street by local traders association for parking and common facilities.
- v) Plot/ property owners / allottees on the commercial streets would be liable for payment of additional development charges for provisioning of such infrastructure.
- vi) Any other condition that may be prescribed by Government from time to time.

[No. F. 20(4)/2005/MP/Part-II]

V. M. BANSAL, Principal Commissioner-cum-Secy.

Annexure-I

MIXED USE STREETS IN VARIOUS ZONES OF DELHI:

1. Zone-A and part C (Walled City)

1.	Chandi Chowk Road (100 feet R/W)
2.	Netaji Subhash Marg (80 feet R/W)
3.	Ansari Road (60 feet R/W)
4.	Khari Baoli (80 feet R/W)
5.	Naya Bazar Road (80 feet R/W)
6.	Shardanand Marg (60 feet R/W)
7.	Ajmeri Gate Bazar (60 feet R/W)
8.	Church Mission Road (60 feet R/W)
9.	S.P. Marg (120 feet R/W)
10.	H.C. Sen Road (100 Feet R/W)
11.	Ajmeri Gate Road Bazaar Sita Ram, Gali Kucha Pati Ram, Gali Arya Samaj, Gali Kali Masjid, Gali Katra Anikhan.
12.	Bazar Dilli Darwaza
13.	Netaji Subhash Marg, Sir Syed Ahmed Marg, Gali Kuncha Chalan, Gali Pataudi House, Gali Kala Mahal.
14.	Gali Churiwalan Chawri Bazar, Bazar Matia Mahal, Sita Ram Bazar, Gali Pandit Prem Narainh.
15.	Ajmeri Gate Road, Fasil Road, Gali Shah Tara, Gali Kucha Pandit, Gali Shahaganj, Farashkhana Road, Lal Kuan Bazar.
16.	Farash Khana Road, Samosa Wali Gali, Fasil Road, Naya Bans Road, Bazar Khari Baioli, Katra Dariyan Road, Gali Batashawali, Gali Kucha Nawab.
17.	Netaji Subhas Marg, Dayanand road, Ansari Road.

18.	Katra Bariyan Road, Lal Kuan Road, Gali Ballimaran, Gali Kashim Jaan, Chawri Bazar, Nai Sarai, Chandni Chowk.
19.	Nai Sarak, Chandni Chwok, Esplanade Road, Dariba Kalan Bazaar, Gulian, Chawri Bazar, Chatta Shahji, Gali Khajoor, Gali Katra Kushal Rai, Gali Anarwali, Kinari Bazar, Maliwara Road.
20.	Chandni Chowk, Katra Neel, Church Mission Road, Katra Natwar Area.
21.	H.C. Sen Road, Chandni Chowk.
22.	Bara Bazar Road.

2. Zone-A (Part other than Walled City)

1.	Rani Jhasi Road, (Azad Market Chowk to Filmistan)	From crossing with Gaushala Road to Filmistan (on East Side)
2.	Qutab Road (Singhara Chowk to Pul Mithai)	From Junction near Senior Secondary School Sadar Bazar to Pul Mithai and Western Side of the Road.
3.	Sadar Thana Road	Sadar Thana to Phoota Road.
4.	Idgah Road	Singhara Chowk to crossing with Sadar Thana Road (on north side of the road).
5.	Azar Market Road	Azad Market Road to Pul Mithai.
6.	Chamelian Road	From crossing with Rani Jhansi Road to Junction with Maharaja Agrasen Marg.
7.	Maharaja Agresan Marg	From junction with Rani Jhansi road to crossing with Qutab Road (Sadar Bazar).
8.	Main Paharganj Road	From Junction with Chemsford road to Ram Krishna Ashrm.
9.	Desh Bandu Gupta Road	Pahargan Police Station crossing to opposite Shiela Cinema.
10.	Raguru Road (Guruwala Road)	Junction with Desh Bandhu Gupta Road to junction with Main Bazar Pahar Ganj Road.
11.	Nehru Bazar Road	From junction with Punchkuian Road to junction with main paharganj Bazar Road.

3. Zone-B.

1.	Desh Bandhu Gupta Road	From crossing with Faiz Road to the junction with proposed 30-M road (road No. 4 in the layout plan).
2.	Bank Street	From crossing with Faiz Road to crossing with Ram Krishna Marg.
3.	Hardhyan Singh Road	- do -
4.	Arya Samaj Road	From crossing with Faiz Road to crossingn with proposed 30-M wide road (road No. 4 in the layout plan).
5.	Padam Singh Road	From crossing with Satbravan Girls School Road to crossing with Gurudwara Road.
6.	New Rohtak Road (South side)	From crossing with Faiz Road to junction with Joshi Road.

224062/06-7

7.	Road No. 1 (proposed 30-M wide road) (East Side)	From crossing with D.B. Gupta Road to junction with Padam Singh Road.
8.	New Pusa Road	From Junction with D.B. Gupta Road to junction with Tank Road.
9.	Ram Krishan Dass Marg	From junction with D.B. Gupta Road to Junction with Road No. 31 of the layout plan.
10.	Vishnu Mandir Marg	From junction with D.B. Gupta road no. 31 of the layout plan.
11.	Saraswati Marg	From junction with D.B. Gupta Road to junction with Arya Samaj Road.
12.	Ajmal Khan Road	From junction with Tank Road to junction with Pusa Lane.
13.	Gurudwara Road	From junction with D.B. Gupta Road to junction with Padam Singh Marg.
14.	Laxmi Dawar Marg	From junction with Arya Samaj Road to junction with Pusa Lane.
15.	Abdul Aziz Road	From junction with bank Street to junction with Arya Samaj road.
16.	Krishna Das Road	From junction with D.B. Gupta Road to junction with Arya Samaj Road.
17.	Satbharavan Arya Girls School Marg (West Side)	From junction with Arya Samaj Road to junction with Pusa Lane.
18.	Joshi road.	From junction with New Rohtak Road to junction with D.B. Gupta Marg.
19.	Abdur Rehman Road	From junction with D.B. Gupta Road to junction with Arya Samaj Road.
20.	Ilahi Baksh Marg	- do -
21.	Faiz Road (West side)	- do -

4. Zone-C

1.	Roshnara Road	1.00
2.	G.T. Road	2.18
3.	Shakti Marg (Nangia Park round about)	0.32
4.	Satyawati Road	0.15
5.	Mandella Road	0.06
6.	Kohlapur Road	0.06
7.	Malka Ganj Road	0.88

5. Zone-D

1. Temple Road, Bhogal.
2. Shahi Hospital Road, Bhogal.
3. Central Road, Bhogal.
4. Masjid Road, Bhogal.

5. Gurudwara Road, Lajpat Nagar-IV.
6. New Delhi South Extension-I, service road along Ring Road.
7. Main Road (24-M wide) between Blocks O & K, Lajpat Nagar-II.
8. Central Market and Lajpat Nagar-II.
9. Alankar Cinema road/Pushpa Market Road (Lajpat Nagar).
10. Bhishm Pitahamah Road, Defence Colony.
11. In addition, shop plots forming part of an approved layout of the competent authority.

Zone-E

1. Shopping Centre, Krishna Nagar.
2. Chota Bazar, Shahdara.
3. Main Gandhi Nagar, Bazar.
4. Bara Bazar, Shahdara.
5. Anaj Mandi, Shahdara.
6. Shopping area of Vishwas Nagar.
7. Shopping area of Seelampur/Saleempur.
8. Farash Bazar, Shahdara.
9. Railway road, Shahdara.
10. Main Road Gandhi Nagar. : From Marginal Bund to Jheel Bus Trml.
11. Main Vikas Marg : From Marginal Bund to Patparganj Rd.
12. Vijay Chowk Road : From Vikas Marg to Patparganj Road.
(Laxmi Nagar Main Road)
13. Patparganj Road : From Jheel Bus Terminal to Madhuban
Railway Crossing excluding the GHBS
And Rehabilitation Colony.
14. Road No. 57 : From G.T. Railway Line to Parwana Rd.
Excluding CGHS and facility centers.
15. Bhola Nath Nagar Road : From road no. 57 to Babu Ram School.
16. Mandir Marg Road : From Raghunath mandir Road to Road
No. 57.
17. Road No. 35-A : From Vikas Marg to Mother Dairy
Excluding bridge area and Mother Dairy
Plant.
18. 60-feet Road. : From Teliwara to Babu Ram School.
19. Proposed Master Plan road : From road no. 66 to Ghonda Chowk.
No. 67 in Maujpur Area.
20. Loni Road : From T.T. road to Road No. 68.
21. T.T. Road : From Radhu Cinema to Loni Road.
22. Road No. 66 : From T.T. Road to Road no. 68 on
Western Side only.

23. **Brahmpuri Main Road.** : From Ghonda Chowk to New Seelampur Market road.
24. **Yamuna Vihar Road** : From Ghonda Chowk to DTC Depot.
25. **60-fet wide road Balbir Nagar (Babarpur Road)** : From East Yamuna Canal to G.T. Road.
26. **100-feet Road no. 68.** : From Easter Yamuna Canal upto Railway level crossing.
27. **Wazirabad Road** : From Marginal Bund upto Yamuna Vihar Scheme (on south side only).

7. **Zone-F**

- a) New Delhi South Extn. Part-II (Portion fronting on Ring Road).
- b) Kalkaji Main road (Between Block G & H and E&F).
- c) Malviya Nagar (Main Market Road).
- d) Road between Govindpuri and Govindpuri Extn.
- e) Shop-plots, forming parts of an approved layout plan of the competent authority.

8. **Zone-G**

1. Main Najafgarh Road from Laxman Sylvania, New Moti nagar Chowk to Outer ring Road crossing i.e. Ganesh nagar.
2. Beteen Kirti nagar and Mayapur chowk to Kirti nagar, Patel nagar Chowk.
3. Lajwanti Garden Chowk to Nangal Raya.
4. Subhash Nagar to Deen Dayal Upadhyaya Hospial.
5. Tilak Nagar Chowk to Nangal Raya flyover i.e. Jail Road.
6. H-Block, Bali Nagar Najafgarh Road to B-Block, Bali Nagar.

9. **Zone-H**

1. Road No. 43, Rani Bagh : 200 feet.
2. Main Bazar, Rishi Nagar : 50 feet
3. Main Bazar, (road Rani Bagh) : 50 feet
4. Main road Raja Park : 100 feet
5. Main Road Shashtri Nagar : 200-feet
6. Main Road Tri Nagar : 50%
7. Road No. 41, Rohini : 45 meter.

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6011
N^o. 6011

नई दिल्ली, बुधवार, जून 15, 2005/ज्येष्ठ 25, 1927
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 15, 2005/JYĀISHTHA 25, 1927

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(प्रधान आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2005

विषय — दिल्ली विकास (मुख्य योजना एवं जोनल विकास योजना) नियम, 1959, अध्याय-3, नियम 9 के अंतर्गत जांच और सुनवाई के लिए नोटिस का गठन।
क्र.आ. 824 (अ).—दिल्ली मुख्य योजना 2021 के प्रारूप को भारत के असाधारण राजपत्र के साप्ताहिक आदेश सं. (क्र.आ.) 318 (अ) दिनांक 16-3-2005 में प्रकाशित किया गया है। दिनांक 8-4-2005 को समाचार-पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की गयी है, जिसके द्वारा 90 दिनों के अंदर जनता से आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

निर्धारित अवधि के अंदर आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने के लिए दि.वि.प्रा. (मुख्य योजना एवं जोनल विकास योजना) नियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण निम्नलिखित जांच और सुनवाई बोर्ड का गठन करता है:—

- | | |
|--|-------------------|
| (1) उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. | — अध्यक्ष |
| (2) अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. | — सदस्य |
| (3) आयुक्त, दि.न.वि. | — सदस्य |
| (4) मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन | — सदस्य |
| आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा. | — संयोजक एवं सचिव |

[सं. एफ 20 (6) 2005-एम पी/पार्ट-1]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

1817, 01/2005

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(OFFICE OF THE PR. COMM. -CUM-SECRETARY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2005

Sub:— Constitution of Board of Enquiry and Hearing under Rule 9, Chapter III, Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959.

S.O. 824 (E).—The Draft Master Plan for Delhi 2021 has been published in Gazette of India, Extraordinary, No. S.O. 318 (E), dated 16-3-2005. A Public Notice has also been published in the newspapers on 8-4-2005, vide which the objections/suggestions have been invited within 90 days from the public.

The Delhi Development Authority under the provisions of DDA (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959, hereby appoints the following Board for Enquiry and Hearing to consider the objections/suggestions thus received within the stipulated period:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| (i) Vice-Chairman, DDA | — Chairman |
| (ii) Engineer Member, DDA | — Member |
| (iii) Commissioner, MCD | — Member |
| (iv) Chief Planner, TCPO | — Member |
| Commissioner (Planning), DDA | — Convener & Secretary |

[F.No. 20(6) 2005-MP/PLI]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1248]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2005/अग्राहायण 11, 1927

No. 1248]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 2005/AGRAHAYANA 11, 1927

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(प्रधान आयुक्त एवं सचिव का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2005

विषय : दिल्ली विकास (मुख्य योजना एवं क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, 1959 के नियम 9, अध्याय-III के अन्तर्गत जाँच एवं सुनवाई बोर्ड का गठन।

का.आ. 1685(अ).—दिल्ली मुख्य योजना, 2021 का संसदीय भारत के असाधारण राजपत्र संख्या का.आ. 318(अ) दिनांक 16-3-2005 में प्रकाशित किया गया था। दिनांक 8-4-2005 के समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की गई थी, जिसके माध्यम से आम जनता से 90 दिनों के अन्दर आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

अब, भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. 824(अ), दिनांक 15-6-2005 के क्रम में श्री वीरेन्द्र कसाना, पार्षद, दि.न.नि., जो दि.वि.प्रा. के सदस्य भी हैं, को एतद्वारा जाँच एवं सुनवाई बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

[सं. एफ. 20(6)2005/एम.पी. पार्ट-1/डी]

विरम मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER-
CUM-SECRETARY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2005

Sub. : Constitution of Board of Enquiry and Hearing under Rule 9, Chapter III, Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959.

S.O. 1685(E).—The Draft Master Plan for Delhi, 2021 had been published in Gazette of India, Extraordinary, No. S.O. 318(E), dated 16-3-2005. A Public Notice had also been published in the newspapers on 8-4-2005, vide which the objections/suggestions had been invited within 90 days from the public.

Now, in continuation to the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Notification No. S.O. 824(E), dated 15-6-2005, Shri Virender Kasana, Councillor, MCD, who is also a member of the DDA is hereby appointed as a member on the Board for Enquiry and Hearing.

[No. F. 20(6)2005/MP-Pt. I/D]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

No. K-13011/25/2005- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

दि. वि. प्रा. / संयुक्त एवं सहायक विभाग
D.O.A. / PARLT. & CO-ORDN. BRANCH
पारली सं. / DIARY No. 129-6
दि. सं. / DATE 24/8/06

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated 23rd August, 2006

Subject: **Extraordinary Gazette Notification – for circulation of Notification S.O. No. 1321 (E) dated 18.8.2006 regarding Change of land use in Pocket III, Phase-I in Zone 'O'.**

A copy of Notification dated 18th August, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

Encl : As above.

S. Mukherjee
(S. Mukherjee)

Under Secretary to the Government of India
Telefax.: 23061681

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi
- ③ Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
4. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
5. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
7. The Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
8. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
9. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
11. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Dr. Dev Prakash
24/8

h
23/8
DD (12)
24/8/06
AD (M.C)

It pertains to
AD (M.C)
24/8/06
AD (M.C)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 917]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 18, 2006/श्रावण 27, 1928

No. 917]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 18, 2006/SRAVANA 27, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2006

का.आ. 1321(अ).—यतः केन्द्र सरकार दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जोकि दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 2 मार्च, 2006 की सार्वजनिक सूचना सं. का.आ. 273(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और जिनके संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथोचित आपत्तियां/सुझाव उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अंदर आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में दिनांक 2 मार्च, 2006 को प्रकाशित उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में कई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए और यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में संशोधन करने का निर्णय किया है।

3. अतः, अब, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2001 में भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

(i) जोन 'ओ' के पॉकेट-III, फेज-I में 16.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली भूमि का भू-उपयोग निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :—

स्थान	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भू-उपयोग (मास्टर प्लान-2001)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
1	2	3	4	5
जोन 'ओ' में पॉकेट-III, फेज-I	(i) 11.0 हेक्टेयर (ii) 5.5 हेक्टेयर	'कृषि तथा जलाशय' 'कृषि तथा जलाशय'	'आवासीय' 'व्यवसायिक/होटल'	पूर्व—पार्किंग/अक्षरधाम मंदिर दक्षिण—हरित क्षेत्र/राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पश्चिम—45 मी. चौड़ी तटबंध सड़क उत्तर—प्रस्तावित 30 मी. चौड़ी सड़क

[सं. के-13011/25/2005-डीडी 1बी]

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2006

S.O. 1321(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2001 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 273(E) dated 2nd March, 2006 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas a number of objections/suggestions were received in response to the above stated public notice dated 2nd March, 2006 with regard to the proposed modifications and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan-2001.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2001 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications :

(i) The land use of an area of 16.5 ha. in Pocket-III, Phase-I in Zone 'O' is changed as per following description :—

Location	Area in hectares	Land use (MPD-2001)	Land use changed	Boundaries
1	2	3	4	5
Pocket-III, Phase-I in Zone 'O'	(i) 11.0 ha.	'Agricultural and Water Body'	'Residential'	East —Parking/Akshar Dham Temple
	(ii) 5.5 ha.	'Agricultural and Water Body'	'Commercial/Hotel'	South —Green/National Highway 24 West —45m wide embankment road North —Proposed 30m road.

[No. K-13011/25/2005-DD 1B]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

No. K-13011/25/2005- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

वि. वि. प्र. / संसद एवं योजना विभाग
D.D.A. / PARLT. & CO-ORDN. BRANCH
पारली सं. / DIARY No. 129-6
दिनांक / DATE 24/8/06

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated 23rd August, 2006

Subject: Extraordinary Gazette Notification – for circulation of
Notification S.O. No. 1321 (E) dated 18.8.2006 regarding
Change of land use in Pocket III, Phase-I in Zone 'O'.

A copy of Notification dated 18th August, 2006 published in the
Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and
necessary action.

Encl : As above.

S. Mukherjee
(S. Mukherjee)

Under Secretary to the Government of India
Telefax.: 23061681

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi
- ③ Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
4. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
5. The Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. The Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
7. The Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
8. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
9. The L&DO, Nirman Bhavan, New Delhi.
10. The Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
11. The Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Dr. Dev Prakash
24/8/06

2378
DD (12)
24/8/06

AD (M.C.)

it pertains to
AD (M.C.)
24/8/06



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 777]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2006/आषाढ़ 30, 1928

No. 777]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2006/ASADHA 30, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2006

का.आ. 1160(अ).—जबकि, अधिसूचना सं. का.आ. 557(अ), दिनांक 7-6-2000 के साथ पठित अधिसूचना सं. का.आ. 623(अ) दिनांक 23-7-1998 द्वारा दिल्ली मुख्य योजना, 2001 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के द्वारा जल, विद्युत, जल-मल व्ययन, सड़कों को चौड़ा करने, परिचालन, पार्किंग, पाकों, आदि जैसी नगर सेवाओं को बढ़ाने की शर्त पर आवासीय भूखण्ड/भूखण्डीय विकास से संबंधित विकास नियंत्रण मानदंडों जैसे अनुमत तल कवरेज, तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ ए आर), आवासी इकाइयों की संख्या और ऊंचाई के संबंध में संशोधन किया गया था।

जबकि, दिनांक 23.7.98 की उक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक किए गए निर्माण-कार्यों को नियमित करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

जबकि, केन्द्र सरकार ने समस्या की गंभीरता और इस मामले में शामिल मुद्दों का मूल्यांकन करने और इनसे निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति सुझाने के लिए श्री तेजेन्द्र खन्ना, भूतपूर्व उपराज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 14.2.2006 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी।

जबकि, उक्त तेजेन्द्र खन्ना समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13-5-06 को प्रस्तुत कर दी है।

और जबकि केन्द्र सरकार ने तेजेन्द्र खन्ना समिति की रिपोर्ट पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद अनधिकृत निर्माण-कार्य के एक समयकालिक नियमन के लिए आवासीय भूखण्डीय विकास के संबंध में मानदंडों को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है।

अतः अब समय-समय पर यथा संशोधित दिल्ली विकास (मुख्य योजना और क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, 1959 के नियम 16 एवं 17 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 ए के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संशोधनों, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली मुख्य योजना 2001 में किये जाने का प्रस्ताव है, को एतद्वारा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से आम जनता के लिए प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा सुझाव देना हो, तो वह उसे लिखित रूप में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अन्दर प्रधान आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, बी. ब्लाक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन:

भारत के राजपत्र दिनांक 1.8.90 के पृष्ठ 159. (दाईं तरफ) पर, जिसे भारत के राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 23.07.1998 द्वारा संशोधित किया गया है, दिनांक 23.07.1998 की उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट मानदंडों

के संशोधन में निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन आवासीय भूखंडीय विकास (001) के संबंध में निम्नलिखित विकास नियंत्रण मानदंडों का प्रस्ताव है:-

क्रम सं.	भूखंड का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	अधिकतम तल कवरेज % में	अधिकतम तल क्षेत्रफल अनुपात	अधिकतम ऊंचाई मीटर में
1.	100 से कम	100	350	15
2.	100 से 250 तक	75	300	15
3.	250 से 500 तक	75	225	15
4.	500 से 1000 तक	50	150	15
5.	1000 से 1500 तक	40	120	15
6.	1500 से 2250 तक	40	120	15
7.	2250 से 3000 तक	40	120	15
8.	3000 से 3750 तक	40	120	15
9.	3750 से अधिक	40	120	15

निबंधन एवं शर्तें:

- (i) ये संशोधित विकास मानदंड केवल इस सार्वजनिक सूचना की तिथि को विद्यमान निर्माण पर ही लागू होंगे। सभी अन्य निर्माण विद्यमान मानदंडों द्वारा शासित किये जाते रहेंगे।
- (ii) अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात और/ या उपर्युक्त संशोधित मानदंडों के अनुसार ऊंचाई की मांग करने वाले भूखंड स्वामियों/आबंटितियों को संशोधित मानदंडों की अधिसूचना की तिथि से 60 दिन की अवधि के अन्दर स्थानीय निकाय को आवेदन करना होगा। आवेदक को भवन नक्शे की प्रति, जैसी कि स्थल पर वास्तविक रूप से विद्यमान हो, भी संलग्न करनी चाहिए, जो पंजीकृत वास्तुकार द्वारा प्रमाणित हो।
- (iii) उपर्युक्त उल्लिखित संशोधित मानदंडों के अनुसार तल क्षेत्रफल के अतिरिक्त कवरेज चाहने वाले भूखंड के स्वामियों/आबंटितियों से समय-समय पर सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित दरों पर संघटन प्रभार वसूल किए जाएंगे।
- (iv) उपर्युक्त उल्लिखित मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त तल अथवा उसके किसी भाग को चाहने वाले भूखंड स्वामियों/आबंटितियों से समय-समय पर सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित दरों पर जुर्माना/विशेष संघटन प्रभार वसूल किए जाएंगे।
- (v) इस तरह से एकत्र की गई राशि को पार्किंग स्थलों के विकास, सुविधाओं/आधारिक संरचना के संवर्धन और पर्यावरणीय सुधार कार्यक्रमों पर व्यय करने के लिए संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा 'एस्क्रो एकाउन्ट' में जमा किया जाएगा।
- (vi) अतिरिक्त एफ.ए.आर. इत्यादि के लाभ में सभी सम्पत्तियां/उप विभाजित प्लॉट सहित प्लॉट शामिल होंगे। तथापि उप-प्लॉट के लिए मानदंड सम्पूर्ण प्लॉट के यथा अनुपात में होंगे। अर्थात् यदि 1000 वर्ग मीटर का प्लॉट 500 वर्ग मीटर के दो उप प्लॉटों में विभाजित किया जाता है, तो इस तरह के प्रत्येक उप प्लॉट 500 वर्ग मीटर पर 40 प्रतिशत भू कवरेज और 120 एफ.ए.आर. के हकदार होंगे। सम्पूर्ण प्लॉट में आवासीय इकाइयों की कुल संख्या 6(8) से अधिक नहीं होगी।
- (vii) सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को नियमित नहीं किया जाएगा और उसे अतिरिक्त निर्माण/ऊंचाई की स्वीकृति के लिए आवेदन करने से पूर्व हटाना होगा।
- (viii) अतिरिक्त एफ.ए.आर. और/अथवा ऊंचाई को चाहने वाले प्रत्येक आवेदक को संरचना इंजीनियर से प्राप्त संरचनात्मक सुरक्षा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जहां इस प्रकार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता अथवा भवन संरचनात्मक रूप से अन्यथा असुरक्षित पाया जाता है तो संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा स्वामी को समुचित निर्धारित अवधि के अन्दर संरचनात्मक कमजोरी को ठीक करने के लिए औपचारिक नोटिस दिया जाएगा। इसके ठीक न किए जाने पर भवन को असुरक्षित घोषित किया जाएगा और स्थानीय निकाय द्वारा उसे गिरा दिया जाएगा।

[सं. एफ.-20(4)2005/एमपी/पार्ट-2]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 21st July, 2006

S.O. 1160 (E).—Whereas, the Master Plan of Delhi, 2001 was modified *vide* notification No. S.O. 623(E), dated 23-7-1998 read with notification No. S.O. 557(E), dated 7-6-2000 revising the development control norms in respect of residential plot/plotted development regarding permissible ground coverage, FAR, number of dwelling units and height, subject to augmentation of municipal services such as water, power, sewerage, road widening, circulation, parking, parks, etc.;

Whereas, representations have been received from time to time for regularisation of constructions carried out in excess of the norms laid down by the said notification dated 23-7-98;

Whereas, the Central Government had constituted a Committee of experts on 14.2.2006 under the Chairmanship of Shri Tejendra Khanna, former, Lt. Governor, Delhi to assess the magnitude of the problem and issues involved in the matter and to suggest a comprehensive strategy to deal with it;

Whereas, the said Tejendra Khanna Committee has submitted its report on 13-5-06;

And whereas the Central Government, after careful consideration of the report of the Tejendra Khanna Committee, has proposed to modify the norms in respect of residential plotted development, to provide for one-time regularization for unauthorized construction;

Now, therefore, in exercise of powers under Section 11 A of the Delhi Development Act 1957, read with Rules 16 & 17 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules 1959, as amended from time to time, the following modifications, which are proposed to be made by the Delhi Development Authority in the Master Plan for Delhi 2001, are hereby published with the approval of the Central Government, for public information. Any person having any objection or suggestion may send the same in writing to the Principal Commissioner—cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi - 110023, within a period of 30 days from the date of publication of this Notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

Modification:

On page 159 (RHS) of the Gazette of India dated 1-8-90, as modified vide Gazette of India Notification dated 23.07.1998, the following development control norms are proposed in respect of Residential Plotted Development (001) in modification of norms laid down in the said Notification dated 23.07.1998, subject to the terms and conditions given below:-

Sl. No.	Area of Plot in sqm	Maximum ground coverage in %	Maximum FAR	Maximum height in metres
1	Below 100	100	350	15
2	From 100 to 250	75	300	15
3	From 250 to 500	75	225	15
4	From 500 to 1000	50	150	15
5	From 1000 to 1500	40	120	15
6	From 1500 to 2250	40	120	15
7	From 2250 to 3000	40	120	15
8	From 3000 to 3750	40	120	15
9	Above 3750	40	120	15

Terms and conditions:

- (i) These modified development norms will be applicable only to construction existing as on the date of this public notice. All other construction will continue to be governed by the existing norms.
- (ii) Plot owners/ allottees seeking additional FAR and/or height as per above-mentioned modified norms shall be required to apply to the local body concerned within a period of 60 days from the date of the notification of the modified norms. The applicant should also attach a copy of the Building Plan, as it actually exists, at site, certified by a Registered Architect.
- (iii) Plot owners/ allottees seeking extra coverage of floor area as per above-mentioned modified norms shall be charged compounding charges at the rates notified with the approval of the Government, from time to time.
- (iv) Plot owners / allottees seeking additional floor or part thereof as per above mentioned norms shall be charged penalty/ special compounding charges at the rates notified with the approval of the Government, from time to time.

- (v) The amount so collected shall be deposited in an ESCROW ACCOUNT by the local body concerned for incurring expenditure for developing parking sites, augmentation of amenities/ infrastructure and environmental improvement programmes.
- (vi) The benefit of additional FAR etc. shall cover all properties/plots including sub-divided plots. However the norms for the subplot will be proportionate to that for the entire plot. That is to say if a plot of 1000 sqm is divided into two subplots of 500 sqm each, then each such sub-plot will be entitled to 40% ground coverage and 120 FAR on 500 sqm. The total number of dwelling units in the entire plot shall not exceed 6 (8).
- (vii) Encroachment on public land shall not be regularized and shall be removed first before applying for sanction of additional construction/ height.
- (viii) Every applicant seeking additional FAR and / or height will submit a certificate of structural safety obtained from a structural engineer. Where such certificate is not submitted or the Building is otherwise found to be structurally unsafe, formal notice will be given to the owner by the local body concerned, to rectify the structural weakness within a reasonable stipulated period, failing which the building shall be declared unsafe and shall be demolished by the local body.

[No. F-20(4)2005/MP/Part-II]

V. M. BANSAL, Principal Commissioner-cum-Secy.

2239 9572008-2



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 778]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2006/आषाढ़ 30, 1928

No. 778]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2006/ASADHA 30, 1928

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2006

का.आ. 1161(अ).—जबकि, जहां तक मिश्रित भूमि उपयोग पर अध्याय का संबंध है, दिल्ली मुख्य योजना-2001 में अधिसूचना सं. का.आ. 425(अ), दिनांक 28-3-2006 द्वारा संशोधन किया गया था।

जबकि, उसके बाद मिश्रित उपयोग से संबंधित प्रावधानों में और संशोधन करने और उन्हें युक्तिसंगत बनाने के लिए अनेक अभिवेदन प्राप्त हुए हैं।

जबकि, केन्द्र सरकार ने समस्या की गंभीरता और इस मामले में शामिल मुद्दों का मूल्यांकन करने और इनसे निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति सुझाने के लिए श्री तेजेन्द्र खन्ना, भूतपूर्व उपराज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 14.2.2006 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी।

जबकि, उक्त तेजेन्द्र खन्ना समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.5.06 को प्रस्तुत कर दी है।

और जबकि, केन्द्र सरकार ने तेजेन्द्र खन्ना समिति की रिपोर्ट पर सावधानी से विचार करने के बाद मिश्रित उपयोग से संबंधित सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव किया है।

अतः अब समय-समय पर यथासंशोधित दिल्ली विकास (मुख्य योजना और क्षेत्रीय विकास योजना) नियम 1959 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 11-ए के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण का केन्द्र सरकार के अनुमोदन से दिल्ली मुख्य योजना-2001 में आगे निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें एतद्वारा सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या सुझाव देना हो तो वह इसे लिखित रूप में प्रधान आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, बी ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को, इस सूचना के प्रकाशित होने से 30 दिनों के अंदर भेज सकता है। आपत्ति करने वाले अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन:-

भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (2) दिनांक 1.8.1990 में निम्नलिखित शामिल किया जाएगा:-

- (1) पृष्ठ 165 पर दाईं तरफ 'अनुच्छेद 10.0 मिश्रित उपयोग विनियम' के अंतर्गत अधिसूचना एस.ओ. नं. 425 (ई) दिनांक 28.3.2006 द्वारा यथा-संशोधित विद्यमान प्रावधानों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

10.0 मिश्रित उपयोग नीति:-

इस अध्याय में कुछ अनुमेय प्रयोजनों हेतु भूमि की मिश्रित उपयोग नीति आती है। यह नीति जिन उद्देश्यों हेतु इसे नियोजित किया गया था, उनके भिन्न भूमि उपयोग की अनुमति देने की आवश्यकता को दर्शाती है और उन शर्तों को निर्दिष्ट करती है, जिनके अंतर्गत इसे विभिन्न स्थितियों में लागू किया जा सकता है। उक्त नीति को लागू करने के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य प्रवृत्ति और ऐसे क्षेत्रों में ऐसे अनिच्छित उपयोग के प्रभाव का सामना करने के लिए किए जाने वाले शमनीय उपाय भी बताए गए हैं।

10.1 मिश्रित उपयोग के नियंत्रक सिद्धांत

- 1) इस अध्याय के उद्देश्यों हेतु मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय परिसरों में गैर-आवासीय कार्यकलापों के प्रावधान से है।
- 2) नीति का लक्ष्य ऐसे क्रिया-कलापों हेतु सामाजिक-आर्थिक आवश्यकता और आवासीय क्षेत्रों में उक्त क्रिया कलापों के पर्यावरणीय प्रभाव में संतुलन बनाए रखना है।
- 3) मिश्रित उपयोग की नीति आवासों के निकटस्थ क्षेत्र में व्यावसायिक संस्थापनाओं तक पहुंचने की अनुमति देती है और शहर में विभिन्न जोनों में आने-जाने की आवश्यकता को कम करती है। तथापि, साथ ही साथ, भीड़-भाड़, बढ़ते हुए यातायात और नागरिक सुविधाओं पर बढ़ते हुए दबाव से संबंधित विपरीत प्रभाव को प्रबंधित और कम करने के उद्देश्य से इसे विनियमित करने की आवश्यकता है।
- 4) मिश्रित उपयोग की अनुमति देने वाले महत्वहीन सिद्धान्तों को समझने और सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान करने, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने तथा सुरक्षित एवं सुविधाजनक परिवहन और पार्किंग की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
- 5) मिश्रित-उपयोग की अनुमति लुटियंस बंगला क्षेत्र, सिविल लाइन्स, सरकारी आवास, सार्वजनिक और निजी एजेंसियों को सांस्थानिक व स्टाफ आवासों और विरासत संरक्षण समिति द्वारा सूचीबद्ध किए गए भवनों/अहातों में नहीं दी जाएगी।

10.2 आवासीय क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग: विभिन्न दृष्टिकोण

- 1) मिश्रित उपयोग नीति में विभिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता इस तथ्य से उत्पन्न हो गई है कि दिल्ली देश की राजधानी होने तथा आर्थिक कार्यकलाप का एक महत्वपूर्ण केन्द्र होने के कारण यहां आवासीय क्षेत्रों के प्रकार में काफी भिन्नता है। लुटियंस-दिल्ली के रूप में निर्मित की गई नियोजित आवासीय कालोनियों और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए नियोजित विकास की प्रक्रिया के माध्यम के अतिरिक्त चार दीवारी शहर, विशेष क्षेत्रों और शहरीकृत गांवों में अधिकृत आवासीय क्षेत्र हैं। अन्य नियोजित क्षेत्रों में पुनर्वास कालोनियां, दि.वि.प्रा. के अस्तित्व से पूर्व में बसीं कालोनियां, भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पुनर्वासित कालोनियां शामिल हैं। दिल्ली के विभिन्न भागों में अनियोजित अनधिकृत विनियमित की गई कालोनियां, अनधिकृत कालोनियां तथा स्लम एवं झुग्गी-झोंपड़ी समूह भी हैं।
- 2) इसके अतिरिक्त निवासियों द्वारा स्वयं आवश्यक या वांछनीय समझे गए गैर आवासीय कार्यकलापों की सीमा निवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उस क्षेत्र में विकास की पुरानी पद्धति के आधार पर भिन्न-भिन्न हैं। कुछ कालोनियां गैर आवासीय कार्यकलापों को अपनी आजीविका के महत्वपूर्ण भाग के रूप में मानेंगी, जबकि कुछ अन्य कालोनियां अपनी कालोनियों और आसपास के क्षेत्रों की कमाबेश विशेष आवासीय प्रकृति को सुरक्षित रखना चाहेंगी।
- 3) अतः दिल्ली में मिश्रित उपयोग नीति के प्रयोग में एक अलग प्रकार के प्रस्ताव का अनुसरण करना प्रस्तावित है।
- 4) पृथक प्रस्ताव सम्पत्ति कर निर्धारण के यूनिट एरिया सिद्धांत के रूप में दिल्ली नगर निगम द्वारा स्वीकार किए गए क से ग तक कालोनियों के वर्गीकरण के आधार पर होगा।
- क) क से ख श्रेणियों में आने वाली कालोनियों में केवल व्यावसायिक कार्य-कलापों की अनुमति होगी। किसी अन्य कार्यकलाप की अनुमति अनुवर्ती पैराग्राफों में विनिर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत केवल तभी दी जा सकती है, यदि उक्त कालोनियों के आर.डब्ल्यू.ए. इस संबंध में विशेष अनुरोध करें।
- ख) ग और घ श्रेणियों में आने वाली कालोनियों में मिश्रित उपयोग, आर.डब्ल्यू.ए. के साथ विचार-विमर्श की शर्त पर, अनुवर्ती पैराग्राफों में निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुमेय होगा।
- ग) ड, च और छ में आने वाली कालोनियों में सभी श्रेणियों का मिश्रित उपयोग, अनुवर्ती पैराग्राफों में विनिर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुमेय होगा।
- घ) नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन डी एम सी) क्षेत्र में आने वाली कालोनियों (लुटियंस बंगला जोन, सरकारी आवास, सार्वजनिक एवं निजी-एजेंसियों के सांस्थानिक और स्टाफ आवास और विरासत संरक्षण समिति द्वारा सूचीबद्ध भवनों/अहातों को छोड़कर) के संबंध में वर्तमान मिश्रित उपयोग मार्ग/सीमाएं एन डी एम सी द्वारा अधिसूचित की जाएंगी। मिश्रित उपयोग वाले मार्गों/सीमाओं की आगामी अधिसूचना सामुदायिक आवश्यकताओं, पर्यावरण प्रभाव और यातायात परिचालन/पर्याप्त पार्किंग के मूल्यांकन के लिए एक फील्ड स्तरीय सर्वेक्षण और रेजिडेन्स वेलफेयर एसोशिएसनों के साथ विचार-विमर्श करके की जाएगी।

10.3 वर्तमान शहरी क्षेत्रों और शहरीकरण योग्य क्षेत्रों में मिश्रित भूमि उपयोग का निर्धारण:

- दिल्ली के शहरीकरण योग्य क्षेत्रों के अतिरिक्त शहरीकृत/शहरी दोनों में मिश्रित उपयोग क्षेत्रों/मार्गों का निर्धारण निम्नानुसार होगा:
- 1) पहले से ही शहरीकृत/शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग अनुमेय होगा।
 - क. श्रेणी क और ख श्रेणी में आने वाली कालोनियों में नियमित आवासीय भूखंडीय विकास में न्यूनतम 18 मी. मार्गाधिकार के साथ मार्गों/सड़कों के सामने वाले आवासीय भूखंडों में आर डब्ल्यू ए के विशेष अनुरोध पर।

- ख. ग और घ श्रेणी में आने वाली कालोनियों में नियमित आवासीय भूखंडीय विकास में न्यूनतम 18 मी. मार्गाधिकार के साथ पुनर्वास कालोनियों में 13.5 मी. मार्गाधिकार और विशेष क्षेत्र एवं शहरी गांवों में 9 मी. मार्गाधिकार के साथ मार्गों/सड़कों के सामने वाले आवासीय भूखंडों में आर डब्ल्यू ए के परामर्श की शर्त पर ।
- ग. उ, च और छ श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली सभी कालोनियों में 13.5 मी., 9 मी. और 6 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़कों के सामने वाले आवासीय भूखंडों में क्रमशः आवासीय भूखंडीय विकास, पुनर्वास कालोनियों और विशेष क्षेत्र/चारदीवारी शहर/गांवों में ।
2. दिल्ली मुख्य योजना-2001 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले अधिसूचित और अनुबंध-1 में निर्दिष्ट (निर्दिष्ट सीमाओं/मार्गों की सूची) सभी मार्गों/सीमाओं पर मिश्रित उपयोग की अनुमति जारी रहेगी ।
 3. पूर्व में घोषित व्यावसायिक अथवा जहां दिल्ली मुख्य योजना-1962 में व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी गई थी, उन आवासीय क्षेत्रों और मार्गों/सीमाओं को भी दि.मु.यो. 1962 में अनुमेय विस्तार तक ऐसे उपयोग की अनुमति होगी ।
 4. आवासीय क्षेत्रों में 1962 से पूर्व से मौजूद कार्यकलापों को उनके दस्तावेजी प्रमाण देने की शर्त पर जारी रखने की अनुमति दी जाएगी ।
 5. उपर्युक्त (2) एवं (3) के अंतर्गत आने वाले मार्गों के अतिरिक्त अधिसूचना लागू होने के 60 दिनों के अंदर, ऐसे मार्गों के मिश्रित उपयोग मार्गों के रूप में निर्दिष्ट सीमाओं की अधिसूचना पर निर्णय को ध्यान में रखकर स्थानीय निकायों द्वारा उपर्युक्त विस्तार वाले सभी अन्य मार्गों का एक सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक होगा ।
 6. फील्ड सर्वेक्षण में मार्ग पर मौजूदा गैर आवासीय उपयोग के विस्तार क्षेत्र का निर्धारण किए जाने वाले मार्ग की सीमा, नागरिक सुविधाओं की अतिरिक्त आवश्यकता और यातायात परिचालन एवं पार्किंग की व्यवस्था का आकलन होगा ।
 7. संबंधित अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ एक फील्ड सर्वेक्षण के बाद अधिसूचना उक्त 60 दिनों के अंदर पूरी की जानी चाहिए ।
 8. नए शहरीकरण योग्य क्षेत्रों में
 - क. नए विकसित आवासीय क्षेत्रों में उपर्युक्त निर्दिष्ट मिश्रित उपयोग केवल 18 मी. मार्गाधिकारों वाले मार्गों पर स्थित आवासीय प्लॉटों पर अनुमेय होगा ।
- ख. ऐसे गांवों में जो शहरी घोषित किए जाते हैं और विकास प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं उनमें इस प्रकार के समाकलन हेतु तैयार की गई स्थानीय क्षेत्रीय योजना/लेआउट प्लान में निर्दिष्ट क्षेत्रों/सीमाओं में मिश्रित उपयोग अनुमेय होगा ।
9. ऐसे नए क्षेत्रों में लेआउट प्लान में ऐसे विस्तार क्षेत्रों/प्लॉटों को निर्दिष्ट किया जाएगा और निजी विकास के मामले में लेआउट प्लान के लिए अनुमति प्रदान करने के समय उन्हें मिश्रित उपयोग नीति के अंतर्गत दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित क्षेत्रों के मामले में आबंटन अथवा नीलामी द्वारा निपटान के समय अधिसूचित किया जाएगा ।
- 10.4 **मिश्रित उपयोग को नियंत्रित करने वाले सामान्य निबंधन एवं शर्तें :**
अधिसूचित विस्तार क्षेत्रों/मार्गों पर मिश्रित उपयोग की अनुमति निम्नलिखित सामान्य निबंधन एवं शर्तों के आधार पर होगी :
- (1) अधिसूचित मार्गों पर भूखंडों में भूखंडीय विकास में तीन प्रकार के मिश्रित उपयोग नामतः खुदरा दुकानों, व्यावसायिक कार्यकलाप और अन्य कार्यकलापों की अनुमति है ।
 - (2) किसी भी आवासीय प्लॉट पर (अधिसूचित मार्ग पर, भूखंडीय विकास में), दोनों में से किसी एक को : या तो पैरा 10.6 के अनुसार दुकान या पैरा 10.7 के अनुसार नीचे दी गई सूची में दिए गए अन्य कार्यकलाप में से किसी एक को अनुमति दी जाएगी । तथापि, इन प्लॉटों में व्यावसायिक कार्यकलाप भी अनुमत होंगे ।
 - (3) एक आवासीय इकाई में, (अधिसूचित मार्ग पर, भूखंडीय विकास में) केवल किसी एक प्रकार का मिश्रित उपयोग (अर्थात् फुटकर दुकान अथवा व्यावसायिक कार्यकलाप अथवा अन्य कार्यकलापों में से एक) अनुमेय होगा ।
 - (4) समूह आवास में, केवल व्यावसायिक कार्यकलाप अनुमेय हैं । समूह आवास के लेआउट नक्शे में फुटकर दुकानें विशेष रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी ।
 - (5) मार्गों (गलियों) या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं होगी ।
 - (6) प्लॉट/आवासीय इकाई को मिश्रित उपयोग में रखने के बाद भी विशेष आवासीय उपयोग के लिए यथा लागू विकास नियंत्रण मानदण्ड लागू रहेंगे ।
 - (7) यदि अधिसूचित मार्ग, मुख्य योजना सड़क है, तो सेवा सड़क उपलब्ध होनी चाहिए अथवा स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि मिश्रित उपयोग परिसर तक ऐसी सेवा सड़क से पहुंचा जा सके और मुख्य कैरिजवे से सीधे नहीं ।

- (8) भूखंडीय विकास में, आगे के सैटबैक पर चारदीवारी नहीं होगी, ताकि उसका अतिरिक्त पार्किंग के लिए उपयोग किया जा सके। यह समूह आवासों में भू-तल के आवासों पर भी लागू होगा, जिनका व्यावसायिक कार्यकलाप के लिए उपयोग किया जा रहा है।
- (9) परिसरों के अंदर 2.0 ई.सी.एस. प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। जहां यह उपलब्ध नहीं है, पार्किंग के विकास की लागत प्लॉट के आबटिनी/स्वामी द्वारा देय होगी।
- (10) मिश्रित उपयोग नीति के अंतर्गत मार्ग की अधिसूचना के परिणाम स्वरूप यातायात और पार्किंग पर अतिरिक्त भार को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के मार्गों पर सामूहिक पार्किंग क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे। यदि कोई पार्किंग स्थल उपलब्ध नहीं है तो उक्त मार्ग पर भूमि/प्लॉट ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा या तो पार्किंग सुविधाओं के निर्माण के लिए वरीयतः बहुतलीय पार्किंग के लिए अधिग्रहीत किया जाएगा। इस प्रकार की पार्किंग सुविधाओं का विकास या तो ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा और कार्यान्वयन के लिए एक मॉडल के रूप में सार्वजनिक निजी साझेदारी को भी शामिल किया जा सकता है।
- (11) शहरी गांवों, विशेष क्षेत्रों और चारदीवारी शहर में 9 मीटर से कम (ई.एफ. एवं जी. श्रेणी की कालोनियों में 6 मीटर) मार्गाधिकार वाले मार्ग यदि मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित हैं तो उन्हें पैडेस्ट्रियन शॉपिंग स्थानों (पी.एस.एस.) के रूप में घोषित किया जाएगा और मोटर द्वारा चलने वाले वाहनों के लिए नहीं खोले जाएंगे।
- 10.5 अनुमेय और गैर अनुमेय उपयोग
किसी भी व्यापार अथवा कार्यकलाप जिसमें किसी प्रकार का हानिकार, जोखिम भरा, ज्वलनशील, असंगत और प्रदूषणकारी पदार्थ या प्रणाली हो, को अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 10.6 फुटकर दुकानें
1. मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित प्लॉटों और मार्गों पर फुटकर दुकानें केवल भूतल पर अधिकतम अनुमेय भूतल कवरेज तक अनुमत होंगी।
 2. निम्नलिखित कार्यकलापों को मिश्रित उपयोग के अंतर्गत अनुमति नहीं दी जाएगी।
- क. भवन निर्माण सामग्री (लकड़ी, लकड़ी के उत्पाद, मार्बल*, लौह एवं इस्पात और रेत), जलाने वाली लकड़ी (फायरवुड), कोयला और अग्नि के जोखिम वाले और अन्य भारी सामग्री वाली फुटकर दुकानें।
- ख. ऑटोमोबाइल की मरम्मत की दुकानें और वर्कशॉप, साइकिल रिक्शा मरम्मत, टायर रिसोर्टिंग और रीट्रीडिंग, बैटरी चार्जिंग वाली दुकानें। **
- ग. भण्डारण, गोदाम और भाण्डागार।
- घ. कबाड़ी की दुकान
- ङ. शराब की दुकान
- च. मुद्रण, रंगाई एवं वॉर्निशिंग
- छ. कोई अन्य कार्यकलाप जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।
- नोट: *पूर्णतः तैयार मार्बल उत्पाद की फुटकर दुकानें जो कटिंग और पॉलिशिंग का कार्यकलाप नहीं करती हों, **ऑटोमोबाइल और साइकिल रिक्शा के मामले में मरम्मत की दुकानें और वर्कशॉप ऐसे प्लॉटों पर अनुमेय होंगी जो 30 मीटर या अधिक मार्गाधिकार वाले मिश्रित उपयोग मार्गों से लगे हुए हैं।
- 10.7 अन्य कार्यकलाप
- 10.7.1 अधिसूचित मार्गों पर स्थित आवासीय भूखंडों में निम्नलिखित अन्य कार्यकलाप भी अनुमत होंगे :-
- (क) प्री प्राइमरी स्कूल (नर्सरी/मांटेसरी स्कूल, क्रेश)
 - (ख) नर्सिंग होम
 - (ग) गेस्ट हाउस
 - (घ) बैंक
 - (ङ) फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र)
- 10.7.2 ऊपर उल्लिखित कार्यकलाप पूर्ववर्ती पैरों में निर्धारित सामान्य शर्तों के अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन भी होंगे :

- (1) परवर्ती पैरों में उल्लिखित विशेष शर्तों के अधीन जिन भूखण्डों पर ये कार्यकलाप अनुमय होंगे उनका न्यूनतम आकार अधिसूचित मार्गों पर नियमित भूखण्डीय विकास में 200 वर्गमीटर और पुनर्वास कालोनियों, विशेष क्षेत्रों एवं गांवों में 160 वर्गमीटर होगा। भूखण्ड का अधिकतम आकार 1000 वर्ग मीटर होगा।
- (2) बैंक एफ.ए.आर. के 2/3 भाग पर 600 वर्गमीटर की शर्त पर अनुमय होंगे, जबकि गेस्ट हाउस और नर्सिंग होम तल क्षेत्रफल के 3/4 भाग तक अनुमय होंगे।
- (3) मुख्य योजना सड़कों और क्षेत्रीय योजना सड़कों के सामने भूखण्डों, जो मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित हैं, में चल रहे नर्सिंग होम निर्मित क्षेत्र के 100 प्रतिशत तक अनुमय होंगे और उन पर भूखंड के आकार की सीमा संबंधी शर्त लागू नहीं होगी।
- (4) विशेष क्षेत्र के मिश्रित उपयोग मार्गों पर स्थित भूखंडों में और मुख्य योजना सड़कों तथा क्षेत्रीय योजना सड़कों के सामने स्थित भूखंडों, जो मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित हैं, में चल रहे गेस्ट हाउस निर्मित क्षेत्र के 100 प्रतिशत तक अनुमय होंगे और उन पर भूखंड के आकार की सीमा संबंधी शर्त लागू नहीं होगी।
- (5) प्री-प्राइमरी स्कूल और फिटनेस सेंटर को केवल भू-तल पर अनुमत तल कवरेज तक सीमित किया जाएगा।
- (6) उपर्युक्त कार्यकलाप, भू-खंडों के आकार, सड़क की चौड़ाई आदि के संबंध में निबंधनों और शर्तों सहित, उन पर लागू संबंधित अध्यादेशों/अधिनियमों में निर्धारित किन्हीं अन्य विशिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन होंगे।
- (7) भू-खंड के आबंटिती/स्वामी की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पार्किंग की व्यवस्था करें ताकि पार्किंग से सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण न हो और न ही वह उससे आगे बढ़े।

टिप्पणी :- अधिसूचना संख्या 273 से 275 (ई) दिनांक 11.3.2003 के माध्यम से निबंधनों और शर्तों को शामिल करने वाले संबंधित विनियमों में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

10.7.3 बैंकट हॉल की अनुमति केवल आद्यौगिक क्षेत्रों में होगी न कि आवासीय उपयोग क्षेत्र में। तल कवरेज, तल क्षेत्रफल अनुपात, उँचाई और तहखाने के संबंध में विकास नियंत्रण मानदंड-उस परिसर के लिए विशिष्ट भूमि उपयोग हेतु मुख्य योजना मानदंडों के अनुसार लागू होंगे।

10.8 पेशेवर (प्रोफेशनल) कार्यकलाप :-

1. पेशेवर कार्यकलाप की अनुमति होगी बशर्ते कि ये कार्यकलाप निवासी द्वारा स्वयं चलाये जायें।
2. पेशेवर कार्यकलापों से तात्पर्य उन कार्यकलापों से होगा, जिनमें डाक्टर, वकील, वास्तुकार और चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट जैसी पेशेवर दक्षता पर आधारित व्यावसायिक सेवायें शामिल हैं।
3. समूह आवासों और बहु आवासीय इकाइयों वाले भू-खंड के विकास में किसी भी तल पर पेशेवर कार्यकलाप चलाने की अनुमति होगी, बशर्ते कि यह कार्यकलाप आवासीय इकाई के अनुमत अथवा संस्वीकृत तल क्षेत्रफल अनुपात, जो भी कम हो, के 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में न हों।
4. एकल आवासीय इकाई वाले भू-खंडीय विकास के मामले में ऐसे कार्यकलाप केवल किसी एक तल पर ही अनुमत होंगे, परन्तु भू-खंड पर अनुमत अथवा संस्वीकृत तल क्षेत्रफल अनुपात, जो भी कम हो, के 50 प्रतिशत से कम पर ऐसे कार्यकलाप चलाने की अनुमति होगी।

10.9 मिश्रित उपयोग परिसरों का पंजीकरण और प्रभारों का भुगतान :-

1. मिश्रित उपयोग नीति के प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए भू-खंडीय विकास के मामले में भू-खंड/आवासीय इकाई और समूह आवासों के मामले में आवासीय इकाई के स्वामी/आबंटिती को स्वयं को पंजीकृत कराना होगा और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली दरों पर निर्धारित प्रभारों का भुगतान करना होगा।
2. पहले से मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत आने वाले अथवा मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत लाये जाने वाले निवास स्थान के संपत्ति स्वामी/उपयोगकर्ता को इस संबंध में फार्म भरकर ऐसे मिश्रित उपयोग की घोषणा करनी होगी और उस फार्म को एक समयकालिक पंजीकरण प्रभार के साथ स्थानीय निकाय में जमा करना होगा।
3. मिश्रित उपयोग वाली संपत्ति के लिए, जिस अवधि के दौरान संपत्ति का मिश्रित उपयोग हुआ है उस अवधि के लिए, प्रतिवर्ष स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. को मिश्रित उपयोग प्रभार का भुगतान भी करना होगा। संपत्ति स्वामी/आबंटिती द्वारा यह भुगतान प्रत्येक वर्ष 30 जून से पूर्व स्वैच्छिक रूप से किया जायेगा।

224802/06-2

4. इसके अतिरिक्त यदि गैर-आवासीय कार्यकलापों के लिए आवासीय परिसर का उपयोग करने के लिए भवन नक्शे में कोई संशोधन अनेकित है तो संपत्ति के आबंटिती/स्वामी को संशोधित भवन नक्शा संस्वीकृत करना होगा और उसके लिए आवश्यक प्रभारों का भुगतान करना होगा।
 5. संबंधित स्थानीय निकाय मिश्रित उपयोगाधीन संपत्ति की परीक्षण-जांच करने के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही वह संपत्ति उसके पास पंजीकृत हो अथवा नहीं।
 6. संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध अन्य दण्डात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त, स्वः घोषणा/पंजीकरण के बिना अथवा पंजीकरण के निबंधनों का उल्लंघन करने वाली मिश्रित उपयोगाधीन संपत्ति पर मिश्रित उपयोग के लिए निर्धारित वार्षिक प्रभार से दस गुना जुर्माना लगेगा।
- 10.10 रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के साथ परामर्श
1. मिश्रित उपयोग मार्गों को घोषित करने के उद्देश्यों के लिए रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के साथ संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा परामर्श किया जायेगा। इस तरह के परामर्श में एक अथवा अधिक रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के माध्यम से उस कालोनी के कम से कम 50 प्रतिशत प्लॉट आबंटिती/मालिक शामिल होंगे।
 2. रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के साथ अर्धपूर्ण परामर्श के लिए स्थानीय निकायों द्वारा वास्तविक प्रयास किये जायेंगे। इस तरह के प्रयासों में शामिल हैं :- प्रस्तावित परामर्शों का व्यापक प्रचार, परामर्श के रिकार्ड का रखरखाव और रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों और जनता तक उन रिकार्डों की पहुंच को उपलब्ध कराना।
 3. रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन परामर्श व्यापक हो सकता है परन्तु यह मिश्रित उपयोग मार्गों की पहचान तक सीमित होगा और व्यक्तिगत मामलों में अनुमति प्रदान करने के लिए नहीं। तथापि, रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों को सार्वजनिक परेशानियों और गैर-अनुमेष उपयोगों की शिकायतों के मामलों में अपनी सुनवाई कराने का अधिकार होगा।
 4. बैंकेट हॉलों के लिए अनुमति देने से पूर्व रैजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के साथ परामर्श करना न केवल 1962 के बाद के भू-खंडीय विकास के मामलों में अनिवार्य होगा वरन् किसी भी ऐसे आवासीय क्षेत्र के लिए होगा जहाँ बैंकेट हॉलों की अनुमति है।
- 10.11 किन मामलों में मिश्रित उपयोग मना किया जा सकता है / वापस लिया जा सकता है।
- किसी भी ऐसी शर्त, जिसके अन्तर्गत ऐसा मिश्रित उपयोग अनुमेष/अनुमत है, के उल्लंघन के मामले में संबंधित स्थानीय निकाय मिश्रित उपयोग की अनुमति अथवा पंजीकरण को रद्द अथवा निलंबित कर सकती है।
- 10.12 व्यावसायिक सड़कें :
- 10.12.1 24 मी0 से अधिक मार्गाधिकार की मुख्य सड़कों पर जहाँ अधिसूचित मिश्रित उपयोग पर 70 प्रतिशत से अधिक सम्पत्तियाँ व्यावसायिक उपयोग के अधीन हैं, वहाँ इस प्रकार के क्षेत्र को सरकार द्वारा व्यावसायिक क्षेत्र/सड़कों के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। इस प्रकार के क्षेत्रों की पहचान स्थानीय निकाय द्वारा आयोजित किये जाने वाले क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर होगी।
- 10.12.2 पहचान किये जाने के बाद व्यावसायिक क्षेत्रों/मार्गों की अधिसूचना निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन होगी :
1. ऐसे क्षेत्रों/मार्गों के लिए स्थानीय ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा संशोधित ले-आउट प्लान तैयार करना और स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदन प्रदान करना।
 2. ऐसे क्षेत्रों/मार्गों के ले-आउट प्लान में परिचालन, पार्किंग, खुले स्थानों की पर्याप्त व्यवस्था और समान आकार के व्यावसायिक केन्द्रों पर यथा लागू अन्य योजना मानदंडों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
 3. स्थानीय ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा ऐसे क्षेत्र/मार्ग पर पार्किंग और सामूहिक सुविधाओं के लिए आवश्यक खुले स्थान उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
 5. व्यावसायिक मार्गों पर स्थित भू-खंड/संपत्ति स्वामियों/आबंटितियों को ऐसी आधारिक संरचना की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त विकास प्रभारों का भुगतान

करना होगा ।

6. कोई अन्य शर्त, जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाये ।

[सं. एफ. 20(4)/2005/एम.पी./पार्ट-2]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

अनुबंध

दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में गलियों का मिला जुला उपयोग

1. क्षेत्र 'क' भाग 'ग' (चार दीवारी शहर)

क्र.सं.	
1	चाँदनी चौक रोड़ (100 फुट मार्गाधिकार)
2	नेताजी सुभाष मार्ग (80 फुट मार्गाधिकार)
3	अन्सारी रोड़ (60 फुट मार्गाधिकार)
4	खारी बावली (80 फुट मार्गाधिकार)
5	नया बाजार रोड़ (30 फुट मार्गाधिकार)
6	श्रद्धानंद मार्ग (80 फुट मार्गाधिकार)
7	अजमेरी गेट बाजार (60 फुट मार्गाधिकार)
8	चर्च मिशन रोड़ (60 फुट मार्गाधिकार)
9	एस.पी.एम.मार्ग (120 फुट मार्गाधिकार)
10	एच.सी.सेन.रोड़(100 फुट मार्गाधिकार)
11	अजमेरी गेट रोड़, बाजार सीताराम, गली कूचा पाती राम, गली आर्य समाज, गली काली मस्जिद, गली कटरा अनिखान
12	बाजार दिल्ली दरवाजा
13	नेताजी सुभाष मार्ग, सर सइयद अहमद मार्ग, गली कूचा चालान, गली पटौदी हाउस, गली कला महल ।
14	गली चूड़ीवालान चावड़ी बाजार, बाजार मटिया महल, सीताराम बाजार, गली पंडित प्रेम नारायण ।
15	अजमेरी गेट, फाजिल रोड़ गली शाह तारा, गली कूचा पंडित, गली शाह गंज, फराश खाना रोड़ लाल कुआं बाजार ।
16	फराश खाना रोड़ समोसा वाली गली, फाजिल रोड़, नया बाँस रोड़, बाजार खारी बावली, कटरा दरियां रोड़, गली बताशावाली, गली कूचा नबाव
17	नेताजी सुभाष मार्ग, दयानंद रोड़ अन्सारी रोड़ ।
18	कटरा बारीयान रोड़, लाल कुआं रोड़, गली बल्लीमारान, गली कासिम जान, चावरी बाजार, नई सड़क, चाँदनी चौक ।
19	नई सड़क, चाँदनी चौक, एसप्लेनेड रोड़, दरिबा कलां बाजार गुलियान, चावरी बाजार, छता शाहजी गली खजूर गली कटरा कुशल राय, गली अनार वाली, किनारी बाजार, मालीवाड़ा रोड़ ।
20	चाँदनी चौक, कटरा नील, चर्च मिशन रोड़, कटरा नटवर एरिया
21	एच.सी. सेन रोड़, चाँदनी चौक
22	बड़ा बाजार रोड़

2. क्षेत्र 'क' (चार दीवारी क्षेत्र के अतिरिक्त)

क्र.सं.		
1	रानी झांसी रोड़ (आजाद मार्केट से फिल्मिस्तान तक)	गोशाला रोड़ के पास वाले कोसिंग से फिल्मिस्तान तक (पूर्व की ओर)
2	कुतुब रोड़ (सिंगाड़ा चौक से पुल मिठाई तक)	सीनियार सेकण्डरी स्कूल सदर बाजार के जंक्शन से पुल मिठाई और रोड़ के पश्चिम की ओर
3	सदर थाना रोड़	सदर थाना से फूटा रोड़
4	ईदगाह रोड़	सिंगाड़ा चौक से सदर थाना रोड़ के कोसिंग (रोड़ के उत्तरी साइड पर)
5	आजाद मार्केट रोड़	आजाद मार्केट रोड़ से पुल मिठाई तक
6	चमेलियन रोड़	रानी झांसी रोड़ कोसिंग से महाराजा अग्रसेन मार्ग जंक्शन तक
7	महाराजा अग्रसेन मार्ग	रानी झांसी रोड़ जंक्शन से कुतुब रोड़ कोसिंग तक

		(सदर बाजार)
8.	मेन पहाड़गंज रोड़	चेम्स फोर्ड रोड़ जंक्शन से रामकृष्ण आश्रम
9	देश बंधु गुप्ता रोड़	पहाड़ गंज पुलिस स्टेशन कांसिंग से शीला सिनेमा के सामने ।
10	रागुरु रोड़ (गुरुवाला रोड़)	देश बंधु गुप्ता रोड़ जंक्शन से मेन बाजार पहाड़ गंज रोड़ जंक्शन तक
11	नेहरू बाजार रोड़	पंचकुइयाँ रोड़ जंक्शन से मेन पहाड़ गंज बाजार रोड़ जंक्शन तक

3 क्षेत्र 'ख'

1	देश बंधु गुप्ता रोड़	फैज रोड़ कांसिंग से प्रस्तावित 30 मी. रोड़ के जंक्शन तक (नक्शे में रोड़ नं-4)
2.	बैंक गली	फैज रोड़ कांसिंग से रामकृष्ण मार्ग कांसिंग तक
3.	हरध्यान सिंह रोड़	वही
4.	आर्य समाज रोड़	फैज रोड़ कांसिंग से प्रस्तावित 30 मी. चौड़ी रोड़ कांसिंग तक (नक्शे में रोड़ नं.-4)
5.	पदम सिंह रोड़	सत्वावन गर्ल्स स्कूल रोड़ कांसिंग से गुरुद्वारा रोड़ कांसिंग तक
6	न्यू रोहतक रोड़ (दक्षिण साइड)	फैज रोड़ कांसिंग से जोशी रोड़ जंक्शन तक
7	रोड़ नं. 4(प्रस्तावित 30 मी0 चौड़ी रोड़ (पूर्व साइड)	डी.बी. गुप्ता रोड़ कांसिंग से पदमसिंह रोड़ जंक्शन तक
8	न्यू पूषा रोड़	डी.बी.गुप्ता रोड़ जंक्शन से टैक रोड़ जंक्शन तक
9	रामकृष्णदास मार्ग	डी.बी.गुप्ता रोड़ जंक्शन से नक्शे में रोड़ नं. -31 के जंक्शन तक
10	विष्णु मंदिर मार्ग	नक्शे में डी.बी.गुप्ता रोड़ नं-31 के जंक्शन से ।
11	सरस्वती मार्ग	डी.बी.गुप्ता रोड़ जंक्शन से आर्य समाज रोड़ जंक्शन तक
12	अजमल खाँ रोड़	टैक रोड़ जंक्शन से पूषा लेन जंक्शन तक
13	गुरुद्वारा रोड़	डी.बी.गुप्ता रोड़ जंक्शन से पदम सिंह मार्ग जंक्शन तक

14	लक्ष्मी द्वार मार्ग	आर्य समाज रोड़ जंक्शन से पूषा लेन जंक्शन तक
15	अब्दुल अजीज रोड़	बैंक गली जंक्शन से आर्य समाज रोड़ जंक्शन तक
16	कृष्ण दास रोड़	डी.बी.गुप्ता रोड़ जंक्शन से आर्य समाज रोड़ जंक्शन तक
17	सत्वावन आर्य गर्ल्स स्कूल मार्ग (पश्चिम साइड)	आर्य समाज रोड़ जंक्शन से पूषा लेन जंक्शन तक
18	जोशी रोड़	न्यू रोहतक रोड़ जंक्शन से डी.बी.गुप्ता रोड़ जंक्शन तक
19	अब्दुल रहमान रोड़	डी.बी.गुप्ता रोड़ जंक्शन से आर्य समाज रोड़ जंक्शन तक
20	इलाही वक्श मार्ग	वही
21	फैज रोड़ (पश्चिम साइड)	वही

4. क्षेत्र 'ग'

1.	रोशनारा रोड़	1.00
2.	जी.टी.रोड़	2.18
3	शक्ति मार्ग (नागिया पार्क के निकट)	0.32
4	सत्यवती रोड़	0.15
5	मंडेला रोड़	0.06
6	कोलाहपुर रोड़	0.06
7	मल्कागंज रोड़	0.88

5. क्षेत्र 'घ'

1	टैम्पल रोड, भोगल
2	शाही होस्पिटल रोड, भोगल
3	सैट्रल रोड, भोगल
4	मस्जिद रोड, भोगल
5	गुरुद्वारा रोड, लाजपत नगर-4
6	रिंग रोड, के साथ नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1 सर्विस रोड
7	ब्लॉक 'ओ' व के लाजपत नगर-2 के मध्य में रोड (24 मी. चौड़ी)
8	सैट्रल मार्केट और लाजपत नगर-2
9	अलंकार सीनेमारोड/पुष्पा मार्केट रोड(लाजपत नगर)
10	भीष्म पितामह रोड (डिफेंस कालोनी)
11	दुकान प्लॉटों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे का निर्मित भाग

6. क्षेत्र—'ड'

1	शापिंग सेंटर, कृष्णा नगर	
2	छोटा बाजार, शाहदरा	
3	मेन गांधी नगर बाजार	
4	बड़ा बाजार, शाहदरा	
5	अनाज मंडी, शाहदरा	
6	विश्वास नगर, शापिंग एरिया	
7	सीलमपुर का-शापिंग एरिया/सीलमपुर	
8	फर्श बाजार, शाहदरा	
9	रेलवे रोड, शाहदरा	
10	मेन रोड गांधी नगर	मार्जीनल बांध से झील बस टर्मिनल तक
11	मेन विकास मार्ग	मार्जीनल बांध से पटपड़गंज रोड तक
12	विजय चौक रोड(लक्ष्मी नगर मेन रोड)	विकास मार्ग से पटपड़गंज रोड
13	पटपड़गंज रोड	जी.एच.बी.एस. और पुनर्वास कालोनियों के अतिरिक्त झील बस टर्मिनल से मधुबन रेलवे कासिंग तक
14	रोड नं-57	सी.जी.एच.एस. और सुविधा केन्द्रों के अतिरिक्त जी.टी. रेलवे लाइन से परवाना रोड तक
15	भोलानाथ नगर रोड	रोड नं 57 से बाबूराम स्कूल तक
16	मंदिर मार्ग रोड	रघुरनाथ मंदिर से रोड नं. 57 तक

17	रोड. नं 35 'ए'	पुल क्षेत्र और मदर डेरी प्लॉट के अतिरिक्त विकास मार्ग से मदर डेरी तक
18	60 फुटा चौड़ा रोड	तेलीवाड़ा से बाबूराम स्कूल
19	मौजपुर क्षेत्र में प्रस्तावित मास्टर प्लॉन रोड नं. 67	रोड नं. 66 से घोड़ा चौक
20	लोनी रोड	टी.टी. रोड से रोड नं 68 तक
21	टी.टी.रोड	राधू सिनेमा से लोनी रोड तक
22	रोड नं 66	टी.टी. रोड से केवल पश्चिम साइड पर रोड नं. 68 तक
23	ब्रह्मपुरी मेन रोड	घोड़ा चौक से न्यू सीलमपुर मार्केट, रोड
24	यमुना विहार रोड	घोड़ा चौक से जी.टी.सी. डिपो तक
25	60 फुटा चौड़ा रोड बलबीर नगर(बाबर पुर रोड)	पूर्वी यमुना नहर से जी.टी.रोड तक
26	100 फुटा रोड नं. 68	पूर्वी यमुना नहर, रेलवे लेवल कासिंग तक

224002/66-3

27	वजीरा बाद रोड़	मार्जिनल बांध यमुना विहार योजना तक (केवल दक्षिण साइड)
----	----------------	---

7. क्षेत्र—'च'

(क)	नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2 (रिंग रोड़ पर सामने का भाग)	
(ख)	कालकाजी मेन रोड़ (ब्लॉक जी और एच तथा इ और एफ के मध्य)	
(ग)	मालवीय नगर (मेन मार्केट रोड़)	
(घ)	गोविंदपुरी और गोविंदपुरी विस्तार के मध्य का रोड़	
(ङ)	दुकान प्लॉट, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार	

8. क्षेत्र 'छ'

1. लक्ष्मण सलवानिया, न्यू मोती नगर चौक मेन नजफगढ़ रोड़ से बाहरी रिंग रोड़ कासिंग तक गणेश नगर ।
2. कीर्ति नगर मायापुरी चौक से कीर्ति नगर पटेल नगर चौक के मध्य ।
3. लाजवंती गार्डन चौक से नंगल राय तक ।
4. सुभाष नगर से दीन दयाल उपाध्य होस्पिटल ।
5. तिलक नगर चौक से नंगल राय फलाई ओवर, जेल रोड़ ।
6. एच ब्लॉक, बाली नगर नजफगढ़ रोड़ से बी. ब्लॉक बाली नगर तक ।

9. क्षेत्र 'ज'

1.	रोड़ नं. 43रानी बाग	200 फुट
2.	मेन बाजार, ऋषि नगर	50 फुट
3.	मेन बाजार (रोड़ रानी बाग)	50 फुट
4.	मेन रोड़ राजा पार्क	100 फुट
5.	मेन रोड़, शास्त्री नगर	200 फुट
6.	मेन रोड़ त्रि नगर	50 प्रतिशत
7.	रोड़, नं. 41 रोहिणी	45 मी0

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 21st July, 2006

S.O. 1161(E).—Whereas, the Master Plan of Delhi-2001 was modified *vide* notification No. S.O. 425(E), dated 28-3-2006 in so far as the chapter on Mixed Use is concerned.

Whereas, several representations have been received since then for further modification and rationalization of the provisions relating to Mixed Use;

Whereas, the Central Government had already constituted a Committee of Experts on 14.2.2006 under the Chairmanship of Shri Tejendra Khanna, former, Lt. Governor, Delhi to assess the magnitude of the problem and issues involved in the matter and to suggest a comprehensive strategy to deal with it;

Whereas, the said Tejendra Khanna Committee has submitted its report on 13-5-06;

And whereas the Central Government after careful consideration of the report of the Tejendra Khanna Committee has proposed to implement the recommendations pertaining to Mixed Use;

Now, therefore, in exercise of powers under section 11 A of the Delhi Development Act read with Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plans) Rules 1959, as amended from time to time, the following further modifications which are proposed to be made by the Delhi Development Authority in the Master Plan for Delhi-2001, with the approval of Central Government, are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion may send the same in writing to the Principal Commissioner -cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi - 110023, within a period of 30 days from the date of publication of this Notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and address.

Modification:

In Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) dated 1.8.1990 the following shall be incorporated:-

- (i) On page 165(RHS) under CLAUSE 10.0 MIXED USE REGULATIONS the existing provisions, as modified vide notification S.O. No. 425(E) dated 28.3.2006 shall be substituted by the following:-

10.0 MIXED USE POLICY

This chapter covers the policy for mixed use of land for certain permissible purposes. The policy acknowledges the need for permitting use of land for purposes other than that for which it is planned and lays down the conditions under which this may be applied in different situations. The general procedure to be followed for implementation of the said policy, and mitigating measures to be taken to counter the effect of such non-intended use in such areas are also described.

10.1 GOVERNING PRINCIPLES FOR MIXED USE

Mixed use for the purposes of this Chapter means the provision for non-residential activity in residential premises.

- ii. The policy aims to balance the socio-economic need for such activity and the environmental impact of the said activity in residential areas.
- iii. Mixed use allows access to commercial establishments in the proximity of the residences and reduces the need for commuting across zones in the city. However at the same time, it needs to be regulated in order to manage and mitigate associated adverse impacts related to congestion, increased traffic and increased pressure on civic amenities.
- iv. The over-riding principles for permitting mixed use are the need to acknowledge and make adequate provision for meeting community needs, mitigating environmental impact and providing for safe and convenient circulation and parking.
- v. Mixed-use shall not be permitted in the Lutyens Bungalow Zone, Civil Lines, Government housing, institutional and staff housing of public and private agencies, buildings/precincts listed by the Heritage Conservation Committee.

10.2. MIXED USE IN RESIDENTIAL AREAS: DIFFERENTIATED APPROACH:

- i). The need for a differentiated approach to mixed use policy arises from the fact that Delhi, being the country's capital and an important centre of economic activity has a large diversity in the type of residential areas. Apart from the planned residential colonies built as part of Lutyens' Delhi as well as through the process of planned development undertaken by the Delhi Development Authority, there are authorized residential areas in the Walled City, Special areas and in urbanized villages. Other planned areas include resettlement colonies and pre-DDA colonies including post-partition rehabilitation colonies. There are also unplanned unauthorized regularized colonies; unauthorized colonies as well as slums and jhuggi jhonpri clusters in various parts of Delhi.

ii). Moreover, the extent of non-residential activity seen as being necessary or desirable by the residents themselves varies from area to area based on the socio-economic status of the residents as well as the past pattern of development in that area. While certain colonies may appreciate the need for non-residential activity as an integral part of their livelihood, some others may fervently wish to preserve the more or less exclusive residential character of their colonies and neighborhoods.

iii) Hence it is proposed to follow a differentiated approach in the application of the mixed use policy in Delhi.

iv) The differentiated approach would be based on categorization of colonies from A to G as adopted by MCD for Unit Area method of property tax assessment.

a. In colonies falling in categories A and B, only professional activity would be permissible. Any other activity may be permitted under the terms and conditions prescribed in the succeeding paras, only if the RWA(s) of the said colonies make a specific request in this regard.

b. In colonies falling in C and D categories, mixed use would be permissible as per terms and conditions prescribed in the succeeding paras, subject to consultation with RWAs.

c. In colonies falling in E, F and G all categories of mixed use would be permissible as per terms and conditions prescribed in the succeeding paras.

d. In respect of colonies falling in NDMC area (excluding Lutyens Bungalow Zone, Government housing, institutional and staff housing of public and private agencies, and buildings/precincts listed by the Heritage Conservation Committee), existing mixed use streets / stretches will be notified by NDMC. Future notification of mixed use streets/ stretches will be done on a field level survey to assess the community needs, environmental impact and traffic

224062/06-4

circulation/ adequate parking and in consultation with Residents Welfare Associations.

10.3 IDENTIFICATION OF MIXED USE AREAS IN EXISTING URBAN AREAS AND URBANIZABLE AREAS:

The identification of mixed use areas/ streets in both the urbanized/urban as well as urbanizable areas of Delhi would be as follows:

- i. In already urbanized/urban areas, mixed use would be permissible in the following areas:
 - a. In colonies falling in Category A and B, subject to specific request of the RWA, in residential plots facing streets/roads with a minimum 18 m ROW in regular residential plotted development.
 - b. In colonies falling in Category C and D, subject to consultation of the RWA in residential plots facing streets/roads with a minimum 18 m ROW in regular residential plotted development, 13.5 m ROW in rehabilitation colonies and 9 m ROW in special area and urban villages.
 - c. In all the colonies falling under E, F and G categories, in residential plots facing roads of ROW 13.5m, 9m and 6 m respectively in residential plotted development, rehabilitation colonies and special area/ walled city/ villages.
- ii. Mixed use shall continue to be permitted on all streets/ stretches already notified by the competent authority under MPD 2001 and indicated in **Annexure-I** (List of identified stretches / Streets).
- iii. Residential areas and Streets/ stretches earlier declared as commercial or where commercial use was allowed in MPD 1962 would also be allowed to continue such use at least to the extent as permissible in MPD 1962.
- iv. Commercial activity existing from prior to 1962 in residential areas would be permitted to continue subject to documentary proof thereof.

- v. In addition to streets covered under (ii) & (iii) above, local bodies shall be required to carry out within 60 days of the Notification coming into force, a survey of all other streets of the above-mentioned width, with a view to decide on notification of identified stretches of such streets as mixed use streets.
- vi. The field survey shall assess the extent of existing non-residential use on the street, the stretch of the street to be notified, the additional requirement of civic amenities and the provision for traffic circulation and parking.
- vii. The notification should be completed within the following 60 days after the field survey with the approval of the Competent Authority under the relevant Act.
- viii. **In new urbanizable areas,**
 - a. In newly developed residential areas, mixed use as specified above shall be permitted only on residential plots located on 18 m. ROW roads.
 - b. In villages that are declared as urban and get integrated into the process of development, mixed use would be permissible in areas/ stretches identified in the local area plan/ lay out plan prepared for such integration.
- ix. The layout plan in such new areas shall earmark such stretches/ plots and notify them under the Mixed Use Policy at the time of grant of permission for layout plan in the case of private development and at the time of disposal by allotment or auction in the case of areas developed by DDA.

10.4 GENERAL TERMS AND CONDITIONS GOVERNING MIXED USE:

On the notified stretches/ streets, mixed use shall be permitted, subject to the following general terms and conditions:

- (i) In plots on notified streets, in plotted development, three types of mixed use namely, retail shops, professional activity and other activity, are permissible.

- (ii) In any residential plot (on the notified street, in plotted development), only one of the two: either retail shop as per para 10.6, or any one of the other activities listed below in para 10.7, would be permitted. However, professional activity would also be permitted in such plots.
- (iii) In one residential dwelling unit, (on the notified street, in plotted development,) only one type of mixed use (i.e., retail shop or professional activity or one of the other activities) shall be permissible.
- (iv) In group housing, only professional activity is permissible. Retail shops would be specifically provided for in the lay out plan of group housing.
- (v) No encroachment shall be permitted on the streets or public land.
- (vi) Development control norms as applicable for the particular residential use will continue to be applicable, even if the plot/ dwelling unit is put to mixed use.
- (vii) If the notified street is a Master Plan Road, service road should be available or provided for by local bodies so that mixed use premises can be approached from such service road and not directly from the main carriageway.
- (viii) In plotted development, front setback should not have boundary wall, so that it can be used for additional parking. This would also apply to ground floor residences in group housing, being used for professional activity.
- (ix) Parking @ 2.0 ECS per 100 sqm shall be provided within the premises. Where this is not available, cost of development of parking, shall be payable by the plot allottee/ owner.
- (x) Common parking areas would be earmarked on such streets taking into account the additional load on traffic and parking consequent upon notification of the street under Mixed Use Policy. If no parking space is available, land/ plot on the said street would be made available by Traders association or acquired for construction of parking facilities, preferably, multi

level parking. Development of such parking facilities would be done by either the traders Association or by local bodies and may include public-private partnership as a model for implementation.

- (xi) Streets of less than 9 m (or 6 m in E, F & G category colonies) ROW in Urban villages; special areas and Walled City, if notified for mixed use shall be declared as Pedestrian Shopping Streets (PSS) and will not be open to motorized transport.

10.5 PERMISSIBLE AND NON-PERMISSIBLE USES:

Any trade or activity involving any kind of obnoxious, hazardous, inflammable, non-compatible and polluting substance or process shall not be permitted.

10.6 RETAIL SHOPS

- i. Retail shops shall be permitted on plots on streets notified for mixed use only on ground floor upto the maximum permissible ground floor coverage.
- ii. The following activities shall not be allowed under Mixed Use:
 - a) Retail shops of building materials (timber, timber products, marble*, iron and steel and sand), firewood, coal and any fire hazardous and other bulky materials.
 - b) Repair shops of automobiles repair and workshop, cycle rickshaw repair, tyre resorting and re-treading, and battery charging.**
 - c) Storage, go-down and warehousing.
 - d) Junk shop
 - e) Liquor shop
 - f) Printing, dying and varnishing
 - g) Any other activity that may be notified from time to time by Government.

Note: * Retail shops of finished Marble products, not undertaking cutting and polishing activities and , ** repair shops and workshops in

224042/06-5

case of automobile and cycle rickshaws, would be permissible on plots abutting mixed use streets of ROW of 30 m or more.

10.7 OTHER ACTIVITY

10.7.1 The following other activities shall also be permitted in the residential plots on notified streets:

- (a) Pre-primary school (Nursery/Montessori School, Crèche.)
- (b) Nursing home
- (c) Guest house
- (d) Bank
- (e) Fitness Centre (Gymnasium, yoga/ meditation centre)

10.7.2. The above mentioned activities would be subject to the following additional conditions in addition to general conditions prescribed in preceding paras:

- (i) Subject to the specific conditions mentioned in succeeding paras, the minimum size of the plot on which these activities shall be permissible, on notified streets, shall be 200 sqm in regular plotted development, 160 sqm in rehabilitation colonies, special area & villages. The maximum size of the plot will be 1000sqm.
- (ii) Banks will be permissible on $2/3^{\text{rd}}$ of FAR subject to 600 sqm, while Guest House and Nursing Homes will be permissible upto $3/4^{\text{th}}$ of the floor area.
- (iii) Nursing Homes operating in plots facing MP roads and ZP roads that are notified for mixed use, will be permissible upto 100% of built up area and the limits on the size of the plot would not apply.
- (iv) Guest Houses operating in plots on mixed use streets in Special Area and in plots facing MP roads and ZP roads that are notified for mixed use will be permissible upto 100% of built up area and the limits on the size of the plot would not apply.

- (v) Pre-primary school and fitness centre would be restricted only to the ground floor up to the permissible ground coverage.
- (vi) The above mentioned activities would also be subject to any other specific terms and conditions, as may be prescribed in the relevant Statutes/ Acts applicable to them, including those in respect of size of plots, road width etc.
- (vii) It shall be the responsibility of the plot allottee/ owner to make arrangements for parking so that the parking does not encroach/ spill over on public land.

The relevant regulations covering terms and conditions vide Notification No 273 to 275(E) dated 11. 03.2003 will be taken up for revision accordingly.

10.7.3. Banquet hall shall be permissible only in industrial areas and not in the residential use zone. Development control norms in respect of Ground coverage, FAR, height and basement shall be applicable as per Master Plan Norms for the specific land use for that premises.

10.8 PROFESSIONAL ACTIVITY

- i. Professional activity will be permitted if carried out by the resident him/her self.
- ii. Professional activities would mean those activities involving commercial services based on professional skills namely Doctor, Lawyer, Architect, and Chartered Accountant.
- iii. In group housing, and plotted development with multiple dwelling units, professional activity shall be permitted on any floor subject to maximum of 50% of the permissible or sanctioned FAR, whichever is less, of the dwelling unit
- iv. In the case of plotted development with single dwelling unit, such activity will be permissible on any one floor only, but

restricted to less than 50% of the permissible or sanctioned FAR, whichever is less on that plot.

0.9 REGISTRATION OF MIXED USE PREMISES AND PAYMENT OF CHARGES:

- i. In order to avail of the provisions under the Mixed Use Policy, the owner/allottee of the plot dwelling unit in case of plotted development and dwelling unit in the case of group housing would be required to register himself and pay the prescribed charges at rates to be notified by the Central Government from time to time.
- ii. The property owner/ user of a residence already under mixed use or intended to be put to mixed use, is required to declare such mixed-use by filling up a form in this respect and depositing it with the local body along with one-time registration charges.
- iii. The property under mixed use shall also be liable for payment of mixed-use charges every year to the local body/DDA for the period during which the property is put to mixed use. Such payment will be made by the property owner/ allottee voluntarily before 30 June of every year.
- iv. In addition, if any revision in building plans is required for using residential premises for non-residential activities, the property allottee/ owner would be required to seek sanctioned revised building plans and pay necessary charges.
- v. The local body concerned shall be responsible to conduct test check of properties under mixed use, whether registered with it or not.
- vi. In addition to other penal action available under the relevant Act, properties found to be under mixed use, without self-declaration/ registration or in violation of the terms of registration would be penalized by levy of 10 times the annual charges for mixed use.

10.10 CONSULTATION WITH RWAs:

- i. Consultation with the RWAs for the purposes of declaring mixed use streets would be done by the local bodies concerned. Such consultation should cover at least 50% of the plot allottees/ owners of that colony, through one or more RWAs.
- ii. Genuine efforts for meaningful consultations with RWAs should be made by the local bodies. Such efforts will include wide publicity to the proposed consultations, maintenance of record of consultation and providing access to those records to RWA and public.
- iii. RWA consultation may be extensive but limited to identification of mixed use streets, and not for grant of permission in individual cases. However RWAs would have a right to be heard in cases of complaints of public nuisance and non-permissible uses.
- iv. Consultation with RWAs prior to granting permission for banquet halls shall be compulsory not only in post 1962 plotted development but in any residential area, where banquet halls are permissible.

10.11 UNDER WHAT CONDITIONS MIXED USE CAN BE DENIED/ WITHDRAWN:

Permission or registration for mixed use can be cancelled or suspended by the concerned local body in case of violation of any of the conditions under which such mixed use is permissible/ permitted.

10.12 COMMERCIAL STREETS:

10.12.1. In cases where more than 70% of the properties on a notified mixed use street are under commercial use, on main roads of ROW exceeding 24mts, such stretches can be notified by Government as Commercial stretches/ streets. Identification of such stretches would be on the basis of field survey to be conducted by the local body.

10.12.2. After identification is done, notification of commercial stretches/ streets would be subject to the following terms and conditions:

224001/06-6

- i) Preparation of revised lay-out plan for such areas/ streets by the local traders Association and approval by the local body.
- ii) The lay-out plan for such areas/ streets should indicate adequate provision for circulation, parking, open spaces and other planning norms as applicable to commercial centres of comparable size.
- iii) Necessary open space should be made available on the stretch / street by local traders association for parking and common facilities.
- v) Plot/ property owners / allottees on the commercial streets would be liable for payment of additional development charges for provisioning of such infrastructure.
- vi) Any other condition that may be prescribed by Government from time to time.

[No. F. 20(4)/2005/MP/Part-II]

V. M. BANSAL, Principal Commissioner-cum-Secy.

Annexure-I

MIXED USE STREETS IN VARIOUS ZONES OF DELHI:

1. Zone-A and part C (Walled City)

1.	Chandi Chowk Road (100 feet R/W)
2.	Netaji Subhash Marg (80 feet R/W)
3.	Ansari Road (60 feet R/W)
4.	Khari Baoli (80 feet R/W)
5.	Naya Bazar Road (80 feet R/W)
6.	Shardanand Marg (60 feet R/W)
7.	Ajmeri Gate Bazar (60 feet R/W)
8.	Church Mission Road (60 feet R/W)
9.	S.P. Marg (120 feet R/W)
10.	H.C. Sen Road (100 Feet R/W)
11.	Ajmeri Gate Road Bazaar Sita Ram, Gali Kucha Pati Ram, Gali Arya Samaj, Gali Kali Masjid, Gali Katra Anikhan.
12.	Bazar Dilli Darwaza
13.	Netaji Subhash Marg, Sir Syed Ahmed Marg, Gali Kuncha Chalan, Gali Pataudi House, Gali Kala Mahal.
14.	Gali Churiwalan Chawri Bazar, Bazar Matia Mahal, Sita Ram Bazar, Gali Pandit Prem Narainh.
15.	Ajmeri Gate Road, Fasil Road, Gali Shah Tara, Gali Kucha Pandit, Gali Shahaganj, Farashkhana Road, Lal Kuan Bazar.
16.	Farash Khana Road, Samosa Wali Gali, Fasil Road, Naya Bans Road, Bazar Khari Baioli, Katra Dariyan Road, Gali Batashawali, Gali Kucha Nawab.
17.	Netaji Subhas Marg, Dayanand road, Ansari Road.

18.	Katra Bariyan Road, Lal Kuan Road, Gali Ballimaran, Gali Kashim Jaan, Chawri Bazar, Nai Sarai, Chandni Chowk.
19.	Nai Sarak, Chandni Chwok, Esplanade Road, Dariba Kalan Bazaar, Gulian, Chawri Bazar, Chatta Shahji, Gali Khajoor, Gali Katra Kushal Rai, Gali Anarwali, Kinari Bazar, Maliwara Road.
20.	Chandni Chowk, Katra Neel, Church Mission Road, Katra Natwar Area.
21.	H.C. Sen Road, Chandni Chowk.
22.	Bara Bazar Road.

2. Zone-A (Part other than Walled City)

1.	Rani Jhasi Road, (Azad Market Chowk to Filmistan)	From crossing with Gaushala Road to Filmistan (on East Side)
2.	Qutab Road (Singhara Chowk to Pul Mithai)	From Junction near Senior Secondary School Sadar Bazar to Pul Mithai and Western Side of the Road.
3.	Sadar Thana Road	Sadar Thana to Phoota Road.
4.	Idgah Road	Singhara Chowk to crossing with Sadar Thana Road (on north side of the road).
5.	Azar Market Road	Azad Market Road to Pul Mithai.
6.	Chamelian Road	From crossing with Rani Jhansi Road to Junction with Maharaja Agrasen Marg.
7.	Maharaja Agresan Marg	From junction with Rani Jhansi road to crossing with Qutab Road (Sadar Bazar).
8.	Main Paharganj Road	From Junction with Chemsford road to Ram Krishna Ashrm.
9.	Desh Bandu Gupta Road	Pahargan Police Station crossing to opposite Shiela Cinema.
10.	Raguru Road (Guruwala Road)	Junction with Desh Bandhu Gupta Road to junction with Main Bazar Pahar Ganj Road.
11.	Nehru Bazar Road	From junction with Punchkuian Road to junction with main paharganj Bazar Road.

3. Zone-B

1.	Desh Bandhu Gupta Road	From crossing with Faiz Road to the junction with proposed 30-M road (road No. 4 in the layout plan).
2.	Bank Street	From crossing with Faiz Road to crossing with Ram Krishna Marg.
3.	Hardhyan Singh Road	- do -
4.	Arya Samaj Road	From crossing with Faiz Road to crossingn with proposed 30-M wide road (road No. 4 in the layout plan).
5.	Padam Singh Road	From crossing with Satbravan Girls School Road to crossing with Gurudwara Road.
6.	New Rohtak Road (South side)	From crossing with Faiz Road to junction with Joshi Road.

224002/06-7

7.	Road No. 4 (proposed 30-M wide road) (East Side)	From crossing with D.B. Gupta Road to junction with Padam Singh Road.
8.	New Pusa Road	From Junction with D.B. Gupta Road to junction with Tank Road.
9.	Ram Krishan Dass Marg	From junction with D.B. Gupta Road to Junction with Road No. 31 of the layout plan.
10.	Vishnu Mandir Marg	From junction with D.B. Gupta road no. 31 of the layout plan.
11.	Saraswati Marg	From junction with D.B. Gupta Road to junction with Arya Samaj Road.
12.	Ajmal Khan Road	From junction with Tank Road to junction with Pusa Lane.
13.	Gurudwara Road	From junction with D.B. Gupta Road to junction with Padam Singh Marg.
14.	Laxmi Dawar Marg	From junction with Arya Samaj Road to junction with Pusa Lane.
15.	Abdul Aziz Road	From junction with bank Street to junction with Arya Samaj road.
16.	Krishna Das Road	From junction with D.B. Gupta Road to junction with Arya Samaj Road.
17.	Satbharavan Arya Girls School Marg (West Side)	From junction with Arya Samaj Road to junction with Pusa Lane.
18.	Joshi road.	From junction with New Rohtak Road to junction with D.B. Gupta Marg.
19.	Abdur Rehman Road	From junction with D.B. Gupta Road to junction with Arya Samaj Road.
20.	Ilahi Baksh Marg	- do -
21.	Faiz Road (West side)	- do -

4. Zone-C

1.	Roshnara Road	1.00
2.	G.T. Road	2.18
3.	Shakti Marg (Nangia Park round about)	0.32
4.	Satyawati Road	0.15
5.	Mandella Road	0.06
6.	Kohlapur Road	0.06
7.	Malka Ganj Road	0.88

5. Zone-D

1. Temple Road, Bhogal.
2. Shahi Hospital Road, Bhogal.
3. Central Road, Bhogal.
4. Masjid Road, Bhogal.

5. Gurudwara Road, Lajpat Nagar-IV.
6. New Delhi South Extension-I, service road along Ring Road.
7. Main Road (24-M wide) between Blocks O & K, Lajpat Nagar-II.
8. Central Market and Lajpat Nagar-II.
9. Alankar Cinema road/Pushpa Market Road (Lajpat Nagar).
10. Bhishm Pitahamah Road, Defence Colony.
11. In addition, shop plots forming part of an approved layout of the competent authority.

Zone-E

1. Shopping Centre, Krishna Nagar.
2. Chota Bazar, Shahdara.
3. Main Gandhi Nagar, Bazar.
4. Bara Bazar, Shahdara.
5. Anaj Mandi, Shahdara.
6. Shopping area of Vishwas Nagar.
7. Shopping area of Seelampur/Saleempur.
8. Farash Bazar, Shahdara.
9. Railway road, Shahdara.
10. Main Road Gandhi Nagar. : From Marginal Bund to Jheel Bus Trml.
11. Main Vikas Marg : From Marginal Bund to Patparganj Rd.
12. Vijay Chowk Road : From Vikas Marg to Patparganj Road.
- (Laxmi Nagar Main Road)
13. Patparganj Road : From Jheel Bus Terminal to Madhuban Railway Crossing excluding the GHBS And Rehabilitation Colony.
14. Road No. 57 : From G.T. Railway Line to Parwana Rd. Excluding CGHS and facility centers.
15. Bhola Nath Nagar Road : From road no. 57 to Babu Ram School.
16. Mandir Marg Road : From Raghunath mandir Road to Road No. 57.
17. Road No. 35-A : From Vikas Marg to Mother Dairy Excluding bridge area and Mother Dairy Plant.
18. 60-feet Road. : From Teliwara to Babu Ram School.
19. Proposed Master Plan road : From road no. 66 to Ghonda Chowk.
- No. 67 in Maujpur Area.
20. Loni Road : From T.T. road to Road No. 68.
21. T.T. Road : From Radhu Cinema to Loni Road.
22. Road No. 66 : From T.T. Road to Road no. 68 on Western Side only.

23. **Brahmpuri Main Road.** : From Ghonda Chowk to New Seelampur Market road.
24. **Yamuna Vihar Road** : From Ghonda Chowk to DTC Depot.
25. **60-feet wide road Balbir Nagar (Babarpur Road)** : From East Yamuna Canal to G.T. Road.
26. **100-feet Road no. 68.** : From Easter Yamuna Canal upto Railway level crossing.
27. **Wazirabad Road** : From Marginal Bund upto Yamuna Vihar Scheme (on south side only).

7. **Zone-F**

- a) New Delhi South Extn. Part-II (Portion fronting on Ring Road).
- b) Kalkaji Main road (Between Block G & H and E&F).
- c) Malviya Nagar (Main Market Road).
- d) Road between Govindpuri and Govindpuri Extn.
- e) Shop-plots, forming parts of an approved layout plan of the competent authority.

8. **Zone-G**

1. Main Najafgarh Road from Laxman Sylvania, New Moti nagar Chowk to Outer ring Road crossing i.e. Ganesh nagar.
2. Beteen Kirti nagar and Mayapur chowk to Kirti nagar, Patel nagar Chowk.
3. Lajwanti Garden Chowk to Nangal Raya.
4. Subhash Nagar to Deen Dayal Upadhyaya Hospial.
5. Tilak Nagar Chowk to Nangal Raya flyover i.e. Jail Road.
6. H-Block, Bali Nagar Najafgarh Road to B-Block, Bali Nagar.

9. **Zone-H**

- | | | | |
|----|------------------------------|---|-----------|
| 1. | Road No. 43, Rani Bagh | : | 200 feet. |
| 2. | Main Bazar, Rishi Nagar | : | 50 feet |
| 3. | Main Bazar, (road Rani Bagh) | : | 50 feet |
| 4. | Main road Raja Park | : | 100 feet |
| 5. | Main Road Shashtri Nagar | : | 200-feet |
| 6. | Main Road Tri Nagar | : | 50% |
| 7. | Road No. 41, Rohini | : | 45 meter. |

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6611
नं. 6011

नई दिल्ली, बुधवार, जून 15, 2005/ज्येष्ठ 25, 1927
NEW DELHI WEDNESDAY, JUNE 15, 2005/JYASTHA 25, 1927

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(प्रधान आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2005

विषय — दिल्ली विकास (मुख्य योजना एवं जोनल विकास योजना) नियम, 1959, अध्याय-3, नियम 9 के अंतर्गत जांच और सुनवाई के लिए बोर्ड का गठन।

का.आ. 824 (अ).—दिल्ली मुख्य योजना 2021 के प्रारूप को भारत के असाधारण राजपत्र के साप्ताहिक आदेश सं. (का.आ.) 318 (अ) दिनांक 16-3-2005 में प्रकाशित किया गया है। दिनांक 8-4-2005 को समाचार-पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की गयी है, जिसके द्वारा 90 दिनों के अंदर जनता से आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

निर्धारित अवधि के अंदर आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने के लिए दि.वि.प्रा. (मुख्य योजना एवं जोनल विकास योजना) नियम 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण विनियमित जांच और सुनवाई बोर्ड का गठन करता है:—

- | | |
|--|-------------------|
| (1) उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. | — अध्यक्ष |
| (2) अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. | — सदस्य |
| (3) आयुक्त, दि.न.नि. | — सदस्य |
| (4) मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन | — सदस्य |
| आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा. | — संयोजक एवं सचिव |

[सं. एफ 20 (6) 2005-एम पी/पार्ट-1]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

1817/G1/2005

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(OFFICE OF THE PR. COMM. - CUM - SECRETARY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2005

Sub :— Constitution of Board of Enquiry and Hearing under Rule 9, Chapter III, Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959.

S.O. 824 (E).—The Draft Master Plan for Delhi 2021 has been published in Gazette of India, Extraordinary, No. S.O. 318 (E), dated 16-3-2005. A Public Notice has also been published in the newspapers on 8-4-2005, vide which the objections/suggestions have been invited within 90 days from the public.

The Delhi Development Authority under the provisions of DDA (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959, hereby appoints the following Board for Enquiry and Hearing to consider the objections/suggestions thus received within the stipulated period:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| (i) Vice-Chairman, DDA | — Chairman |
| (ii) Engineer Member, DDA | — Member |
| (iii) Commissioner, MCD | — Member |
| (iv) Chief Planner, TCPO | — Member |
| Commissioner (Planning), DDA | — Convener & Secretary |

[F. No. 20(6) 2005-MP/PLI]

V. M. BANSAL, Pr. Commissioner-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1248]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2005/अग्रहायण 11, 1927

No. 1248]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 2005/AGRAHAYANA 11, 1927

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(प्रधान आयुक्त एवं सचिव का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2005

विषय : दिल्ली विकास (मुख्य योजना एवं क्षेत्रीय विकास योजना) नियम, 1959 के नियम 9, अध्याय-III के अन्तर्गत जाँच एवं सुनवाई बोर्ड का गठन।

का.आ. 1685(अ).—दिल्ली मुख्य योजना, 2021 का मसौदा भारत के असाधारण राजपत्र संख्या का.आ. 318(अ) दिनांक 16-3-2005 में प्रकाशित किया गया था। दिनांक 8-4-2005 के समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की गई थी, जिसके माध्यम से आम जनता से 90 दिनों के अन्दर आपत्तियों/सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

अब, भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. 824(अ), दिनांक 15-6-2005 के क्रम में श्री वीरेन्द्र कसाना, पार्षद, दि.न.नि., जो दि.वि.प्रा. के सदस्य भी हैं, को एतद्वारा जाँच एवं सुनवाई बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

[सं. एफ. 20(6)2005/एम.पी. पार्ट-1/डी]

विरम मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER-CUM-SECRETARY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2005

Sub. : Constitution of Board of Enquiry and Hearing under Rule 9, Chapter III, Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959.

S.O. 1685(E).—The Draft Master Plan for Delhi, 2021 had been published in Gazette of India, Extraordinary, No. S.O. 318(E), dated 16-3-2005. A Public Notice had also been published in the newspapers on 8-4-2005, vide which the objections/suggestions had been invited within 90 days from the public.

Now, in continuation to the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Notification No. S.O. 824(E), dated 15-6-2005, Shri Virender Kasana, Councillor, MCD, who is also a member of the DDA is hereby appointed as a member on the Board for Enquiry and Hearing.

[No. F. 20(6)2005/MP-Pt. I/D]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.



No. K-20013/4/2006-DDVA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Dated the 15th May, 2006.

OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Laying of Amendments to Delhi Development Authority
(Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981.**

The undersigned is directed to state that as per the provisions laid down under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Gazette Notification containing the Amendment of Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981 is required to be laid on the Table of both the Houses of Parliament.

2. Accordingly, a copy of the notification (bilingual) duly authenticated by the Minister for Urban Development is sent herewith together with the prescribed proforma and the requisite number of copies (41 copies) for laying the same on the Table of the Lok Sabha/Rajya Sabha.

(**Prem Kumar**)

Under Secretary to the Govt. of India

☎ # 2306 1478

Encl: As above.

To

1. The Lok Sabha Secretariat
(Distribution Branch),
Parliament House Annexe,
New Delhi.
2. The Rajya Sabha Secretariat
(Committee Sec.I),
529, Parliament House Annexe,
New Delhi.

Copy for information to:

1. PS to UDM
2. Under Secretary (Parliament), MoUD, New Delhi.
3. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, INA,
New Delhi-110 023.

✓ *Handwritten signature*
15/5

G
217/2 pas
15/5/06
62-62-P&C
16/5/06

546-AD/MC
17-5-06

Handwritten signature
16/5/2006
DDA Secy
AD (MC)

**PROFORMA TO BE ATTACHED TO THE O.M. FORWARDING PAPERS
TO BE LAID ON THE TABLES OF RAJYA SABHA/LOK SABHA**

<p>1. Brief purport of the matter /the notification covers or papers to be laid on the Table.</p> <p>2. Statutory or other requirement under which the paper is to be laid on the Table.</p> <p style="padding-left: 40px;">i) in the case of Central Govt. notification name of the Act and Section which provides for laying should be clearly stated.</p> <p style="padding-left: 40px;">ii) in the case of State Government notification the laying provision in the State Act should be reproduced.</p> <p>3. Whether published in the Gazette and if so,</p> <p style="padding-left: 40px;">i) GSR/S.O./S.R.O. number of notification published in the Gazette.</p> <p style="padding-left: 40px;">ii) Date and part Section of the Gazette.</p> <p>4. Whether subject to modification by the House.</p> <p>5. Period specified in the Principal Act by which it is required to be laid.</p> <p>6. Whether it has been previously laid on the Table of the Rajya Sabha / Lok Sabha and if so, on what date.</p> <p>7. Whether English and Hindi versions are being laid together? If not, the date on which the English version was laid.</p> <p>8. Date on which proposed to be laid on the Table.</p>	<p>: Amendment of Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981.</p> <p>: Under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957 every rule/regulations made under this Act is to be laid before each House of Parliament.</p> <p>: Not applicable.</p> <p>: Yes</p> <p>: G.S.R. 220(E)</p> <p>: 19th April, 2006, Part II- Section 3 Sub-section (i)</p> <p>: Yes.</p> <p>: 30 days.</p> <p>: No.</p> <p>: Yes.</p> <p>: On any day allotted to this Ministry.</p>
---	--



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2006/चैत्र 29, 1928

No. 157]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2006/CHAITRA 29, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

सा.का.नि. 220(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 22 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण से परामर्श के पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) संशोधन नियम, 2006 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) नियम, 1981 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में:-
 - (i) उप-नियम(1) में "व्यक्ति निकायों" शब्दों के स्थान पर "व्यक्ति-निकाय, फर्मों, कंपनियों" शब्द रखे जाएंगे।
 - (ii) उप-नियम(2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) प्राधिकरण योजनाओं के अनुरूप तथा इन नियमों के उपबंधों के अधीन नजूल भूमि का व्ययन निम्नलिखित संस्थाओं को नीलामी द्वारा करेगा:-

- (क) अस्पताल,
- (ख) औषधालय (डिस्पेंसरी)
- (ग) नर्सिंग होम
- (घ) उच्चतर अथवा तकनीकी शिक्षा संस्थान,
- (ङ.) सामुदायिक हॉल,
- (च) क्लब,
- (छ) विद्यालय,

परन्तु इस उप-नियम की कोई बात उक्त प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र और स्थानीय निकाय को भूमि के आवंटन को प्रभावित नहीं करेगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 5 में;

- (I) "प्राधिकरण" शब्द के स्थान पर "नियम 4 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;
- (II) स्पष्टीकरण को लोप किया जायेगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"8. नियम 4 के उप नियम(2), नियम 5, 6, और 7 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी प्रयोजन के लिए नजूल भूमि का आवंटन ऐसे प्रीमियम के भुगतान पर किया जाएगा जितना कि इन नियमों के यथास्थिति अध्याय-3 या अध्याय-4, के उपबंधों के अनुसार या तो नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा अवधारित किया जाए।"

5. उक्त नियमों के नियम 16 में, आरंभिक पैरा में "व्यक्ति जिनके अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति प्रवर्ग" भी हैं, शब्दों के स्थान पर "व्यक्ति जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति प्रवर्ग भी हैं, कम्पनी और फर्म" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 20 में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु इस नियम की कोई बात नियम 4 के उपनियम(2) के उपबंधों को लागू नहीं होगी।"

7. उक्त नियमों के नियम 42 में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे अर्थात्:

"परन्तु इस नियम में किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण, रिहायशी प्रयोजन अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए नीलामी अथवा निविदा के माध्यम से प्रीहोल्ड आधार पर नजूल भूमि आबंटित कर सकता है।"

"यह और भी कि प्रीहोल्ड आधार पर आबंटन के मामले में आबंटिती प्रारूप ख क में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा।"

8. उक्त नियमों में प्रारूप ख के पश्चात निम्नलिखित प्रारूप अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

फार्म ख क
(नियम 42 देखें)
हस्तांतरण विलेख

(नीलामी अथवा निविदा के जरिए फ्रीहोल्ड आधार पर आबंटित रिहायशी और वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए)

यह हस्तांतरण विलेख एक पक्षधर के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें इसमें आगे दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली के जरिए विक्रेता कहा गया है (इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती तथा समनुदेशिनी भी हैं, जब तक कि संदर्भ में अन्य तथा भिन्न अर्थ अपेक्षित न हो) और दूसरे पक्षधार के रूप में श्री/श्रीमती/मैसर्स..... निवासी..... जिसे इसमें आगे "क्रेता" कहा गया है (इसके अन्तर्गत जब तक कि संदर्भ से अन्य तथा भिन्न अर्थ अपेक्षित न हो, उसके वारिस, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिनी भी शामिल होंगे) के बीच किया गया।

.....में स्थित..... दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र सं० एफ--(.....) / / तारीख.....के अधीन रूपए.....का प्रतिफल लेकर क्रेता को आबंटित किया गया था जो कि उक्त आबंटन पत्र में उल्लिखित सीमान निबंधनों और शर्तों के अधीन प्राप्त किया गया है

और उक्त आबंटन अब भी वैध तथा कायम है और उक्त क्रेता ने विक्रेता को उसे आवंटित की गई उक्त संपत्ति, जिसका वास्तविक कब्जा उन्हें तारीख.....को सौंपा गया था, में फ्रीहोल्ड स्वामित्व अधिकारों के लिए अंतरण विलेख निष्पादित करने हेतु आवेदन किया है तथा उसमें आगे दी गई शर्तों व निबंधनों के अधीन उक्त संपत्ति के संबंध में यह विलेख तदनुसार निष्पादित किया जा रहा है।

यह करार इस बात का साक्षी है कि आवंटन के समय संदत्त.....रु०(शब्दों में.....रु०)की राशि(जिसकी प्राप्ति विक्रेता इसके द्वारा स्वीकार और अभिस्वीकार करता है) के प्रति फलस्वरूप, पूर्वोक्त विलेख और यहां इसमें आगे उल्लिखित सीमाओं के अधीन विक्रेता द्वारा आवासीय योजना के प्लॉट सं०.....में उक्त क्रेता फ्रीहोल्ड स्वामित्व के लिए अनुदत्त हस्तांतरण, विक्रय, निर्माण और अंतरण, समनुदेशन तथा आश्वासन पूर्वोक्त क्रेता को करता है।

1. विक्रेता उक्त संपत्ति में या उसके अन्तर्गत सभी खानों और खनिज पदार्थों को, चाहे वे किसी भी स्वरूप के हों, अपने पास सुरक्षित/रखेगा और इसके साथ-साथ विक्रेता उसके अधिकारियों और कर्मचारों को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि वे उक्त संपत्ति के किसी भाग में या सभी जगह तलाशी लेने के लिए, उसे पाने के लिए, विक्रय योग्य बनाने के लिए, उस समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग में किसी भी समय प्रवेश कर सकें और उक्त संपत्ति के अन्तर्गत या उस पर या विक्रेता की भूमि से संलग्न किसी भूमि पर उक्त खानों और खनिज पदार्थों को ले जा सकें तथा उक्त समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग की सतह का और उस संपत्ति के अंतर्गत आने वाले किन्हीं भवनों या उस पर इसके बाद बनाए जाने वाले भवनों का

निर्धारण कर सकें ताकि आदेशानुसार उसकी ओर से किए गए नुकसान के लिए क्रेता को उचित मुआवजा दिया जा सके बशर्ते उक्त संपत्ति के संबंध में भू-राजस्व या देय अन्य करों का भुगतान कर दिया गया हो, जो विधिपूर्ण रूप से उक्त संपत्ति के संबंध में देय हो या देय हो सकते हों, और सभी सार्वजनिक अधिकार या उससे प्रभावित होने वाले भोगाधिकार भी दे दिए गए हों।

2. संपत्ति के इस विलेख के पूरा होते हुए भी, मास्टर प्लान/जोनल विकास प्लान/ले-आउट प्लान के उपबंधों के उल्लंघन की किसी भी प्रकार से अनदेखी नहीं की जाएगी तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली विकास अधिनियम की धारा-14 या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन के संबंध में समुचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
3. क्रेता भवन, जल-निकास संबंधी तथा समुचित नगरपालिका या तत्समय प्रवर्त अन्य प्राधिकरणों के उप-नियमों का अनुपालन करेगा।
4. उक्त प्लॉट का आवंटन 'यथावत' आधार पर किया जाता है तथा क्रेता द्वारा इस प्लॉट में अथवा उसके आसपास कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/अतिक्रमण/अवैध निर्माण विक्रेता(डीडीए) की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता जो इस आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं अथवा कुछ शर्तों व निबंधनों के अध्यधीन मंजूर भी कर सकते हैं।
- सभी प्रकार के शुल्क, कर, प्रभार, निर्धारण, नगरपालिका अथवा अन्यथा और किसी भी प्रकार के प्रभार को आवंटिती/क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।
5. यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि इस विलेख को किसी तथ्य को छिपाकर या गलत और गुमराह करने वाले ब्यौरे देकर या कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है तो विक्रेता की ओर से यह विलेख अमान्य हो जाएगा तथा विक्रेता को इस विलेख को रद्द करने तथा क्रेता द्वारा अदा की गई राशि को जब््त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में विक्रेता का विनिश्चय अंतिम तथा क्रेता के लिए बाध्यकारी होगा और किसी भी स्थिति में उसे वापस नहीं लिया जाएगा।
6. क्रेता द्वारा आवंटन/नीलामी/निविदा की शर्तों व निबंधनों का अनुपालन किया जाएगा।
7. विक्रेता को आवंटन/नीलामी/निविदा अथवा इस विलेख की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में इस विलेख को रद्द करने का अधिकार होगा।
8. इस लिखत के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्टरीकरण प्रभार क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।

यह हस्तांतरण इस विलेख के रजिस्टरीकरण की तारीख से प्रवृत्त माना जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को श्री..... ने अपनी ओर से तथा विक्रेता के आदेश और निर्देश के अनुसार उसके हस्ताक्षर करवाए हैं तथा क्रेता श्री/श्रीमती.....ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

अनुसूची, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है:

आवासीय प्लॉट सं०.....ब्लॉक सं०.....माप.....
वर्ग मी./गज.....के ले-आउट प्लान में है और जो निम्नलिखित प्लॉटों से घिरा है:-

भूखण्ड के उत्तर में.....है।
भूखण्ड के पूर्व में.....है।
भूखण्ड के दक्षिण में.....है।
भूखण्ड के पश्चिम में.....है।

भारत के राष्ट्रपति(विक्रेता) की ओर से तथा उनके आदेश तथा निर्देश के अनुसार श्री/श्रीमती.....ने हस्ताक्षर किए।

(विक्रेता)

1. श्री/श्रीमती..... की उपस्थिति में
श्री/श्रीमती..... ने हस्ताक्षर किए।

(क्रेता)

निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए:-

1. श्री/श्रीमती.....
श्री/श्रीमती.....
.....

[फा. सं. के-20013/4/2006/डीडीवीए]

पी. के. प्रधान, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम सं.सा.का-नि. तारीख 28 सितंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन सं०(1) सा.का-नि. 97 तारीख 27 जनवरी, 1989(2)सा.का.नि. 677(अ) तारीख 11 नवम्बर, 1991(3) सा.का.नि. 486(अ) तारीख 5 जुलाई, 2002(4) सा.का.नि. 806(अ) तारीख 3 दिसम्बर, 2002 और(5) सा.का.नि. 801(अ) तारीख 9 दिसम्बर, 2004 द्वारा किए गए।

1164 G5/2006-2

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th April, 2006

G.S.R. 220(E).— In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (2) of section 56, read with sub-section (3) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government, after consultation with the Delhi Development Authority, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Development Authority (Disposal of Development Nazul Land) Rules, 1981, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Amendment Rules, 2006.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, -

(i) in sub-rule 1, for the words "body of persons", the words "body of persons, firms, companies," shall be substituted;

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The Authority shall, in conformity with plans and subject to the provisions of these rules, dispose the Nazul land by auction to the following institutions :-

- a) hospitals;
- b) dispensaries;
- c) nursing homes;

- d) higher or technical education institutions;
- e) community halls;
- f) clubs;
- g) schools:

Provided that nothing in this sub-rule shall affect the allotment of land to the Central Government, a State Government, a Union territory and the local body for the said purpose."

3. In the said rules, in rule 5, -
 - (i) for the words "The Authority may", the words "Subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 4, the Authority may" shall be substituted;
 - (ii) the Explanation shall be omitted.
4. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:-

"8. Save as otherwise provided in sub-rule (2) of rule 4, rules 5, 6 and 7, allotment of Nazul land for any purpose shall be made on payment of such premium as may be determined either by auction or by tender in accordance with the provisions of Chapter III or Chapter IV, as the case may be, of these rules."
5. In the said rules, in rule 16, in the opening paragraph, for the words "individuals, including the following categories of individuals", the words "individuals including the following categories of individuals, companies and firms" shall be substituted.
6. In the said rules, in rule 20, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that nothing in this rule shall apply to the provisions of sub-rule (2) of rule 4."

7. In the said rules, in rule 42, the following provisions shall be inserted, namely:-

"Provided that notwithstanding anything contained in this rule, the Authority may allot Nazul land on free hold basis either through auction or by tender for residential purpose or commercial purpose:

Provided further that in the case of allotment on free hold basis, the allottee shall execute a conveyance deed in Form BA."

8. In the said rules, after Form B, the following form shall be inserted, namely:-

FORM BA

(See rule 42)

CONVEYANCE DEED

(For Residential and Commercial Properties allotted on Freehold basis through Auction or Tender)

This deed of conveyance made on this.....day of..... between President of India, hereinafter called "THE VENDER" through DDA, Vikas Sadan, New Delhi (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his successors in office and assigns) of the one part and Shri/Smt/M/S.....R/o

..... hereinafter called "The purchaser" (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his/her heirs, administrators, representatives and permitted assigns) of the other part.

WHEREAS..... situated in was allotted to the purchaser by Delhi Development Authority vide allotment letter No.F() / dated against a consideration of Rs.

.....(Rupees.....) which has been received subject to limitation, terms and conditions mentioned in the said letter of allotment.

AND WHEREAS representing that the said allotment is still valid and subsisting, the said purchaser has applied to the Vendor to execute the Conveyance Deed for free hold ownership rights in the said demised property allotted to him and physical possession whereof has been handed over to him on/...../..... and this deed is being executed accordingly of the said demised property subject to terms and conditions appearing hereinafter.

NOW THIS INDENTURE WITNESSES THAT in consideration of the sum of Rs/- (Rupees) Paid at the time of allotment and Rs (Rupees) was paid before the execution hereof (the receipt whereof the Vendor hereby admits and acknowledges), the aforesaid representation and subject to limitation mentioned hereinafter, the Vendor do hereby grants, conveys, sells, releases and transfers, assigns and assures unto the aforesaid purchaser free hold ownership, in the Scheme..... Plot No

1. The Vendor excepts and reserves unto himself all mines and minerals of whatever nature lying in or under the said property together with full liberty at all times for the Vendor, its agents and workmen, to enter upon all or any part of the property together to search for, win, make merchantable and carry away the said mines, and minerals under or upon the said property or any adjoining lands of the vendor and to lay-down the surface of all or any part of the said property and any building under or hereafter to be erected thereon making fair compensation to the purchaser for damage done unto him thereby, subject to the payment of land revenue or other imposition payable or which may become lawfully payable in respect of the said property and to all public rights or easement affecting the same.

2. That notwithstanding execution of this Deed, use of the property in contravention of the provisions of Master Plan/Zonal Development Plan/Layout plan shall not be deemed to have been condoned in any manner and Delhi Development Authority shall be entitled to take appropriate action for contravention of Section 14 of Delhi Development Act or any other law for the time being in force.

3. The purchaser shall comply with the building, drainage and other byelaws of the appropriate Municipal or other authorities for the time being in force.

4. The said plot is allotted on the basis of 'as is' and the purchaser cannot make any alteration/addition/encroachment/unauthorized construction in or

1164 91/2006-3

around the same without written permission of Vendor (DDA) who may refuse or grant the same subject to such terms and conditions as deems proper.

All fees, taxes, charges, assessments, Municipal or otherwise and other levies of whatsoever nature shall be born by the allottee/purchaser.

5. If it is discovered at any stage that the allotment or this deed has been obtained by suppression of any fact or by any misstatement, misrepresentation or fraud, then this deed shall become void at the option of the vendor, which shall have the right to cancel this deed and forfeit the consideration paid by the purchaser. The decision of the vendor in this regard shall be final and binding upon the purchaser and shall not be called in question in any proceedings.

6. That the purchaser shall abide by the terms and conditions of allotment/auction/tender, which shall be treated as a part of these presents.

7. That the vendor reserves the right to cancel this deed in event of breach of conditions of allotment/auction/tender and of this deed.

8. The stamp duty and registration charges upon this instrument shall be borne by the purchaser.

This transfer shall be deemed to have come into force with effect from the date of registration of the deed.

In _____ witness _____ where _____ of _____ Shri/Smt _____

For and on behalf of and by the order and direction of the Vendor has hereunto set his/her hand Shri/Smt / M/S _____ the purchaser, the hereunto set his/her hand day and year first above written.

THIS SCHEDULE ABOVE REFERRED TO

All that _____ in the layout plan of and consisting of _____ sq.mtrs (Courtyard Area _____) or thereabouts bounded as follows.

NORTH
EAST
SOUTH
WEST

Signed by Shri/Smt. _____

for and on behalf of and by the order and direction of the President of India (vendor)

(VENDOR)

In the presence of:

(1) Shri/Smt.....
.....

Signed by Shri/Smt.....
.....

(PURCHASER)

In the presence of:

(1) Shri/Smt.....
(2) Shri/Smt.....

[F. No. K-20013/4/2006/DDVA]

P. K. PRADHAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published vide number G.S.R 872, dated the 26th September, 1981 and subsequently amended vide number (1) G.S.R. 97, dated the 27th January, 1989, (2) G.S.R. 677 (E), dated the 11th November, 1991, (3) G.S.R. 486(E), dated the 5th July, 2002, (4) G.S.R. 806 (E), dated the 3rd December, 2002, and (5) G.S.R. 801 (E), dated the 9th December, 2004.

(To be published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India)

Government of India
Ministry of Urban Development

Nirman Bhawan, New Delhi,
Dated the 20th June, 2006

Notification

डि. डि. डी. / संयुक्त एवं संयुक्त विभाग
D.D.A. / PABLI. & CO-ORDN. BRANCH
ऑफिस नं. / DIARY NO. 206
दिनांक / DATE 21/6/06

G. S. R. - In exercise of the powers conferred by sub-section(1), read with clause (g) of sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby nominates Dr. M.M. Kutty, Joint Secretary (Delhi & Lands), Ministry of Urban Development, as Member of the Delhi Development Authority with immediate effect.

(Parmjit Singh)
Desk Officer

(File No. K-11011/21/2004-DDIA)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri,
New Delhi.

Copy forwarded for information to :

1. The Secretary to Lt. Governor Delhi.
2. The Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
3. The Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan New Delhi.
4. The Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, IP Estate, New Delhi
5. The Engineer Member, DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
6. The Finance Member, DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
7. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi
9. Dr. M.M. Kutty, Joint Secretary (D&L), M/o UD, Nirman Bhawan, New Delhi.

Desk Officer

Copy also forwarded to PS to UDM/PS to MOS (UD)/Sr. PPS to Secretary (UD).

Desk Officer

DD (P&C)
20/6/06

21/6/06

AD (P&C)

Dr. Han Chuan
Asst. Secy
22/6



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515]

No. 515]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 20, 2006/वैशाख 30, 1928
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 20, 2006/VAISAKHA 30, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2006

का.आ. 777(अ).— यतः दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम 2006 (2006 का 22) (यहाँ इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा-3 के निबन्धनों के अनुसार अप्राधिकृत विकास की श्रेणियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी सभी नोटिस, मई, 2006 के 19वें दिन अर्थात् जिस तारीख से उक्त अधिनियम प्रवृत्त हुआ, से एक वर्ष की अवधि के लिये निलम्बित माने जायेंगे;

और यतः उक्त अधिनियम की धारा-3 के उपबंधों के निबन्धनों के अनुसार जनवरी, 2006 के प्रथम दिन को यथा मौजूद मास्टर प्लान से भिन्न मिश्रित भू-उपयोग के संबंध में परिसरों की सीलिंग और स्वीकृत योजनाओं, से परे निर्माण कार्यों को गिराने सहित द्राष्टिक कार्रवाई मई, 2006 के 19वें दिन से एक वर्ष के लिये निलम्बित रखी जायेगी।

अतः अब दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम 2006 (2006 का 22) की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों को एतद्वारा निम्नलिखित निर्देश देती है:

निर्देश

(1) किसी भी न्यायालय के निर्णय, आदेश अथवा डिक्री के अनुपालन में किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जनवरी, 2006 के प्रथम दिन के बाद सीलबंद किए गए परिसर मई, 2006 के 19वें दिन से एक वर्ष की अवधि के लिये जनवरी, 2006 के प्रथम दिन को प्रवृत्त स्थिति के अनुसार बहाल किए जाने के पात्र होंगे।

(2) All commercial establishments which are required to cease carrying out commercial activities at their premises by the 30th day of June, 2006, may continue such activities at such premises, as they were being carried out on the 1st day of January, 2006, for a period of one year, with effect from the 19th day of May, 2006.

(3) During the period of one year, with effect from the 19th day of May, 2006, action as per relevant laws shall continue to be taken by the local authorities in respect of the categories of unauthorized development, as specified in section 4 of the said Act and a monthly report of the action taken shall be sent to the Secretary, Ministry of Urban Development, New Delhi by the end of the first week of the succeeding month.

[F.No. K-12016/2/2006-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515]

No. 515]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 20, 2006/वैशाख 30, 1928
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 20, 2006/VAISAKHA 30, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अभिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2006

का.आ. 777(अ).— यतः दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम 2006 (2006 का 22) (यहाँ इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा-3 के निबन्धनों के अनुसार अप्राधिकृत विकास की श्रेणियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी सभी नोटिस, मई, 2006 के 19वें दिन अर्थात् जिस तारीख से उक्त अधिनियम प्रवृत्त हुआ, से एक वर्ष की अवधि के लिये निलम्बित माने जायेंगे;

और यतः उक्त अधिनियम की धारा-3 के उपबंधों के निबन्धनों के अनुसार जनवरी, 2006 के प्रथम दिन को यथा मौजूद मास्टर प्लान से भिन्न मिश्रित भू-उपयोग के संबंध में परिसरों की सीलिंग और स्वीकृत योजनाओं, से परे निर्माण कार्यों को गिराने सहित दायिद्विक कार्रवाई मई, 2006 के 19वें दिन से एक वर्ष के लिये निलम्बित रखी जायेगी।

अतः अब दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम 2006 (2006 का 22) की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों को एतद्वारा निम्नलिखित निर्देश देती है:

निर्देश

(1) किसी भी न्यायालय के निर्णय, आदेश अथवा डिक्री के अनुपालन में किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जनवरी, 2006 के प्रथम दिन के बाद सीलबंद किए गए परिसर मई, 2006 के 19वें दिन से एक वर्ष की अवधि के लिये जनवरी, 2006 के प्रथम दिन को प्रवृत्त स्थिति के अनुसार बहाल किए जाने के पात्र होंगे।

(2) सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जिन्हें जून, 2006 के 30वें दिन तक अपने परिसरों में वाणिज्यिक कार्यकलाप बन्द करना अपेक्षित है, मई, 2006 के 19वें दिन से एक वर्ष की अवधि के लिए अपने परिसरों में जनवरी, 2006 के प्रथम दिन की स्थिति के अनुसार ऐसे कार्यकलाप जारी रख सकेंगे।

(3) मई, 2006 के 19वें दिन से एक वर्ष की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा-4 में यथा निर्दिष्ट अप्राधिकृत विकास की श्रेणियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा संगत विधियों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी और की गई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट आगामी माह के प्रथम सप्ताह के अन्त तक सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजी जायेगी।

[फा. सं. के-12016/2/2006-डीडीआईबी]

एस. मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2006.

S.O. 777(E).— WHEREAS in terms of section 3 of the Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2006 (22 of 2006) (hereafter referred to as the said Act), all notices issued by the local authorities in respect of the categories of unauthorized development, shall be deemed to have been suspended for a period of one year with effect from the 19th day of May, 2006 that is the date on which the said Act came into force;

AND WHEREAS in terms of the provisions of section 3 of the said Act, punitive action, including sealing of premises in respect of mixed land use not conforming to the Master Plan and demolition of construction beyond sanctioned plans, as existed on the 1st day of January, 2006, shall be suspended for a period of one year with effect from the 19th day of May, 2006;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2006 (22 of 2006), the Central Government hereby issues the following directions to the local authorities to give effect to the provisions of the said Act, namely:-

DIRECTIONS

(1) The premises sealed by any local authority in pursuance of a judgment, order or decree of any court after the 1st day of January, 2006, shall be eligible to be restored, for a period of one year, with effect from the 19th day of May, 2006, to the position as was obtaining as on 1st day of January, 2006.

(2) All commercial establishments which are required to cease carrying out commercial activities at their premises by the 30th day of June, 2006, may continue such activities at such premises, as they were being carried out on the 1st day of January, 2006, for a period of one year, with effect from the 19th day of May, 2006.

(3) During the period of one year, with effect from the 19th day of May, 2006, action as per relevant laws shall continue to be taken by the local authorities in respect of the categories of unauthorized development, as specified in section 4 of the said Act and a monthly report of the action taken shall be sent to the Secretary, Ministry of Urban Development, New Delhi by the end of the first week of the succeeding month.

[F.No. K-12016/2/2006-DDIB]

S. MUKHERJEE, Under Secy.

(To be published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India)

Government of India
Ministry of Urban Development

Nirman Bhawan, New Delhi,
Dated the 20th June, 2006

Notification

दि. वि. प्र. / संसद एवं सामान्य विभाग
DDA / PABLT & CO-ORDN. BRANCH
पार्लो रं. / DIARY NO. 206
दिनांक / DATE 21/6/06

G. S. R. - In exercise of the powers conferred by sub-section(1), read with clause (g) of sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government hereby nominates Dr. M.M. Kutty, Joint Secretary (Delhi & Lands), Ministry of Urban Development, as Member of the Delhi Development Authority with immediate effect.

(Parmjit Singh)
Desk Officer

(File No. K-11011/21/2004-DDIA)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri,
New Delhi.

Copy forwarded for information to :

1. The Secretary to Lt. Governor Delhi.
2. The Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
3. The Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan New Delhi.
4. The Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, IP Estate, New Delhi
5. The Engineer Member, DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
6. The Finance Member, DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
7. The Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. The Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi
9. Dr. M.M. Kutty, Joint Secretary (D&L), M/o UD, Nirman Bhawan, New Delhi.

Desk Officer

Copy also forwarded to PS to UDM/PS to MOS (UD)/Sr. PPS to Secretary (UD).

Desk Officer

DD (Sec)
21/6

21/6/06

AD (Sec)

Dr. M.M. Kutty
Joint Secy
21/6



No. K-20013/4/2006-DDVA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Dated the 16th May, 2006.

OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Laying of Amendments to Delhi Development Authority
(Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981.**

The undersigned is directed to state that as per the provisions laid down under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Gazette Notification containing the Amendment of Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981 is required to be laid on the Table of both the Houses of Parliament.

2. Accordingly, a copy of the notification (bilingual) duly authenticated by the Minister for Urban Development is sent herewith together with the prescribed proforma and the requisite number of copies (41 copies) for laying the same on the Table of the Lok Sabha/Rajya Sabha.

(**Prem Kumar**)

Under Secretary to the Govt. of India

☎ # 2306 1478

Encl: As above.

To

The Rajya Sabha Secretariat
(Committee Sec.I),
529, Parliament House Annexe,
New Delhi.

Copy, in continuation of OM dated 15.5.2006 ,for information to:

1. PS to UDM
2. Under Secretary (Parliament), MoUD, New Delhi.
3. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110 023.

(**Prem Kumar**)
Under Secretary

**PROFORMA TO BE ATTACHED TO THE O.M. FORWARDING PAPERS
TO BE LAID ON THE TABLE OF RAJYA SABHA**

1. Brief purport of the matter /the notification covers or papers to be laid on the Table.	: Amendment of Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981.
2. Statutory or other requirement under which the paper is to be laid on the Table.	
i) in the case of Central Govt. notification name of the Act and Section which provides for laying should be clearly stated.	: Under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957 every rule/regulations made under this Act is to be laid before each House of Parliament.
ii) in the case of State Government notification the laying provision in the State Act should be reproduced.	: Not applicable.
3. Whether published in the Gazette and if so,	: Yes
i) GSR/S.O./S.R.O. number of notification published in the Gazette.	: G.S.R. 220(E)
ii) Date and part Section of the Gazette.	: 19 th April, 2006, Part II- Section 3 Sub-section (i)
4. Whether subject to modification by the House.	: Yes.
5. Period specified in the Principal Act by which it is required to be laid.	: 30 days.
6. Whether it has been previously laid on the Table of the Rajya Sabha / Lok Sabha and if so, on what date.	: No.
7. Whether English and Hindi versions are being laid together? If not, the date on which the English version was laid.	: Yes.
8. Date on which proposed to be laid on the Table.	: On 22 nd May, 2006.

No.K-11011/19/2006-DDIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi -110 011.
Dated the 15th May, 2006


OFFICE MEMORANDUM

Subject: Recruitment Regulations for various posts in DDA – Laying thereof on the Table of both Houses of Parliament.

The undersigned is directed to state that as per the provisions laid down under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), every Rule/Regulation made under the said Act is to be laid on the Table of both Houses of Parliament.

2. Accordingly, one copy of the Gazette Notification dated 8.12.2005 (both, Hindi and English versions) amending the Recruitment Regulations for the posts of Stenographer, Sr. Stenographer, LDC-cum-Typist (Hindi/English), Upper Division Clerk, Assistant, Welfare/Personnel Inspector, Manager (Sports), Assistant Manager (Sports), Games Supervisor and Games Attendant in DDA, duly authenticated by the Minister for Urban Development is sent herewith, together with the prescribed proforma and the requisite number of copies, (41 copies) for laying the same on the Table of the Lok Sabha/Rajya Sabha.

Encl. : As above.



Parmjit Singh
Desk Officer(DDIA)
Telefax:23061478


548. AD/MC
17/5/06 To
1. The Lok Sabha Sectt., (Distribution Branch), Parliament House Annexe, New Delhi.
 2. The Rajya Sabha Sectt. (Table Office), 529, Parliament House Annexe, New Delhi.

Copy for information to:

1. PS to UDM.
2. The Under Secretary (Parliament), Ministry of UD, New Delhi.
3. The Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
4. The Commissioner (Personnel), DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.


Desk Officer


Asst. Secy
17/5


16/5/2006
DDIA (4c)
AD (MC)

PROFORMA TO BE ATTACHED TO THE O.M. FORWARDING PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF RAJYA SABHA/LOK SABHA.

1. Brief purport of the matter the notification covers or papers to be laid on the Table.	Amendment to Recruitment Regulations for the posts of Stenographer, Sr. Stenographer, LDC-cum-Typist (Hindi/English), Upper Division Clerk, Assistant, Welfare/Personnel Inspector, Manager (Sports), Assistant Manager (Sports), Games Supervisor and Games Attendant in Delhi Development Authority (DDA).
2. Statutory or other requirement under which the paper is to be laid on the Table. i) In the case of Central Govt. Notification name of the Act and section which provides for laying should be clearly stated. ii) In the case of State Govt. Notification the laying provision in the State Act should be reproduced.	Under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957, every rule/regulation made under this Act is to be laid before each of House of Parliament for a total period of 30 days which may be comprised in one or two sessions or in two or more successive sessions.
3. Whether published in the Gazette and if so, i) GSR/S.O./S.R.O. number of notification published in the Gazette. ii) Date and part section of the Gazette. * Whether subject to modification by the House. * Period specified in the principal Act which it is required to be laid.	Yes. GSR 712(E) 8 th December, 2005, Part II Section-3, Sub-Section (i). Yes. 30 days.
* Whether it has been previously laid on the Table of the Rajya Sabha and if so, on what date. * Whether English and Hindi versions are being laid together? If not the date on which the English versions was laid. * Date on which proposed to be laid on the Table.	No. Yes. On any day allotted to this Ministry.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2005/अग्रहायण 17, 1927

No. 502]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2005/AGRAHAYANA 17, 1927

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा—तृतीय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2005

सा.का.नि. 712(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास (विविध) नियम, 1959 के नियम (4) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दि.वि.प्रा. में आशुलिपिक, वरिष्ठ, आशुलिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक एवं टंकक (हिन्दी/अंग्रेजी), उच्च श्रेणी लिपिक, सहायक, कल्याण/कार्मिक निरीक्षक, प्रबंधक (खेल), सहायक प्रबंधक (खेल), खेल पर्यवेक्षक एवं खेल परिचर के पदों के भर्ती विनियमों में संशोधन करता है, जो कि अधिसूचना संख्या 412 दिनांक 23-9-2005 के द्वारा अधिसूचित किए गए थे। संशोधित भर्ती विनियम निम्नानुसार हैं :—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रवर्तन:-

- (i) इन विनियमों को जैसाकि नीचे अनुसूची में दिया गया है, आशुलिपिक, वरिष्ठ आशुलिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक/टंकक (हिन्दी/अंग्रेजी), उच्च श्रेणी लिपिक, सहायक, कल्याण/कार्मिक निरीक्षक, प्रबंधक (खेल), सहायक प्रबंधक (खेल), खेल पर्यवेक्षक एवं खेल परिचर, के भर्ती विनियम दिल्ली विकास प्राधिकरण 2005 (संशोधित) कहा जाएगा
- (ii) ये विनियम दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इनके अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. निरर्हता:- कोई भी ऐसा व्यक्ति

- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा
- (ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो,

उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्र सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।

3. शिथिल करने की शक्ति :-

जब अध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी वर्ग अथवा व्यक्तियों की श्रेणी या पद के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

4. बचाव :-

इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

अनुसूची

दिल्ली विकास प्राधिकरण में आशुलिपिक के पद हेतु भर्ती विनियम

1. पद का नाम : आशुलिपिक

2. पदों की संख्या : 153 (समय-समय पर परिवर्तनीय)

3. वर्गीकरण : समूह 'ग'

4. वेतनमान : 4000-100-6000/-रु.

5. क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है : अचयन

6.(क) सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा : 18 से 30वर्ष

(ख) क्या सी.सी.एस.(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा के किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है : लागू नहीं

7. सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं :

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से सीनियर सेकेंड्री प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष।
- (2) आशुलिपि एवं टंकण में दक्षता तथा आशुलिपि में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट एवं टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए।

वांछनीय:- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कार्यालय प्रबंध और सचिवालय पद्धति में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी।

8. पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के मामले : लागू नहीं
में क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं
शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी
9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई है : 2 (दो) वर्ष
10. भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा
सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा
स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों
की प्रतिशतता द्वारा
11. पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा : लागू नहीं
भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/
स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है।
12. यदि, विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका : समूह 'ग' अधिकारियों की कनिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति
गठन क्या है समिति:-
1. निदेशक (कार्मिक) : अध्यक्ष
2. संयुक्त/उप मुख्य लेखा अधिकारी : सदस्य
3. संयुक्त/उप निदेशक (कार्मिक)-3 : सदस्य
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के : सदस्य जो उपाध्यक्ष,
प्रतिनिधि दि.वि.प्रा. द्वारा मनोनीत
किया जाएगा
5. संयुक्त/उप निदेशक (गोपनीय) : सदस्य सचिव

दिल्ली विकास प्राधिकरण में वरिष्ठ आशुलिपिक के पद हेतु भर्ती विनियम

1. पद का नाम : वरिष्ठ आशुलिपिक
2. पदों की संख्या : 274 (समय-समय पर परिवर्तनीय)
3. वर्गीकरण : समूह 'ग'
4. वेतनमान : 5500-175-9000/-रु.
5. क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है : चयन

6. (क) सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा : लागू नहीं
- (ख) क्या सी.सी.एस.(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा के किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है। : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं : लागू नहीं
8. पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के मामले में क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी : लागू नहीं
9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई है : 2 (दो) वर्ष
10. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा
सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा 1. 50% पदोन्नति द्वारा
स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और 2. 50% विभागीय परीक्षा द्वारा
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता द्वारा
11. पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा भर्ती के मामले में वह ग्रेड-जिससे पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है। : 1. 5वर्ष की सेवा वाले आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा 50
2. 3वर्ष की सेवा वाले आशुलिपिकों में से विभागीय परीक्षा द्वारा 50%
12. यदि, विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका गठन क्या है : समूह 'ग' अधिकारियों की कनिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति:-
1. निदेशक (कार्मिक) : अध्यक्ष
2. संयुक्त/उप मुख्य लेखा अधिकारी : सदस्य
3. संयुक्त/उप निदेशक (कार्मिक)-3 : सदस्य
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि : सदस्य जो उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. द्वारा मनोर्न किया जाएगा
5. संयुक्त/उप निदेशक (गोपनीय) : सदस्य सचिव

दिल्ली विकास प्राधिकरण में निम्न श्रेणी लिपिक एवं टंकक (हिन्दी/अंग्रेजी) के पद हेतु भर्ती विनियम

1. पद का नाम : निम्न श्रेणी लिपिक एवं टंकक (हिन्दी/अंग्रेजी)
2. पदों की संख्या : 1254 (समय-समय पर परिवर्तनीय)
3. वर्गीकरण : समूह 'ग'
4. वेतनमान : 3050-75-3950-80-4590/-रु.
5. क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है : अचयन
6. (क) सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा : 18-25 वर्ष (भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों के लिए 35वर्ष तक शिथिलनीय)
- (ख) क्या सी.सी.एस.(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा के किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं :
 - (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कुल मिलाकर 60 प्रतिशत अंक सहित मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए अथवा समकक्ष ।
 - (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा (कम से कम द्वितीय श्रेणी में) उत्तीर्ण होने चाहिए अथवा समकक्ष

उन्हें अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ।
8. पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के मामले :

में क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी	(क) आयु	: नहीं	(ख) योग्यता	: हां
	(ग) श्रेणी	: नहीं		
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है : 2 (दो) वर्ष
10. भर्ती की पद्धति : 75% सीधी भर्ती द्वारा (50% नि.श्रे.लि. एवं अंग्रेजी टंकक सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता : 25% नि.श्रे.लि. एवं हिन्दी टंकक) 25% समूह 'घ' के नियमित कर्मचारियों में से 15% सामान्य परीक्षा द्वारा और 10% वरिष्ठता एवं उपयुक्तता पद्धति द्वारा ।

11. यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा : उपरोक्तानुसार
की जानी है तो वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/
स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है ।
12. यदि, विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका : समूह 'ग' अधिकारियों की कनिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति
गठन क्या है समिति:-
1. निदेशक (कार्मिक) : अध्यक्ष
 2. संयुक्त/उप मुख्य लेखा अधिकारी : सदस्य
 3. संयुक्त/उप निदेशक (कार्मिक)-3 : सदस्य
 4. अनुसूचित जाति/जनजाति के : सदस्य जो उपाध्यक्ष,
प्रतिनिधि दि.वि.प्रा. द्वारा मनोनीत
किया जाएगा
 5. संयुक्त/उप निदेशक (गोपनीय) : सदस्य सचिव

दिल्ली विकास प्राधिकरण में उच्च श्रेणी लिपिक के पद हेतु भर्ती विनियम

1. पद का नाम : उच्च श्रेणी लिपिक
2. पदों की संख्या : 1253 (समय-समय पर परिवर्तनीय)
3. वर्गीकरण : समूह 'ग'
4. वेतनमान : 4000-100-6000/-रु.
5. क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है : अचयन
6. (क) सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा : लागू नहीं
- (ख) क्या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के : लागू नहीं
नियम 30 के अन्तर्गत सेवा के किसी
वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है ।
7. सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं : लागू नहीं
अन्य योग्यताएं
8. पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के मामले : लागू नहीं
में क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं
शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी
9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई है : 2 (दो) वर्ष

10. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा
सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा 1. 75% पदोन्नति द्वारा
स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और 2. 25% विभागीय परीक्षा द्वारा
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों
की प्रतिशतता द्वारा
11. यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा : 1. 8वर्ष की सेवा वाले निम्न श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति
की जानी है तो वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/ द्वारा 75%
स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है । 2. 5वर्ष की सेवा वाले निम्न श्रेणी लिपिकों में से विभागीय
परीक्षा द्वारा 25%
12. यदि, विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका : समूह 'ग' अधिकारियों की कनिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति
गठन क्या है समिति:-
1. निदेशक (कार्मिक) : अध्यक्ष
2. संयुक्त/उप मुख्य लेखा अधिकारी : सदस्य
3. संयुक्त/उप निदेशक (कार्मिक)-3 : सदस्य
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के : सदस्य जो उपाध्यक्ष,
प्रतिनिधि दि. वि. प्रा. द्वारा मनोनीत
किया जाएगा
5. संयुक्त/उप निदेशक (गोपनीय) : सदस्य सचिव

दिल्ली विकास प्राधिकरण में सहायक के पद हेतु भर्ती विनियम

1. पद का नाम : सहायक
2. पदों की संख्या : 417 (समय-समय पर परिवर्तनीय)
3. वर्गीकरण : समूह 'ग'
4. वेतनमान : 5500-175-9000/-रु.
5. क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है : अचयन
6. (क) सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा : लागू नहीं
(ख) क्या सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के : लागू नहीं
नियम 30 के अन्तर्गत सेवा के किसी
वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है ।
7. सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं : लागू नहीं
अन्य योग्ताएं

8. पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के मामले : लागू नहीं
में क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं
शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी
9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई है : 2 (दो) वर्ष
10. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा
सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा 1. 50% पदोन्नति द्वारा
स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और 2. 50% विभागीय परीक्षा द्वारा
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों
की प्रतिशतता द्वारा
11. यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा : 1. 50% पद ऐसे उच्च श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा
की जानी है तो वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/ भरे जाएंगे, जो 5वर्ष की सेवा रखते हों ।
स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है । 2. 50% पद ऐसे उच्च श्रेणी लिपिकों में से विभागीय परीक्षा
द्वारा भरे जाएंगे जो 5वर्ष की सेवा रखते हों ।
12. यदि, विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका : समूह 'ग' अधिकारियों की कनिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति
गठन क्या है समिति:-
1. निदेशक (कार्मिक) : अध्यक्ष
2. संयुक्त/उप मुख्य लेखा अधिकारी : सदस्य
3. संयुक्त/उप निदेशक (कार्मिक)-3 : सदस्य
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के : सदस्य जो उपाध्यक्ष,
प्रतिनिधि दि.वि.प्रा. द्वारा मनोनीत
किया जाएगा
5. संयुक्त/उप निदेशक (गोपनीय) : सदस्य सचिव

दिल्ली विकास प्राधिकरण में कल्याण/कार्मिक निरीक्षक के पद हेतु भर्ती विनियम

1. पद का नाम : कल्याण/कार्मिक निरीक्षक
2. पदों की संख्या : 15 (समय-समय पर परिवर्तनीय)
3. वर्गीकरण : समूह 'ग'
4. वेतनमान : 5500-175-9000/-रु.
5. क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है : चयन

6. (क) सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा : लागू नहीं
- (ख) क्या सी.सी.एस.(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा के किसी वर्ष को जोड़ने का लाभ अनुमेय है। : लागू नहीं
7. सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं : लागू नहीं
8. पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के मामले में क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी : लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है : 2 (दो) वर्ष
10. भर्ती की पद्धति : पदोन्नति द्वारा
सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता द्वारा
11. यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है। : सीमित विभागीय परीक्षा और उसके पश्चात् साक्षात्कार के द्वारा 5वर्ष की नियमित सेवा के साथ 4000-100-6000/- रु. के वेतनमान में उच्च श्रेणी लिपिक/कानूनगों/आशुलिपिक और 4500-125-7000/-रु. के वेतनमान में नायब तहसीलदार पदों के कर्मचारी।
12. यदि, विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका गठन क्या है : समूह 'ग' अधिकारियों की कनिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति:-
1. निदेशक (कार्मिक) : अध्यक्ष
2. संयुक्त/उप मुख्य लेखा अधिकारी : सदस्य
3. संयुक्त/उप निदेशक (कार्मिक)-3 : सदस्य
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि : सदस्य जो उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. द्वारा मनोनीत किया जाएगा
5. संयुक्त/उप निदेशक (गोपनीय) : सदस्य सचिव

दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रबन्धक (खेल) के पद हेतु भर्ती विनियम

1. पद का नाम : प्रबन्धक (खेल)
2. पदों की संख्या : 13 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)
3. वर्गीकरण : समूह 'ख' (अराजपत्रित)
4. वेतनमान : 5500-175-9000/-रु.
5. क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है : चयन
6. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा : लागू नहीं
7. शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं : 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
2. वांछनीय:- खेलों का समुचित ज्ञान तथा रुचि रखते हों और खेलों में भाग लिया हो/शामिल हुए हों।
8. क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी : लागू नहीं
9. भर्ती की पद्धति : दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियमित संवर्ग में कार्यरत उन सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा कर्मचारियों में से चयन द्वारा जिन्होंने 5500-9000/-रु. के स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और वेतनमान में कम से कम 3वर्षों की अथवा 5000-8000/-रु. विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों अथवा 4500-7000/-रु. के वेतनमान में 5वर्ष की सेवा की हो की प्रतिशतता
10. यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है : उक्त के समान
11. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका गठन क्या है : समूह 'ख' अधिकारियों की कनिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति:-
 1. आयुक्त (कार्मिक) : अध्यक्ष
 2. निदेशक(कार्मिक) : सदस्य सचिव
 3. किसी अन्य विभाग का निदेशक पद के स्तर का प्रतिनिधि : सदस्य, उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा. द्वारा मनोनीत किया जाएगा
 4. विभागाध्यक्ष : सहयोजित-सदस्य
 5. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि : सदस्य, उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा. द्वारा मनोनीत किया जाएगा

दिल्ली विकास प्राधिकरण में सहायक प्रबंधक (खेल) के पद हेतु भर्ती विनियम

1. पद का नाम : सहायक प्रबंधक (खेल)
2. पदों की संख्या : 26 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)
3. वर्गीकरण : समूह 'ग'
4. वेतनमान : 4500-125-7000/-रु.
5. क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है : चयन
6. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा : लागू नहीं
7. शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं : 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से हायर सैकेण्ड्री 10+2 या समकक्ष
वाछनीय:-
खेलों का समुचित ज्ञान तथा रुचि रखते हो और खेलों में भाग लिया हो/शाभिल हुए हों।
8. क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी : लागू नहीं
9. भर्ती की पद्धति:- : दि.वि.प्रा. के नियमित संवर्ग में कार्यरत उन कर्मचारियों में से सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा चयन द्वारा जिन्होंने 4500-7000/-रु.के वेतनमान में न्यूनतम स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा 3वर्ष की सेवा की हो अथवा 4000-6000/-रु.के वेतनमान में और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली 5वर्ष सेवा की हो।
रिक्तियों की प्रतिशतता
10. यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है। : उक्त के समान
11. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका गठन क्या है : समूह 'ग' अधिकारियों की कनिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति:-
1. निदेशक (कार्मिक) : अध्यक्ष
2. संयुक्त/उप मुख्य लेखा अधिकारी : सदस्य
3. संयुक्त/उप निदेशक (कार्मिक) -3 : सदस्य
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि : सदस्य उपाध्यक्ष,
दि.वि.प्रा. द्वारा मनोनीत किया जाएगा
5. संयुक्त/उप निदेशक (गोपनीय) : सदस्य सचिव

दिल्ली विकास प्राधिकरण में खेल पर्यवेक्षक के पद हेतु भर्ती विनियम

1. पद का नाम : खेल पर्यवेक्षक
2. पदों की संख्या : 52 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)
3. वर्गीकरण : समूह 'ग'
4. वेतनमान : 4000-100-6000/-रु.
5. क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है : चयन
6. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा : लागू नहीं
7. शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं : 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से हायर सैकेण्ड्री 10+2 या समकक्ष
वाछंतीय:-
खेलों का समुचित ज्ञान हो और रुचि रखते हो और खेलों में भाग लिया हो ।
8. क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी : लागू नहीं
9. भर्ती की पद्धति:- : दि.वि.प्रा. के नियमित संवर्ग या वर्कजार्च संस्थापना के केवल सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता : उन कर्मचारियों में से चयन द्वारा जिन्होंने 4000-6000/-रु. के वेतनमान में न्यूनतम 3वर्ष की सेवा की हो या 3050-4590 के वेतनमान में 5वर्ष सेवा की हो ।
10. यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जानी है तो वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है : उक्त के समान
11. यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका गठन क्या है : समूह 'ग' अधिकारियों की कनिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति:-
1. निदेशक (कार्मिक) : अध्यक्ष
2. संयुक्त/उप मुख्य लेखा अधिकारी : सदस्य
3. संयुक्त/उप निदेशक (कार्मिक)-3 : सदस्य
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि : सदस्य उपाध्यक्ष,
दि.वि.प्रा. द्वारा मनोनीत किया जाएगा
5. संयुक्त/उप निदेशक (गोपनीय) : सदस्य सचिव

दिल्ली विकास प्राधिकरण में खेल परिचर के पद हेतु भर्ती विनियम

1. पद का नाम : खेल परिचर
2. पदों की संख्या : 104 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)
3. वर्गीकरण : समूह 'घ'
4. वेतनमान : 2650-4000/-रु.
5. क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है : अचयन
6. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा : कोई आयु सीमा लागू नहीं
7. शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं : 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो या समकक्ष
वाछनीय:-
खेल परिसरों में न्यूनतम 2-3 वर्ष कार्य कर चुके/कार्य कर रहे व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी
8. क्या पदोन्नत एवं प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएं लागू होंगी : लागू नहीं
9. भर्ती की पद्धति:- : दि.वि.प्रा. के नियमित संवर्ग या वर्कचार्ज संस्थापना में 2650-सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा 4000/-रु. 2610-3540/- एवं 2550-3200/-रु. वेतनमान स्थानान्तरण द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा में और विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कर्मचारियों में से चयन/और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली स्थानान्तरण द्वारा रिक्तियों की प्रतिशतता
10. यदि भर्ती पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा : उक्त के समान की जानी है तो वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की जानी है ।
11. यदि, विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका गठन क्या है : समूह 'ग' अधिकारियों की कनिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति:-
1. निदेशक (कार्मिक) : अध्यक्ष
2. संयुक्त/उप मुख्य लेखा अधिकारी : सदस्य

3. संयुक्त/उप निदेशक (कार्मिक) -3 : सदस्य
 4. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधि : सदस्य उपाध्यक्ष,
 दि.वि.प्रा. द्वारा मनोनीत
 किया जाएगा
 5. संयुक्त/उप निदेशक (गोपनीय) : सदस्य सचिव

[सं. एफ.-6(15)/2000/का.शा.-III]
 बी. एम. बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Personnel Branch—III)
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2005

G.S.R. 712(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with Rule (4) of the Delhi Development (Misc.) Rules, 1959, and in supersession of the Recruitment Regulations notified *vide* Notification No. 412 dated 23-9-2005, the Delhi Development Authority, with the previous approval of Central Government, hereby makes the following Regulations regulating the method of recruitment to the posts of Stenographers, Sr. Stenographers, LDC-cum-Typist (Hindi/English), Upper Division Clerk, Assistants, Welfare/Personnel Inspector, Manager (Sports), Assistant Manager (Sports), Games Supervisor and Games Attendant in the DDA.

1. Short title and commencement:-

- (i) These Regulations as given in the schedule placed below may be called the "Recruitment Regulations of stenographers, Sr. Stenographers, LDC-cum-Typist (Hindi/English) Upper Division Clerks, Assistants, Welfare/Personnel Inspector, Manager (Sports), Assistant Manager (Sports), Game Supervisor, and Games Attendant, Delhi Development Authority, 2005 (Revised).
- (ii) These Regulations shall come into force with effect from the dates of their approval by the Delhi Development Authority.

2. Disqualification- No person

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to any of the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

3. Power to relax:

Where the Chairman, Delhi Development Authority, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

4. Saving:

Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Casts, the Scheduled Tribes, the other Backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE**RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF STENOGRAPHER IN
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

1. Name of the Post : STENOGRAPHER
2. No. of Posts : 153(subject to variation from time to time)
3. Classification : Group 'C'
4. Scale of Pay : Rs.4000-100-6000/-
5. Whether selection post or non-selection post : Non- Selection
6. a) Age limit for direct recruits : 18-30 years
b) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension Rules, 1972 : Not applicable
7. Educational and other qualifications
 - i) Senior Secondary certificates or equivalent required for direct recruits. from a recognized Board/University
 - ii) Proficiency in shorthand and typing, having at least a speed of 80 w.p.m. in shorthand and 40 w.p.m. in typing.

Desirable

Preference to be given to such persons who have acquired diploma in office Management & Secretarial Practice from any recognized institution.

8. Whether age & qualification prescribed: NA
for the direct recruits will apply in the
case of promotees and deputationists.
9. Period of probation, if any : 2(Two) years.
10. Method of recruitment, whether by : Through Direct Recruitment.
direct recruitment or by promotion
or transfer or by deputation and
percentage of vacancies to be filled
by various methods.
11. In case of recruitment by promotion/ : NA
transfer/deputation, grades from which
promotion/transfer/deputation is to be
made.
12. If a DPC exists what is its composition: Junior Level DPC for Group 'C' Officers
- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Director (P) | : Chairman |
| 2. Jt./Dy.CAO | : Member |
| 3. JD/DD(P)3 | : Member |
| 4. Representative of
SC/ST | : Member to be
Nominated by VC,DDA |
| 5. JD/DD(CR) | : Member Secretary |

**RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF SENIOR
STENOGRAPHER IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

1. Name of Post : **SENIOR STENOGRAPHER**
2. Number of post : 274 (subject to variation from time to time).
3. Classification : Group 'C'
4. Scale of pay : Rs.5500-175-9000/-
5. Whether selection or non-
selection post. : Selection
6. a) Age limit for direct recruits : Not applicable
- b) Whether benefit of added years
of service admissible under Rule-
30 of CCS(Pension)Rules, 1972. : Not applicable
7. Education and other qualifications
required for direct recruits. : Not applicable

8. Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists. : Not applicable
9. Period of probation, if any. : 2 years
10. Method of recruitments, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation & percentage of vacancies to be filled by various methods. : By promotion
i) 50% by promotion
ii) 50% through departmental Examination
11. In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation, grades from which promotion/transfer on deputation is to be made. : i) 50% by way of promotion from Stenographers with 5 years of service.
ii) 50% through departmental examination from Stenographers with 3 years of service.
12. If a DPC exists what is its composition. : Junior Level DPC for Group 'C' Officers
1. Director(P) : Chairman
2. Jt./Dy.CAO : Member
3. JD/DD(P)3 : Member
4. Representative of SC/ST : Member to be Nominated by VC, DDA
5. JD/DD(CR) : Member-Secretary

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF LDC(ENGLISH)
IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

1. Name of the Post : LDC-cum-Typist (English/Hindi)
2. Number of posts : 1254 (subject to variation from time to time.)
3. Classification : Group 'C'.
4. Scale of pay : Rs.3050-75-3950-80-4590/-
5. Whether selection or non-selection post: Non-selection.
6. a) Age limit for direct recruits : 18-25 years(relaxable for Govt.employees and employees of the DDA up to 35 years in accordance with the instructions issued by Govt. of India.

353061/CS-3

b). Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS(Pension)Rules, 1972 : No

7. Educational and other qualifications required for direct recruits. : Should have passed Matriculation examination with aggregate 60% marks or equivalent from a recognized Board or equivalent.

OR

Should have passed Graduation(atleast 2nd Division) from a recognized University or equivalent.

Should know typing at the speed 30 w.p.m. in English or 25 w.p.m. in Hindi.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationist. : a) Age - No
b) qualification - Yes
c) Division - No

9. Period of probation, if any. : 2 years.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation & percentage of the vacancies to be filled by various methods. : 75% by direct recruitment(50% LDC-cum-English Typists & 25% LDC-cum-Hindi Typist.)
25% promotion from regular Group 'D' employees (15% by simple test and 10% by seniority-cum-fitness).

11. In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation, grades from which promotion/transfer deputation is to be made. : As above.

12. If a DPC exists what is its composition: Junior Level DPC for Group 'C' Officers

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Director(P) | : Chairman |
| 2. Jt./Py.CAO | : Member |
| 3. JD/DD(P)3 | : Member |
| 4. Representative of SC/ST | : Member to be Nominated by VC,DDA |
| 5. JD/DD(CR) | : Member-secretary |

**RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF
UPPER DIVISION CLERK IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY.**

1. Name of the post : **UPPER DIVISION CLERK**
2. No. of posts : 1253 (subject to variation from time to time).
3. Classification : Group 'C'
4. Scale of pay : Rs.4000-100-6000/-
5. Whether selection post or non-selection post. : Non-Selection
- 6.a) Age limit for direct recruitment. : Not applicable
- b) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule-30 of CCS(Pension) Rules, 1972. : Not applicable
7. Educational and other qualifications required for direct recruits. : Not applicable
8. Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists. : Not applicable
9. Period of probation, if any. : Two years
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods. : By promotion.
i) 75% by promotion
ii) 25% by departmental exam.
11. In case of recruitment by promotion/transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made. : i) 75% by way of promotion from LDCs with 8 years of service.
ii) 25% through departmental examination from LDCs with 5 years service.
12. If a DPC exists what is its composition: Junior Level DPC for Group 'C' Officers
 1. Director(P) : Chairman
 2. Jt./Dy.CAO : Member
 3. JD/DD(P)3 : Member
 4. Representative of SC/ST : Member to be Nominated by VC,DDA
 5. JD/DD(CR) : Member-secretary

35306E-4

RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF ASSISTANT IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

1. Name of the post : ASSISTANT
2. No. of posts : 417 (subject to variation from time to time).
3. Classification : Group 'C'
4. Scale of pay : Rs.5500-175-9000/-
5. Whether selection post or non-selection post. : Non-selection
- 6.a) Age limit for direct recruitment. : Not applicable
- b) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule-30 of CCS(Pension) Rules, 1972. : Not applicable
7. Educational and other qualifications required for direct recruits. : Not applicable
8. Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists. : Not applicable
9. Period of probation, if any. : Two years
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer, percentage of the vacancies to be filled by various methods. : By promotion
 - i) 50 % by promotion
 - ii) 50% by way of departmental examination
11. In case of recruitment by promotion/transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made. :
 - i) 50% by way of promotion from UDCs having 5 years of service.
 - ii) 50% by way of departmental examination from UDCs with 5 years service.
12. If a DPC exists what is its composition: Junior Level DPC for Group 'C' Officers

1. Director(P)	: Chairman
2. Jt./Dy.CAO	: Member
3. JD/DD(P)3	: Member
4. Representative of SC/ST	: Member to be Nominated by VC,DDA
5. JD/DD(CR)	: Member-secretary

**RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF
WELFARE/PERSONNEL INSPECTOR/ IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

1. Name of the post : Welfare/Personnel Inspector
2. No. of posts : 15
3. Classification : Group 'C'
4. Scale of pay : Rs.5500-175-9000/-
5. Whether selection post or non-selection post. : Selection
6. Age limit for direct recruitment : Not applicable
- b) Whether benefit of any added years of service admissible under Rule 30 of CCS(Pension)Rules, 1972. : Not applicable
7. Educational and other qualifications : Not applicable
8. Whether the age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists. : Not applicable
9. Period of probation, if any : Two years
10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer percentage of the vacancies to be filled by various methods. : By promotion
11. In case of recruitment by promotion/transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made. : UDCs/Kanoongos/Stenos in the scale of Rs.4000-100-6000/- & Naib-Teh. in the scale of Rs.4500-125-7000/- with 5 years regular service in the grade through limited Deptt. Test and interview thereof.
12. If a DPC exists what is its composition : Jr.Level DPC for Group 'C' officers.
 1. Director(P) : Chairman
 2. Jt/Dy. CAO : Member
 3. JD/DD(P)3 : Member
 4. Representative of SC/ST : Member to be Nominated by VC,DDA.
 5. JD/DD(CR) : Member-secretary

RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF MANAGER(SPORTS) IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

1. Name of the post : Manager (Sports)
2. No. of posts : 13 (subject to variation from time to time).
3. Classification : Group 'B' (Non- Gazetted)
4. Scale of pay : Rs.5500-175-9000/-
5. Whether selection post or non-selection post. : Selection
6. Age limit for direct recruitment. : Not applicable
7. Educational and other qualifications : (i) Graduate from Recognized University
(ii) Desirable: Should have reasonable knowledge & Interest in sports and played/involved in the field of sports
8. Whether age & qualifications prescribed for the direct Recruit will apply in the case of promotees and deputationist : N.A
9. Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods. : By selection from officials working in the regular cadres of DDA only who have put in minimum 3 years service in the pay scale of Rs.5500-9000 or 5 years in the pay scale of Rs.5000-8000 or Rs.4500-7000.
10. In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made. : Same as above
11. If a DPC exists what is its composition: Sr Level DPC for Group 'B' officers :
 1. Commr.(P) : Chairman
 2. Director(P) : Member Secretary
 3. Representative of other deptt. of the level of Director : Member to be nominated by VC,DDA
 4. Head of the Deptt. : Member to be Co-opted.
 5. Representative of SC/ST : Member to be Nominated by VC,DDA

**RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF
ASSISTANT MANAGER(SPORTS) IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

1. Name of the post : Assistant Manager (Sports)
2. No. of posts : 26 (subject to variation dependant on work load).
3. Classification : Group 'C'
4. Scale of pay : Rs.4500-125-7000/-
5. Whether selection post or non-selection post. : Selection
6. Age limit for direct recruitment. : Not applicable
7. Educational and other qualifications : (i) Higher Secondary/10+2 from a recognized Board/University or equivalent.
(ii) Desirable:
Should have reasonable knowledge & Interest in sports and played/ involved in the field of sports.
8. Whether age & qualifications prescribed for the direct Recruit will apply in the case of promotees and deputationist : N.A
9. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods. : By selection from officials working in the regular cadre of DDA only who have put in minimum 3 years service in the pay scale of Rs.4500-7000 or 5 years service in the pay scale of Rs.4000-6000.
10. In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made. : Same as above
11. If a DPC exists what is its composition: Junior level DPC for Group 'C' officers
 - (i) Director(Personnel) : Chairman
 - (ii) Jt./Dy.CAO : Member
 - (iii) Jt./Dy.Dir.(P)III : Member
 - (iv) Representation of : Member to be nominated by the VC, DDA
 - SC/ST
 - (v) JD/DD(CR) : Member Secretary

RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF GAMES SUPERVISOR IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

1. Name of the post : Games Supervisor
2. No. of posts : 52 (Subject to variation dependant on work load).
3. Classification : Group 'C'
4. Scale of pay : Rs.4000-100-6000/-
5. Whether selection post or non-selection post. : Selection
6. Age limit for direct recruitment. : Not applicable
7. Educational and other qualifications : (i) Higher Secondary/10+2 from a recognized Board/University or equivalent.
(ii) **Desirable:**
Should have reasonable knowledge & Interest in sports and played/ involved in the field of sports
8. Whether age & qualifications prescribed for the direct Recruit will apply in the case of promotees and deputationist : N.A
9. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods. : By selection from officials working in the regular cadres or the work-charge establishment of DDA only who have put in minimum 3 years service in the pay scale of Rs.4000-6000 or 5 years in the pay scale of 3050-4590.
10. In case of recruitment by promotion/ transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made. : Same as above
11. If a DPC exists what is its composition: Jr. level DPC for Group 'C' officers
 - (i) Director(Personnel) : Chairman
 - (ii) Jt./Dy.CAO : Member
 - (iii) Jt./Dy.Dir.(P)III : Member
 - (iv) Representation of : Member to be nominated by the VC, DDA
 - SC/ST
 - (v) JD/DD(CR) : Member Secretary.

**RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF
GAMES ATTENDANT IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

1. Name of the post : Games Attendant
2. No. of posts : 104 (subject to variation dependant on work load).
3. Classification : Group 'D'
4. Scale of pay : Rs.2650-4000
5. Whether selection post or non-selection post. : Non Selection
6. Age limit for direct recruitment. : No age limit
7. Educational and other qualifications : (i) At least 8th pass from a recognized Board/School or equivalent.
(ii) Preference will be given to those who have worked/are working in sports complexes from the last 2-3 years.
8. Whether age & qualifications prescribed for the direct Recruit will apply in the case of promotees and deputationist : N.A
9. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods. : By selection/transfer from officials working in the regular cadres or work-charge establishment in DDA in the pay scale of Rs.2650-4000, Rs.2610-3540 & Rs.2550-3200.
10. In case of recruitment by promotion/transfer/deputation, grades from which promotion/transfer/deputation is to be made. : Same as above
11. If a DPC exists what is its composition: Jr.Level DPC for Group 'C' officers
(i) Director(Personnel) : Chairman
(ii) Jt./Dy.CAO : Member
(iii) Jt./Dy.Dir.(P)III : Member
(iv) Representation of : Member to be nominated
SC/ST by the VC, DDA
(v) JD/DD(CR) : Member Secretary.

[No.F-6(15)/2000/PB-III]

V. M. BANSAL, Principal Commissioner-cum-Secy.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Office of Deputy Director (Institutional Land)

Room No.210, A-Block, Vikas Sadan, INA, New Delhi-23.

No:F-PA/DD(IL)/DDA/2006/ 984

April 20, 2006.

Sub: Regarding Gazette Notification dated 19th April, 2006 – Disposal of Nazul Land Rules – Institutional/Commercial/Residential.

Kindly find enclosed Gazette Notification dated 19th April, 2006 which carries the amendments of various rules of Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land Rules) – 1981. The said Notification will allow disposal of institutional plots other than residual and religious through auction mode. The said Notification also contains provision for Disposal of Nazul Land on free hold basis for residential and commercial purposes.

This Notification is for your kind information.

Encl: As above.

(Y.V.V.J. Rajasekhar)
Dy. Dir. (Instl. Lands)

Copy to:-

1. OSD to VC for information of VC;
2. Finance Member;
3. Engineer Member;
4. Principal Commissioner;
5. Principal Commissioner-cum-Secretary;
6. Chief Legal Advisor;
7. Commissioner (Land Disposal);
8. Commissioner (Land Management);
9. Commissioner (Planning);
10. Commissioner (Housing);
11. Director (Nazarat);
12. Officer on Special Duty (Lands);
13. Officer on Special Duty (Residential Land);
14. Deputy Director (Commercial Land);
15. Deputy Director (Land Sales Branch)R;
16. Senior Law Officer (Land Disposal).

Copy also forwarded to:-

1. Shri Amrinder Sharan, Addl. Solicitor General, AB-5, Pandara Road, New Delhi;
2. Shri Vishnu Sahariya, Sr. Advocate/Standing Counsel, DDA, Delhi High Court;
3. Shri Jagmohan Sabharwal, Sr. Advocate, DDA, Delhi High Court;
4. Shri Anil Sapra, Standing Counsel, DDA, Delhi High Court;
5. Shri Ajay Verma, Standing Counsel, DDA, Delhi High Court;
6. Ms. Sangeeta Chandra, Standing Counsel, DDA, Delhi High Court;
7. Shri Rajeev Bansal, Standing Counsel, DDA, Delhi High Court;
8. Ms. Sobhna Takiar, Panel Lawyer, DDA, Delhi High Court;
9. Shri C.Mohan Rao, Panel Lawyer, DDA, Delhi High Court;
10. Ms. Anusuiya Saiwari, Panel Lawyer, DDA, Delhi High Court.

Dy. Dir. (Inst. Lands)

भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]

No. 157]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2006/चैत्र 29, 1928

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2006/CHAITRA 29, 1928

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2006

सा.का.नि. 220(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का.61) की धारा 22 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण से परामर्श के पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) संशोधन नियम, 2006 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का व्ययन) नियम, 1981 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में:—
 - (i) उप-नियम(1) में "व्यक्ति निकायों" शब्दों के स्थान पर "व्यक्ति-निकाय, फर्मों, कंपनियों" शब्द रखे जाएंगे।
 - (ii) उप-नियम(2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) प्राधिकरण योजनाओं के अनुरूप तथा इन नियमों के उपबंधों के अधीन नजूल भूमि का व्ययन निम्नलिखित संस्थाओं को नीलामी द्वारा करेगा:—

- (क) अस्पताल,
- (ख) औषधालय (डिस्पेंसरी)
- (ग) नर्सिंग होम
- (घ) उच्चतर अथवा तकनीकी शिक्षा संस्थान,
- (ङ) सामुदायिक हॉल,
- (च) क्लब,
- (छ) विद्यालय,

परन्तु इस उप-नियम की कोई बात उक्त प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र और स्थानीय निकाय को भूमि के आवंटन को प्रभावित नहीं करेगी।

3. उक्त नियमों के नियम 5 में;

- (i) "प्राधिकरण" शब्द के स्थान पर "नियम 4 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्याधीन प्राधिकरण" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) स्पष्टीकरण को लोप किया जायेगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"8. नियम 4 के उप नियम(2), नियम 5, 6, और 7 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी प्रयोजन के लिए नजूल भूमि का आवंटन ऐसे प्रीमियम के भुगतान पर किया जाएगा जितना कि इन नियमों के यथास्थिति अध्याय-3 या अध्याय-4, के उपबंधों के अनुसार या नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा अवधारित किया जाए।"

5. उक्त नियमों के नियम 16 में, आरंभिक पैरा में "व्यक्ति जिनके अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति प्रवर्ग" भी हैं, शब्दों के स्थान पर "व्यक्ति जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति प्रवर्ग भी हैं, कम्पनी और फर्म" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 20 में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"परन्तु इस नियम की कोई बात नियम 4 के उपनियम(2) के उपबंधों को लागू नहीं होगी।"

7. उक्त नियमों के नियम 42 में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे अर्थात्:

"परन्तु इस नियम में किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण, सिहायशी प्रयोजन अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए नीलामी अथवा निविदा के माध्यम से फ्रीहोल्ड आधार पर नजूल भूमि आबंटित कर सकता है।"

"यह और भी कि फ्रीहोल्ड आधार पर आबंटन के मामले में आबंटिती प्रारूप ख क में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा।"

8. उक्त नियमों में प्रारूप ख के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

फार्म ख क
(नियम 42 देखें)
हस्तांतरण विलेख

(नीलामी अथवा निविदा के जरिए फ्रीहोल्ड आधार पर आबंटित रिहायशी और वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए)

यह हस्तांतरण विलेख एक पक्षधर के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें इसमें आगे दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली के जरिए विक्रेता कहा गया है (इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती तथा समनुदेशिनी भी हैं, जब तक कि संदर्भ में अन्य तथा भिन्न अर्थ अपेक्षित न हो) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री/श्रीमती/मैसर्स..... निवासी.....

.....जिसे इसमें आगे "क्रेता" कहा गया है (इसके अन्तर्गत जब तक कि संदर्भ से अन्य तथा भिन्न अर्थ अपेक्षित न हो, उसके वारिस, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिनी भी शामिल होंगे) के बीच किया गया।

.....में स्थित.....
.....दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र सं० एफ--(.....) /...../.....
तारीख.....के अधीन रूपए.....का प्रतिफल लेकर क्रेता को आबंटित किया गया था जो कि उक्त आबंटन पत्र में उल्लिखित सीमान निबंधनों और शर्तों के अधीन प्राप्त किया गया है

और उक्त आबंटन अब भी वैध तथा कायम है और उक्त क्रेता ने विक्रेता को उसे आवंटित की गई उक्त संपत्ति, जिसका वास्तविक कब्जा उन्हें तारीख.....को सौंपा गया था, में फ्रीहोल्ड स्वामित्व अधिकारों के लिए अंतरण विलेख निष्पादित करने हेतु आवेदन किया है तथा उसमें आगे दी गई शर्तों व निबंधनों के अधीन उक्त संपत्ति के संबंध में उक्त विलेख तदनुसार निष्पादित किया जा रहा है।

यह करार इस बात का साक्षी है कि आबंटन के समय सदत्त.....रु०(शब्दों में.....रु०)की राशि (जिसकी प्राप्ति विक्रेता इसके द्वारा स्वीकार और अभिस्वीकार करता है) के प्रतिफलस्वरूप पूर्वोक्त विलेख और यहां इसमें आगे उल्लिखित सीमाओं के अधीन विक्रेता द्वारा आवसीय योजना के प्लॉट सं०.....में उक्त क्रेता फ्रीहोल्ड स्वामित्व के लिए अनुदत्त हस्तांतरण, विक्रय, निर्मोचन और अंतरण, समनुदेशन तथा आश्वासन पूर्वोक्त क्रेता को करता है।

1. विक्रेता उक्त संपत्ति में या उसके अन्तर्गत सभी खानों और खनिज पदार्थों को चाहे वे किसी भी स्वरूप के हों, अपने पास सुरक्षित रखेगा और इसके साथ-साथ विक्रेता उसके अधिकारियों और कर्मचारियों को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि वे उक्त संपत्ति के किसी भाग में या सभी जगह तलाशी लेने के लिए उसे पाने के लिए, विक्रय योग्य बनाने के लिए, उस समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग में किसी भी समय प्रवेश कर सकें और उक्त संपत्ति के अन्तर्गत या उस पर या विक्रेता की भूमि से सलग्न किसी भूमि पर उक्त खानों और खनिज पदार्थों को ले जा सकें तथा उक्त समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग की सतह का और उस संपत्ति के अंतर्गत आने वाले किन्हीं भवनों या उस पर इसके बाद बनाए जाने वाले भवनों का

निर्धारण कर सकें ताकि आदेशानुसार उसकी ओर से किए गए नुकसान के लिए क्रेता को उचित मुआवजा दिया जा सके बशर्ते उक्त संपत्ति के संबंध में भू-राजस्व या देय अन्य करों का भुगतान कर दिया गया हो, जो विधिपूर्ण रूप से उक्त संपत्ति के संबंध में देय हो या देय हो सकते हों, और सभी सार्वजनिक अधिकार या उससे प्रभावित होने वाले भोगाधिकार भी दे दिए गए हों।

2. संपत्ति के इस विलेख के पूरा होते हुए भी, मास्टर प्लान/जोनल विकास प्लान/ले-आउट प्लान के उपबंधों के उल्लंघन की किसी भी प्रकार से अनदेखी नहीं की जाएगी तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली विकास अधिनियम की धारा-14 या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन के संबंध में समुचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

3. क्रेता भवन, जल-निकास संबंधी तथा समुचित नगरपालिका या तत्समय प्रवर्त अन्य प्राधिकरणों के उप-नियमों का अनुपालन करेगा।

4. उक्त प्लॉट का आवंटन 'यथावत' आधार पर किया जाता है तथा क्रेता द्वारा इस प्लॉट में अथवा उसके आसपास कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/अतिक्रमण/अवैध निर्माण विक्रेता (डीडीए) की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता जो इस आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं अथवा कुछ शर्तों व निबंधनों के अधीन मंजूर भी कर सकते हैं।

सभी प्रकार के शुल्क, कर, प्रभार, निर्धारण, नगरपालिका अथवा अन्यथा और किसी भी प्रकार के प्रभार को आवंटिती/क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

5. यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि इस विलेख को किसी तथ्य को छिपाकर या गलत और गुमराह करने वाले ब्यौरे देकर या कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है तो विक्रेता की ओर से यह विलेख अमान्य हो जाएगा तथा विक्रेता को इस विलेख को रद्द करने तथा क्रेता द्वारा अदा की गई राशि को जब्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में विक्रेता का विनिश्चय अंतिम तथा क्रेता के लिए बाध्यकारी होगा और किसी भी स्थिति में उसे वापस नहीं लिया जाएगा।

6. क्रेता द्वारा आवंटन/नीलामी/निविदा की शर्तों व निबंधनों का अनुपालन किया जाएगा।

7. विक्रेता को आवंटन/नीलामी/निविदा अथवा इस विलेख की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में इस विलेख को रद्द करने का अधिकार होगा।

8. इस लिखत के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रीकरण प्रभार क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।

यह हस्तांतरण इस विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रवृत्त माना जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर सर्वप्रथम दिखी तारीख को श्री..... ने अपनी ओर से तथा विक्रेता के आदेश और निर्देश के अनुसार उसके हस्ताक्षर करवाए हैं तथा क्रेता श्री/श्रीमती..... ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

अनुसूची, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है:

आवासीय प्लॉट सं०..... ब्लॉक सं०..... माप.....
वर्ग मी./गज..... के ले-आउट प्लान में है और जो निम्नलिखित प्लॉटों से घिरा है:-

भूखण्ड के उत्तर में..... है।
भूखण्ड के पूर्व में..... है।
भूखण्ड के दक्षिण में..... है।
भूखण्ड के पश्चिम में..... है।

भारत के राष्ट्रपति(विक्रेता) की ओर से तथा उनके आदेश तथा निर्देश के अनुसार श्री/श्रीमती..... ने हस्ताक्षर किए।

(विक्रेता)

1. श्री/श्रीमती..... की उपस्थिति में
श्री/श्रीमती..... ने हस्ताक्षर किए।

(क्रेता)

निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए:-

1. श्री/श्रीमती.....
श्री/श्रीमती.....

[फा. सं. के-20013/4/2006/डीडीवीए]

पी. के. प्रधान, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम सं.सा.का-नि. तारीख 26 सितंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन सं०(1) सा.का-नि. 97 तारीख 27 जनवरी, 1989(2) सा.का.नि. 677(अ) तारीख 11 नवम्बर, 1991(3) सा.का.नि. 486(अ) तारीख 5 जुलाई, 2002(4) सा.का.नि. 806(अ) तारीख 3 दिसम्बर, 2002 और(5) सा.का.नि. 801(अ) तारीख 9 दिसम्बर, 2004 द्वारा किए गए।

1164 G5/2006-2

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2006

G.S.R. 220(E).— In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (2) of section 56, read with sub-section (3) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Central Government, after consultation with the Delhi Development Authority, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Amendment Rules, 2006.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, —
 - (i) in sub-rule 1, for the words "body of persons", the words "body of persons, firms, companies," shall be substituted;
 - (ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) The Authority shall, in conformity with plans and subject to the provisions of these rules, dispose the Nazul land by auction to the following institutions :—

 - a) hospitals;
 - b) dispensaries;
 - c) nursing homes;

- d) higher or technical education institutions;
- e) community halls;
- f) clubs;
- g) schools:

Provided that nothing in this sub-rule shall affect the allotment of land to the Central Government, a State Government, a Union territory and the local body for the said purpose."

3. In the said rules, in rule 5, -

- (i) for the words "The Authority may", the words "Subject to the provisions of sub-rule (2) of rule 4, the Authority may" shall be substituted;
- (ii) the Explanation shall be omitted.

4. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:-

"8. Save as otherwise provided in sub-rule (2) of rule 4, rules 5, 6 and 7, allotment of Nazul land for any purpose shall be made on payment of such premium as may be determined either by auction or by tender in accordance with the provisions of Chapter III or Chapter IV, as the case may be, of these rules."

5. In the said rules, in rule 16, in the opening paragraph, for the words "individuals, including the following categories of individuals", the words "individuals including the following categories of individuals, companies and firms" shall be substituted.

6. In the said rules, in rule 20, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that nothing in this rule shall apply to the provisions of sub-rule (2) of rule 4."

7. In the said rules, in rule 42, the following provisions shall be inserted, namely:-

"Provided that notwithstanding anything contained in this rule, the Authority may allot Nazul land on free hold basis either through auction or by tender for residential purpose or commercial purpose.

Provided further that in the case of allotment on free hold basis, the allottee shall execute a conveyance deed in Form BA."

8. In the said rules, after Form B, the following form shall be inserted, namely:-

FORM BA

(See rule 42)

CONVEYANCE DEED

(For Residential and Commercial Properties allotted on Freehold basis through Auction or Tender)

This deed of conveyance made on this..... day of..... between President of India, hereinafter called "THE VENDER" through DDA, Vikas Sadan, New Delhi (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his successors in office and assigns) of the one part and Shri/Smt/M/S.....R/o

..... hereinafter called "The purchaser" (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his/her heirs, administrators, representatives and permitted assigns) of the other part.

WHEREAS..... situated in..... was allotted to the purchaser by Delhi Development Authority vide allotment letter No.F... () / dated..... against a consideration of Rs.

.....(Rupees.....) which has been received subject to limitation, terms and conditions mentioned in the said letter of allotment.

AND WHEREAS representing that the said allotment is still valid and subsisting, the said purchaser has applied to the Vendor to execute the Conveyance Deed for free hold ownership rights in the said demised property allotted to him and physical possession whereof has been handed over to him on/...../..... and this deed is being executed accordingly of the said demised property subject to terms and conditions appearing hereinafter.

NOW THIS INDENTURE WITNESSES THAT in consideration of the sum of Rs/- (Rupees) Paid at the time of allotment and Rs (Rupees) was paid before the execution hereof (the receipt whereof the Vendor hereby admits and acknowledges), the aforesaid representation and subject to limitation mentioned hereinafter, the Vendor do hereby grants, conveys, sells, releases and transfers, assigns and assures unto the aforesaid purchaser free hold ownership, in the Scheme..... Plot No

1. The Vendor excepts and reserves unto himself all mines and minerals of whatever nature lying in or under the said property together with full liberty at all times for the Vendor, its agents and workmen, to enter upon all or any part of the property together to search for, win, make merchantable and carry away the said mines, and minerals under or upon the said property or any adjoining lands of the vendor and to lay-down the surface of all or any part of the said property and any building under or hereafter to be erected thereon making fair compensation to the purchaser for damage done unto him thereby, subject to the payment of land revenue or other imposition payable or which may become lawfully payable in respect of the said property and to all public rights or easement affecting the same.

2. That notwithstanding execution of this Deed, use of the property in contravention of the provisions of Master Plan/Zonal Development Plan/Layout plan shall not be deemed to have been condoned in any manner and Delhi Development Authority shall be entitled to take appropriate action for contravention of Section 14 of Delhi Development Act or any other law for the time being in force.

3. The purchaser shall comply with the building, drainage and other byelaws of the appropriate Municipal or other authorities for the time being in force.

4. The said plot is allotted on the basis of 'as is' and the purchaser cannot make any alteration/addition/encroachment/unauthorized construction in or

1164 GT/2006-3

around the same without written permission of Vendor (DDA) who may refuse or grant the same subject to such terms and conditions as deems proper.

All fees, taxes, charges, assessments, Municipal or otherwise and other levies of whatsoever nature shall be born by the allottee/purchaser.

5. If it is discovered at any stage that the allotment or this deed has been obtained by suppression of any fact or by any misstatement, misrepresentation or fraud, then this deed shall become void at the option of the vendor, which shall have the right to cancel this deed and forfeit the consideration paid by the purchaser. The decision of the vendor in this regard shall be final and binding upon the purchaser and shall not be called in question in any proceedings.

6. That the purchaser shall abide by the terms and conditions of allotment/auction/tender, which shall be treated as a part of these presents.

7. That the vendor reserves the right to cancel this deed in event of breach of conditions of allotment/auction/tender and of this deed.

8. The stamp duty and registration charges upon this instrument shall be borne by the purchaser.

This transfer shall be deemed to have come into force with effect from the date of registration of the deed.

In witness where of Shri/Smt

For and on behalf of and by the order and direction of the Vendor has hereunto set his/her hand Shri/Smt / M/S the purchaser, the hereunto set his/her hand day and year first above written.

THIS SCHEDULE ABOVE REFERRED TO

All that in the layout plan of and consisting of sq.mtrs (Courtyard Area) or thereabouts bounded as follows.

NORTH
EAST
SOUTH
WEST

Signed by Shri/Smt.....

for and on behalf of and by the order and direction of the President of India (vendor)

(VENDOR)

In the presence of:

(1) Shri/Smt.

Signed by Shri/Smt.

(PURCHASER)

In the presence of:

(1) Shri/Smt.

(2) Shri/Smt.

[F. No. K-20013/4/2006/DDVA]

P. K. PRADHAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published vide number G.S.R. 872, dated the 26th September, 1981 and subsequently amended vide number (1) G.S.R. 97, dated the 27th January, 1989, (2) G.S.R. 677 (E), dated the 11th November, 1991, (3) G.S.R. 486(E), dated the 5th July, 2002, (4) G.S.R. 806 (E), dated the 3rd December, 2002, and (5) G.S.R. 801 (E), dated the 9th December, 2004.

[Handwritten signature]

9810
MOST IMMEDIATE

No.U-11014/01/06-UTL

मुख्य सचिव, दिल्ली.

हाथरी सं. 2/33/6

दिनांक 10-3-06

विषय बाका Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya

Delhi Secretariat
R&I Br.
Govt. of NCT of Delhi.

GAAD/06/17916

New Delhi -110001

Dated : 14/3 March, 2006

To Dairy No.

Shri S. Regunathan,
Chief Secretary,
Government of NCT of Delhi,
Delhi Secretariat,
I.P. Estate, New Delhi.

Subject: Amendment to the Government of Union Territories Act,
1963 and the Government of National Capital Territory
of Delhi Act, 1991.

22/4/07

Sir,

I am directed to enclose two gazette copy of the
Government of Union territories and the Government of National
Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2006 (No.5 of 2006)
for information and record please.

Yours faithfully,

(Signature)
(O.P. Dogra)

Under Secretary to the Government of India

Tel. 23093147

Encl. As above.

Substg/CM

Vikas Singh
14/3/06
Sh. Jagdish



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2006 / फाल्गुन 12, 1927

No. 7] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2006 / Phalguna 12, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 3rd March, 2006/Phalguna 12, 1927 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 2nd March, 2006, and is hereby published for general information:—

THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES AND THE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (AMENDMENT) ACT, 2006

No. 5 of 2006

[2nd March, 2006]

An Act further to amend the Government of Union Territories Act, 1963 and the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.

Be it enacted by Parliament in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

Preliminary

1. (1) This Act may be called the Government of Union Territories and the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2006.

Short title and commencement

(2) Section 2 shall be deemed to have come into force on the 31st day of March, 2005.

CHAPTER II

AMENDMENT OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963

Insertion of new section 43F.
Special provision as to readjustment of territorial constituencies on the basis of 2001 census.

2. After section 43E of the Government of Union Territories Act, 1963 the following section shall be inserted, namely:—

20 of 1963.

"43F. Notwithstanding the publication of orders under sub-section (1) of section 10 of the Delimitation Act, 2002 or anything contained in sub-section (2) or sub-section (4) of the said section, any readjustment in the division of Union territory into territorial constituencies by the Delimitation Commission under the said Act, on the basis of 2001 census shall take effect from such date as the Central Government may, by order, published in the Official Gazette, specify and until such readjustment takes effect, any election to the Legislative Assembly may be held on the basis of the territorial constituencies existing before such readjustment."

33 of 2002.

CHAPTER III

AMENDMENT OF THE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI ACT, 1991

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, in sub-section (3), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

1 of 1992.

"Provided further that any readjustment in the division of the Capital into territorial constituencies by the Delimitation Commission under the Delimitation Act, 2002 on the basis of 2001 census shall take effect from such date as the Central Government may, by order, published in the Official Gazette, specify and until such readjustment takes effect, any election to the Legislative Assembly may be held on the basis of the territorial constituencies existing before such readjustment."

33 of 2002.

T. K. VISWANATHAN,
Secy. to the Govt. of India.

CORRIGENDUM

In the Criminal Law (Amendment) Act, 2005 (No. 2 of 2006) as published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1, dated the 12th January 2006 (issue No. 2), at page 2, for the marginal heading of section 195A, read "Threatening any person to give false evidence."

PC 2509